खण्ड-373, अंक-1
सोमवार, 11 भाद्रपद, शक संवत् 1907
(2 सितम्बर, 1985 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 373 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ संख्या
दिल्ली में हुए शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में नई शिक्षा नीति के प्रारुप के संबंध में औचित्य का प्रश्न	..64–65
प्रदेश के पिछड़े वर्ग के आरक्षण के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रेषित पत्र से राज्य सरकार के अधिकारियों का अतिक्रमण होने के विषय में औचित्य का प्रश्न..	66
श्री मैनेजर सिंह तथा उत्तर प्रदेश के कुछ संसद सदस्यों की जान को खतरा होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	..66–68
उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्धन और संरक्षण (हानप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) विधेयक, 1985 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	..68–69
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1985 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) .. .	69
उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) संशोधन विधेयक, 1985 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	69
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1985 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	69
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1985 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	69
उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) विधेयक, 1985 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	69–70
जनपद लखनऊ में रहीम नगर पड़याना, लतीफनगर, सम्पर्क मार्ग पर सई नदी पर पुल बनाए जाने के संबंध में तथा जनपद लखनऊ में बन्थरा से भटगां जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर दादूपुर गांव के समीप नगवा नाले पर पुल बनाए जाने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गयी)	70
जनपद उन्नाव के गुलरिल, गुरु बख्श गंज मार्ग को अधोहरी से गुलरिता तक डामर रोड़ बनाये जाने तथा जनपद उन्नाव के पुरवां माझेगंवा पिपरी बदौली संपर्क मार्ग पर सरवन ड्रेन पर पुल निर्मित कराये जाने के संबंध में याचिका (उपस्थिति की गयी)	70
जनपद बांदा के बदौसा कस्बे में नया ब्लाक मुख्यालय स्थापित किये जाने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गयी)	70
बरेली नगर स्थित इस्लामियां गर्ल्स इण्टरकालेज बरेली को उच्चीकृत करके महा-विद्यालय बनाये जाने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गयी) ..	70
विधान सभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने के लिये विधान सभा के चार सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	70–71
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1985 (पुर: स्थापित किया गया)	71

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश होयोपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1985 (पुर: स्थापित किया गया)	71
सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्यों के पिछडेपन व आबादी के आधार पर केन्द्र सरकार से धन आवंटन की मांग तथा प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़े जनपदों के विकास हेतु अधिक धन आवंटित किय जाने के संबंध में संकल्प चर्चा जारी)	71–88
(उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985 को विचारार्थ लिए जाने पर आपत्ति	88–89
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985 (पारित)	89–96
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1985 (पारित)	96–109
उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों व निगमों में बढ़ते घाटे, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा	109 124
सदन में पर्चे फेंकने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	124
प्रदेश में नव-विवाहिता युवतियों को जलाने, गला घोंट कर मारने तथा आत्म हत्या के लिए मजबूर करने की घटनाओं में अभूतपूर्व वृद्धि के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा	124–136
महिलाओं के लिए स्नातकोत्तर कक्षा तक नि:शुल्क शिक्षा की व्वयस्था किये जाने के विषय में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (अस्वीकृत) ..	136–144
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	144
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में लेखाधिकारियों के चयन में भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	144–147
प्रदेश में नजूल तथा अन्य सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	147–152
जनपद बस्ती तथा गोरखपुर में चीनी मिले बन्द करने की घोषणा के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	152–158
नत्थियां	159–167

उत्तर प्रदेश विधान सभा

9092

सोमवार दिनांक 2 सितम्बर, 1985

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे

अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर	मोहम्मद हयात, हाजी	मुरादाबाद
अमिताभ लवानियां, श्री	आगरा	रजनीकान्त, श्री	वाराणसी
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	रफीक अहमद, श्री (उर्फ रफ्फन)	बरेली
अशोक सेहरा, श्री	आगरा	राजेन्द्र शर्मा, श्री	मेरठ
इन्द्रजीत, श्री	फतेहपुर	(उर्फ ननकू)	
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	[illegible] चौधरी, श्री	बलिया
कृष्ण कुमार शर्मा, श्री	गाजियाबाद	रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री	बाराबंकी
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर	राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव	राम लक्षन, श्री	गोरखपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर	राव बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर	रैवती रमण सिंह, कुंवर	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह, चौधरी	कानपुर	लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़	विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
नेक चन्द्र पाण्डेय, श्री	कानपुर	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी	शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
बहादुर सिंह, श्री	आगरा	शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी	संजय सिंह, राजकुमार	सुल्तानपुर
महेन्द्र सिंह भाटी, श्री	गाजियाबाद	सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	इलाहाबाद
मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा	सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
		सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं	सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री	मुरादाबाद	हर नारायन सिंह, श्री	रायबरेली
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री	वाराणसी	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

सोमवार, दिनांक 2 सितम्बर, 1985

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

उ0 प्र0 रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन्स सेण्टर द्वारा फसलों की बीमारी का सर्वेक्षण

**1—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या विज्ञान एवं पर्यावरण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पैदा होने वाली मुख्य फसलों जैसे गेहूं, धान, गन्ना व आलू इत्यादि की प्रत्येक वर्ष बीमारी की जानकारी करने हेतु उपग्रह द्वारा सर्वेक्षण कराने तथा उसकी जानकारी किसानों को उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी?

वित्त एवं नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन्स सेन्टर उ0 प्र0 द्वारा फसलों की बीमारी की जानकारी हेतु वायुवीय सर्वेक्षण एवं उपग्रहीय आंकड़ों के उपयोग के लिये प्रयोग किये जा रहे हैं। फसलों की बीमारी की निश्चित जानकारी देने के लिये रिमोट सेन्सिग तकनीक का कार्य अभी प्रयोगावस्था में ही है। जब निश्चित तकनीक फसलों की बीमारी के अनुश्रवण के लिये व्यवहारिक स्टेज पर पहुंच जायेगी तभी ऐसी योजना बन सकेगी।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर माननीय मंत्री जी ने जो अपने उत्तर में कहा है कि तकनीकी का कार्य अभी प्रयोगावस्था में ही है। श्रीमन्, मेरी निश्चित जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि विश्व में रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन्स सेन्टर की तकनीक काफी विकसित हो चुकी है। मैं इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए नई सघन खेती में जो हजारों एकड़ में एक ही किस्म की खेती होती है, उसमें यदि कोई बीमारी लगती है तो इससे सरकार का भी और किसान का भी काफी नुकसान होता है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया प्रश्न पूछें।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाते हुए कि इस प्रकार की परिस्थितियां हैं और उनके लिये तकनीक भी उपलब्ध है तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि कुछ विशेष फसलें जैसे आलू गन्ना या गेहूं की खेती जो कुछ क्षेत्रों में होती है उसके लिये यह कार्य क्या प्राथमिकता के आधार पर कराने की कृपा करेंगे?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन्, जैसा कि मूल प्रश्न के उत्तर में कहा गया है, यह स्थिति अपने प्रदेश और देश में अभी एक्सपरीमेन्टल स्थिति में है। अपने यहां रिमोट सेन्सिग सेन्टर पर जो सेटलाईट से आंकड़े आते हैं उनको कम्प्यूटर के ऊपर डिटेल करके देखा जाता है और जो बीमारियां फैल रही होती हैं, असल में कब बीमारी फैलेगी यह पता नहीं लग पाता है जब बीमारी प्राथमिक स्टेज में होती है उस समय सेटलाइट उधर से गुजरे तो डिटेल भेज देता है जिससे कि पता चल जाता है कि इस एरिया में यह बीमारी फैलने वाली है। यह सही है कि प्रदेश में कुछ एरिया ऐसे हैं कि जहां पर केवल गन्ने की ही खेती होती है और कहीं पर केवल आलू ही पैदा किया जाता है। 1984 की जनवरी में आलू वाले एरिया में रिमोट सेन्टर द्वारा वायुवीय सर्वेक्षण कराया गया था

जिसकी सुनिश्चित योजना के बारे में सदन को भी सूचित किया गया था। 1986 के मध्य में भारत सरकार का रिमोट सेन्सिग सेटलाइट लांच किया जाने वाला है। उसके द्वारा डेटाज इकट्ठे करने के लिये लखनऊ में अन्तरिक्ष केन्द्र बनाया जा रहा है, जो सेटलाइट द्वारा भेजे गये आंकड़ों को रिसीव करेगा। उस समय अपने प्रदेश और देश में उठने वाली बीमारियों के बारे में तुरन्त ज्ञान हो सकेगा।

श्री जयदीप सिंह बरार—

अभी मंत्री जी ने बताया कि 1986 में सेटलाइट द्वारा लखनऊ सेन्टर को आंकड़े प्राप्त हो सकेंगे। लेकिन सेटलाइट कार्य तो वही करेगा जिसके लिये पहले से व्यवस्था की जायेगी। सेटलाइट उत्तर प्रदेश के ऊपर से भी गुजर सकता है लेकिन भारत सरकार की यहां के लिये कोई व्यवस्था नहीं होगी कि वह यहां के लिये भी आंकड़े एकत्रित करके उसे प्रस्तुत करें, इसलिये यह कार्य नहीं हो सकेगा। इसलिये मैं आश्वासन चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में वह भारत सरकार से इस बात की व्यवस्था करेंगे कि वह उपग्रह इस प्रकार के आंकड़े एकत्र करे।

श्री अंम प्रकाश रिछारिया—

इन्हीं आंकड़ों को एकत्र करने के लिये उसे छोड़ा जा रहा है।

प्रदेश में भोजपुरी भाषा को राज्य की दूसरी भाषा बनाने की मांग

**2—श्री राम गोविन्द चौधरी—(अनुपस्थित)

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में अधिकांश व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली 'भोजपुरी भाषा' को दूसरी राज्य भाषा बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है?

मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)—

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1985 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

हरदोई जिले के विकास खण्ड, हरियावां तथा बावन के अन्तर्गत स्वीकृत विकास योजनाएं

*1—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 3232(1)/38-7-85, दिनांक 22-4-85 द्वारा यह निश्चित किया गया है कि ब्लाकों के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य क्षेत्र समिति की स्वीकृति के बाद ही ग्राम विकास अभिकरण समिति द्वारा पास किये जायेंगे? क्या यह सत्य है कि जून, 1985 में जिला हरदोई ग्राम विकास अभिकरण समिति ने ब्लाक हरियावां एवं बावन की योजनाओं पर 10 लाख रुपया बिना क्षेत्र समिति द्वारा चयन की गयी योजनाओं पर स्वीकृति दे दी है? यदि हां, तो किस नियम के अंतर्गत पैसा दिया गया और इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्यामसुरन उपाध्याय)—

संदर्भित शासनादेश द्वारा यह निश्चय किया गया था कि बी0 डी0 सी0 के अनुमोदन के पश्चात प्रत्येक ब्लाक की एक सूची जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को उपलब्ध कराई जायेगी और जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के स्तर पर प्राप्त सूची पर विचार करके अंतिम निर्णय लिया जायेगा परन्तु दिनांक 27-5-1985 के पत्र के द्वारा यह कहा गया कि योजना की स्वीकृति देने का अधिकार केवल जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों को ही है। साथ ही जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अपने स्तर से या विभिन्न शासकीय विभागों के माध्यम से वर्ष भर में 50 प्रतिशत तक कुछ योजनाओं की स्वीकृति दे सकते हैं।

जी नहीं, वस्तुस्थिति यह है कि हरियावां तथा बावन विकास खंडों से नयी योजनाएं मांगे जाने के बावजूद क्षेत्र विकास समितियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए और 1-6-85 को वर्ष 84-85 की क्रमशः 7.03 तथा 7.10 लाख रुपये की पूर्व स्वीकृत योजनाए अनुमोदित की गई। जून 85 की बैठक में माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं में से चार लाख रु0 की नई योजनाएं सर्वसम्मति से स्वीकृत की गई।

अभी तक केवल हरिजन पेयजल कूपों के लिए रु0 35223.50 पै0 की धनराशि हरियावां और बावन विकास खंडों के लिए अवमुक्त की गई है । उपरोक्त परिस्थितियों में किसी अधिकारी को दोषी ठहराने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता ।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के प्रश्न के उत्तर के सन्दर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि ब्लाक हरियावां एवं बावन को छोड़कर जनपद के 17 ब्लाकों में जो बी0 डी0 सी0 द्वारा स्वीकृत कार्य क्रम हैं उनका अनुमोदन डी0 आर0 डी0 ए0 द्वारा किया गया है । सत्ता पक्ष के विधायकों की संस्तुतियों पर सारी योजनाओं को स्वीकार कर लिया गया है और 35 हजार रुपया आवंटित किया गया है, लेकिन इन दो ब्लाकों को छोड़ दिया गया है । इस परिस्थिति में क्या रा0 मंत्री जी सारे मामलों की जांच कराकर अन्य ब्लाकों के साथ इन दो ब्लाकों को भी लेंगे और वही व्यवस्था इनमें भी करेंगे और इसमें जो अधिकारी दोषी पाये जायेंगे, उनको दंडित करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, पहली जून को बैठक हुई, इन तीन विकास खन्डों की योजनायें नहीं आयी थीं और वहां पर सभी उपस्थित सदस्यों ने तय किया कि फिलहाल जो पूर्व स्वीकृत योजनायें हैं, उनकी स्वीकृत दे दी जाये । जून 1985 की बैठक में प्रस्तुत योजनाओं में से चार चार लाख रुपये की नयी योजनायें सर्वसम्मति से स्वीकृत की गयी हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जिस मीटिंग का जिक्र मा0 मंत्री जी ने किया उसमें मैं भी उपस्थित था । जहां तक मुझे मालूम है ।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना प्रश्न कर लें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं प्रश्न ही कर रहा हूं । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो कटिनाइयां अब तक बी0 डी0 सी0 द्वारा स्वीकृत योजनाओं को अभिकरण के अनुमोदन के सम्बन्ध में हैं, उनको ध्यान में रखते हुए क्या शासन स्तर से स्पष्ट निर्देश देने की व्यवस्था करेंगे कि ग्राम्य विकास अभिकरण ही अपने में सर्वोच्च संस्था है और उसी के सामने जो उसके सदस्य हैं यदि परोक्ष रूप से उनसे भी प्रस्ताव आये तो उस पर भी विचार किया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, इसी को ध्यान में रख-कर यह शासनादेश किया गया है । 27 मई, 1985 को जिला विकास अभिकरण को सक्षम बताया है, अगर योजना विकास खंड से न भी आये, तब भी डी0 आर0 डी0 ए0 अपनी योजनाएं स्वीकृत कर सकता है और उनको लागू करा सकता है ।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, हरियावां बावन में 10 लाख रुपये की योजना के अतिरिक्त एक करोड़ रुपये की पुरानी छूटी हुई योजनाओं के सम्बन्ध में जो योजनाएं स्वीकृत हुई उसका भी अनुमोदन क्षेत्रीय विकास समितियों द्वारा नहीं किया गया, क्या इसकी जानकारी मंत्रीजी को है । 27-5-85 को जो परिपत्र जारी हुआ इसके परिप्रेक्ष्य में क्या माननीय विधायकों और संसद सदस्य लोग थे । क्या यह व्यवस्था दो ही ब्लाकों तक ही सीमित रही ? क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे और दोषी व्यक्तियों को दंडित करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, मूल प्रश्न के उत्तर में कह दिया गया है कि इन 2 विकास खंडों में जो पिछली योजनाएं थी जिनका काम अधूरा था, पूरा नहीं हुआ था उनको पूरा कराने के लिए 7.03 और 7.01 लाख रुपया इन विकास खंडों के लिए स्वीकृत किया गया और यह भी स्वीकृत किया गया, सभी माननीय सदस्य उसमें थे वहां के विधायक और संसद सदस्य, कि 4-4 लाख रुपया नयी योजनाओं के लिए स्वीकृत कर दिया जाय । कोई पक्षपात इन विकास खंडों के साथ नहीं किया गया है । गवर्निंग बाडी को यह अधिकार है कि अपनी योजनाओं को स्वीकार कर लें, लेकिन यदि कोई शिकायत होगी कि यहां उपेक्षा की गयी है, उस सम्बन्ध में माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो उसमें जांच करा लेंगे ?

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, मैंने कहा है कि एक करोड़ रुपये का पुराना कार्य जिसकी स्वीकृति बी0 डी0 सी0 द्वारा नहीं की गयी है। सारी योजनाओं का पैसा बिना डी0 आर0 डी0 से स्वीकृत कराये आवंटित किया गया, क्या इसकी जांच करायेंगे 27-5-85 का जो परिपत्र था, डी0 आर0 डी0 की मीटिंग में उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया और बी0 डी0 सी0 में सारे कार्य अनुमोदित हो गये, क्या इसकी जानकारी आपको है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय बाजपेयी जी, इन्होंने कह दिया कि लिखकर दे देंगे तो जांच करायेंगे।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, यह अहम मामला है।

श्री अध्यक्ष—

अहम मामला है तभी तो वह जांच कराने के लिए कह रहे हैं।

फैजाबाद की प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों के प्रावीडेण्ट फण्ड तथा जीवन बीमा की धनराशि का लेखा जोखा

*2—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन संचारित प्राइमरी पाठशालाओं तथा जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों/अध्यापिकाओं के प्राविडेन्ट फन्ड तथा जीवन बीमा फन्ड का सही लेखा-जोखा परिषद् के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है और सन् 1972 से 1978 तक की अवधि का किसी अध्यापक/अध्यापिका का फन्ड नम्बर भी एलाट नहीं किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों के घोटाले की आशंका है ? यदि हां तो पूरे तथ्य क्या हैं और दोषी लोगों को दंडित करने तथा अभिलेखों को सही कराने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)—

जी नहीं। प्रावीडेन्ट फण्ड तथा जीवन बीमा का सही तौर का लेखा जोखा उपलब्ध है। प्रत्येक अध्यापक/अध्यापिका का फाइल नम्बर एलाट है। अतः घोटाले की आशंका निर्मूल है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1972 से सन् 1978 तक कुल कितने अध्यापक, अध्यापिकाओं के प्राविडन्ट फंड और जीवन बीमा फंड एलाट किये गये और उनके शुरू का नम्बर क्या है और अंतिम नम्बर क्या है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, शुरु और अन्त की सूचना एकत्र करनी पड़ेगी।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, यह असत्य सूचना दे रहे हैं, इसी लिए मैंने पूछा था तो कह रहे हैं कि सूचना एकत्र करने की जरुरत है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप और प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कुल संचारित अध्यापक और अध्यापिकाओं की संख्या कितनी है और उनका प्राविडेन्ट फण्ड का कुल कितना रुपया जमा है और जो फंड का नम्बर एलाट किया गया है वह कुल कितने लोगों का एलाट किया गया है ? क्या जितने अध्यापक-अध्यापिकायें हैं उन सब का प्रोविडेन्ट फण्ड का नम्बर एलाट हुआ है या नहीं ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, कुल अध्यापक अध्यापिकायें 5284 हैं। पे-बिल की आफिस कापी में उसका पूरा विवरण रहता है, वेतन का, मंहगाई भत्ते का, भविष्य निधि का और जीवन बीमे का। उनका पे-बिल दुरुस्त है। उसी के अनुसार बाइ-शीट

बनायी जाती हैं। टांडा और फैजाबाद में कुल 209 हैं जिनका हिसाब-किताब ठीक है। उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कुल 30 शिक्षा क्षेत्र हैं जिसमें कि 1974-75 में जो ब्राउन्शीट बनी हैं उसके अनुसार 19 शिक्षा क्षेत्रों की बनी हैं। 1979-80 में 10 और 1981-82 में एक शिक्षा क्षेत्र की ब्रांउन-शीट बनी हैं। इन क्षेत्रों के उक्त अवधि तक की ब्रांड शीट बनी हैं परन्तु अभीतक पासबुक नहीं दी जा सकी हैं। 2000 अध्यापकों की 1978-79 तक की प्रविष्टि उनके एकाउन्ट में की जा चुकी हैं और पास बुकें दी जा चुकी हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मानयवर, पहले मंत्री जी ने सवाल के उत्तर में कहा कि "जी नहीं", टोटल एलाट हो गये हैं और अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं कि बहुतों की 74-75 तक, बहुतों की 1978-79 तक की अभी बाकी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कल कितने अध्यापकों और अध्यापिकाओं को अभीतक उनके प्राविडेन्ट फण्ड के नम्बर एलाट नहीं किये गये हैं और उनके लिये कौन दोषी हैं ?

श्री संकटा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, यह मैंने बता दिया हैं कि टांडा नगर क्षेत्र का 209 का पूरा हैं। ऐसे दो हजार अध्यापक हैं जिनको 78-79 तक की पास बुकें दे दी गई हैं और जो शेष हैं उनके ऊपर कार्यवाही की जा रही हैं। उन्हें भी ठीक करा दिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने जानकारी दी हैं कुल मिलाकर अध्यापकों की संख्या 5 हजार हैं और उन्होंने 2000 की संख्या बतायी हैं कि उनकी प्रविष्टि की गई हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि कितने अध्यापकों का एकाउन्ट बाकी हैं, यह संख्या उनके पास नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह प्रतीक के रूप में फैजाबाद सवाल हैं। मैं समझता हूं कि बेसिक शिक्षा परिषद् में प्राविडेन्ट फन्ड का घोटाला हर जिले में हैं। यह केवल एक जिले की जानकारी आयी हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर आज मंत्री जी यह संख्या सही नहीं बता सकें तो मान्यवर, आप इस मामले को स्थगित कर दें अथवा इसे प्रश्न समिति को संदर्भित कर दें जिससे इसे प्रतीक मानकर पूरे प्रदेश की स्थिति ठीक हो सके।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

संख्या तो बतायी हैं कि अध्यापकों की संख्या 5,281 हैं। . . . (व्यवधान)। हर व्यक्ति के खाते या उनके प्राविडेन्ट फन्ड एकाउन्ट का पैसा ब्रांड-शीट में लिखित रहता हैं। उसका पूरा आंकड़ा इस समय नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मैं बहस नहीं करना चाहता, प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण सवाल हैं और प्रत्येक जिले में बेसिक शिक्षा परिषद् के कार्यालयों में इस तरह का घोटाला हैं। आपके जनपद को भी यही स्थिति होगी। मान्यवर, इसे आप स्थगित कर दें अथवा प्रश्न एवं संदर्भ समिति को निर्दिष्ट कर दें जिससे माननीय सदस्य भी स्थिति का जायजा ले सकें।

श्री अध्यक्ष—

आपने तो दूसरा ही प्रश्न उठा दिया। उन्होंने बताया कि पांच हजार अध्यापक हैं।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

उनके पूरे के खाते नहीं हैं। . . (व्यवधान)। पांच हजार में से कितनों के खाते खुले हैं। यह आपके पास नहीं हैं।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

इसकी सूचना हमको नहीं हैं। मैं इसकी जांच करके रिपोर्ट दूंगा और उस पर कार्यवाही करायी जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कह दिया कि इसके लिये सूचना की आवश्यकता हैं।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया हैं कि 5 साल, 6 साल, 3 साल से प्राविडेन्ट फण्ड की पास बुक नहीं बनी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपके शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक के फण्ड अधूरे रह जांय तो क्या होगा, तो क्या इसमें घोटाला नहीं हैं।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मैं तो कहूंगा कि घोटाला नहीं है। चूंकि लिपिकों की कमी है इसकी वजह से काम थोड़ा अधूरा है। हिसाब-किताब हम ठीक कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का रह गया है नगरीय क्षेत्रों का पूरा कर दिया गया है।

प्रदेश में नयी शिक्षा नीति लागू किये जाने की मांग

*3—श्री गौरी शंकर भइया—(अनुपस्थित)

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार नई शिक्षा नीति लागू करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है तथा इसे कब से लागू किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)—

भारत सरकार द्वारा अन्तिम रूप से नई शिक्षा नीति घोषित होने के पश्चात् विचार हो सकेगा।

प्रारूप तथा लागू करने के समय को भी भारत सरकार द्वारा नीति घोषित होने पर ही स्पष्ट किया जा सकेगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

परीक्षा केन्द्र, चौधरी जवाहर सिंह इण्टर कालेज मुरितयानी, इटावा में गणित प्रथम प्रश्न-पत्र की कमी

*1—चौधरी महाराज सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि चौ0 जवाहर सिंह इण्टर कालेज मुरितयानी जनपद इटावा में 21-3-85 को गणित प्रथम प्रश्न-पत्र के पर्चे कितने विद्यार्थियों को नहीं दिये गये? यदि हां, तो वह किस विद्यालय के छात्र थे और संख्या कितनी थी? उन पर शासन ने व माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? अगर नहीं की तो क्यों? व्यवस्थापक और प्रबन्धक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और जो छात्रों का एक वर्ष बर्बाद हुआ है उसकी जिम्मेदारी किन लोगों पर है?

श्री सिब्ते रजी—

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने प्राप्त सूचना के अनुसार परीक्षा केन्द्र चौ0 जे0 एस0 इण्टर कालेज मुरितयानी, इटावा पर के0 बी0 हायर सेकेण्डरी स्कूल दिलीपपुर, इटावा के 85 परीक्षार्थियों को मुद्रित प्रश्न-पत्र नहीं दिये जा सके। उन्हें प्रश्न श्यामपट पर लिखकर नकल कराये गये। उक्त केन्द्र पर शेष परीक्षार्थियों को एक प्रश्न-पत्र को दो भागों में फाड़कर वितरित किया गया तथा दोनों भागों का आदान-प्रदान कक्ष निरीक्षकों की देखरेख में सम्पादित कराया गया। जिन परीक्षार्थियों को प्रश्न-पत्र श्यामपट से उतारने की व्यवस्था की गयी उनके समय का समायोजन शेष परीक्षार्थियों के समान एकरूपता के आधार पर किया गया और सभी परीक्षार्थियों की परीक्षा एक साथ प्रारम्भ हुई। इस प्रकार किसी भी परीक्षार्थी की परीक्षा प्रश्न-पत्र के अभाव में नहीं छूटी। शिक्षा निदेशक एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद् को आदेश कर दिये हैं कि वे इस प्रकरण को स्वयं देखें और दायित्व निर्धारित कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

चौधरी महाराज सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो संख्या बताई है वह वास्तव में 185 है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक ही विद्यालय के सभी छात्रों को प्रश्न पत्र नहीं दिये गये?

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, उस केन्द्र पर, जिसकी यहां पर बात-चीत चल रही है में कुल 339 विद्यार्थी थे जिनमें से 14 बालिकायें थी इस प्रकार 325 विद्यार्थी थे। इसमें 139 प्रश्न पत्र मौजूद थे। जैसा मैंने कहा 85 परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र नहीं दिये गये उन्हें श्यामपट पर प्रश्न-पत्र पर लिखकर नकल कराये गये। शेष 97 पर्चे परीक्षार्थियों को एक प्रश्न पत्र को दो भागों में फाड़ कर वितरित किया गया तथा दोनों भागों का आदान-प्रदान कक्ष निरीक्षकों की देखरेख में किया गया।

श्री मुलायम सिंह यादव—

सवाल यह नहीं है सवाल यह है कि 185 छात्रों को हमारा कहना है कि पर्चे नहीं दिये गये और माननीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं

85 छात्र थे। तो यह 85 किस आधार पर बता रहे हैं हमारा कहना है कि 185 को पर्चे नहीं दिये गये ?

श्री सिब्ते रजी—

कुल 182 विद्यार्थी थे जिन्हें इस तरह से या उस तरह से पर्चे नहीं मिल सके उसमें 85 को तो श्याम पट पर लिख कर नकल कराई गयी जो बाकी 97 विद्यार्थी थे उनको जैसा मैंने कहा एक प्रश्न पत्र को दो भागों में फाड़ कर वितरित किया गया और दोनों भागों का आदान प्रदान कक्ष निरीक्षकों की देख रेख में सम्पादित कराया गया। क्योंकि प्रश्न पत्र में जो प्रश्न थे सारे अनिवार्य थे उसमें कोई च्वाइस नहीं थी। इसलिए आपात्कालिक स्थिति में यह किया गया जितने पर्चे होने चाहिए थे उतने नहीं थे परिषद् कार्यालय से कम पर्चे वहां भेज दिये गये थे और इम्तहान लेना जरूरी था और परीक्षा होने तक प्रधानाचार्य केन्द्र के व्यवस्थापक ने गलती को पकड़ नहीं पाये, इसलिए परीक्षा शुरू हो गयी थी तो उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने विवेक का सही इस्तेमाल किया।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, 19 मार्च को श्री महाराज सिंह और मैंने शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा और उसमें कहा कि आगे आने वाली परीक्षा में जो हो रहा है उसमें वहां के प्रिंसिपल और मैनेजमेन्ट के लोग इस कालेज के चुनाव के कारण नाराज हैं, इसलिए सेन्टर बदल दें चूंकि विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो जायेगा। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 185 या 85 जिन छात्रों को पर्चे मिले हैं, तो जो सीटिंग अरेंजमेन्ट्स होता है, एक साले लड़कों को दे दिया जाता है, जो क्रमसंख्या आ जाती है, पर्चे मिल जाते हैं, तो क्या कारण है कि एक ही कालेज के 185 लड़कों को पर्चे नहीं मिले, इसमें बतायें।

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, मैंने स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है और कहा है कि किसी भी विद्यार्थी को ऐसी स्थिति नहीं थी कि पर्चे नहीं मिले, 85 को श्यामपट से नकल करा दिया गया और 97 को विभिन्न कक्षाओं के अन्दर जो पर्चे थे उनको आधा-आधा बांट कर दे दिया गया। इसलिये किसी के प्रति कोई समस्या नहीं खड़ी हुई। मान्यवर, नतीजे से भी पता चलता है कि जो आरोप पर्चे न बांटने या पूरे न पहुंचने की बात है जिससे विद्यार्थियों के भविष्य पर कुप्रभाव पड़ा तो ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि पर्चों को चार जगहों पर बांट दिया और श्यामपट पर नकल करा दिया। मैं कल्पना करता हूं कि हाऊस में सभी लोग पढ़े लिखे हैं और उन्होंने पर्चे दिये होंगे तो इतिहास में ऐसी मिसाल नहीं होगी कि पर्चे फाड़कर दिये जांय या श्यामपट पर नकल करा दिया जाय। मैं पूंछना चाहता हूं कि जो डाइरेक्टर ने जांच किया है यह जांच भी गलत है और इसके पीछे कोई न कोई साजिश है, इसलिये मैं चाहता हूं कि इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को दे दें या दूसरी एजेन्सी से इसकी जांच करायें।

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो निदेशक हैं, वह बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उन्हें स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि इसमें परिषद के जिस कर्मचारी/अधिकारी की गल्ती हो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय। लेकिन मान्यवर, आपातस्थिति में ऐसा ही हो सकता है कि केन्द्र के जो व्यवस्थापक हैं, यदि उनकी लापरवाही से ऐसा हुआ तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। लेकिन परीक्षा के समय गल्ती का पता चला तो आपातस्थिति जो पैदा हुई उसका मुकाबला करने के लिये केन्द्र के व्यवस्थापक ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि चूंकि पर्चे दोनों तरफ छपे होते हैं तो वह कितने भागों में फाड़े गये, बोर्ड, श्यामपट पर लिखा गया तो एक ही बार लिखा गया या टुकड़ों में लिखा गया और क्या मंत्री जी इसकी जांच विभाग से किसी बाहरी अधिकारी से करायेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

पूरा पर्चा एक साथ श्याम-पट पर लिखा गया था और इसमें करीब 1 घंटा 5 मिनट का समय लगा था और यह समय विद्यार्थीयों को अलग से दे दिया गया था ताकि उनका कोई नुकसान न हो। जहां तक शिक्षा निदेशक का प्रश्न है, वह भी हमारे विभाग का एक जिम्मेदार अफसर है, उनके बारे में यह सोचकर चलना कि वह किसी अधिकारी को प्रोटैक्ट करेंगें, मैं समझता हूं कि यह सही बात नहीं है।

श्री राम सरन—

मान्यवर, 185 विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ किया गया और हमारे शिक्षा निदेशक तो अल्ला-मियां हैं, उसके खिलाफ तो यह कोई कार्यवाही करेंगे नहीं, किन्तु जो लोग इन अनियमितताओं के लिये जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ क्या मंत्री जी कार्यवाही करेंगे ? दोषी अधिकारियों की मंत्री जी क्यों वकालत कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मुनासिब यह होगा कि किसी वरिष्ठ अधिकारी से इसकी आप जांच करवा लें।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह मामला ऐसा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राम सरन—

मंत्री जी यह जांच किससे करवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मुनासिब यह होगा कि किसी बरिष्ठ अधिकारी से मैंने कराने को कहा है।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव—

मुख्य मंत्री जी से भी मेरी प्रार्थना है, जब मैं आपके सामने एक पत्र दिखा रहा हूं, जिसमें हमने कहा है कि इन लड़कों के साथ एक साजिश होने वाली है, यह पत्र 19 मार्च को लिखा गया, लेकिन आपने उस पत्र पर क्या कार्यवाही की ? मैंने इस पत्र में यही कहा है कि लड़कों के साथ पक्षपात किया जायगा, उनकी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया जायेगा, दूसरी बात यह है कि जो पर्चों की कमी पड़ गई तो एक ही कालेज के लड़कों को क्यों नहीं दिए गये, जबकि इन्हीं लड़कों के बारे में इसी कालेज के मैनेजर, प्रिंसिपल, महाराज सिंह जी ने और मैंने आपको एक पत्र लिखा है कि इस कालेज के विद्यार्थियों के साथ अन्याय होगा। एक कालेज के प्रिंसिपल, मैनेजर, मैंने और महाराज सिंह ने सबने मिलकर एक पत्र शिक्षा मंत्री को 19 मार्च को लिख दिया था और जब पर्चों का अभाव पड़ा तो सीटिंग आरेन्जमेन्ट के अनुसार सभी को एक-एक पर्चा बांट दिया जाता तो सभी कालेज के कुछ विद्यार्थियों को पर्चा न मिलता, किन्तु एक ही कालेज के लड़कों को क्यों पर्चा नहीं मिला। तो उसके बाद भी यह जांच नहीं करा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा ? मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसमें जांच करने में क्या दिक्कत है ? शिक्षा मंत्री तो उन्हें बचाने में लगे हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आपने जो कहा, माननीय सदस्य की भावना को देखते हुए मैंने कहा है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी से इसकी जांच करवा ली जाए।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

आपने कृपा पूर्वक कहा कि किसी वरिष्ठ अधिकारी जांच करा लें, तो क्या शिक्षा निदेशक से . . .

श्री अध्यक्ष—

वह पहले बात थी, लेकिन अब बाद में उनकी बात खत्म हो गई।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मैनेजर सिंह जी ने कहा है कि शिक्षा निदेशक ही शिक्षा परिषद के पदेन अध्यक्ष हैं, तो उनके द्वारा जांच से क्या फायदा होगा ? तो किसी वरिष्ठ अधिकारी से क्या तात्पर्य है ? शिक्षा सचिव से या किसी अन्य विभाग के सचिव से या मंडलाधिकारी से है ?

श्री अध्यक्ष—

यह स्पष्ट है कि शिक्षा निदेशक से ऊपर जो होगा उससे है।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, शिक्षा विभाग के निदेशक से ऊपर वहां और अधिकारी नहीं हैं। जो जांच कर रहे हैं उनकी जांच से हम सन्तुष्ट नहीं हैं। तो यदि इसमें वरिष्ठ अधिकारी की परिभाषा नहीं करेंगे तो जांच का लाभ नहीं हो सकता है। मेरी प्रार्थना है कि वह अधिकारी कौन होगा इसको साफ साफ बता दिया जाय, शिक्षा विभाग के सचिव होंगे या दूसरे विभाग के सचिव होंगे या मंडलायुक्त होंगे। हमारा सुझाव है कि मंडलायुक्त के लिये आप निर्दीशित कर दें।

श्री अध्यक्ष—

जो निदेशक जांच कर रहे हैं उनकी जांच से आप सन्तुष्ट नहीं हैं तो जाहिर है कि उनके अलावा किसी वरिष्ठ अधिकारी को सुपुर्द किया जायगा जांच करने के लिये।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, डायरेक्टर से ऊपर जिससे जांच कराना चाहते हैं उसके बारे में शिक्षा मंत्री जी आश्वासन दे दें कि जिससे जांच करायी जायगी।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, स्पष्ट करवा दें नहीं तो सैनिक स्कूल जैसी स्थिति यहां पैदा हो जायगी।

श्री अध्यक्ष—

शिक्षा मंत्री जी इसको साफ कर दें।

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, आपका निर्देश सर्वमान्य है और जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने अपनी व्यक्तिगत दिलचस्पी इस केन्द्र के बारे में दिखायी और व्यक्तिगत सूचनायें दीं तो निश्चय ही मैं सचिवालय के किसी वरिष्ठ स्तर के अधिकारी से इसकी जांच करवाऊंगा। बदायूं, बेसिक शिक्षा अधिकारी, द्वारा अनौपचारिक शिक्षा हेतु स्लेटों एवं लालटेनों की खरीद

*2—मोहम्मद अबरार अहमद—अनुपस्थित

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अनौपचारिक शिक्षा के सम्बन्ध में वर्ष 84-85 में लालटेनें, स्लेटें, मानचित्रों का क्रय किया था ? यदि हां, तो उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई हैं एवं इनकी दरें क्या-क्या हैं ? क्या यह भी सही है कि लालटेनों के क्रय हेतु सुधीर एण्ड कम्पनी कानपुर को सरकार द्वारा आदेश दिये गये थे परन्तु बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं द्वारा यहां से क्रय न करके गोपी राम शर्मा एजूकेशनल स्टोर देहली से लालटेनें खरीदी गयीं जिसमें 28.50 पैसा प्रति लालटेन का भुगतान किया गया है जबकि सुधीर एण्ड कम्पनी कानपुर की दर 15/- प्रति लालटेन की दर है ? इसी तरह स्लेटों के क्रय हेतु सुधीर एण्ड कम्पनी कानपुर जो कि विभागीय आदेशानुसार रेट कान्ट्रेक्ट द्वारा सप्लायर हैं उनसे न लेकर श्री पृथ्वीराज आगरा से स्लेटें खरीदी गयी हैं, इसी तरह मानचित्र क्रय हेतु टेंडर मांगे गये और 8.50 पैसे प्रति टेंडर सबसे कम रेट आने के बावजूद एजूकेशनल सप्लायर लखनऊ से 12/- रु0 प्रति मानचित्र खरीदे गये ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मामले की पूर्ण जांच करके पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी एवं दोषी अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

कुल रु0 98.650—95 पै0 की धनराशि व्यय की गई। क्रय किये गये सामानों की दरें निम्नवत थीं :—

(1) लालटेन रु0 27—40 पै0 प्रति नग
(2) स्लेटें रु0 3.23 पै0 प्रति नग
(3) मानचित्र —(क) रु0 10-00 प्रति-नग

(उ0 प्र0 प्राकृतिक विभाग द्वारा अनुमोदित

(ख) रु0 12.00 प्रति नग
उ0 प्र0 राजनैतिक विभाग द्वारा अनुमोदित

जी नहीं

जी हां।

विभाग द्वारा अनुमोदित मानचित्र खरीदे गये। जांच करायी जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

मैनपुरी, शिकोहाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना की मांग

*3—श्री राम नरेश—

क्या न्याय मंत्री बतायेंगे कि शिकोहाबाद जिला मैनपुरी स्थित आउट लाइन मुंसिफ पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना की जनता की लम्बे समय से चली आ रही मांग को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? अभी तक इस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही हुयी है?

न्याय राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

बार एसोसिएशन, शिकोहाबाद से तथा जन प्रतिनिधियों से ऐसी मांग पत्र शासन में अवश्य प्राप्त हुये हैं और इन मांग पत्रों का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय ने भी शिकोहाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना की संस्तुति नहीं की है। उच्च न्यायालय का यह अभिमत प्राप्त हुआ है कि जब तक न्यायालय/कार्यालय भवन हवालात, सब जेल तथा आवासिक भवनों का निर्माण शिकोहाबाद में नहीं कर लिया जाता और अभियुक्तों को जिला जेल से ले आने तथा उन्हें वापस भेजने की समुचित व्यवस्था नहीं कर ली जाती तब तक शिकोहाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय स्थापित करना सम्भव नहीं है।

श्री राम नरेश—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि शिकोहाबाद में इस समय कितने मुंसिफ मैजिस्ट्रेट और कितने स्पेशल मैजिस्ट्रेट हैं और हवालातियों को मैनपुरी से शिकोहाबाद लाने के लिये क्या व्यवस्था है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, शिकोहाबाद में 3 मुंसिफ मैजिस्ट्रेट के न्यायालय हैं और सरकारी वाहन से बंदियों को पुलिस वहां लाती और ले जाती है।

श्री राम नरेश—

मान्यवर, मैंने पूंछा है कि स्पेशल मैजिस्ट्रेट कितने हैं इसकी जानकारी दे दें?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जैसा उच्च न्यायालय ने कहा है कि जब तक वहां हवालात, सब न्यायालय स्थापित नहीं हो जाता तब तक वहां पर अपर जिला जज की अदालत स्थापित नहीं की जा सकती तो इन कार्यालयों को कितने दिनों में बनवाने की व्यवस्था करेंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

अभी माननीय उच्च न्यायालय से लिखित पढ़त हुयी थी उन्होंने कुछ जानकारी चाही थी जैसा अभी मैंने पढ़कर सुनाया है। और भी इसमें बातें हैं जैसे भूमि अधिग्रहण का सवाल है तो फिलहाल वहां पर कोई जिला एवं सत्र न्यायालय के खोलने की बात विचाराधीन नहीं है।

श्री ईश्वर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैंने पूछा है कि कितने दिनों में बनवाने की व्यवस्था करेंगे। जो उच्च न्यायालय ने आपको संस्तुति भेजी है कि पहले वहां पर हवालात बने, अदालत बन जाने के बाद ही सत्र न्यायालय की अदालत खोली जा सकती है। तो मैंने सीधा सवाल किया है कि आप उसे कब तक बनवाने की व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

अभी इस पर शासन कोई विचार नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले तो हमें तहसील में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय खोलने हैं, उसके बाद उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री राम नरेश—

माननीय, शिकोहाबाद में स्पेशल जूडिशियल मजिस्ट्रेट और मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कितने हैं ? वहां पर 14 थानों में से 8 थाने के मुकदमें देखे जाते हैं और 5 तहसीलों में से ढाई तहसीलों के मुकदमें देखे जाते हैं और हवालाती भी रोज मैनपुरी से शिकोहाबाद आते हैं। ऐसी स्थिति में जब कि आधा जिला वहां पर हो, 14 थानों के अभियुक्त का ट्रायल वहां पर किया जाता हो और 1864 से वहां पर मुंसिफी हो, तो क्या इस प्रश्न पर जब कि बहुत पहले से यह मामला चला आ रहा है, जल्द ही वहां पर आवास एवं न्यायालय के भवन की व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

फिलहाल ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है कि वहां पर आवास और न्यायालय का भवन बनवाया जाय।

श्री राम नरेश—

वहां के बार एसोसियेशन ने लिखकर हाईकोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जज को और सरकार को भी सूचना दी है कि हम वहां पर रहने के लिए आवास और न्यायालय के लिए भवन की व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं और यह भी सरकार को जानकारी है और मुझे भी इस बात की जानकारी है। इस बात का ध्यान रखते हुए क्या माननीय मंत्री जी इस मामले पर शीघ्र निर्णय लेने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

माननीय, इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन ने विरोध किया है और वहां से पुलिस अधीक्षक ने भी लिखा है कि यदि वहां पर एक न्यायालय और खोल दिया जायगा, तो वहां पर और ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि हवालातियों को कई गवाह पहुंचना पड़ेगा और वहां पर ला एण्ड आर्डर की समस्या भी पैदा हो सकती है। इसलिये जब तक कि हम वहां पर जेल और आवास गृह न बना लें उससे पूर्व इस पर विचार नहीं किया जा सकता।

[दिनांक 2 सितम्बर, 1985 ई0 के लिये निर्धारित तरांकित प्रश्न]

बलभद्र इण्टर कालेज, बल्देव मथुरा की अवैध प्रबन्ध समिति

*1—श्री सरदार सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि बलभद्र इण्टर कालेज बल्देव जिला मथुरा की प्रबन्ध समिति के चुनाव कई वर्षों से नहीं हो रहे हैं और अवैध प्रबन्धक मण्डल के द्वारा विद्यालय चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या शासन अविलम्ब नवीन प्रबन्धक मण्डल गठित करने पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री सरदार सिंह—

माननीय, आप देखें मेरा सवाल 2-5-85 का है और शासन को भेजने की तिथि 18-5-85 है और एक छोटी सी बात है, जिसका पता माननीय मंत्री जी अब तक नहीं लगा पाये। क्या माननीय मंत्री जी पूरा उत्तर जो जनरल बाडी है उसके जो सदस्य हैं मय नाम और पता के और उनके सम्बन्ध वर्तमान प्रबंधक से क्या है, यह सूचना 15 दिन के अन्दर देने की कृपा करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

माननीय, शासन के स्तर से भरसक प्रयत्न किया गया कि सूचना एकत्र हो जाय और इस सम्बन्ध में मैंने सख्त हिदायत दी है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त व अविलम्ब कार्यवाही की जायगी। जैसे ही माननीय, सूचना आ जायगी, माननीय सदस्य को तुरंत अवगत करा दिया जायेगा।

हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट के अपूर्ण परीक्षाफल

*2—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि विगत शिक्षा सत्र में हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट के परीक्षाफल में अनेक छात्रों के परीक्षाफल लम्बे समय तक घोषित नहीं किये गये ? यदि हां, तो सरकार ने इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के

लिये क्या-क्या ठोस कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

अपूर्ण परीक्षाफल की पुनरावृत्ति रोकने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की गई है:—

1—मूल्यांकन केन्द्रों एवं संकलन केन्द्रों के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण ।

2—सादे अंक पत्र (एवार्ड ब्लैंक) को उत्तर पुस्तकों के बण्डल में ही परीक्षकों को उपलब्ध करानें की नयी व्यवस्था ।

3—नयी व्यवस्था के अनुरूप कम्प्यूटर फर्मों की कार्यविधि में परिवर्तन एवं उसका मूल्यांकन ।

4—विगत वर्ष में त्रुटि करने वाली कम्प्यूटर फर्मों का सम्बन्धित परीक्षा कार्य आवंटित न करना ।

5—विधिवत् परीक्षण कराने के बाद ही कम्प्यूटर फर्मों को उनकी शक्ति सीमा के अन्तर्गत ही कार्य का आवंटन ।

6—परीक्षाफल निर्माण कराने की व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है कि काफी परीक्षाफल अपूर्ण रहे हैं में आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि पिछले वर्ष में भी परीक्षाफल अपूर्ण घोषित हुए और इस वर्ष भी काफी परीक्षाफल अपूर्ण हैं, ऐसी स्थिति में जब तक परीक्षाफल पूरे घोषित नहीं हो जाते हैं, तो वरिष्ठतम सूची कैसे घोषित कर दी जाती है, इस वरिष्ठतम सूची को घोषित करने का क्या औचित्य है ।

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, पिछली बार कुछ कारणवश गल्तियां हुई थीं । उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने दी गई है । 1984-85 का अगर मिलान किया जाए तो इसमें जो कामयाबी हमें मिली है वह स्वतः स्पष्ट हो जाती है ।

1984 में हाई स्कूल के संस्थागत के परीक्षाफल जो अपूर्ण रहे वह 1,45,510 थे । जिसका प्रतिशत 18.3 रहा । हाई स्कूल का व्यक्तिगत परीक्षाफल 35,584 अपूर्ण रहा जिसका प्रतिशत 8.8 रहा । इण्टरमीडिएट का संस्थागत का परीक्षाफल 97,929 अपूर्ण रहा जिसका प्रतिशत 27.8 प्रतिशत रहा । इण्टरमीडिएट का व्यक्तिगत का परीक्षाफल 13,891 अपूर्ण रहा, जिसका प्रतिशत 8.8 रहा 30 अगस्त तक 7 प्रतिशत परीक्षाफल पूर्ण नहीं हैं । 1985 में हाई स्कूल का प्रतिशत 5.6 आता है । इंटरमीडिएट व्यक्तिगत का 6.6 प्रतिशत आता है, तो इसमें काफी इम्प्रूवमेन्ट हुआ है । स्थिति लेख आंकड़ों को देखने पर स्वतः स्पष्ट हो जाती है ।

डाक्टर दिनेश जौहरी—

मान्यवर, आज की तारीख 2 सितम्बर है । जिन बच्चों के नतीजे घोषित किए जायेंगे उन बच्चों का एडमीशन लेना संभव नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जिन बच्चों के नतीजे आए हैं उनको प्रवेश दिलाने की सुविधा क्या मंत्री जी दिलायेंगे । एक स्कूल रणजीत सिंह, बरेली में है वहां पूरे परीक्षाफल नहीं आए हैं । विद्यार्थी प्रदेश में मारे-मारे घूम रहे हैं । उनको कोई सहयोग देने वाला नहीं है, तो क्या मंत्री जी उनके प्रवेश की कोई व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे ।

श्री सिब्ते रजी—

जिन लोगों के नतीजे देर में निकलते हैं, उनको प्रवेश दिलाने में सहायता दी जाती है । ऐसा प्रयास किया जाता है कि उनको प्रवेश मिल जाए और यह प्रयास बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से तय किया जाता है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि इन अधिकारी के स्तर से प्रयास किया जाएगा । मैं जानना चाहूंगा कि जो शर्तें मंत्री जी ने अपने जबाव में बतायी हैं, तो इन शर्तों का उल्लंघन करने के बाद कोई पुनरावृत्ति होती है, तो क्या इसका दायित्व अधिकारियों पर डालकर उन पर कार्यवाही करने का निर्णय लेंगे ।

श्री सिब्ते रजी—

हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद् के परीक्षा कराने पर दबाव बहुत पड़ गया है। इसमें दो प्रकार की गल्तियां होती हैं मानवजनित और यंत्रीकृत। हमने मानवजनित गल्तियों को रोकने का प्रयास किया है। जैसा मैंने स्पष्ट किया है इस सिलसिले में काफी प्रगति हुई है। यदि किसी बड़े अधिकारी की लापरवाही पायी जाती है तो पहले भी कदम उठाये जा चुके हैं और भविष्य में भी उठाये जायेंगे।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट के जो परीक्षाफल रुके हैं, वह कब तक घोषित हो जायेंगे नम्बर एक और दूसरा परीक्षाफल रुकने के कई कारण हैं जैसे कापी गायब हो जाना कापी न जंच पाना, आदि कारणों से परीक्षाफल अपूर्ण हो जाते हैं लेकिन गलत परीक्षाफल भी दे दिये जाते हैं तो इस तरह के अपूर्ण और गलत परीक्षाफल की शिकायतें कितनी हैं, उनको दूर कराने का प्रयास मंत्री जी करेंगे।

श्री सिब्ते रजी—

तमाम जो शिकायतें आती हैं वह अलग-2 देखी जाती हैं। माननीय सदस्य को कुछ इस प्रकार की शिकायत हो तो दे दें, मैं दिखवा लूंगा।

श्री मुहम्मद आजम खां—

माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया हजारों परीक्षाफल रुके हैं। माननीय सदस्य ने हजारों लाखों कहा था। उसमें हजारों और लाखों दोनों शामिल था। मंत्री ने हजारों मान लिया। एक गलती तो छात्र की तरफ से होती है, दूसरी आपके अधिकारियों की तरफ से जैसे कापी न जंच पाना, कापी गायब हो जाने की वजह से, पैसा न मिलने के कारण परीक्षाफल रोक लिया जाता है। स्कूल कालेज में आज दाखिला नहीं हो रहा है। क्षात्र टैक्निकल एजूकेशन की तरफ जा रहा है। हाई स्कूल के बाद आई0 टी0 आई0 में प्रवेश लेना चाहता है।

श्री अध्यक्ष—

आप सवाल करें।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मैं यह नहीं बताउंगा, तो मंत्री जी के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वह....

श्री अध्यक्ष—

भूमिका न बनायें, प्रश्न करें।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मंत्री जी को थोड़ी बुद्धि दे रहा हूं। जो टैक्निकल एजूकेशन की तरफ जाना चाहता है। आई0 टी0 आई0 में दाखिला चाहता है। मंत्री जी सुनिश्चित तौर पर यह घोषणा करें कि ऐसे छात्र जिनका परीक्षाफल अपनी गलती से नहीं आपकी गलती से रुका है, वह जिस वक्त आयें, जिसके वह योग्य हों, वहां उनको दाखिला दिया जायेगा। साफ बात कहें। यह तो अधिकार है छात्र का और आपकी जिम्मेवारी है कि आप दाखिला दिलायें।

श्री सिब्ते रजी—

मैं स्वीकार करता हूं कि माननीय सदस्य के पास बुद्धि का अपार भण्डार है, बहुत सयाने हैं सयाने कौवे के बारे में आप जानते हैं। जहां तक प्रश्न के जवाब की बात है टैक्निकल एजूकेशन के बारे में कोई शिकायत नहीं है। किसी विद्यार्थी का परीक्षाफल रुकने के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ है।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मंत्री जी बुरा मान गये। मैं टैक्निकल एजूकेशन की बात नहीं की, मैंने बुद्धि की बात कही तो बुरा मान गये, कहां है बुद्धि आप में ?

श्री सिब्ते रजी—

माननीय सदस्य निष्कर्ष पर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना; इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। टैक्निकल एजूकेशन के सिलसिले में जो भी छात्र अपनी मार्कशीट या परीक्षाफल के बारे में जाता है, हमने इलाहाबाद में एक वरिष्ठ अधिकारी बैठा दिया है और वह सीरियल से अलग हटाकर उनकी आवश्यकता की पूर्ति करता है, जो भी उनकी दिक्कत है उसको दूर करता है। उनके परीक्षाफल देने का प्रयास करता है।

भू-गर्भ जल सर्वेक्षण का पुनर्गठन

*3—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के पुनर्गठन का प्रकरण शासन के विचाराधीन हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि पुनर्गठन जो करने जा रहे हैं भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन का, तो उसकी रूपरेखा क्या हैं ? साथ ही क्या यह भी सही हैं कि वहां पर नियुक्त निदेशक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त हैं और उनकी नियमित नियुक्ति का मामला शासन के विचाराधीन हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, यह संगठन 1970 में बना था और सिंचाई विभाग का एक अंग था । किन्तु, 1975 में इसे एक स्वतंत्र विभाग के रूप में दिया गया, जो कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में था । इसमें पहले अधिकांशतः प्रतिनियुक्ति पर अधिकारीगण आते रहे और विशेषतया सिंचाई विभाग के अधिकारी आते रहे । इस विभाग में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जियोलोजिस्ट जियोफिजिस्ट, न्यूक्लियर फिजिस्ट केमिस्ट, मैथमेटिशन आदि सभी काम करते हैं । यह देखा गया कि नये परिप्रेक्ष्य में लघु सिंचाई कार्यक्रम सुचारु रूप से चलता रहे, इसके लिये आवश्यक हैं कि इसका पुनर्गठन किया जाय । यह भी देखा गया कि इसमें 16 खण्ड हैं । इनमें से 10 यहां लखनऊ में ही कार्यरत हैं और विभिन्न जनपदों में केवल 6 ही कार्यरत हैं । इसी उद्देश्य से विचार किया गया कि यह बहुत महत्वपूर्ण हैं कि विभिन्न साइन्टिस्ट और जो लोग हैं, उनके पद बहुत कम हैं, उनको भी बढ़ाया जाय और किस तरह से प्रदेश के अन्य भागों स्थानों में यहां के खण्डो की पुर्नस्थापना की जाय, इसीलिये पुनर्गठन किया जा रहा हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो पुनर्गठन की बात कही, उस पर मतभेद नहीं हैं । जानना हम यह चाहते हैं कि पुनर्गठन की रूपरेखा क्या हैं ? जो रूपरेखा माननीय मंत्री जी ने बताई उससे स्थिति साफ नहीं होती हैं । मान्यवर, जब प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त निदेशक के नियमितीकरण का मामला विचाराधीन हैं, निदेशक की नियमित नियुक्ति के पहले पुनर्गठन की रूपरेखा प्रस्तुत करने का क्या औचित्य हैं ? क्या माननीय मंत्री जी मेरे सुझाव को सही मानते हुए निदेशक की नियुक्ति सुझाव को सही मानते हुए निदेशक की नियमित नियुक्ति के बाद पुनर्गठन पर विचार करेंगे इसको मानने पर विचार करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, सम्भवतया माननीय सदस्य को भ्रम हैं कि इसके निदेशक पुनर्गठन की कार्यवाही कर रहे हैं । मान्यवर, इसमें एक समिति कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में इसके पुनर्गठन का कार्य देख रही हैं । इस समिति में कृषि उत्पादन आयुक्त, अध्यक्ष, और मुख्य अभियन्ता, नलकूप सिंचाई, मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, निदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, निदेशक, केन्द्रीय भूजल परिषद, लखनऊ, और संयुक्त सचिव, क्षेत्रीय विकास, उ0 प्र0 शासन, यह 6 सदस्य हैं । इसके अतिरिक्त निदेशक, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, लखनऊ इसमें विशेष आमंत्री हैं । इस तरह से सात सदस्य हैं । तो इसमें डायरेक्टर यदि चाहेगा भी तो समिति पर प्रभाव नहीं डाल सकेगा ।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि इस संगठन में बहुत सी नियुक्तियां अवैध हो गयी हैं । जो इंजीनियर नहीं हैं, उन्हें इंजीनियर बनाया गया हैं । तो क्या पुनर्गठन करते समय इस बात का ख्याल रखेंगे कि संविधान की भावना के प्रतिकूल जो अवैध नियुक्तियां की गयी हैं, उन अधिकारियों को संगठन से अलग करने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, पुनर्गठन से और नियुक्ति से कोई ताल्लुक नहीं हैं । लेकिन अगर कोई गलत नियुक्ति हुई हैं तो उस पर यदि माननीय सदस्य ध्यान आकृष्ट करेंगे तो शासन उस पर विचार अवश्य करेगा ।

श्री कल्यान सिंह—

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के पुनर्गठन के सम्बन्ध में क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के जो अभियन्ता इस संगठन में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं, उनको उनके मूल विभाग में मूल पद पर प्रत्यावर्तित करके, इस संगठन के अभियन्ताओं की नियुक्ति, प्रोन्नति इस पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत शामिल हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, जो पुनर्गठन कर रहे हैं, उसमें कुछ मुद्दे तय किये होंगे । यह बात तो इससे ताल्लुक रखती है ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यव, यह जो पुनर्गठन की प्रक्रिया है, उसे समिति देख रही है । क्वालिफिकेशन, नियुक्ति यह तो प्रशासनिक प्रक्रिया हो जाती है । सिंचाई विभाग के लोग प्रतिनियुक्ति पर रहें या नहीं यह समिति का दायित्व नहीं है । यह तो प्रशासनिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है । इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य अलग से विचार विमर्श कर सकते हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, आज ही के एक अतारांकित प्रश्न के संदर्भ में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि वहां पर निदेशक की नियमित नियुक्ति का मामला शासन के विचाराधीन है । मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि यहां पर जो डिवीजन हैं उसमें से कुछ सक्रिय हैं कुछ निष्क्रिय हैं, मिसाल के तौर पर मैकेनिकल डिवीजन-2, तो क्या इस निष्क्रिय डिवीजन को सक्रिय बनाने के लिये यहां से अन्यत्र भेजने पर विचार करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ये मामले समिति के समक्ष विचाराधीन हैं । इन्हीं सब बिन्दुओं पर तो उसमें विचार हो रहा है ।

जिला परिषदों के स्कूलों एवं सड़कों की मरम्मत हेतु भारत सरकार द्वारा दिया गया कथित अनुभाग

*4—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि कि भारत सरकार द्वारा पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश को वर्ष 84-85 में प्रदेश की जिला परिषदों में स्कूल की मरम्मत तथा सड़कों के अनुरक्षण हेतु कुल कितना अनुदान मिला तथा प्रत्येक जिला परिषद को कितना-कितना रुपया दिया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

विभाग को वर्ष 1984-85 में जिला परिषदों में स्कूलों की मरम्मत तथा सड़कों के अनुरक्षण हेतु भारत सरकार से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ । अतः जिला परिषदों को इस प्रकार के किसी अनुदान के आवंटन का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या वर्ष 1984-85 में कोई अनुदान केन्द्रीय सरकार से विभिन्न जिला परिषदों में आवंटित करने के लिए मिला ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

इसकी सूचना नहीं है ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या यह सही है कि वर्ष 1984-85 में भारत सरकार ने रोजगार गारन्टी स्कीम के अन्तर्गत स्कूलों की मरम्मत के लिए और सड़कों की मरम्मत के लिये दोनों के लिये योजनायें मांगी थी और जिसकी सूचना शासन ने जिला स्तर के अधिकारियों को भेजी थी ? कारियों को भेजी थीं ? क्या यह सही है कि वहां के कोई अधिकारी शिक्षा विभाग से सम्बन्धित व अन्य निर्धारित प्रपत्रानुसार योजना वहां की बनाकर न भेज सके, जिसकी वजह से वह धनराशि प्राप्त नहीं हुई है ?

श्री अध्यक्ष—

उस सवाल से इसका क्या ताल्लुक है ?

श्री जयदीप सिंह बरार—•

मान्यवर, माननीय सदस्य के मूल प्रश्न में इसका जिक्र है। आप माननीय मंत्री जी से उत्तर दिला दें।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

इसकी सूचना नहीं है कि जिला परिषदों से कोई इस तरह का प्रस्ताव भारत सरकार ने मांगा हो।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, पंचायती राज विभाग से मेरा तात्पर्य है उत्तर प्रदेश शासन। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि संदर्भित वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सरकार से कितना पैसा आवंटित किया गया और उसे कहां-कहां पर दिया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, माननीय श्री राजेन्द्र गुप्त जी ने जो प्रश्न किया था कि स्कूलों और सड़कों की मरम्मत करने के लिए भारत सरकार ने कोई अनुदान दिया है, ऐसी बात नहीं है। 1984-85 में भारत सरकार ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं पुर्नस्थापना के लिए 95 लाख रुपए की धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार को आवंटित की थी और उस रुपए को जिला परिषदों को दे दिया गया।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

माननीय जो 95 लाख रुपया दिया गया है वह किन-किन जिला परिषदों को दिया गया है और कितना-कितना दिया गया है। मेरी व्यक्तिगत जानकारी में आया है कि इस पैसे को पक्षपात ढंग से वितरित किया गया है। कुछ विशिष्ट जिलापरिषदों जैसे सुल्तानपुर और रायबरेली को ज्यादा पैसा गया है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि पक्षपात पूर्ण ढंग से वितरित किया गया है गलत है। यह रुपया 39 जिलों में आवंटित किया गया जहां बाढ़ से सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थीं। सुल्तानपुर को केवल 1 लाख 50 हजार रुपये दिया गया और माननीय सदस्य जो सीतापुर से आते हैं, वहां पर 3 लाख 50 हजार रुपए आवंटित किया गया जो सुल्तानपुर से दुगना है।

फैजाबाद, गौसाईगंज बस स्टेशन पर बस न रुकने की शिकायत

*5—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में राजकीय परिवहन निगम के गौसाईगंज बस स्टेशन पर रोडवेज की अधिकतर बसें नहीं रुकतीं जिसके विरुद्ध समय-समय पर वहां के बुकिंग क्लर्क ने भी विभागीय अधिकारियों को लिखित शिकायतें भेजी हैं ? क्या यह भी सही है कि दिनांक 20-5-85 को उक्त बस स्टेशन पर साढ़े आठ बजे प्रातः के बाद से शाम सवा छह बजे के बीच में परिवहन निगम की कोई बस नहीं रुकी ? यदि हां, तो ऐसी लापरवाही को दण्डित करने तथा इस स्थिति पर अंकुश लगाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

संसदीय कार्य राज्यमन्त्री (श्री हुकम सिंह)—

गौसाईगंज बुकिंग आफिस के बुकिंग क्लर्क द्वारा दिनांक 20-5-85 को बसों के गौसाईगंज न रुकने के बारे में वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी, फैजाबाद का ध्यान आकर्षित किया गया था। जांच करने पर पाया गया कि कुल छह बसें उस दिन गौसाईगंज नहीं रुकी थीं। ऐसी बसों से संबंधित परिचालकों को विशेष तौर पर चेतावनी दी गयी है तथा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिन बसों के स्टापेज गौसाईगंज के लिए निर्धारित हैं वे वहां पर रुकेंगी एवं बुकिंग स्टेशन पर अपना आगमन तथा प्रस्थान स्पष्ट रूप से अंकित भी करेंगी।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, दिनांक 20-5-85 को साढ़े आठ बजे सुबह से शाम 6 बजे के बीच में परिवहन निगम की कुल कितनी बसें गौसाईगंज के पास हुईं और कितनी बसें वहां पर रुकी ?

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, कल 27 बसें अप और डाउन पास हुईं और 17 बसें रुकीं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

दिनांक 20-5-1985 से पहले गोसाईगंज के बुकिंग आफिस के क्लर्क ने कुल कितनी शिकायतें भेजी और उन शिकायतों पर आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने दिनांक 20-5-1985 एक दिन के लिए प्रश्न किया था। वैसे मान्यवर, यह गोसाईगंज अकबरपुर और फैजाबाद के बीच में है। जिस तारीख का जिक्र किया गया है, इस तारीख में इतनी बसें वहां पर नहीं रुकी जितनी रुकनी चाहिए थी। इसी लिए हमने संबंधित कर्मचारियों को चेतावनी दे रखी है कि इसे सुनिश्चित किया जाय, भविष्य में इस प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। माननीय सदस्य को यह भी बता दूं कि इस प्रकार की दिक्कत को देखते हुए अकबरपुर और फैजाबाद के बीच में 3 सचल गाड़ियां और लगा दी गई हैं।

किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पकड़ी भोजपुर, टाण्डा फैजाबाद के हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति

*6—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पकड़ी भोजपुर टांडा जनपद फैजाबाद में वर्ष 1981-82 व 82-83 का हरिजन छात्रवृत्ति का पैसा 00 हजार रुपया प्रधानाचार्य ने फर्जी बाउचर लगाकर प्राप्त कर लिया है ? क्या यह सही है कि इस अनियमितता की जांच विभाग द्वारा जून, 1984 से की जा रही है ? यदि हां, तो जांच के आधार पर अब तक पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, अब आप ही देखें। इस प्रकार का उत्तर दे दिया जाता है। प्रश्नों के संबंध में जो हमारा अधिकार है, उसका हनन हो रहा है। आप शिक्षा मंत्री जी को निर्देश दें कि इस प्रकार माननीय सदस्यों को गुमराह न किया जाय और प्रश्नों का जो उत्तर हो वह संगत हो और सही समय पर उसका उत्तर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि इनकी भावनाओं का आप आदर करेंगे।

श्री सिब्ते रजी—

मैं सदा आदर करता हूं और इस मामले में भी देखूंगा यह वरिष्ठ सदस्य हैं, उत्तर आ गया है लेकिन मैं उससे पूर्णरूपेण सन्तुष्ट नहीं हूं और इसका जवाब पूरी जिम्मेदारी से देना था, इसलिए यह दिया है।

मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटपाररानी, देवरिया के प्राध्यापकों के बकाया वेतन की एन0 एस0 सी0

*7—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटपाररानी, देवरिया के प्राध्यापकों का एक जनवरी, 1973 से 31 दिसम्बर, 1974 तक का पुराने और नये वेतनमान के अन्तर (डिफरेन्स) की धनराशि सरकार से प्रबन्धक महोदय ने एरियर के रूप में कब प्राप्त की एवं रकम प्राप्ति के दो वर्षों बाद 1980 में उसका एन0 एस0 सी0 बनाकर प्राध्यापकों को दिया ? यदि हां, तो क्या तथ्य इस बीच में इतनी मोटी रकम कहां पड़ी रही ?

श्री सिब्ते रजी—

यह धनराशि दिनांक 8-4-79 को कोआपरेटिव बैंक भाटपार रानी (देवरिया) में कालेज के वेतन संदाय खाते में जमा की गई थी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र 5-12-79 से 27-11-80 के मध्य विभिन्न तिथियों में खरीदकर दिये गये। को-आपरेटिव बैंक देवरिया से वेतन संदाय खाते से इलाहाबाद बैंक देवरिया में प्राचार्य पद नाम से पूर्व से खुले खाता संख्या 137-11-ए में दिनांक 13-6-79 को हस्तान्तरित होकर नवम्बर 1979 तक पड़ी रही।

श्री कामेश्वर उपाध्याय—

प्रबन्धक को किस तारीख को और कितनी धनराशि दी गई थी ?

श्री सिब्ते रजी—

यह स्वीकृति निदेशालय द्वारा 27-3-79 को दी गई थी पत्र संख्या 22512/30 के अन्तर्गत लगभग एक लाख 53 हजार 265 रुपये 77 पैसे जो कि 1-1-73 से 31-3-74 तक के बकाये के संबंध में थी।

श्री कामेश्वर उपाध्याय—

को-आपरेटिव बैंक से निकाल कर प्राचार्य के खाते में डालने का क्या मतलब था ?

श्री सिब्ते रजी—

प्रक्रिया यही है कि पहले जो इस तरह का वितरण होता था, खाते में ही जाता है। चूंकि वेतन के संबंध में नहीं था और सरकार से निर्देश थे कि बचत बाण्ड खरीद कर दिये जायें, इसलिए उनके खाते में डाला गया था।

श्री सुखपाल पाण्डे—

5-12-79 से 27-11-80 तक विभिन्न तिथियों में खरीदे गये जब एकमुश्त धनराशि दी गई थी तो विभिन्न तारीखों में खरीदने का क्या कारण था और जो पैसा को-आपरेटिव बैंक से इलाहाबाद बैंक में स्थानान्तरित किया गया तो क्या उसके ब्याज का आहरण करने के लिए यह किया गया ?

श्री सिब्ते रजी—

देर में बंटने का कारण यह है कि जो भाटपार-रानी देवरिया में डाकघर था, इतनी मात्रा में राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं थे, जैसे-जैसे आते गये यह प्रमाण-पत्र खरीद कर अध्यापकों को दिये गये। जहां तक दूसरा पक्ष है कि क्या किसी बदनीयती की वजह से प्रधानाचार्य के खाते में ट्रांस्फर किया गया, तो उसका प्रश्न नहीं है।

प्रदेश में प्राइमरी पाठशालाएं खोलने का लक्ष्य

*8—श्री कौशिक रमाशंकर—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के विनिश्चय के अनुसार प्रत्येक 1000 की आबादी पर प्राथमिक पाठशाला स्थापित करने का लक्ष्य कब तक प्राप्त होगा और अब तक क्या स्थिति है ?

श्री मंकठा प्रसाद शास्त्री—

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लक्ष्य प्राप्त करने का ध्येय है।

छठी पंचवर्षीय योजनावधि के अन्त तक कुल 72,959 मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोले जा चुके हैं। अभी 4,309 असंचित बस्तियां शेष बची हैं जिनमें प्राइमरी पाठशाला खोलना अपेक्षित है। इन सभी असंचित बस्तियों में प्राइमरी स्कूल सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के अन्त तक खोल दिये जाने का प्रस्ताव है।

श्री कौशिक रमाशंकर—

सन्यवर, 15 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक के लोगों को पढ़ाने का, साक्षर बनाने का दावा यह सरकार करती है फिर भी हमारी साक्षरता की स्थिति यह है कि हम एशे देश में हर सूबे के हिसाब से देखा जाये तो तीसरे नम्बर पर आते हैं, तो इस देश में सगर से वर्तमान है, वह तो अन्धकारपूर्ण है ही, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कम से कम सरकार हमारे भविष्य को अन्धकारमय न बनावे और इस बात का एहसास करते हुए कि हमारी पाठशालाओं का होना साक्षरता के लिए अनिवार्य है और एक हजार की आबादी वाले गांवों में तो नितान्त ही आवश्यक है। जैसा कि यह है कि सन् 1990 तक सभी बच्चों को, सभी बालक बालिका को क्या एक साल में पास करने पर विचार करेंगे ?

श्री मंकठा प्रसाद शास्त्री—

जहां तक वित्तीय संसाधनों का मामला है, उसमें जितना धन उपलब्ध हो जायगा, उसके अनुसार विद्यालय खोले जायेंगे।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मैं जानना चाहता था कि इनका संकल्प है साक्षर करने का और 15 से 80 वर्ष तक के लोगों को पढ़ाने का ऐसे स्थिति में सरकार यह कहे कि उनकी तो व्यवस्था कर रहे हैं, उनके लिये तो संसाधन है लेकिन प्राथमिक पाठशालाओं के लिये संसाधन नहीं है, यह उत्तर संगत नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके विचार करेंगे कि साक्षारता के लिये प्राथमिक पाठशालाओं का होना नितान्त आवश्यक है, और इसके लिये सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक नहीं वरन् एक वर्ष या अधिक से अधिक दो वर्ष तक, चार हजार बस्तियां ही तो हैं, प्राथमिक पाठशालायें खोलने पर विचार करेंगे ?

श्री संकटा प्रसाद शास्त्री—

जहां तक 15 वर्ष से 25 वर्ष की आय वर्ग के लोग हैं, उनको भी शिक्षित करना जरूरी है, इसके साथ ही साथ उनको बढ़ती हुई आबादी का ज्ञान भी कराना है, और जो नई-नई टैक्निक हैं, उनका ज्ञान भी कराना है। यह भी सही है कि 25 से 80 वर्ष तक तो पढ़ाया जाय लेकिन साथ ही साथ बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान दे रहे हैं और प्रयत्नशील हैं कि सब लोगों को शिक्षित कर दिया जाय। जैसे-जैसे संसाधन होंगे, उसी के अनुसार व्यवस्था करेंगे। योजना बनायी है, लक्ष्य बनाया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना तक इस काम को पूरा करेंगे।

श्री अशोक वाजपेयी—

प्रदेश में लगभग 32 हजार प्राइमरी स्कूल और 15 हजार जूनियर स्कूल बिना भवनों के चल रहे हैं, क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में भवनों का निर्माण कराने की कृपा करेंगे ?

श्री संकटा प्रसाद शास्त्री—

लगभग 30 हजार ऐसे विद्यालय हैं, जहां भवन नहीं हैं ; डेढ़ अरब रु0 की जरूरत महसूस की जा रही है। प्रयास किया जायगा कि भवनों का निर्माण किया जाय।

शाहजहांपुर के तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक श्री जी0 पी0 सत्संगी का निलम्बन

*9—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है जनपद शाहजहांपुर के तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक श्री जी0 पी0 सत्संगी को आर. बी. एम. इण्टर कालेज तिलहर को लगभग 40,000 (चालीस हजार) रुपया अनधिकृत रूप से वर्ष 1980 में वेतन वितरण खाते से अन्य खातों का पिछला भुगतान देने के आरोप में निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो प्राथमिक स्तर पर त्रुटि करने वाले प्रबन्धक आर0 बी0 एम0 इण्टर कालेज, तिलहर जिन्होंने इस धन का दुरुपयोग किया, के विरुद्ध अभी तक कोई वैधानिक कार्यवाही हुई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मिश्ते रजी—

जी हां।

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16 घ (2) के अन्तर्गत प्रबन्धक को दिनांक 21-8-1985 द्वारा निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सत्यपाल सिंह—

माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि धारा 16 घ (2) की कार्यवाही की जा रही है। चालीस हजार रुपया वेतन वितरण का अनधिकृत खाते से लेकर प्रबन्ध समिति ने उसका दुरुपयोग किया है। क्या उस चालीस हजार रुपया की वसूलयाबी की भी कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री मिश्ते रजी—

निश्चय ही शासन ऐसे प्रकरणों में जहां पैसे की हानि होगी और दुरुपयोग होगा कार्यवाही करेगा। सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध बहुत सख्त कार्यवाही की गयी है। उनको निलम्बित कर दिया गया है। विद्यालय के स्तर पर पैसे को कैसे वसूल किया जा सकता है, विचार कर रहे हैं।

श्री सत्यपाल सिंह—

इन्होंने कहा है कि जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की गयी है, उनको निलम्बित कर दिया गया है । इनको वर्ष 1980 में निलम्बित किया और इसके बाद जिस प्रबन्धक ने यह रुपया अनधिकृत रूप से लिया था, उसके विरुद्ध धारा 16 घ (2) की कार्यवाही करने के लिये 21-8-85 को निर्देश दिये गये यानी प्रश्न के बाद कार्यवाही की है । . . .

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, इस विद्यालय की प्रबन्ध समिति के भ्रष्टाचार गबन और उसकी अनियमितताओं के विषय में लगभग एक दर्जन ध्यानाकर्षण इस सत्र में दिये हैं, जिनका जवाब टाल दिया गया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है अथवा जच की जा रही है ?

तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस विद्यालय के विषय में जो मैंने गबन, भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितता का प्रश्न दिया है तो क्या उन सब पर कार्यवाही मंत्री जी एक महीने के अन्दर करा देंगे या नहीं ?

श्री सिब्ते रजी—

आपने जो मुद्दे उठाये हैं उनकी जांच करायी जायेगी प्रबन्धतंत्र के खिलाफ जो कदम हम उठा सकते हैं वह तो किये ही जायेंगे लेकिन पहले तो यह देखना होता है कि कहीं अपना ही पैसा खोटा तो नहीं है यदि हमारे अधिकारी ही बीच में जाकर गड़बड़ करें तो यह निलम्बित करने की प्रक्रिया में काफी समय लगता है । जांच करायी जायेगी, आयोग से उस पर अनुमति लेंगे तो इस सब में काफी समय लग जाता है प्रबन्धक तंत्र के बारे में क्या करना है वह इसके बाद ही निर्णय हो पावेगा ।

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

राज्य परिवहन निगम की आडिट रिपोर्ट में डीजल के दुरुपयोग सम्बन्धी आडिट आपत्ति

*10—श्री मित्रसेन—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1982-83 में परिवहन निगम की आडिट रिपोर्ट क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त वित्तीय वर्ष में कुछ अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने निजी तथा परिवहन निगम की खड़ी गाड़ियों के नाम लाखों रुपये का डीजल पेट्रोल व अन्य सामानों का प्रयोग दिखाकर गम्भीर अनियमितता की है, जिसकी आपत्ति आडिट में उठाई गयी है ? यदि हां, तो उक्त अनियमितता के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

परिवहन मंत्री (राजकुमार संजय सिंह)—

परिवहन निगम से सम्बन्धित महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा दी गयी वर्ष 1982-83 की आडिट रिपोर्ट में आजमगढ़ क्षेत्र की 19 आफ बसों में 2450 लीटर डीजल जिसकी कीमत करीब रु0 8,357 है, दिये जाने की अनियमितता बतायी गयी है । डिपो प्रबन्धक द्वारा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध छान-बीन की जा रही है ।

गरीबी की रेखा के नीचे स्तर का जीवन जीने वालों की जनसंख्या

*11—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे स्तर का जीवन जीने वालों की कुल संख्या कितनी है ? क्या उनके विकास के लिए योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजना क्या है ?

श्री श्यामसुन्दर उपाध्याय—

प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे स्तर का जीवन जीने वालों की कुल संख्या राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण 1977-78 के 32वें आवृत्ति के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या का 50.1 प्रतिशत था जो 1984-85 में 41.08 प्रतिशत हो गया है । सातवीं पंचवर्षीय योजना में समावेश आंकड़ों के अनुसार मार्च, 1985 में प्रदेश की जनसंख्या 12.15 करोड़ है और इस प्रकार 5.195 करोड़ व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं ।

गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों के उत्थान हेतु प्रदेश में 2 अक्तूबर, 1980 से एकीकृत ग्राम्य विकास योजना चलाई जा रही है इस योजना में अभी तक 34.33 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया है और रु0 267.23 करोड़ की धनराशि अनुदान के रूप में तथा 730.76 करोड़ रु0 ऋण के रूप में दी गयी है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी इस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना एवं ग्रामीण भूमिहीन गारन्टी योजनायें आदि गरीबी की सीमा के नीचे के परिवार के सदस्यों को रोजगार के साधन देकर उन्हें गरीबी की सीमा के ऊपर लाने का प्रयास करते हैं।

जिला परिषद, इटावा के अभियन्ता, श्री कृष्ण अवतार द्विवेदी के विरुद्ध मुकदमा एवं उनका निलम्बन

*12—श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ, श्री रमेश चन्द्र, श्री सुखपाल पाण्डे, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री गया प्रसाद वर्मा, श्री कमलेश कुमार पाठक तथा श्री राम सरन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद, इटावा में कार्यरत अभियन्ता श्री कृष्ण अवतार द्विवेदी के विरुद्ध 409/477 का मामला न्यायालय में विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या उपरोक्त मामले के होते हुए इन्हें उसी वर्ष 17-8-81 को निलम्बित न कर अवर अभियन्ता के पद पर 3-10-81 को प्रोन्नत किया गया है? यदि हां, तो उसका आधार क्या है?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

जी हां,

जी हां। परन्तु अब इन्हें जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला परिषद, इटावा द्वारा दिनांक 23-7-85 को उनके मूल अवर अभियन्ता पद पर प्रत्यावर्तित करके निलम्बित कर दिया गया है।

अखण्डानन्द इण्टर कालेज, गरौंठा (झांसी) की प्रबन्ध समितियों का विवाद

*13—कुंवर आनवेन्द्र सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिनांक 18 मई, 1985 को अखण्डानन्द इण्टर कालेज, गरौंठा (झांसी) की दोनों प्रबन्ध समितियों को भंग कर प्रशासक नियुक्त करने हेतु कोई पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शिक्षा विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी? क्या शिक्षा विभाग वर्तमान दोनों प्रबन्ध समितियों को भंग कर प्रशासक नियुक्त करने पर विचार कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां, पत्र प्राप्त हुआ था। अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही सम्पादित कराने एवं आख्या भेजने हेतु निर्देशित किया गया था। प्राप्त सूचना के अनुसार विद्यालय की प्रबन्ध समितियों के विवाद का प्रकरण उप शिक्षा निदेशक झांसी के समक्ष विचाराधीन है। उप शिक्षा निदेशक द्वारा सुनवाई के पश्चात निर्णय दिये जाने पर नियमान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

चमोली तथा पौड़ी गढ़वाल के राजकीय इण्टर कालेजों के प्रधानाचार्यों का बकाया वेतन

*14—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली तथा पौड़ी गढ़वाल के राजकीय इण्टर कालेजों में सन् 1980 से 1984 तक जिन व्यक्तियों ने प्राधानाचार्यों के रिक्त पदों पर कार्य किया है उन्हें दिनांक 30 जून, 1985 तक उस काल का प्रधानाचार्य का वेतन नहीं दिया गया है? यदि हां, तो इस विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रधानाचार्य, कम्पोयरगंज इण्टर कालेज महाराजगंज, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*15—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 15-4-85 का पत्र जिसमें प्रधानाचार्य कम्पोयरगंज इण्टर कालेज, महाराजगंज, गोरखपुर की अनियमितता एवं भ्रष्टाचार

के सम्बन्ध में आरोप लगाये गये थे, प्राप्त हुआ ? क्या इन आरोपों की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां । आरोपों की जांच कराई जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनता इण्टर कालेज, परसोन, जिला एटा में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति

*16—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता इण्टर कालेज परसोन, जिला एटा पर साधिकार नियंत्रक लगाने की परिस्थितियां क्या थी तथा साधिकार नियंत्रक के कार्यकाल समाप्ति के बाद भी लोकतांत्रिक प्रबंध समिति को चार्ज क्यों नहीं दिया गया ?

श्री सिब्ते रजी—

विद्यालय में प्रबन्ध का कार्यभार प्रबन्धक अनियमितताओं के कारण प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति की गयी थी, उनका विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है ।

विद्यालय में प्रबन्ध का कार्यभार प्रबन्धक को सौंप दिया गया है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 159 पर)

आगरा में बालाहार (मध्याहन आहार) योजना के केन्द्र

*17—श्री विजय सिंह राणा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में पुष्टाहार बालाहार योजना के कितने केन्द्र चल रहे हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

आगरा जनपद में शिक्षा विभाग द्वारा पुष्टाहार योजना संचालित नहीं है ।

उक्त जनपद में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित बालाहार (मध्यान्ह आहार) योजना के अन्तर्गत 177 केन्द्र चल रहे हैं ।

मुख्य लिपिक (स्थापना), क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, परिवहन निगम, आगरा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*18—श्री बदन सिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपाध्यक्ष रांडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद्, क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, शाखा आगरा द्वारा लिखित एवं 10 विधायकों द्वारा संस्तुत एक आरोप पत्र दिनांक 30-4-85 मुख्य लिपिक (स्थापना) क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, आगरा के विरुद्ध प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज कुमार संजय सिंह—

जी हां ।

क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, आगरा के मुख्य लिपिक (स्थापन), श्री यासीन खां अफरीदी के विरुद्ध प्राप्त परिवादों की जांच क्षेत्रीय प्रबन्धक आगरा द्वारा की जा रही है, तथा उनको शीघ्र जांच पूरी करने के निर्देश दिये गये हैं ।

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के छात्रों को शुल्क मुक्ति प्रदान करने की मांग

*19—श्री गौरी शंकर भैया—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के छात्रों की माध्यमिक शिक्षा तक शुल्क **मुक्ति का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?** यदि हां, तो इसे कब तक लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा कक्षा 10 तक तथा बालकों की शिक्षा कक्षा 6 तक निःशुल्क है । शेष को शुल्क मुक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार करना सम्भव न हो पाने के कारण विचाराधीन नहीं है ।

लखनऊ के प्राथमिक शिक्षकों का अवशेष वेतन का भुगतान

*20—श्री भगौती सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के प्राथमिक शिक्षकों को सन् 1979 के पुनरीक्षित वेतन का अवशेष भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

नगर क्षेत्र लखनऊ में कार्यरत शिक्षकों को दिनांक 1-7-79 से पुनरीक्षित वेतनमान का अवशेष भुगतान किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों को अवशेष का भुगतान धन उपलब्ध न होने के कारण अद्यतन नहीं हो सका है।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों एवं जूनियर हाई स्कूलों में उर्दू अध्यापकों के रिक्त पद

1—श्री फजलुल बारी—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि उ0 प्र0 के प्राइमरी व जूनियर स्कूल में उर्दू टीचर्स की जगहें रिक्त हैं ? यदि हां, तो वह कितने स्थान हैं और उसे अब तक क्यों नहीं भरा गया ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

2—श्री अशोक बाजपेयी—

[दि0 31-7-85 को सदन में वक्तव्य होने के कारण निरस्त]

राज्य सड़क परिवहन निगम की टैक्सी को वातानुकूलित करने पर व्यय की गयी धनराशि

3—भगौती सिंह—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की एक टैक्सी वातानुकूलित की गयी है ? कृपया मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त टैक्सी को वातानुकूलित करने पर कितना रुपया खर्च हुआ तथा अब तक उक्त टैक्सी से कितनी आमदनी हुई है ?

राजकुमार संजय सिंह—

जी हां।

टैक्सी को वातानुकूलित करने पर कुल 16,875 रु0 खर्च हुई। उक्त टैक्सी बी0 आई0 पी0 कार के रूप में प्रयोग की जा रही है। अतः इससे कोई आमदनी प्राप्त नहीं है।

पशुधन निदेशालय को भवन निर्माण हेतु स्वीकृत अग्रिम धनराशि का आहरण

4—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या पशुधन मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 में भवन निर्माण हेतु पशुधन निदेशक द्वारा अग्रिम स्वीकृत कर दिये जाने के बाद भी अग्रिम का आहरण नहीं किया गया और बजट लैप्स हो गया ? यदि हां, तो इस तरह के कितने मामले हैं तथा उसके लिए दोषी आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

पशुधन मंत्री (श्रीमती बेनी बाई)—

वर्ष 1984-85 में स्वीकृत किये गये 122 भवन-निर्माण अग्रिम के मामलों में से केवल तीन मामले ऐसे हैं जिनमें अग्रिम का आहरण नहीं किया जा सका। इसके लिये दोषी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को लिखित चेतावनी दे दी गयी है।

उप निदेशक, पशुधन (प्रक्षेत्र) के फार्मों में हुई हानि

5—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या पशुपालन मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि उप निदेशक पशुपालन (प्रक्षेत्र) के अधीनस्थ फार्मों पर वर्ष 1981-82 में 82-83 और 83-84 के वित्तीय परिणाम क्या थे ? यदि हानि हुयी थी तो उसके क्या कारण थे ? शासन ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती बेनी बाई—

उप निदेशक, पशुपालन (प्रक्षेत्र) के अधीनस्थ प्रक्षेत्रों के वाणिज्यक अनुभागों में वर्ष वार निम्न हानि हुई :—

वर्ष	हानि रुपया में
1981-82	27,16,717
1982-83	30,16,792
1983-84	36,65,242

प्रक्षेत्रों पर हानि के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

1—प्रक्षेत्रों पर उपलब्ध भूमि का खराब

2—सिंचाई की समुचित व्यवस्था का न होना ।

3—ट्रेक्टरों के पुराने होने का कारण ।

4—उत्पादित चारा बाजार भाव से कम कीमत पर पशुओं हेतु उपलब्ध कराना ।

5—प्रक्षेत्रों पर उत्पादित मेढ़ों तथा कुक्कुटों को कम कीमत पर किसानों को उपलब्ध कराना ।

6—खर्चे में पर्यवेक्षण आदि का व्यय जोड़ने के कारण ।

प्रक्षेत्रों के पुनर्गठन तथा विकास के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है तथा कार्यवाही विचाराधीन है ।

किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बरगढ़सी, गोरखपुर में लिपिक की नियुक्ति के विरुद्ध शिकायती-पत्र

6—श्री गौरी शंकर भइया,
श्री काजी कली मररहमान,
श्री जनार्दन प्रसादुन प्रसाद ओझा,

तथा श्री हर्ष वर्धन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 21-3-85 को एक पत्र किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरगढ़सी, जनपद गोरखपुर में अनियमित रूप से एक लिपिक की नियुक्ति के संबंध में दिया है जिसे शिक्षा राज्य मंत्री ने अपने पत्र संख्या ई0 एम0/25/85 दिनांक 22 मार्च, 1985 को शिक्षा सचिव को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या मंत्री जी एक विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां । प्रश्नगत पत्र माननीय श्री जनार्दन प्रसाद ओझा से प्राप्त हुआ था । इसी विषय में पूर्व में प्राप्त संदर्भ पर दिनांक 17-12-84 को शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश को जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही शासन को अवगत कराने के निर्देश दिये गये थे । इसके लिये उन्हें स्मरण पत्र भी भेजे गये । माननीय श्री जनार्दन प्रसाद ओझा को 3 अगस्त, 1985 के पत्र द्वारा एक अंतरिम उत्तर भी दिया गया है । शिक्षा निदेशक की आख्या अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

पटेल स्मारक इण्टर कालेज पटेलनगर, भटहट, गोरखपुर में श्री रामकरन की लिपिक पद पर प्रोन्नति

7—श्री हर्ष वर्धन, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री गौरी शंकर भइया तथा श्री काजी कलीमुररहमान—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि **पटेल स्मारक इण्टर कालेज, पटेलनगर, भटहट,** जनपद गोरखपुर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री रामकरन की लिपिक पद पर प्रोन्नति के प्रकरण में जो विभाग में विचाराधीन है उक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा जालसाजी का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी—

जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रामकरन की लिपिक पद पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य का कहना है कि श्री रामकरन ने नियुक्ति के समय जो आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया, उसमें हाई स्कूल योग्यता का उल्लेख है । श्री रामकरन का कहना है कि उन्होंने नियुक्ति हेतु जो आवेदन पत्र दिया उसमें उन्होंने अर्हता इण्टर दर्शायी थी । जांच के समय श्री रामकरन ने बताया कि उनके पास आवेदन-पत्र प्राप्त कराने का कोई प्रमाण नहीं है । जांच में यह भी पाया गया कि श्री रामकरन ने हाई स्कूल 1965 में एवं इण्टर 1968 में उत्तीर्ण किया । 1980 में लिपिक का पद रिक्त होने पर उन्होंने एक प्रत्यावेदन जिला विद्यालय निरीक्षक को दिया, परन्तु प्रबन्धाधिकरण में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रधानाचार्य द्वारा जालसाजी करने की कोई सूचना नहीं है ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के निदेशक के रिक्त पद पर नियुक्ति की मांग

8—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में सिंचाई विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आए श्री वी0 एन0 सक्सेना के वापस चले जाने के लगभग एक वर्ष बाद भी निदेशक पद पर नियमित नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

निदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, उत्तर प्रदेश के पद पर नियमित नियुक्ति किये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

राजकीय इण्टर कालेज, अमरोहा, मुरादाबाद के सी0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों के वेतन का निर्धारण एवं पदोन्नति तथा स्थायीकरण

9—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इन्टर कालेज, अमरोहा जनपद मुरादाबाद में कार्यरत ऐसे कितने सहायक अध्यापक हैं, जिनको वर्ष 1983 में एल0 टी0 ग्रेड में लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित न किये जाने के फलस्वरूप सी0 टी0 ग्रेड में नियुक्त किया गया था ? क्या यह सही है कि इन सहायक अध्यापकों का सी0 टी0 ग्रेड में वेतन निर्धारण कर, उनको देय धनराशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों तथा देय धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

10—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि ऐसे सहायक अध्यापकों का सी0 टी0 ग्रेड में स्थायीकरण भी अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और उनको कब तक स्थायीकरण कर दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

11—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन सहायक अध्यापकों की एल0 टी0 ग्रेड में की गयी पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण कर, उनको देय धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सेवा निवृत्ति से पूर्व भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्व0 सिकन्दर मिर्जा, बुकिंग क्लर्क, राज्य सड़क परिवहन निगम, फैजाबाद की पारिवारिक पेंशन एवं ई0 पी0 एफ0 की धनराशि

12—श्री हरदेव—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 सिकन्दर मिर्जा, बुकिंग क्लर्क, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, जिला फैजाबाद की पत्नी श्रीमती सरवत आरा बेगम ने अपने स्वर्गवासी पति के ई0 पी0 एफ0 तथा पारिवारिक पेंशन आदि की धनराशि का भुगतान शीघ्र कराने हेतु संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ को दिनांक 4 अगस्त, 1984 को आवेदन पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है तथा भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह—

जी हां ।

बीमा एवं आनुतोषिकी की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है । ई0 पी0 एफ0 एवं पारिवारिक पेंशन का भुगतान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त वाराणसी द्वारा सीधे स्व0 सिकन्दर मिर्जा के उत्तराधिकारियों को किया जाना है । ई0 पी0 एफ0 एवं पारिवारिक पेंशन सम्बन्धी प्रपत्र हिण्डो इंचार्ज, फैजाबाद के पत्र संख्या 2081 दिनांक 21 जन, 1982 एवं संख्या 2785 दिनांक 30 अगस्त 1984 द्वारा भेजे जा चुके हैं । क्षेत्रीय प्रबन्धक, फैजाबाद ने विशेष वाहक भेजकर इसके भुगतान का प्रयास किया है । संयुक्त प्रबन्ध निदेशक के अर्धशासकीय पत्र-संख्या 1096 एफ0 डी0/

85/72 एफ0 डी0/84 दिनांक 20 जुलाई, 1985 द्वारा भी भविष्य निधि आयुक्त से शीघ्र भुगतान हेतु अनुरोध किया गया हैं ।

श्री नौबत सिंह आर्य, ग्राम गणेशपुर, अलीगढ़ को बहाल किये जाने की मांग

12 अ—श्री कल्यान सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री नौबत सिंह आर्य ग्राम गणेशपुर, डा0 जिरौली धूप सिंह, जिला अलीगढ़ को दिनांक 23-5-85 को शिक्षा मंत्री ने सवेतन बहाल किए जाने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो अभी तक नौबत सिंह को सवेतन बहाल न किए जाने का क्या कारण हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही हैं ।

कानपुर, प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के रिक्त पद

13—श्री राधेश्याम—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी हैं कि कानपुर जनपद में प्राइमरी स्कूलों में करीब एक हजार शिक्षकों की आवश्यकता हैं ? यदि हां, तो इन रिक्त स्थानों पर शिक्षकों की नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं ।

रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही हैं ।

मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई कार्यालय के सहायक लेखाकारों के वेतन का निर्धारण

14—श्री मित्रसेन—

क्या लघु सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन ने मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई कार्यालय के सहायक लेखाकारों के वेतन निर्धारण हेतु संवर्ग परिवर्तन के विकल्प मांगने का निर्देश दिया था ? यदि नहीं, तो मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा सहायक लेखाकारों से संवर्ग परिवर्तन का विकल्प क्यों प्राप्त किया गया ? क्या यह सही हैं कि सबसे कनिष्ठ अनियमित सहायक लेखाकार का विकल्प लिपिक समवर्ग का होने के फलस्वरूप भी उसे लेखाकार पद का लाभ पहुंचाया जा रहा हैं ? यदि हां, तो वरिष्ठ सहायक लेखाकारों को लेखा संवर्ग के लाभ से वंचित रखे जाने का क्या कारण हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

वेतन आयोग की संस्तुति प्राप्त होने से पूर्व प्रवर वर्ग सहायक तथा सहायक लेखाकार के पद एक ही वेतनमान में थे तथा इनकी संयुक्त वरिष्ठता सूची थी और ये पद आपस में परिवर्तनीय (इन्टरचेन्जेबुल) थे । वेतन आयोग की संस्तुति (1979-80) प्राप्त होने पर सहायक लेखाकार का वेतनमान (470—735 और 430—685) तथा वरिष्ठ सहायक का वेतनमान 515—860 निर्धारित किया गया । सहायक लेखाकार के पद का वेतन मान वरिष्ठ सहायक से कम स्वीकृत होने के कारण मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग द्वारा विकल्प मांगना आवश्यक हो गया था ।

शासनादेश संख्या वे0 आ0—1—1—1802/दस—34(एम0)/84, दिनांक 11-8-83 के द्वारा सहायक लेखाकार के पद का वेतनमान पुनरीक्षित कर 515—860 किया गया जो वरिष्ठ सहायक के वेतनमान के समान हो गया ।

पूर्णतः अस्थाई रूप से काम चलाऊ व्यवस्था के लिए दो सहायक लेखाकारों को लेखाकार के पद पर तदर्थ रूप से नियुक्त किया गया था, उन्हें लेखाकार के पद से प्रत्यावर्तित कर दिया गया हैं ।

मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों एवं इण्टर कालेजों के अवकाश प्राप्त शिक्षकों के डी0 ए0 और पेंशन सम्बन्धी शासनादेश

15—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मान्यता प्राप्त हाई स्कूल एवं इण्टर कालेज के अवकाश प्राप्त शिक्षकों को श्री गोविन्द नारायण मिश्र, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 17-11-83 सं0 2132 क/पन्द्रह-8-3004(8)/82 शासनादेश के अनुसार उ0 प्र0 के कितने जिलों में राहत (डी0 ए0) दी जा रही हैं ? क्या यह शासनादेश सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक के यहां पहुंच गया ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिए कौन उत्तरदायी हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही हैं ।

16—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात हैं कि मान्यता प्राप्त हाई स्कूल एवं इण्टर कालेज के अवकाश प्राप्त शिक्षकों की पेन्शन निर्धारण के समय उनकी सेवा पुस्तिकायें डी0 डी0 आर0 के कार्यालय में मंगायी जाती हैं? यदि हां, तो बाद में यह सेवा पुस्तिकायें सम्बन्धित विद्यालयों को वापस न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही हैं ।

राजकीय कन्या इण्टर कालेज, ततरी बाजार की बस की मरम्मत

17—श्री धनराज यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या इण्टर कालेज ततरी बाजार की बस नं0 यू0 पी0 के0 2826 विगत 3 वर्षों से खराब हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस बस को बनवाने का प्रबन्ध करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत विद्यालय की बस तीन वर्ष से खराब हैं । इसकी मरम्मत के कांटेशन परिवहन आयुक्त, लखनऊ को भेजे गये थे किन्तु बहुत कम धनराशि स्वीकृत होने के कारण किसी भी फर्म ने कार्य नहीं किया । पुनः संभागीय अधिकारी, गोरखपुर से बस की जांच कराकर कांटेशन परिवहन आयुक्त को भेजे गये हैं । स्वीकृत प्राप्त होने पर कार्य कराया जा सकेगा ।

श्री स्वामी सिंह, प्रवक्ता, के0 एन0 पी0 एन0 इण्टर कालेज, माँरावां, उन्नाव की पेंशन

18—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि श्री स्वामी सिंह प्रवक्ता, के0 एन0 पी0 एन0 इण्टर कालेज माँरावा जनपद उन्नाव के 30 जून, 1983 में अवकाश ग्रहण के बाद अब तक उनकी पेंशन क्यों नहीं बंधी और इस देरी के क्या कारण हैं और इसके लिए कौन उत्तदायी हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

श्री स्वामी सिंह को पेंशन स्वीकृत की जा चुकी हैं । प्रकरण में विलम्ब संस्थाधिकारियों से पेंशन सम्बन्धी पत्रजात की प्राप्ति और आपत्तियों के निराकरण की प्रक्रिया में हुआ ।

पीलीभीत, विकास खण्ड अमरिया के विकास खण्ड अधिकारी श्री राम कृष्ण वार्ष्णेय एवं सहायक विकास खण्ड अधिकारी, श्री महानन्द विश्वास के विरुद्ध गबन की शिकायत

19—श्री विनोद कुमार—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 में जनपद पीलीभीत के विकास खण्ड अमरिया के खण्ड विकास अधिकारी (श्री राम कृष्ण वार्ष्णेय) एवं सहायक विकास अधिकारी (कृषि) ने मिलकर श्रीमती निर्मल कौर, पत्नी श्री प्यारा सिंह ग्राम गिधौर के नाम से एक गोबर गैस संयंत्र का फर्जी निर्माण दिलाकर रु0 1900/- रु0 शासकीय धन का गबन किया ? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी पीलीभीत ने गबन किये गये धन की वसूली सहायक विकास अधिकारी (कृषि) से की तथा इसके अतिरिक्त इनके विरुद्ध अन्य क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्यामसुरत उपाध्याय—

जी हां ।

जिलाधिकारी पीलीभीत द्वारा सहायक विकास अधिकारी (कृषि) श्री महानन्द विश्वास से 1900 रु0 की वसूली के आदेश पारित किए गए हैं । इसके अतिरिक्त संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गयी हैं ।

बाराबंकी, हैदरगढ़ शिक्षा क्षेत्र के ग्राम रोहना, मीरापुर, अहिरगांव के जूनियर हाई स्कूलों के भवन का निर्माण

20—श्री सुरेन्द्र नाथ—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ शिक्षा क्षेत्र के जूनियर हाई स्कूलों ग्राम रोहना मीरापुर ग्राम अहिरगांव तथा ग्राम कमेला के प्रस्तावित विद्या-

लय भवनों का प्रारम्भ निर्माण फरवरी, 1985 में हुआ परन्तु विधान सभा चुनाव के उपरान्त रोक दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ शिक्षा क्षेत्र के ग्राम रोहना मीरापुर तथा अहिरगांव के जूनियर हाई स्कूल के भवनों का निर्माण कार्य रोका नहीं गया है।

ग्राम कमेला में स्थित जूनियर हाई स्कूल के भवन का निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

बाराबंकी, हैदरगढ़ कन्या जूनियर हाई स्कूल के उच्चीकरण का प्रस्ताव

21—श्री सुरेन्द्र नाथ—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ कन्या जूनियर हाई स्कूल के उच्चीकरण के सम्बन्ध में शासन में कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

प्रश्नगत विद्यालय के उच्चीकरण के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक से इस वर्ष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री के0 एन0 निगम, तालाब उत्पादन (विशेषज्ञ), मत्स्य पालक विकास अभिकरण, लखनऊ द्वारा मछुओं के प्रशिक्षण भत्ता का भुगतान और मत्स्य विभाग में प्रतिनियुक्ति से वापस लेने सम्बन्धी शासनादेश

22—चौ0 लालता प्रसाद निषाद—

क्या मत्स्य पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री के0 एन0 निगम तालाब उत्पादन (विशेषज्ञ) मत्स्य पालक विकास अभिकरण, लखनऊ को मछुओं को देय मत्स्य पालन प्रशिक्षण भत्ता वर्ष 1983-84 माल एवं मलिहाबाद विकास खण्ड का भुगतान करने हेतु रुपया 3537-00 (तीन हजार पांच सौ सैंतीस) फरवरी, 1985 में दिया गया था ? उनके लिये 15 मार्च, 1985 की तिथि भुगतान हेतु निर्धारित की गयी ? यदि हां, तो उनके भुगतान न किये जाने के लिए श्री निगम का माह जून, 1985 का वेतन रोका गया ? यदि हां, तो इस कर्मचारी के विरुद्ध शासकीय धन को अनधिकृत रूप से रोकने हेतु कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेनी बाई—

जी हां।

जी हां। 15-3-85 तक भुगतान का चिट्ठा श्री निगम से मांगा गया था जिस पर श्री निगम ने सूचित किया कि प्रशिक्षार्थी नहीं मिल रहे हैं जिसके फलस्वरूप भुगतान नहीं किया जा सका।

जी नहीं।

जी नहीं। चूंकि श्री निगम ने सूचित कर दिया था कि प्रशिक्षार्थी नहीं मिल रहे हैं अतः 15-3-85 तक भुगतान नहीं हो सकता। परन्तु अब 22-7-85 को भुगतान चिट्ठा श्री निगम द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है।

23—चौ0 लालता प्रसाद निषाद—

क्या मत्स्य पालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मत्स्य पालक विकास अभिकरण लखनऊ के अन्तर्गत कार्यरत श्री केदार नाथ निगम, तालाब उत्पादन विशेषज्ञ को शासन के निर्देश पर निदेशक, मत्स्य उत्तर प्रदेश के कार्यालय आदेश संख्या 6213/स्था0 दिनांक 24-11-84 द्वारा प्रतिनियुक्ति से मत्स्य विभाग से वापस ले लिया गया था ? यदि हां, तो क्या पुनः इन्हें मत्स्य पालक विकास अभिकरण लखनऊ में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित किया गया ? यदि नहीं, तो किस अधिकारी के आदेश से ये दिनांक 24-11-84 के बाद से मत्स्य पालक विकास अभिकरण लखनऊ में कार्यरत हैं और किस आधार पर इन्हें अभिकरण द्वारा वेतन भुगतान किया जा रहा है ? क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ?

श्रीमती बेनी बाई—

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

24—श्री सुखपाल पाण्डे एवं श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ—

[7वें मंगलवार में अता0 प्र0 संख्या 107 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

इलाहाबाद मण्डल के राजकीय इण्टर कालेजों के शिक्षकों का सेलेक्शन ग्रेड

25—श्री आँसान सिंह तथा श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद मंडल के कितने राजकीय इंटर कालेजों के शिक्षक 31 दिसम्बर, 1984 तक सेलेक्शन ग्रेड प्राप्त करने के योग्य हो गये थे, उनमें से कितनों को सेलेक्शन ग्रेड दे दिया गया और कितनों को नहीं ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

एटा, हर नारायन इण्टर कालेज गंजडुण्डवारा, के हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट के छात्रों का प्रमाण-पत्र

26—श्री राजेन्द्र सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात हैं कि हरनारायन इन्टर कालेज, गंजडुण्डवारा जिला एटा के हाई-स्कूल वर्ष 1978 तथा इण्टरमीडिएट वर्ष 1980 की सनदें अब तक कालेज को प्राप्त नहीं हुई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते राजी—

हर नारायन इन्टर कालेज, गंजडुडवारा, जिला एटा के हाईस्कूल वर्ष 1978 के संस्थागत छात्रों के प्रमाण-पत्र अपरिहार्य कारणों से नहीं भेजे जा सके । अब प्रमाण-पत्र तैयार कराकर सम्बन्धित प्रधानाचार्य के पास छात्रों को वितरण हेतु भेज दिये गये हैं । वर्ष 1980 की इन्टर परीक्षा के सादे प्रमाण-पत्र अभी तक परिषद कार्यालय को राजकीय मुद्रणालय से मुद्रित होकर नहीं प्राप्त हुए हैं । इसी कारण से उक्त विद्यालय को प्रेषित नहीं किये जा सके हैं ।

27—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

28—श्री काशी सिंह ऐरी—

[7वें मंगलवार में अता0प्र0 संख्या 115 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

29—श्री कल्यान सिंह—

[दि0 29-7-85 को अता0 प्र0 सं0 59 द्वारा उत्तरित]

आपरेशन फ्लड सेकेण्ड योजनान्तर्गत विश्व बैंक से प्राप्त धनराशि और दुग्धशालाओं में हुआ घाटा

30—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या पशुधन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि आपरेशन फ्लड सेकेन्ड में विश्व बैंक से वित्तीय वर्ष 1980 से 84-85 तक प्रति वर्ष कितना धन मिला तथा यह प्रति वर्ष कितने घाटे या फायदे में रहा तथा निरन्तर हो रहे घाटे को रोकने हेतु शासन ने क्या कदम उठाये ? क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि श्री बृजेश कुमार को सचिव, आपरेशन फ्लड सेकेन्ड, दुग्ध आयुक्त तथा प्रबन्ध निदेशक पी0 सी0 डी0 एफ0 को तीन पदों का चार्ज दिये जाने का क्या कारण है ? क्या इन तीनों पदों की जिम्मेदारी अलग-अलग अधिकारियों को दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती बेनी बाई—

आपरेशन फ्लड II योजना उत्तर प्रदेश में नवम्बर 1982 से लागू की गयी । उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में विश्व बैंक से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ । वर्ष 1982 से जून 1985 तक इन्डियन डेरी कारपोरेशन से नकद एवं वस्तु के रूप में प्रति वर्ष प्राप्त सहायता का विवरण निम्नवत् है : —

वर्ष	नकद	वस्तु के रूप में
1982	10000000.00	..
1983	2315000.00	2497261.00
1984	20841000.00	7103569.00
1985	14353700.00	5979250.10
योग	47569700.00	15580080.10

कुल योग 63089780·10 (रुपया 6 करोड़ तीस लाख नवासी हजार सात सौ अस्सी रुपये दस पैसे मात्र)

योजना प्रारम्भ होने से जून 1985 तक वर्ष वार लाभ हानि का विवरण निम्नवत् है :—

वर्ष	हानि लाख रुपये में
1982—83	117·27
1983 (जूलाई 1983 से दिसम्बर 1983 तक)	126·59
1984	219.44 (अनुमानित)
1985 (जून 1985 तक)	64.45 (अनुमानित)

घाटे को रोकने हेतु दुग्धशालाओं को उनकी पूर्ण क्षमता पर चलाये जाने के निमित्त दुग्ध सहकारी समितियों का जनपद पद्धति पर गठन/पुनर्गठन करके उनके माध्यम से दुग्ध उपार्जन में बढ़ोत्तरी की जा रही है तथा विभिन्न स्तरों पर होने वाले लागत व्ययों पर कठोर नियन्त्रण रखा जा रहा है।

आपरेशन फ्लड-II योजना के कार्यान्वयन में विभिन्न स्तरों पर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एक ही अधिकारी को तीनों पदों पर नियुक्ति किया गया है । फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

यह व्यवस्था फिलहाल सन्तोषजनक प्रतीत होती है ।

मत्स्य विकास निगम के श्री एस0 के0 बाजपेयी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का इस्तीफा

31—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या पशुधन विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कुमारी नीता चौधरी, संयुक्त सचिव एवं प्रबन्ध निदेशक मत्स्य विकास निगम ने अपने स्थानान्तरण पर जाने से पूर्व श्री एस0 के0 बाजपेयी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से इस्तीफा ले लिया था ? यदि हां, तो क्यों ? क्या वित्तीय वर्ष 1979-80 से 84-85 तक प्रति वर्ष मत्स्य पालन विकास निगम के खर्चे एवं आमदनी का आडिट करा कर ब्यौरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती बेनी बाई—

जी हां ।

श्री बाजपेयी ने स्वयं दिनांक 28 मार्च, 1985 को ही मत्स्य विकास निगम से कार्य-मुक्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर उन्हें तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक कु0 नीता चौधरी द्वारा दिनांक 2 जुलाई 1985 को निगम के कार्यों से अवमुक्त किया गया ।

मत्स्य विकास निगम के खर्चे एवं आमदनी का आडिट वर्ष 1979-80 से वर्ष 1983-84 तक संवैधानिक अंकेक्षक एवं महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा कराया जा चुका है । वर्ष 1984-85 के खर्चे एवं आमदनी का आडिट कराया जा रहा है । जब वर्ष 1984-85 का आडिट पूर्ण हो जायेगा तब उपर्युक्त वर्षों का खर्चे एवं आमदनी का ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया जावेगा ।

32—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

[दिनांक 19-8-85 को अता0 प्र0 संख्या0 2-3 द्वारा उत्तरित]

फर्रुखाबाद ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अंतर्गत सड़कों एवं भवनों के निर्माण पर व्यय की गयी धनराशि

33—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून 1983 से जून, 1985 तक जनपद फर्रुखाबाद में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा कुल कितने रुपयों का काम कराया गया ? इसमें सड़कों के निर्माण में तथा भवनों के निर्माण में अलग-अलग कितना धन व्यय

किया गया ? कितने कार्य के लिए कन्ट्रैक्ट बांड ठेकेदारों से भराये गये? किस ठेकेदार को कितने रुपये का कुल भुगतान हुआ ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इलाहाबाद शिक्षा प्रसार विभाग, के जे0 टी0 सी0 प्रशिक्षकों का वेतनमान

34—श्री राकेशधर त्रिपाठी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कि क्या शिक्षा प्रसार विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में कई वर्षों से कार्यरत प्रशिक्षित (जे0 टी0 सी0) प्रशिक्षकों को निवर्तमान वेतन आयोग द्वारा जे0 टी0 सी0 वेतनक्रम में रु0 450-720 का नहीं दिया जा रहा है तथा अन्य सभी जे0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अध्यापकों को उक्त वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि हां , तो क्या मंत्री जी उक्त वेतनामान न प्राप्त करने वाले प्रशिक्षित प्रशिक्षकों को दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वाराणसी, ग्राम सभा महाबलपुर के पंचायत भवन पर अवैध कब्जा

35—श्री राज किशोर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के विकास खण्ड नियमताबाद अन्तर्गत ग्राम सभा महाबलपुर के पंचायत भवन में अवैध कब्जे को हटाने का और पंचायत भवन की व्यवस्था ग्राम प्रधान श्री गुलाब दास को सौंपने का आदेश वाराणसी के जिलाधिकारी द्वारा हुआ है ? यदि हां, तो अब तक पंचायत भवन खाली कराया गया ? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों और खाली कराने की क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

पंचायत भवन शीघ्र खाली कराये जाने में विधिक कठिनाइयां हैं जो कि सम्प्रति परगनाधिकारी चन्दौली (पश्चिमी) के विवेचनान्तर्गत हैं । फिर भी उनके द्वारा पंचायत भवन को शीघ्र खाली कराये जाने हेतु, तहसीलदार चन्दौली को निर्देशित किया गया है ।

बस्ती, डी0 आर0 डी0 ए0 योजना के अन्तर्गत किये गये कार्य एवं स्वीकृत धनराशि

36—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में डी0 आर0 डी0 ए0 जो 1984-85 तक स्वीकृत हुई थी, का सब कार्य पूरा हो गया ? यदि नहीं तो कौन-कौन सा कार्य अधूरा पड़ा है ? क्या यह सही है कि वर्ष 1983-84 का एक करोड़ तेईस लाख रुपये का अभी तक पता नहीं चला ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं तथा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? पूरा विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हरदोई, विकास खण्ड भरावन में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत किये गये कार्य

37—श्री रामपाल वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरावन में 1983-84 एवं 1984-85 में विकास के कौन-कौन से कार्य होने थे तथा उनमें किन-किन कार्यों को समापन कराया गया और वर्तमान समय में कितने तथा कौन-कौन कार्य लम्बित हैं ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 160 पर)

9092

बहराइच, पंचायत सेवक, श्री छेदी राम वर्मा की पेंशन

38—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवा निवृत्त श्री छेदी राम वर्मा, पंचायत सेवक ब्लाक सिरीसिया बहराइच जो 31-10-77 को ही सेवा निवृत्त हुए थे, को अभी तक पेंशन न मिलने का क्या कारण है और कब तक दे दी जायेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्री छेदी राम वर्मा, सेवा निवृत्त, पंचायत सेवक को 6 मास की अस्थायी पेंशन जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच द्वारा स्वीकृत की गयी थी परन्तु जब पेंशन स्वीकृति हेतु मामला महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को संदर्भित किया गया तो महालेखाकार द्वारा श्री वर्मा की सेवा पुस्तिका में अंकित जन्म-तिथि में काट-छांट होने की वजह से उनकी पेंशन पर रोक लगा दी गयी । इस सम्बन्ध में तथ्यों की जांच की जा रही है, जांचोपरान्त शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा ।

बस्ती, बिकास इण्टर कालेज, खेसरहा के छात्रों का परीक्षाफल

39—श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास इण्टर कालेज खेसरहा जिला बस्ती के कला (आर्ट) के 70 छात्रों का वर्ष 1985 का परीक्षा फल घोषित न करने का क्या कारण है तथा कब तक घोषित कर दिया जाएगा ?

श्री सिब्ते रजी—

परीक्षाफल निर्मित होने तक विकास इ0 का0 खेसरहा, बस्ती के 81 छात्रों के विभिन्न प्रश्न-पत्रों के अंक उपलब्ध न होने के कारण परीक्षाफल घोषणा की तिथि को परीक्षाफल अपूर्ण थे किन्तु दिनांक 8-7-85 को रिजल्ट शीट भेजते समय उनमें से 77 छात्रों के परीक्षा-फल रिजल्टशीट में ही पूर्ण कर दिये गये । शेष 4 छात्रों में से 2 के परीक्षाफल भी पूर्ण करके सूचना दिनांक 23-8-85 को सम्बन्धित संस्था के पास जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती के माध्यम से भेजी जा चुकी है । अब 2 छात्रों के परीक्षाफल पूर्ण करना शेष हैं, जिन्हें शीघ्र पूर्ण कर दिया जायेगा ।

लखीमपुर, ग्राम कानाखेड़ा के जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक, स्व0 श्री राम कुमार मिश्र की पेंशन

40—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखीमपुर जिले के विकास खण्ड भिनौली के ग्राम कानाखेड़ा स्थित बेसिक जू0 हा0 स्कूल (बेसिक शिक्षा परिषद्) में कार्यरत स0 अ0 श्री राम कुमार मिश्र जिनकी मृत्यु सेवाकाल में दिनांक 29-1-85 को हो गयी थी उनके आश्रितों को अभी तक पेंशन बीमा प्रावीडेन्ट फण्ड का धन न मिलने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि धन कब तक दे दिया जायगा ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । सूचना प्राप्त करने के लिये संबंधित अधिकारियों को लिखा गया था और उसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया है ।

शाहजहांपुर, वक्फ सम्पत्ति के बैनामा के विरुद्ध श्री कलीमउज्जमां खां का शिकायती पत्र

41—श्री सिकन्दर अली खां नवाब—

क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कलीमउज्जमां खां का शिकायती-पत्र जिलाधिकारी शाहजहांपुर को दिनांक 28-7-84 को वक्फ सम्पत्ति के अनियमित विक्रय पंजी-करण को निरस्त करने तथा सब रजिस्ट्रार के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में दिया गया था ? यदि हां, तो उस शिकायती पत्र में तथ्य क्या-क्या थे तथा उस पर सब रजिस्टार व उनमें सम्बन्धित लिपिक के विरुद्ध क्या कार्य-वाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

श्री कलीमउज्जमां खां का शिकायती पत्र दिनांक 27-7-1984 जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ था जिसमें खाता नम्बर-2741 को वक्फ सम्पत्ति बताते हुए शिकायतकर्ता ने गलत तरीके से रजिस्टर्ड किये गये बैनामे को निरस्त करने तथा सब-रजिस्ट्रार व लिपिकों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की थी । शिकायत की जांच कराई जा रही है ।

42—श्री राम सजीवन—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

बाराबंकी, नेशनल गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल के कर्मचारियों का निलम्बन भत्ता एवं उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही

42—ए—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल जनपद बाराबंकी के निलम्बित कर्मचारियों को किस दर से निलम्बन भत्ता दिया जा रहा है तथा उक्त निलम्बित कर्मचारियों को जिला विद्यालय निरीक्षक बाराबंकी ने भी निलम्बन भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में पत्रांक शि0स0/16325-27/83-84 दिनांक 28-2-84 द्वारा कोई आदेश दिये हैं ? यदि हां तो क्या उक्त आदेश का क्रियान्वयन किया गया ? यदि नहीं, तो विद्यालय प्रबन्धक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

43—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल, जनपद बाराबंकी में इस समय कितने कर्मचारी किन-किन तिथियों से निलम्बित हैं तथा इनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही किस पर कितने समय से लम्बित है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सीतापुर, विकास खण्ड परसेण्डी में व्याप्त अनियमितताओं के विरुद्ध शिकायती-पत्र

44—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले के विकास खण्ड परसेंडी में हुयी अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र जुलाई, 85 के प्रथम सप्ताह में परसेंडी विकास खण्ड के प्रमुख (श्री भगवन्त सिंह) द्वारा जिलाधिकारी सीतापुर को मिला और उसकी फोटोकापी आयुक्त कृषि उत्पादन एवम् ग्राम्य विकास को मिली ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

जी हां । मुख्य शिकायतें निम्नलिखित हैं:—

(1) दूकानों के निर्माण में घटिया सामान लगाया जाना ।

(2) मेंहदीपुरवा की 15 दूकानों से निर्बल वर्ग के लोगों को लाभ न पहुंचाना ।

(3) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मुख्यालय के सामने सड़क का कार्य ठेकेदार से कराया जाना व सड़क का अधूरी रहना ।

(4) श्री जे0 एन0 श्रीवास्तव, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी के कार्यकाल में हरिजन कूप, बायोगैस निर्माण में अनियमितता बरतना ।

(5) मुख्यालय ब्लाक के बाहर बनाना ।

(6) कर्मचारियों को 15-15 हजार रुपये का ऋण दिया जाना व स्वयं के नाम पर भी अग्रिम धन लेने एवं कार्य न पूरा करने, जीप की व्यवस्था न किये जाने तथा

(7) परियोजना निदेशक द्वारा फोटो स्टेट मशीन क्रय करने एवं विभागीय आडिट कराया जाना

उक्त शिकायतों की जांच जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा कराई जा रही है ।

45—श्री नत्थू लाल विकल—

श्री सुखपाल पाण्डे तथा

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय

[दिनांक 29-7-85 को अता0 प्र0 सं0 135 द्वारा उत्तरित]

हरदोई, नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हरियांवा के जूनियर हाई स्कूल का अनुदान

46—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरियांवा जिला हरदोई की ज0 हाई स्कूल से हाई स्कूल की मान्यता 20 अगस्त, 1980 को मिली, जिससे

जू0 हाई स्कूल को मिलने वाला अनुदान बन्द कर दिया गया, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्ड पीठ ने आदेश दिया कि अनुदान बराबर जारी रखा जाये जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 83-84 तक अनुदान दिया गया और अब न्यायालय का आदेश बरकरार रहने पर भी अनुदान रोक देने का क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

बस्ती, बालाहार योजना के अन्तर्गत दी गयी धनराशि

47—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती की बालाहार योजना का कितना बजट वर्ष 1983-84 में स्वीकृत किया गया और बजट स्वीकृत होने का आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को कब भेजा गया ? क्या यह सही है कि बजट 1984-85 में स्वीकृत न होने के कारण बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ठेकेदारों का भुगतान नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन व्यक्ति ज़िम्मेदार हैं तथा क्या सरकार उनके ऊपर कार्यवाही करने की सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

वर्ष 1983-84 में जनपद बस्ती के लिये बालाहार योजनान्तर्गत निम्नलिखित धनराशियां उनके सम्मुख अंकित तिथियों को स्वीकृत की गईं—

रु0 1,17,000/-	10-5-83
रु0 1,000/-	31-12-83
रु0 53,353/-	27-2-84
रु0 31,041/-	27-3-84
रु0 2,02,394/-	

नहीं यह सत्य नहीं है ।

21 मार्च, 1985 के पूर्व तक जो बिल ठेकेदार से प्राप्त हुये थे उनका भुगतान वर्ष 1984-85 में ही कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मिर्जापुर...मिझपुर मार्ग का निर्माण

48—श्री धनराज यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम जिगिना वि0 क्षेत्र विजयपुर जनपद मिर्जापुर से मिझपुर मार्ग का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ तथा अब तक कितना धन उक्त मार्ग पर व्यय हुआ एवं कार्य की प्रगति क्या रही तथा उक्त मार्ग कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फैजाबाद, आर्य कन्या इण्टर कालेज, टाण्डा की प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व और अध्यापक, अध्यापिकाओं की वरिष्ठता सूची

49—श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी तथा

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्य कन्या इण्टर कालेज, टाण्डा जिला फैजाबाद में वर्ष 75-76 से वर्ष 85-86 तक कालेज की प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति में प्रति वर्ष कौन-कौन अध्यापिका/अध्यापक प्रतिनिधि के रूप में रहते आये हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

50—श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी तथा

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्य कन्या इण्टर कालेज, टाण्डा जिला फैजाबाद में अध्यापिकाओं/अध्यापकों की कोई वरिष्ठता सूची बनी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मान्यता प्राप्त माध्यमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को बेसिक शिक्षकों के समान वेतनमान दिये जाने की मांग

51—श्री सत्य प्रकाश विकल—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त माध्यमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के साथ चल रहे बेसिक विभाग के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को उच्च माध्यमिक, जूनियर एवं 193 बालिका विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के समान वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत वेतन दिये जाने की नीति मई, 1985 में सरकार द्वारा सिद्धांततः स्वीकृत किये जाने के बाद भी तत्सम्बन्धित राजाज्ञा निर्गत कर दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

प्रश्नगत प्रकरण में शासन द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की स्थिति रही है और वह अब भी बनी हुई है। सम्प्रति इस विषय पर सीमित संसाधनों के अन्तर्गत प्रश्नगत सुविधा देने का निर्णय लेना संभव नहीं हो पा रहा है।

इण्टर मीडिएट कक्षाओं के चित्रकला एवं संगीत के अध्यापकों को प्रवक्ता वेतनमान दिये जाने की मांग

52—श्री सत्य प्रकाश विकल—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 'समान कार्य के लिए समान वेतन' की नीति के अनुसार इन्टरमीडिएट कक्षाओं को चित्रकला व संगीत कला पढ़ाने वाले सन् 1960 से पूर्व के शिक्षकों के लिए इण्टर कक्षाओं के अन्य शिक्षिकों का वेतनमान क्यों नहीं लागू किया गया है जबकि सन् 1960 से पूर्व विश्वविद्यालयों में एम0 ए0 में चित्रकला व संगीतकला विषयों के अध्यापन की व्यवस्था नहीं होने के कारण सरकार ने बी0 ए0 चित्रकला अध्यापकों को इण्टर कक्षायें पढ़ाने के लिए नहीं मान लिया था ?

श्री सिब्ते रजी—

प्रश्नगत अध्यापक इण्टर कक्षाएं पढ़ाने के लिए अर्ह हैं, परन्तु राजाज्ञा संख्या-2/1239/15-3002(26)/1969, दिनांक 10-3-71 के अनुसार इन अध्यापकों के लिए प्रवक्ता वेतनमान हेतु अन्य शर्तों के साथ सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि रखना आवश्यक है। राजाज्ञा संख्या 3608/15-8-2004(37)/77, दिनांक 19-12-81, द्वारा बी0 ए0 के साथ संगीत प्रवीण एवं संगीत निपुण योग्यता धारी अध्यापकों को प्रवक्ता वेतनमान स्वीकार किया गया है क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा इन उपाधियों को एम0 ए0 के समकक्ष माना गया है।

आगरा, जिला परिषद में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के कर्मचारी एवं आरक्षण कोटा

53—श्री चन्द्रभान मौर्य—

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद आगरा में लिपिक पद पर कार्यरत तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है तथा उनमें से अनुसूचित जाति के तथा पिछड़ी जाति के कर्मचारियों की संख्या क्या है ? क्या उपरोक्त जिला परिषद में लिपिक के पद पर माह मई व जून 85 में एक सवर्ण जाति के कर्मचारी की नियुक्ति की गयी जबकि वह पद अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए रिक्त था ? क्या मंत्री जी उपरोक्त जिला परिषद में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्यामसुरत उपाध्याय—

जिला परिषद आगरा में लिपिक पद पर कार्यरत तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या 17 है जिसमें से 4 अनुसूचित एवं 1

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या 16 है जिसमें से 3 अनुसूचित जाति एवं 6 पिछड़ी जाति के कर्मचारी हैं।

यह सही है कि लिपिक वर्ग में एक सवर्ण जाति के कर्मचारी की नियुक्ति माह जून 1985 में की गयी है। अनुसूचित जाति का निर्धारित कोटा पूर्ण है।

फर्रुखाबाद, जिला शिक्षा परामर्शदात्री समिति की बैठकें

54—श्री बृहमदत्त द्विवेदी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में जिला शिक्षा परामर्शदात्री समिति की बैठक कब से नहीं हुई हैं ? इसके क्या कारण हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

फर्रुखाबाद जनपद की जिला शिक्षा परामर्शदात्री समिति की अन्तिम बैठक दिनांक 20 जुलाई, 1985 को सम्पन्न हुई थी ।

फर्रुखाबाद, राजकीय इण्टर कालेज, उमर्रा के अध्यापक, श्री योगेश्वर सहायक विद्यार्थी की अतिरिक्त वेतन वृद्धि

55—श्री बृहमदत्त द्विवेदी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज, उमर्रा जिला फर्रुखाबाद के अध्यापक (श्री योगेश्वर सहायक विद्यार्थी) को सन् 1981 में परिवार नियोजन अपनाने के बाद भी अभी तक शासन द्वारा स्वीकृत एक अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि न दिये जाने का क्या कारण हैं ? इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्य वाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही हैं ।

फर्रुखाबाद, विकास खण्ड, बढ़पुर की वी0 डी0 सी0 की बैठक में अनुपस्थित अधिकारी

56—श्री बृहम दत्त द्विवेदी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड बढ़पुर जनपद फर्रुखाबाद में दिनांक 28 जून, 1985 को आयोजित बी0 डी0 सी0 की बैठक में कौन-कौन जिला स्तरीय अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे तथा अन्य के उपस्थित न होने का कारण क्या हैं ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

जिला स्तरीय अधिकारियों में से जिला पंचायत राज अधिकारी तथा सहायक अभियन्ता (अल्प सिंचाई) बैठक में उपस्थित हुए थे, अन्य अधिकारी अपरिहार्य कारणों से बैठक में उपस्थित नहीं हो सके थे।

आगरा मण्डल के प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों का यात्रा भत्ता

57—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा मण्डल के जनपदों में कार्यरत प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों का वित्तीय वर्ष 1983-84 व 1984-85 का यात्रा भत्ता नहीं दिया गया और इसके भुगतान न करने के क्या कारण हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही हैं ।

राज्य परिवहन निगम, अलीगढ़ क्षेत्र के सिकन्दराराऊ में बस स्टेशन के निर्माण का प्रस्ताव

58—श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह गांधी—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतलायेंगे कि वर्तमान सत्र में उ0 प्र0 राज्य परिवहन निगम की कितनी बस स्टेशन भवनों का निर्माण वित्तीय वर्ष 1985-86 में कराने की योजना हैं ? अलीगढ़ रीजन के अन्तर्गत सिकन्दराराऊ में भवन निर्मित कराने के सम्बन्ध में क्या स्थिति हैं ? क्या यह सही हैं कि विभाग ने भवन निर्माण प्रस्तावित किया था परन्तु स्थान उपलब्ध न होने के कारण योजना क्रियान्वित न हो सकी ? यदि हां, तो सरकार स्थान उपलब्ध कराकर बस स्टेशन बनवायेगी ?

राजकुमार संजय सिंह—

वित्तीय वर्ष 1985-86 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा किसी नये बस स्टेशन भवन का निर्माण फिलहाल प्रस्तावित नहीं हैं ।

यह सही हैं कि अलीगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत सिकन्दराराऊ में बस स्टेशन भूमि उपलब्ध न हो सकने के कारण निर्मित नहीं किया जा सका । भूमि की व्यवस्था हेतु जिलाधिकारी अलीगढ़ से अनुरोध किया गया हैं ।

कानपुर, श्रीमक बाल विद्या मन्दिर, द्रेवरी देवी पुरान की प्रधानाध्यापिका का वेतन एवं निष्कासन की कार्यवाही

59—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर में श्रीमक बाल विद्या मन्दिर देवरी देवी पुरान, कानपुर की प्रधानाध्यापिका को सितम्बर 1984 से वेतन नहीं दिया जा रहा है तथा उनके निष्कासन की भी कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों? क्या इस मामले की जांच कराकर उक्त प्रधानाध्यापिका को वेतन दिये जानें तथा सेवा में रखे जानें का निर्देश करेंगे और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मुरादाबाद, वृज रतन सुन्दर आर्य कन्या इण्टर कालेज, सम्भल में उर्दू अध्यापिका की नियुक्ति की मांग

60—श्री शफीकुर्रहमान वर्क—

क्या शिक्षा मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि वृज रतन सुन्दर आर्य कन्या इण्टर कालेज सम्भल (मुरादाबाद) में उर्दू अध्यापिका की नियुक्ति अभी तक न होने के कारण क्या है ?

श्री सिब्ते रजी—

प्राप्त सूचना के अनुसार उर्दू का पद सृजित नहीं है । तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत का शिक्षण हो रहा है अतः उर्दू अध्यापिका की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता है ।

61—डा0 बंगाली सिंह, श्री त्रिलोक चन्द्र, श्रीमती राम नन्दिनी वर्मा, श्री सुखपाल पाण्डे—
[दि0 19-8-85 को अता0 प्र0 सं0 15 द्वारा उत्तरित]

62—श्री किशन लाल दिलेर—

[7 वें गुरुवार में अता0 प्र0 संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, नियुक्ति विभाग-2 के लिपिक श्री विनय कुमार दास का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण

63—श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री गौरी शंकर भइया—

क्या शिक्षा मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशालय नियुक्ति विभाग-2 (महिला शाखा) इलाहाबाद में कार्यरत श्री विनय कुमार दास लिपिक एक ही पद और एक ही अनुभाग में विगत 15 वर्षों से कार्यरत है? यदि हां, तो इनका स्थानान्तरण न करनें का क्या औचित्य है ? क्या यह भी सच है कि श्री दास का विगत 1984 में स्थानान्तरण किया गया था ? यदि हां, तो स्थानान्तरण निरस्त किस आधार पर किया ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ललितपुर लखनजर पापंडा की प्राइमरी पाठशाला के भवन का निर्माण

64—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद ललितपुर के मड़ावरा ब्लाक में लखनजर पापंडा में बेसिक प्राथमिक पाठशाला अस्तित्व में न होने के बावजूद भी उसके भवन आदि पर वर्ष 1983-84 में 83, 375 रुपये का जिला अधिकारी की विकास पुस्तिका में खर्च हुआ दिखाया गया है ? क्या उक्त धनराशि सचमुच व्यय की गयी है ? क्या यह भी सच है कि उक्त पाठशाला में एक अध्यापक की फर्जी नियुक्त दिखा कर उसका वेतन भी निकाला जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार मुख्यालय से किसी अधिकारी को भेजकर स्थल का निरीक्षण कराकर यह बतानें की कृपा करेगी कि वस्तुस्थिति क्या है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं

जनपद ललितपुर के मंड़ावर ब्लाक के लखनपुर पापंडा में खोले गये नवीन प्राइमरी पाठशाला भवन निर्माण हेतु स्वीकृत/रुपये 83375.00 की धनराशि सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी हैं। निर्माण कार्य चल रहा हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा, जिला परिषद् के कर्मचारी श्री बलवन्त सिंह एवं श्री रणजीत सिंह का मकान किराया भत्ता

65—श्री चन्द्र भान मौर्य—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् आगरा में कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निवास की सुविधा उपलब्ध हैं और कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिया जा रहा हैं? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में क्या श्री बलवंत सिंह एवं रन्जीत सिंह को मकान सुविधा उपलब्ध हैं और इन्हें मकान किराया भत्ता भी दिया जा रहा हैं? यदि हां, तो किस आधार पर?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जिला परिषद् आगरा में चतुर्थ श्रेणी के पांच कर्मचारियों को परिषदीय आवास सुविधा उपलब्ध हैं तथा 11 कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिया जा रहा हैं।

श्री बलवन्त सिंह व रणजीत सिंह को कोई आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं, अतः इन्हें मकान किराया भत्ता दिया जा रहा हैं।

हमीरपुर, पसवारा स्थित तालाब की नीलामी और तालाब का स्वामित्व

66—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम थाना पसवारा तहसील महोबा जिला हमीरपुर का तालाब मत्स्य पालन विभाग, चरखारी जिला हमीरपुर द्वारा किस सहकारी समिति को वर्ष 1979-80 में दिया गया और वह कितने रुपये में नीलाम किया गया? उक्त तालाब का स्वामित्व खसरा खतौनी में मत्स्य पालन विभाग, चरखारी द्वारा नीलामी से पूर्व किस तारीख में करा लिया गया था और विभाग उक्त तालाब का कब से मालिक हैं?

श्रीमती बेनी बाई—

ग्राम थाना पसवारा तहसील महोबा जिला हमीरपुर स्थित तालाब का ठेका 5 वर्ष हेतु (1979-80 से 30-6-84 तक) 41,000 रुपया में एक मुश्त महेबा मत्स्य जीवी सहकारी समिति के पक्ष में स्वीकृत किया गया था।

गजट नोटिफिकेशन दिनांक 11 अगस्त, 1953 द्वारा जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् से पसवारा तालाब का स्वामित्व मत्स्य विभाग का हैं जिसे भूराजस्व अभिलेखों में विभाग के नाम अंकित कराने की कार्यवाही प्रगति पर हैं।

67—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[6 ठे गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 89 के अन्तर्गत स्थानान्तारित]

वाराणसी, साधन सहकारी समिति, खरावन द्वारा श्री गोपाल दास, श्री राम सूरत आदि को कपड़े की दुकान हेतु दिया गया फर्जी ऋण

68—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोपाल दास पुत्र जमुना व राम सूरत पुत्र गोपाल दास व भोला नाथ पुत्र गोपाल दास गांव चक खरावन (बड़ागांव) पो0 खरावन ब्लाक बड़ागांव वाराणसी को पांच-पांच हजार रुपया न्याय पंचायत स्तरीय व साधन सहकारी समिति खरावन ब्लाक बड़ागांव ने रेडीमेड कपड़े की दुकान हेतु, आई0 आर0 डी0 में मंजूर किया गया था? यदि हां, तो क्या यह सही हैं कि उपरोक्त व्यक्तियों को रेडीमेड कपड़ा भी नहीं मिला और समिति के सचिव एवं सेक्रेटरी अशोक कुमार श्रीवास्तव तथा केदार सिंह ने चेकों पर हस्ताक्षर कराकर फर्जी डीलर द्वारा पूरा भुगतान ले लिया? क्या यह भी सही हैं कि जब भुगतान व माल नहीं मिला तो उपरोक्त व्यक्तियों ने मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी, जिलाधीश वाराणसी, परियोजना अधिकारी वाराणसी, बी0 डी0 ओ0 बड़ागांव व मा0 सहकारिता मंत्री एवं रजिस्ट्रार उ0 प्र0 को मई, 85 में डाक द्वारा प्रार्थना-पत्र भेजा हैं? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

लाभार्थियों द्वारा चेक के इण्डोर्समेन्ट के आधार पर फर्म को उनके द्वारा दिये गये कोटेशन व सन्तुष्टि प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर कराने के उपरान्त जिला सहकारी बैंक बड़ागांव द्वारा (फर्म) को भुगतान किया गया । जांच के दौरान यह पाया गया कि लाभार्थियों को सामान की आपूर्ति किये बिना संबंधित समिति के सचिव व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा कागजी कार्यवाही पूर्ण कर भुगतान करा दिया गया । दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

वाराणसी, साधन सहकारी समिति, खरावन द्वारा श्री राम राज, श्री कमला आदि को कालीन उद्योग हेतु दिया गया फर्जी ऋण और श्री केदार नाथ सिंह, सचिव, सहकारी समिति एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही

69—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम राज पुत्र तिलकधारी, कमला पुत्र जगन्नाथ व श्याम जी पुत्र जैसिरी तथा बुद्धू पुत्र बेचन गांव खरीरयां ब्लाक बड़ागांव जिला वाराणसी को न्याय पंचायत स्तरीय साधन सहकारी समिति खरावन से कालीन उद्योग हेतु पांच-पांच हजार रुपया स्वीकृत करके चेक दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सामान कालीन का दिया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

जांच के दौरान यह पाया गया कि लाभार्थियों को सामान की आपूर्ति किये बिना संबंधित समिति के सचिव, ग्राम पंचायत अधिकारी व शाखा प्रबन्धक द्वारा कागजी कार्यवाही पूर्ण करके भुगतान करा दिया है ।

70—श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त व्यक्ति जाति के मुसहर हैं और इनके चेकों पर हस्ताक्षर कराकर सचिव, केदार सिंह व सेक्रेटरी अशोक कुमार श्रीवास्तव ने संतोष रेडीमेड स्टोर, गिलट बाजार वाराणसी से मिलकर पूरे रुपये का भुगतान ले लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी और ऋण से मुक्ति दिलायेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

उपरोक्त व्यक्ति जाति के मुसहर हैं उपरोक्त व्यक्तियों में से श्री श्याम जी को 930/- रु0, श्री राम राज को 1900/- रु0, श्री कमला को 1200/- रु0 तथा श्री दूधनाथ उर्फ बुद्धू को 1180/- रु0 नकद धन दिया गया है । अवशेष धनराशि न तो लाभार्थी को नकद दी गई और न ही सामान दिया गया है । दोषी कर्मचारी श्री केदार नाथ सिंह, सचिव, साधन सहकारी समिति, खरावन श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्री कल्पनाथ मिश्र शाखा प्रबंधक जिला सहकारी बैंक के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

मुरादाबाद में की गयी उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति

71—श्री हाजी मोहम्मद हयात—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में अप्रैल, 85 में कितने उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति की गई तथा 12-7-85 को जनपद में उर्दू अध्यापकों के कितने स्थान रिक्त हैं ? यदि हां, तो रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक की जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री दधीच सिंह, सब-इन्सपेक्टर, कोतवाली सुल्तानपुर की बस दुर्घटना में मृत्यु होने पर मुआवजे की मांग

72—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री दधीच सिंह, सब-इंस्पेक्टर कोतवाली, सुल्तानपुर की परिवहन निगम की बस से दिनांक 30-11-78 को दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी ? यदि मृतक के आश्रित को क्षतिपूर्ति के रूप में

धन नहीं दिया गया तो क्या सरकार क्षतिपूर्ति दिलाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह—

जी नहीं । दिनांक 30-11-78 को श्री दधीच सिंह, सब इन्सपेक्टर कोतवाली, सुल्तानपुर की मृत्यु निगम की बस दुर्घटना में नहीं हुयी । सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार मृतक श्री दधीच सिंह मोटर साइकिल पर सवार होकर सुल्तानपुर डिपो की बस संख्या यू0 पी0 एक्स-6217 के विपरीत दिशा से आ रहे थे । वर्षा होने के कारण बस पार करते समय मोटर साईकिल फिसल गयी फलस्वरूप श्री दधीच सिंह की मृत्यु हो गयी ।

मृतक श्री दधीच सिंह के आश्रित द्वारा क्षति-पूर्ति हेतु किसी निश्चित मुआवजे की धनराशि की न तो मांग की गयी और न ही निगम द्वारा मुआवजे के रूप में उनको कोई धनराशि प्रदान की गयी ।

चूंकि स्व0 श्री दधीच सिंह सब इंस्पेक्टर की मृत्यु निगम बस दुर्घटना के फलस्वरूप नहीं हुई, अतः उनके आश्रित को निगम द्वारा कोई मुआवजा दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दी संस्थान, लखनऊ के कर्मचारियों का आन्दोलन एवं मांग

73—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हिन्दी संस्थान लखनऊ के कर्मचारी अपनी मांगों के लिए मई, 85 के आखिरी सप्ताह में आन्दोलन करते रहे ? यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं ? उनके सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सिन्हे रजी—

जी हां ।

कर्मचारियों की मांगें तथा उन पर सरकार द्वारा कृत कार्यवाही की सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 161-162 पर)

गोरखपुर में यादवपुर गांव में मत्स्य विकास निगम द्वारा भूमि का अधिग्रहण

74—श्री हर्ष वर्धन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद के पिपराइच कस्बे के समीप यादवपुर गांव में मत्स्य विकास निगम हेतु भूमि का अधिग्रहण हुआ है ? यदि हां, तो उक्त भूमि पर निगम को किन परिस्थितियों में कब्जा नहीं दिया जा रहा है ?

श्रीमती बेनी बाई—

जी हां ।

चकबन्दी भूमि सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत होने के कारण कब्जा लिया जाना सम्भव नहीं हो सका ।

जौनपुर, ग्राम मछलीगांव के ईंट भट्ठे से आम के बागों को क्षति

75—श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री त्रिभुवन नाथ सिंह, अध्यक्ष, उ0 प्र0 ग्राम प्रधान संघ, जौनपुर को उनकी शिकायत पर अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, जिला परिषद् जौनपुर के पत्रांक रामो/लाइसेन्स/182—837 दिनांक 28-12-82 द्वारा यह सूचित किया था कि ग्राम मछलीगांव वि0 खं0 बदलापुर, तह0 शाहगंज, जिला जौनपुर में अवैध रूप से चल रहे ईंट भट्ठे को बन्द कराने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो ईंट भट्ठा अब तक बन्द न होने के क्या कारण हैं और इसके लिए कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हैं ?

76—श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी—

क्या यह भी सही है कि उक्त भट्टे के आसपास के आम के बागों को भारी क्षति पहुंच रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे बन्द कराने एवं दोषी व्यक्तियों को दंडित किए जाने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मो0 यूसुफ खां, निवासी महाराजगंज, गोरखपुर को निःशुल्क बोरिंग सुविधा न मिलने संबंधित शिकायती-पत्र

77—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मो0 यूसुफ खां, एडवोकेट कस्बा महाराजगंज जनपद गोरखपुर ने दिनांक 8-5-85 को मो0 मुख्य मंत्री को संबोधित एक शिकायती पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया है कि भारी रिश्वत की मांग के कारण उनका

अन्य लोगों को 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत निः शुल्क बोरिंग की सुविधा नहीं मिल पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार आरोपों की जांच कराकर दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

दिनांक 8-5-85 का पत्र जिला स्तर पर प्राप्त हुआ था, न उसमें तथा न उसमें उल्लिखित 4-3-85 के पत्र में रिश्वत की मांग सम्बन्धी कोई शिकायत की गई थी । उन्होंने अपने बोरिंग में विलम्ब की शिकायत की थी । श्री खां का कार्य करा दिया गया है ।

78—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

[दिनांक 19-8-85 को अता० प्र० सं० 89 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ के सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकों के पावनों का भुगतान

79—श्री भगवती सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद में कितने ऐसे प्राथमिक शिक्षक हैं जिनको सेवा मुक्त हुए 6, 7 वर्ष बीत चुके हैं किन्तु अभी तक उन्हें पावनों का भुगतान नहीं किया गया है ? क्या सरकार ऐसे अध्यापकों का ब्याज सहित उनका भुगतान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

विगत पांच वर्षों में सेवा निवृत्त हुए लखनऊ जनपद (ग्रामीण क्षेत्र) के 22 प्राथमिक शिक्षकों के पावनों का भुगतान शेष है ।

जी हां ।

श्री बाबू सिंह चौहान, अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य, समर सिंह इन्टर कालेज, रामपुर, जालौन के प्रावीडेन्ट फन्ड का भुगतान

80—श्री चौधरी लाल त्रिवेदी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री बाबू सिंह चौहान अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य समर सिंह इन्टर कालेज, रामपुर जिला जालौन को प्रोवीडेन्ट फण्ड का भुगतान नहीं किया गया है ? क्या यह सही है कि जिला विद्यालय के लिपिक की लापरवाही के कारण चेक टाइम बार्ड हो गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा फण्ड भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

भुगतान किया जा चुका है ।

जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय द्वारा चेक 20-11-84 को निर्गत की गयी थी किन्तु विद्यालय के कार्यालय की लापरवाही के कारण चेक का भुगतान श्री चौहान को नहीं हो सका ।

दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु प्रबन्धतंत्र सक्षम है ।

कार्यवाही प्रबन्ध तंत्र द्वारा की जानी है फण्ड का भुगतान किया जा चुका है ।

गोरखपुर स्वावलम्बी इन्टर कालेज, बिशनपुरा के शिक्षकों/कर्मचारियों के पी० एफ० की धनराशि का जी० पी० एफ० में स्थानान्तरण

81—श्री बुनियाद हसैन अन्सारी—

क्या शिक्षा मंत्री जांचकर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में स्थित स्वावलम्बी इन्टर कालेज बिशनपुरा के वर्तमान शिक्षकों एवं गैर शिक्षकों के पी० एफ० की धनराशि जी० पी० एफ० में अब तक स्थानान्तरित नहीं है ? यदि हां तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है । शिक्षा निदेशक से सूचना 20-8-85 को तार देने के बाद भी अप्राप्त है ।

सीतापुर, किसान इन्टर कालेज, सरैया के प्रवक्ता श्री सी० पी० शर्मा का निलम्बन और इण्टर में छात्र रहित अंग्रेजी की कक्षा

82—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सी० पी० शर्मा, अंग्रेजी प्रवक्ता किसान इण्टर कालेज सरैया, सीतापुर कितने दिनों से निलम्बित है तथा क्या श्री शर्मा को निलम्बन भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या

सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि श्री शर्मा को कितनी बार तथा किन कारणों से किस अधिकारी द्वारा निलम्बित किया गया ? क्या निलम्बन का अनुमोदन उच्च अधिकारियों से कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिन्हे रजी—

प्रश्नगत अध्यापक श्री बी0 पी0 शर्मा 2 जनवरी, 1984 से निलम्बित हैं। उन्हें जनवरी, 1984 का निलम्बन भत्ता दिया गया था। फरवरी, 1984 से मुख्यालय से सक्षम अधिकारी की अनुमति लिये बिना उनके गायब हो जाने तथा निलम्बन भत्ता (जीवन निर्वाह भत्ता) हेतु निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ति न हो पाने के कारण भुगतान नहीं हो सका है।

श्री शर्मा को निम्नलिखित तिथियों से तीन बार निलम्बित किया :—

1—दिनांक 1-9-76 से प्रबन्धाधिकरण द्वारा।

2—दिनांक 3-5-80 से माधिकार नियन्त्रक द्वारा।

3—दिनांक 2-1-84 से तथा माधिकार नियन्त्रक।

निलम्बित किये जाने के कारण संलग्न सूचिका में अंकित है।

प्रथम दो निलम्बन जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुमोदन के अभाव में निष्प्रभावी हो गये तथा तृतीय निलम्बन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमोदित किया गया।

(दीक्षण नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 163 पर)

83—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान इन्टर कालेज सरैया सीतापुर में इण्टर की कक्षा में अंग्रेजी के कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं क्या यह सही है कि इन्टर की कक्षा में कोई भी छात्र अंग्रेजी का नहीं है ? यदि हां, तो वहां पर अंग्रेजी प्रवक्ता के पद का क्या औचित्य है ? क्या सरकार अंग्रेजी प्रवक्ता को दूसरे विद्यालय में समायोजित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिन्हे रजी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत विद्यालय में इण्टर की कक्षा में अंग्रेजी का कोई छात्र नही है। अंग्रेजी प्रवक्ता के सत्र के अधिकांश समय में गायब रहने के कारण छात्र अंग्रेजी नहीं लेते हैं। अंग्रेजी प्रवक्ता श्री बी0 पी0-शर्मा दिनांक 2-1-84 से निलम्बित हैं। अतः उनके अन्यत्र समायोजन का प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी मण्डल के अनुदान विहीन हाईस्कूल

84—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31-3-85 को वाराणसी मंडल में कितने हाई स्कूल ऐसे हैं जो अनुदान सूची में नहीं हैं तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितने विद्यालयों को अनुदान देने की व्यवस्था है।

श्री सिन्हे रजी—

प्राप्त सूचनानुसार वाराणसी मण्डल में 53 ऐसे हाई स्कूल हैं जो 31-3-85 तक अनुदान सूची पर नहीं हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी भी विद्यालय को अनुदान सूची पर लिये जाने की व्यवस्था बजट में नहीं है।

बांदा कन्या जूनियर हाई स्कूल, महोखर, की परिचायिका श्रीमती रामरती का पुनर्नियुक्ति सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र और जांच

95—श्री राम सजीवन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कन्या जूनियर हाई स्कूल महोखर, क्षेत्र बडोखर, जिला बांदा में नियुक्त परिचायिका श्रीमती रामरती ने किन-किन तिथियों में शासन निदेशालय व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा को पुनः नियुक्ति के सम्बन्ध में आवेदन पत्र दिए ? यदि हां, तो जांच का कार्य किस अधिकारी को सौंपा गया तथा उन्होंने किस तिथि को अपनी जांच आख्या प्रस्तुत की ? क्या यह सही है कि बेसिक शिक्षा परिषद बांदा के शिविर सहायक ने उक्त आवेदन पत्रों को दबा दिया है ? यदि हां, तो सरकार ने उसके निलम्बन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री सिब्ते रजी—

आवेदन पत्र दिनांक 14-9-82, 3-3-83, 2-4-83, 18-5-83, 3-7-83, 19-12-83, 13-1-84, 19-5-84 तथा 13-6-84 को दिये गये।

तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) तथा बांदा द्वारा दिनांक 9-1-84 को जांच आख्या प्रस्तुत की गई। बेसिक शिक्षा परिषद बांदा में शिविर सहायक का कोई पद ही नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

बांदा, बेसिक शिक्षा परिषद में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद

86—श्री राम सजीवन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद बांदा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? क्या सरकार ने उन अधिकारियों के निलम्बन के संबंध में कोई कार्यवाही की है, जिन्होंने वर्ष 80-81, 81-82 में अवैधानिक रूप से नियुक्तियां की हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

122 पद।

शिक्षा अधीक्षक तथा अन्य के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

87—श्री सुखपाल पाण्डे—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

नगर पालिका, लखीमपुर खीरी की प्राइमरी पाठशालाओं के क्षतिग्रस्त भवन

88—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका लखीमपुर खीरी ने अपने अभियन्ता की निरीक्षण आख्या के आधार पर यह घोषित कर दिया है बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा नगरपालिका लखीमपुर खीरी में जो प्राइमरी पाठशाला चलाई जा रही है उसका भवन अत्यधिक खराब हो गया है तथा किसी भी समय गिर सकता है और इसकी सूचना शिक्षा अधीक्षक लखीमपुर खीरी और अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका लखीमपुर खीरी ने अपने पत्र दि0 18 अगस्त, 84 द्वारा भी कर दी है ? इसके बाद भी अभी विद्यालय उसी जर्जर भवन में चल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

अधिशासी अधिकारी का पत्र दिनांक 18-8-84 अधीक्षक लखीमपुर खीरी नगरपालिका को प्राप्त हुआ है किन्तु अभियन्ता की रिपोर्ट उसके साथ नहीं भेजी गई है जिसको प्राप्त किया जा रहा है।

जी हां।

अभियंता की रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायगा।

90—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी तथा श्री कल्याण सिंह—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

श्री शिवदत्त शुक्ल, सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य, श्री विश्वनाथ सनातन धर्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की लम्बित अपील

90—श्री हरिशचन्द्र हरीश जी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की सेवा समाप्ति से संबंधित अपील के कितने ऐसे संबंधित मामले हैं जो पिछले 9-10 वर्षों से उप शिक्षा निदेशक पंचम मंडल वाराणसी के कार्यालय में अनिर्णीत पड़े हुए हैं तथा ऐसे अनिर्णीत मामले में वेतन भुगतान भी नहीं किया जा रहा है ? क्या इनमें श्री विश्वनाथ सनातन धर्म उ0 मा0 विद्यालय, विश्वनाथ गली, वाराणसी के प्रधानाचार्य श्री शिवदत्त शुक्ल के सेवा समाप्ति से संबंधित कोई अपील भी 9-10 वर्षों से अनिर्णीत पड़ी है ? यदि हां, तो उसका निर्णय करने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री सिब्ते रजी—

उपशिक्षा निदेशक, वाराणसी मण्डल से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रकरण श्री शिवदत्त शुक्ल, प्रधानाचार्य श्री विश्वनाथ सनातन धर्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वाराणसी का अनिर्णीत है। प्रबन्ध समिति द्वारा श्री शिवदत्त शुक्ल, प्रधानाचार्य की सेवा समाप्ति करने के प्रस्ताव को जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी द्वारा दिनांक 14-7-75 को अस्वीकृत कर दिया गया जिसके विरुद्ध प्रबन्धक ने मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी के यहां अपील की। समय-समय पर अपील हेतु निर्धारित तिथियों पर या तो प्रबन्धक उपस्थित नहीं रहे अथवा विभिन्न न्यायालयों में विभिन्न मुकदमों के विचाराधीन होने और श्री शुक्ल का प्रकरण उन मुकदमों से जुड़े होने का उल्लेख करने के कारण अपील की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी अन्तिम सुनवाई के दिनांक 7-6-85 को प्रबन्धक अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुये। श्री शिवदत्त शुक्ल उपस्थित हुए। श्री शुक्ल ने कहा कि अब कोई वाद किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है और उन्होंने यह भी कहा कि वे इस आशय का नोटरी का प्रतिशपथ- पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनकी सेवा समाप्ति के प्रकरण से सम्बन्धित कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है किन्तु उनके द्वारा यह प्रतिशपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अपील पर निर्णय नहीं हो सका।

बाराबंकी, जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदाबाद, की अध्यापिका, श्रीमती कमला देवी के चिकित्सा अवकाश एवं वेतन का भुगतान

91—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 83 के 1ले सोमवार के अता0 प्र0 सं0 86 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति के पूर्व ही क्या संबंधित अध्यापिका ने चिकित्सा प्रमाण-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करवा कर जमा कर दिया था? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो चिकित्सा अवकाश किस आधार पर स्वीकृत किया? यदि बिना सी0 एम0 ओ0 के काउन्टरसाइन के ही अवकाश स्वीकृत होना था तो अवकाश तुरन्त स्वीकृत न कर दो वर्ष बाद क्यों स्वीकृत किया गया?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं।

अध्यापिका द्वारा विलम्ब से दिये गये चिकित्सा प्रमाण-पत्र को मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराना सम्भव नहीं था। इसलिए अध्यापिका के लिखित प्रार्थना-पत्र के आधार पर उनकी आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए मानवीय दृष्टिकोण से अवकाश स्वीकृत कर वेतन भुगतान कर दिया गया।

92—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 83 के 1ले सोमवार के अता0 प्र0 सं0 85 के उत्तर के संबंध में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्याापिका को अगस्त, 79 का वेतन श्री सतीश कुमार, सहायक अध्यापक द्वारा प्राप्त करा दिया गया है? इसका क्या कोई प्रमाण कार्यालय में है? यदि हां, तो क्या?

श्री सिब्ते रजी—

श्री सतीश कुमार मिश्र सहायक अध्यापक के कथनानुसार श्रीमती कमला देवी को वेतन प्राप्त करा दिया गया है।

श्री सतीश कुमार मिश्र सहायक अध्यापक का लिखित बयान किन्तु फिर भी इस प्रकरण की जांच कराई जा रही है।

बाराबंकी, जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदाबाद, की वेतनावली जमा किये जाने सम्बन्धी आदेश

93—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

विधान सभा के वर्ष 1983 के प्रथम सत्र के 8वें सोमवार के अता0 प्र0 सं0 3 के उत्तर के संदर्भ में क्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापक को वेतन वितरित कर वेतनावली जमा करने के निर्देश लिखित दिए थे? यदि हां, तो क्या यह निर्देश केवल माह अक्टूबर के वेतन के लिए ही दिए थे? यदि नहीं, तो माह नवम्बर का भी

वेतन पूर्व की भांति ही निर्देशों के साथ क्यों नहीं दिया गया ?

श्री सिब्ते रजी—

प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों को इस प्रकार के आदेश दिए गए हैं कि वेतनावली प्रति-हस्ताक्षरित कर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जमा करें ।

सत्यापित उपस्थिति आख्या न प्रस्तुत किए जाने के कारण ।

94—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

विधान सभा के 1983 के प्रथम सत्र के 9वें सोमवार के अता0 प्र0 सं0 3 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने वेतन वितरित कर वेतनावली एक सप्ताह के अन्दर उप विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा करने के निर्देशों के अनुपालन में प्रधानाचार्य ने वेतनावली एक सप्ताह के अन्दर जमा कर दी ? यदि नहीं, तो प्रधानाध्यापक के विरुद्ध निर्देशों की अवहेलना के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? सम्बन्धित अध्यापिका के अवकाश पर निर्णय दिनांक 21-11-79 को हो जाने के बाद ठीक दूसरे दिन दिनांक 22-11-79 को वेतन बैंक में जमा करना, क्या विद्यालय का वातावरण दूषित होना सिद्ध होता है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं ।

कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी ।

जी नहीं ।

बस्ती, प्राइमरी पाठशालाओं तथा जूनियर हाई स्कूलों के अपने सेवाकाल में मृत अध्यापकों के आश्रितों की नियुक्ति

95—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में प्राइमरी पाठशालाओं तथा जू0 हा0 स्कूलों (पुरुष तथा महिला) के कुल कितने प्रधानाध्यापक तथा सहायक अध्यापकों जिनकी मृत्यु सेवा काल में ही हो गयी है, के आश्रितों को अभी तक शासनादेश के आधार पर उनके यांग्यतानुसार सेवा में नहीं रखा गया है ? क्या मंत्री जी ऐसे सभी आश्रितों को तुरन्त नियमानुकूल सेवा में रखे जाने हेतु आदेशित करने का कष्ट करेंगे और इसकी सूचना में सम्पूर्ण सूची को सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती के कार्यालय में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के अनुसार 43 व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जा सकी है । इनकी नियुक्ति पदों की उपलब्धता पर निर्भर करती है तथा रिक्तियां उपलब्ध होने पर नियमानुसार नियुक्तियां की जायेंगी ।

सुल्तानपुर प्राइमरी पाठशाला, दियरा से प्रधानाध्यापक स्व0 राजनाथ शर्मा के पुत्र की नियुक्ति की मांग और जीवन बीमा की धनराशि का भुगतान

96—श्री अवधेश राय शास्त्री—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि स्व0 राजनाथ शर्मा, जो प्राइमरी पाठशाला दियरा सुल्तानपुर में प्रधानाध्यापक थे, की ड्यूटी के दौरान दिनांक 11-10-82 को मृत्यु हो गई और अभी तक उनके आश्रित पुत्र को नौकरी नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो स्व0 श्री शर्मा के आश्रित पुत्र श्री हरीश चन्द्र शर्मा को कब तक नौकरी दे दी जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

यह पद की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

97—श्री अवधेश राय शास्त्री—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि स्व0 राजनाथ शर्मा जो प्राइमरी पाठशाला, दियरा सुल्तानपुर में प्रधानाध्यापक थे, की ड्यूटी के दौरान दिनांक 11-10-1982 को मृत्यु हो गयी और अभी तक उनके जीवन बीमा और फण्ड की पूर्ण धनराशि का आधा ही भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और अवशेष धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

अब जीवन बीमा निगम से स्वीकृत धन का भुगतान मृतक की विधवा को किया जा चुका हैं । फन्ड की अवशेष धनराशि का भुगतान भी कर दिया गया हैं ।

प्रदेश में बेसिक शिक्षाधिकारियों द्वारा उर्दू अध्यापकों का लिया गया साक्षात्कार

98—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या शिक्षा मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि उर्दू अध्यापकों का वर्ष 1984-85 में बेसिक शिक्षाधिकारियों द्वारा प्रदेश भर में जो साक्षात्कार लियें गयें हैं उनकी नियुक्ति कब तक हो जायेगी ? उक्त पदों की नियुक्ति में विलम्ब का क्या कारण हैं तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

नियुक्तियां शीघ्र पूर्ण करानें का पूरा प्रयास किया जा रहा हैं ।

उर्दू पढ़नें वालें छात्रों के अभाव के कारण । इसके लियें कोई दोषी नहीं हैं अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा के बरवारा परसौंजा, पुरवातरौंहा, व शिवरामपुर के जूनियर हाई-स्कूल के चपरासियों का अवशेष वेतन

99—श्री राम सजीवन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के चित्रकूट ब्लाक के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल बखारा परसौंजा, पुरवातरौंहा व शिवरामपुर के चपरासियों के वेतन का भुगतान जुलाई सन् 1983 से अभी तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो वेतन भुगतान न करनें के क्या कारण हैं ? और उनका भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही हैं । सम्बन्धित अधिकारी को पत्र भेजा गया और उसके बाद टेलेक्स द्वारा स्मरण भी कराया गया हैं ।

सुल्तानपुर ग्राम रसूलपुर के स्कूल में अध्यापकों के बैठनें एवं पानी की व्यवस्था

100—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या शिक्षा मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर विकास खण्ड बाजार शुकुल जिला सुल्तानपुर में स्थित नव निर्मित स्कूल में अध्यापकों, बच्चों को बैठनें तथा पानी पीनें की कोई व्यवस्था न कियें जानें का क्या कारण हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही हैं सूचना प्राप्त करनें के लियें सम्बन्धित अधिकारी को लिखा गया था । इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया हैं ।

शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के जी0 पी0 एफ0 लेखा को सम्बन्धित कार्यालय में व्यवस्था किये जानें की मांग

101—श्री राम सजीवन—

क्या सरकार को जानकारी हैं कि महालेखाकार उ0 प्र0 इलाहाबाद के कार्यालय में जी0 पी0 एफ0 लेखा का रख-रखाव त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण रहनें के कारण शिक्षा विभाग के कर्मचारियों में व्यापक रूप से असंतोष हैं ? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भांति उनके सम्बन्धित कार्यालय में लेखा की व्यवस्था करानें में सरकार को क्या कठिनाई हैं ? क्या सरकार नें इस संबंध में महालेखाकार उ0 प्र0 इलाहाबाद से अथवा केन्द्रीय सरकार से कोई पत्र व्यवहार किया हैं ? यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकला हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं ।

शासन के वित्त विभाग के आदेशा के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भांति अन्य कर्मचारियों के जी0 पी0 एफ0 लेखा के रख-रखाव हेतु पास-बुक प्रणाली संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के स्तर पर लागू की जा चुकी हैं ।

जी हां । जी0 पी0 एफ0 लेखों को महालेखाकार के कार्यालय से वापस लेना संभव नहीं पाया गया हैं ।

राजकीय हाई स्कूलों के अध्यापकों के वतनमान में विसंगति

102—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात हैं कि शासनादेश

सं0 ख-1/532/65/15 दिनांक 30 नवम्बर, 1968 के अनुसार राजकीय हाई स्कूलों के सहायक अध्यापक/प्रधानाचार्यों का वेतनमान रु0 100—180 के स्थान पर रु0 80—125 हो गया था ? इस विसंगति से जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा के कितने अध्यापक/प्रधानाचार्य अभी भी प्रभावित हैं ? कितने व्यक्ति इसी परिवर्तित वेतनमान के अन्तर्गत सेवा निवृत्त हो गये? सरकार ने इस विसंगति को दूर करने के लिए क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । संबंधित अधिकारियों को लिखा गया था । इसके बाद कई अनुस्मारक भी भेजे जा चुके हैं जिनमें अन्तिम अनुस्मारक 29-8-85 का है ।

पिथौरागढ़, राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टर कालेज, गंगोलीहाट, पीपलकोट बेरीनाग, के अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची

103—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टर कालेज गंगोलीहाट, पीपलकोट बेरीनाग (जनपद पिथौरागढ़) के अध्यापकों को विद्यालय के प्रधानाचार्यों की भांति उसी दिन से ज्येष्ठता व स्थायीकरण नहीं दिया गया, जबकि रा0 इण्टर कालेज नारायणनगर (पिथौरागढ़) में अध्याापकों को उनके प्रधानाचार्यों के साथ ही ज्येष्ठता दी गयी है ? शासन ने इस विषय पर तुरन्त क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । संबंधित अधिकारियों को लिखा गया था । उसके बाद कई अनुस्मारक भी भेजे जा चुके हैं जिसमें अन्तिम अनुस्मारक 26-8-85 को भेजा गया है ।

पिथौरागढ़, चमोली एवं उत्तरकाशी के सेवा निवृत्त अध्यापक एवं प्रधानाध्यापकों की संख्या

104—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत पांच वर्षों की अवधि में सीमान्त जनपद पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी में वर्षवार क्रमशः ऐसे कितने अध्यापक व प्रधानाध्यापक थे, जिन्होंने उपरोक्त जनपद में विगत पांच वर्षों की अवधि में सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में सेवानिवृत्त प्राप्त की ? इसमें सबसे कम अवधि में सेवा निवृत्त होने वाले कौन-कौन थे? वे कहां से स्थानान्तरित होकर वहां पहुंचे थे और कितने दिनों में स्थानान्तरित हो गये ?

श्री सिब्ते रजी—

जनपदों से प्राप्त सूचना स्पष्ट न होने के कारण शिक्षा निदेशक को लिखा गया है ।

माध्यमिक शिक्षा के शिक्षण एवं निरीक्षण शाखा के पदों के संवर्गों के विकेन्द्रीकरण तथा पर्वतीय संवर्ग बनाने की योजना सम्बन्धी शासनादेश

105—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश शिक्षा (पर्वतीय सेल) अनुभाग के पत्रांक सेल/760-100/154 (2)/81-82 दिनांक 4-1-82 द्वारा माध्यमिक शिक्षा के कतिपय शिक्षा एवं निरीक्षण शाखा में पदों के संवर्गों का विकेन्द्रीकरण तथा अलग पर्वतीय संवर्ग बनाये जाने की शासकीय योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ? कब तक यह कार्य पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा गया था । उसके बाद कई अनुस्मारक भी भेजे जा चुके हैं जिसमें अन्तिम अनुस्मारक दिनांक 29-8-85 का है ।

106—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि राजाज्ञा सं0 9299/15-2-80-27 (37)79, दिनांक 25 नवम्बर, 1980 द्वारा माध्यमिक शिक्षा के कतिपय शिक्षण एवं निरीक्षण शाखा के पदों के संवर्गों का विकेन्द्रीकरण तथा अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) तक के पदों के पर्वतीय

क्षेत्र के अलग संवर्ग बनाने के आदेश पारित किये हैं ? इस संदर्भ में उत्तराखण्ड (पर्वतीय आठ जनपदों) में जनपदवार कुल किस-किस कर्मचारी श्रेणी ने क्रमशः पर्वतीय व मैदानी संवर्ग का चुनाव किया ? इस प्रकार जनपदवार कितने पद रिक्त रहे ? उन्हें क्रमशः कब तक भरा जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

शेष बिन्दुओं पर सूचना एकत्र की जा रही है । सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा गया था । उसके बाद कई अनुस्मारक भी भेजे जा चुके हैं जिसमें अन्तिम अनुस्मारक 29-8-85 को भेजा गया है ।

पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा के हाई स्कूलों व इण्टर-मीडिएट कालेजों के अध्यापकों का नियमितीकरण

107—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में क्रमशः 1979 से लगातार हाई स्कूल व इण्टरमीडिट कालेजों में कार्यरत क्रमशः कितने अध्यापकों का अभी तक नियमितीकरण नहीं किया गया है ? इन्हें कब तक नियमित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जनपद पिथौरागढ़ व अल्माड़ा में स्नातक वेतनक्रम के क्रमशः 45 एवं 85 अध्यापकों तथा प्रवक्ता वेतनक्रम के क्रमशः 32 एवं 6 अध्यापकों का विनियमितीकरण नहीं किया गया है ।

विनियमितीकरण हेतु अपेक्षित सूचनायें एवं अभिलेख प्राप्त होने पर विनियमितीकरण कर दिया जायेगा ।

फैजाबाद में भवन विहीन प्राइमरी पाठशालाएं

108—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में वर्ष 1982-83 में कितने भवन-विहीन प्राइमरी विद्यालयों के भवन बनवाने की स्वीकृति शासन ने प्रदान की थी ? इनमें से कितने भवन नरैनी विधान सभा क्षेत्र के थे ? क्या मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि कितने भवन बन चुके हैं कितने बनने को शेष हैं ? उन्हें कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद में बेरोजगार बी0 टी0 सी0 अध्यापक और भवन विहीन प्राइमरी स्कूल एवं जूनियर हाई स्कूल

109—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में कुल कितने बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक मौजूद हं और उन्हें कब तक नौकरी उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी—

जनपद फैजाबाद के 834 बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक हैं ।

यह रिक्त पदों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

110—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कुल कितने प्राइमरी पाठशालाएं/जूनियर हाई स्कूल हैं और उनमें से कितने विद्यालय भवन विहीन हैं जिनके छात्र/छात्राएं खले आसमान में पढ़ते हैं और कितने विद्यालय ऐसे हैं जिनके भवन इतने जर्जर हैं कि जीवन का खतरा मोल लेकर ही उनके नीचे बैठा जा सकता है ? यदि हां, तो भवन विहीन विद्यालयों के भवन का कब तक निर्माण करा लिया जायेगा और जर्जर भवनों को गिराकर उनके स्थान पर नये भवनों के निर्माण हेतु क्या योजना है ?

श्री सिब्ते रजी—

जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कुल 1376 प्राइमरी तथा

105 जूनियर हाई स्कूल हैं जिनमें से 280 प्राइमरी तथा 34 जूनियर हाई स्कूल भवन रहित हैं और 148 प्राइमरी स्कूलों के भवन जर्जर अवस्था में हैं।

नये भवनों का निर्माण तथा जर्जर भवनों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

बापू इन्टर कालेज, सलेमपुर, देवरिया में श्री प्रकाश सिन्हा का प्राधानाचार्य के पद पर नियुक्ति का औचित्य

111—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रकाश सिन्हा की नियुक्ति बापू इण्टर कालेज सलेमपुर, देवरिया में प्राधानाचार्य के पद पर कार्य करते समय शिक्षा सचिव के गोपनीय अर्द्ध शासकीय अध्यादेश 3882-2958/75-76, दिनांक 15-9-75 तथा नवीन नियुक्ति अनुच्छेद-2 का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो नियुक्ति का औचित्य क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधानाचार्य श्री प्रकाश सिन्हा के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय से याचिका संख्या 1525/76 का निर्णय उनके विरुद्ध हो चुका है तथा प्रबन्ध समिति द्वारा दाखिल याचिका संख्या 176-ए/76 खारिज हो चुकी है फिर भी श्री सिन्हा को वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसके औचित्य क्या है ? जबकि श्री सिन्हा द्वारा दाखिल याचिका संख्या 2056/77 भी 1979 में खारिज हो चुकी है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है। जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त सूचना स्पष्ट तथा पूर्ण नहीं है, शिक्षा निदेशक से अपेक्षित पूर्ण सूचना प्रतीक्षित है।

प्रतापगढ़ में सीनियर बेसिक विद्यालय उतरास के प्रधान अध्यापक श्री गिरीश प्रसाद पाण्डेय एवं अध्यापक श्री राम नारायण मिश्र की अनुपस्थिति के विरुद्ध कार्यवाही

112—श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि सीनियर बेसिक विद्यालय, उतरास, विकास खण्ड मगरार, जनपद प्रतापगढ़ के प्रधान अध्यापक गिरीश प्रसाद पाण्डे तथा सहायक अध्यापक श्री राम नारायण मिश्र मास मार्च, अप्रैल तथा 3 मई, 85 तक विद्यालय में एक दिन भी उपस्थित नहीं हुए ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो उक्त महीनों में उपस्थित पंजिका में तिथिवार उनके हस्ताक्षर हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

प्राप्त सूचना अपूर्ण है अतः सूचना पुनः एकत्र की जा रही है। सूचना प्राप्त करने के लिए पत्र द्वारा स्मरण भी कराया गया।

उर्दू मीडियम स्कूल (मकतबे इस्लामिया) को दी गयी सहायता

113—श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में कुल कितने उर्दू मीडियम स्कूल (मकतबे इस्लामिया) हैं और इसमें से कितने मान्यता प्राप्त हैं और कितनों को सहायता (एड) दी जा रही है ?

श्री सिब्ते रजी—

जनपदों से सूचना प्राप्त हो गई है। शेष जनपदों की सूचना अभी प्रतीक्षित है। सभी जनपदों से सूचना प्राप्त हो जाने पर प्रदेश के सम्बन्ध में संकलित सूचना प्रेषित की जायेगी।

प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के छात्रों एवं शिक्षकों का अनुपात और चौदह वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या

114—श्री राम नाथ झुंझी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपने राज्य की प्राथमिक शिक्षा में छात्रों और शिक्षकों का क्या अनुपात निर्धारित किया गया है ? निर्धारित अनुपात के अनुसार प्रदेश में कितने प्राथमिक शिक्षक चाहिए और कितने इस समय में कार्यरत हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है सूचना प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा गया था और इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया है।

115—श्री रामनाथ मुन्शी—

क्या शिक्षा मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच कितने बालक या बालिका शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और कितने नहीं ? उपर्युक्त आयु के जो बालक प्राथमिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं उनको अनिवार्यता शिक्षा देनें की कोई योजना शासन में विचाराधीन हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही हैं। प्रश्न में पूरे प्रदेश की सूचना चाही गई हैं इस कारण समय लग रहा है।

इलाहाबाद, प्राथमिक शिक्षकों की प्राविधायी निधि का लेखा जोखा

116—श्री रामनाथ मुंशी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी हैं कि इलाहाबाद जनपद के प्राथमिक शिक्षकों की प्रविधायी निधि का लेखा जोखा वर्ष 1972 से उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी हैं तथा अभिलेख उपबन्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

नगर क्षेत्र इलाहाबाद का सम्पूर्ण लेखा उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्र के कुछ अभिलेख उपबन्ध नहीं हैं। जांच के उपरान्त ही उत्तरदायित्व का निर्धारण हो सकेगा। प्रकरण में आवश्यक जांच के निर्देश दिए जा रहे हैं।

सुल्तानपुर, ग्राम बाहरपुर की भवन विहीन प्राइमरी पाठशाला

117—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या शिक्षा मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि ग्राम बाहरपुर, विकास खण्ड शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर में प्राइमरी स्कूल का कोई अपना भवन नहीं हैं जिसके कारण बच्चों की शिक्षा सुचारु रूप से नहीं हो पाती हैं ? यदि हां, तो इस ग्राम में 1985-86 में स्कूल भवन का निर्माण करानें पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करता हैं।

प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में उर्दू अध्यापकों के पद

118—श्री हाजी मो0 हयात—

क्या शिक्षा मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के प्राइमरी स्कूलों में उर्दू शिक्षकों के कितने स्थान हैं ? इस समय कितने स्थानों पर नियुक्तियां हैं और कितने स्थान रिक्त हैं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही हैं। प्रश्न में पूरे प्रदेश की सूचना चाही गई हैं इस कारण समय लग रहा हैं।

प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों एवं जूनियर हाई-स्कूलों की भूमि से हुई आय

119—श्री विजय सिंह राणा—

क्या शिक्षा मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि विशेष सचिव, उ0 प्र0 शासन के पत्रांक 3200 ग/33-3-147 दिनांक 5 जून, 1976 के सन्दर्भ में प्रदेश में जो प्राइमरी व जूनियर हाई-स्कूलों के साथ जो भूमि सम्बद्ध हैं उससे होनें वाली आय जो जिला परिषद् के खाते में जमा हैं के सम्बन्ध में निर्णय लिया था कि विद्यालय भवन एवं भूमि से होनें वाली आय को जिला परिषदों के लेखा में अलग से विधिवत् जमा किया जाय ताकि यह धनराशि सम्बन्धित विद्यालयों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सुरक्षित रहे ? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या जिला परिषद् इस आय को सम्बन्धित विद्यालयों की आवश्यकताओं पर व्यय कर रही हैं अथवा नहीं ? यदि हां, तो यह कार्य कब से चल रहा हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही हैं प्रश्न में पूरे प्रदेश के बारे में सूचना चाही गयी हैं इस कारण समय लग रहा हैं।

लखनऊ के बेरोजगार बी0 टी0 सी0 अध्यापकों की संख्या

120—श्री शारदा प्रताप—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी हैं कि जनपद

लखनऊ में कितने बेरोजगार बी0 टी0 सी0 ट्रेण्ड अध्यापक हैं और उनमें से सरकार ने अभी तक कितने अध्यापकों को रोजगार प्रदान किया है ? रोजगार न मिलने वाले वाले अध्यापकों को सरकार कब तक रोजगार का अवसर प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्या उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्राविधान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है सूचना प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा गया था और इसके बाद तार तथा पत्र द्वारा स्मरण भी कराया गया है। शिक्षा निदेशक को निर्देश दे दिये गये हैं कि प्रश्न का उत्तर दायित्व निर्धारित करें और सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करें।

प्रदेश के प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापकों की संख्या

121—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापकों की संख्या क्या है ? क्या उन्हें तत्काल रोजगार देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है। सूचना प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा गया था और इसके बाद तार भी भेजा गया है।

बांदा, श्री कन्हैयालाल, ग्राम तिन्दवारा, को जिला परिषद बांदा द्वारा दिये गये ऋण में कथित जालसाजी

122—श्री देव कुमार यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम गटौंध, जिला बांदा के निवर्तमान इन्चार्ज (श्री सुदर्शन) के द्वारा स्नातक बेरोजगार युवक श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री भोला प्रसाद यादव निवासी ग्राम तिन्दवारा विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द जिला बांदा के साथ वर्ष 1980-81 के दौरान जालसाजी व धोखा-धड़ी करके ऋण एवं अनुदान में मिलने वाले रुपयों को गबन कर लिया है, जिसकी वसूली वर्ष 84 तहसील बांदा द्वारा किये जाने की सूचना के पश्चात् श्री यादव ने 7-6-84 एवं 4-4-84 को माननीय मुख्य मंत्री सहित अध्यक्ष खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ आदि को तत्काल वसूली रोकने आदि का शिकायती प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त धांधली से सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध कार्यवाही तथा कर्ज माफी के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सुरत उपाध्याय—

श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री भोला प्रसाद यादव को स्थानीय विकास योजना के अन्तर्गत जिला परिषद बांदा से रु0 5000/— का ऋण स्वीकृत हुआ था ? इसके भुगतान की प्राप्ति रसीद श्री कन्हैया लाल यादव से प्राप्त कर सुरक्षित रख ली गयी। श्री यादव को देय रु0 1666.67 के अनुदान का समायोजन भी जिला परिषद बांदा द्वारा कर लिया गया था। ऋण की शेष देय धनराशि की ही वसूली जिला परिषद द्वारा कराई जा रही है, अतएव ऋण माफ किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है। अभिलेखों में कोई जालसाजी, धोखाधड़ी या गबन किया जाना नहीं पाया गया। ऋण का यह मामला उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से सम्बन्धित नहीं है।

बांदा राजकीय बालिका इण्टर कालेज में व्यायाम शिक्षिका के पद की समाप्ति

123—श्री राम सजीवन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय बालिका इण्टर कालेज, बांदा से गत चार वर्षों से व्यायाम शिक्षिका का पद समाप्त कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि व्यायाम शिक्षिका जैसे तकनीकी पद पर किसी सामान्य विषय की नियुक्ति कर दी गई है ? यदि हां, तो सरकार ने सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

द्वितीय सत्र 1984 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित श्री अम्बिका सिंह तथा श्रीमती कमला साहनी, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0—9 के मूल उत्तर का संशोधन

मूल प्रश्न

9—क्या सरकार बतानें की कृपा करेगी कि ब्लाक प्रमुख उसका बाजार (बस्ती) के शिकायती पत्र के साथ सांसद श्री काजी जलील अब्बासी नें उस्का बाजार के बी0 डी0 ओ0 के विरुद्ध लखनऊ के किसी अधिकारी से जांच करानें हेतु दिनांक 10-2-1984 को कोई पत्र पंचायतराज मंत्री को दिया हैं ? यदि हां, तो उक्त शिकायती पत्र की जांच किस अधिकारी से करायी गयी और जांच रिपोर्ट क्या हैं तथा जांच के बाद उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ।

मूल उत्तर

9—ऐसा कोई शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ हैं ।

बलराम सिंह यादव,
ग्राम्य विकास मन्त्री ।

संशोधित उत्तर

जी हां, शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था, पर वह दिनांक 10-2-1983 का था और वह ग्राम्य विकास मन्त्री जी के 10-2-1984 के आदेशों से प्राप्त हुआ था । शिकायती पत्र में लगाए गये आरोपों की जांच अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, बस्ती तथा उप विकास आयुक्त, गोरखपुर द्वारा कराई गयी । इस क्षेत्र समिति उस्का बाजार के प्रमुख द्वारा, खण्ड विकास अधिकारी पर लगाए गये आरोप निराधार पाए गये ।

श्याम सूरत उपाध्याय,
मन्त्री,
ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज,,

भूतपूर्व सदस्य, श्री मोहम्मद उस्मान एवं श्री जंगबहादुर के निधन पर शोकोद्गार

(12 बजकर 20 मिनट)

*मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)—

श्रीमन्, मुझे बड़े दुख के साथ इस सदन के सम्मानित दो भूतपूर्व सदस्यों, श्री मोहम्मद उस्मान तथा श्री जंग बहादुर के निधन के बारे में सूचना देने के कार्य का निर्वहन करना पड़ रहा हैं ।

श्री मोहम्मद उस्मान एक प्रतिभाशाली एवं व्यक्तित्व के धनी थे । वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे । सहारनपुर में देवबन्द में उन्होंने अपनी प्रतिभा का सदुपयोग किया । वे देवबन्द नगरपालिका के चेयरमैन भी रहे तथा वे यू0 पी0 सी0 सी0 के 30 वर्षों तक सदस्य भी रहे । वे उर्दू, फारसी तथा अरबी के फाजिल थे, वे देवबन्द में अरबी भाषा के प्रवक्ता रहे । 1977 के सामान्य निर्वाचन में श्री मोहम्मद उस्मान पहली बार देवबन्द से चुनकर आये थे और इस सम्मानित सदन की उन्होंने 1980 तक सेवा की ।

मुझे एक लम्बे अरसे तक उनसे परिचित होने का सौभाग्य प्राप्त रहा । उनकी वाणी का वर्चस्व अरबी पर पूर्ण रूप से था दो-एक बार मुझे भी सम्मेलनों में उनकी वाणी का यह अधिकार देखने को मिला हैं । उनके निधन से साहित्य जगत को को क्षति हुई हैं ।

श्री जंग बहादुर जी वाराणसी जनपद के अत्यन्त सक्रिय नेताओं में से एक थे । वाराणसी में उन्होंने निर्बल वर्ग की, हरिजन वर्ग की सेवा की । वह वाराणसी मण्डल के सक्रिय कार्यकर्त्ता थे । इस कोटि के कार्यकर्त्ता के निधन से उस जनपद को बहुत क्षति हुई हैं । 1974 में पहली बार वे चुनकर इस सम्मानित सदन में आये थे ।

मेरा आपसे आग्रह हैं इन दोनों दिवंगत नेताओं के शोक संतप्त परिवारों में हम सभी की समवेदनाओं को आप पहुंचवाने का कष्ट करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन नें इस सदन के सम्मानित दो सदस्यों के निधन के सम्बन्ध में सूचना दी हैं उससे हम सब लोग दुखी हैं ।

*वक्ता नें भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मोहम्मद उस्मान खां के बारे में जैसा कि वे देवबन्द, सहारनपुर के रहने वाले थे। वर्ष 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार वे इस सदन में चुनकर आये थे। मेरी उनसे व्यक्तिगत रुप से भी जान पहचान थी। मोहम्मद उस्मान बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने 40 वर्षों तक लगातार अध्यापन कार्य किया। इसके साथ ही आजादी की लड़ाई में भी उन्होंने अपनी विशेष भूमिका अदा की। ऐसे नेता के निधन से हम सब लोगों को बहुत ही क्षति पहुंची है। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे दल की ओर से हमारी ओर से उनके परिवार तक हम लोगों की शोक समवेदनायें भिजवाने का कष्ट करें।

स्वर्गीय जंग बहादुर सिंह आजमगढ़ से चुनकर आये थे,, वह 1974 में भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर निर्वाचित होकर आये थे। वह मेरे साथी और सहयोगी थे और बड़े ही समाजसेवी थे। इसके साथ ही साथ उनकी कविता और संगीत में बहुत रुचि थी। उनकी मृत्यु से हम लोगों ने एक बहुत बड़ा समाज सेवी नेता खो दिया है, उससे हम लोग बहुत ही दुखी हैं। उनके परिवार तक हमारी और हमारे दल के सभी सदस्यों की ओर से शोक संवेदनायें भेजने की कृपा करें।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय नेता सदन तथा माननीय नेता विरोधी दल ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन्, मोहम्मद उस्मान जनता पार्टी के टिकट पर चुनकर आये थे और उनके साथ कार्य करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। वे उर्दू, फारसी और अरबी के प्रकाण्ड विद्वान थे। मान्यवर, स्वर्गीय जंग बहादुर जी वाराणसी मण्डल के एक बड़े समाजसेवी थे। उनकी बड़ी ख्याति थी, उनके निधन से इस प्रदेश को बड़ी क्षति हुई है। मैं प्रार्थना करूंगा कि दोनों महानुभावों के शोक सन्तप्त परिवार तक मेरे दल की ओर से मेरी ओर से शोक सम्वेदनायें प्रेषित करने का कष्ट करें। इस अवसर पर मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि निधन की सूचना बिलम्ब से भेजने के अपराधी जिला अधिकारियों की ओर शासन को ध्यान देना चाहिये। ढाई और 4 महीने बाद उनकी सूचना सदन को दी गयी है।

श्री कल्यान सिंह—

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और श्री स्वर्गीय उस्मान साहेब तथा जंग बहादुर के बारे में मैनेजर सिंह ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि शोक सम्वेदनायें उनके परिवार तक भेजने का कष्ट करें।

श्री मित्र सेन—

माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने स्वर्गीय उस्मान साहब तथा जंग बहादुर जी के बारे में जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने आप को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि शोक सन्तप्त परिवार तक मेरी श्रद्धाञ्जलि भेजने का कष्ट करें।

श्री कौशिक रमा शंकर—

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय नेताओं ने स्वर्गीय उस्मान साहेब तथा जंग बहादुर जी के बारे में जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी तथा मेरे दल की ओर से समवेदनाएं शोक संतप्त परिवार तक भेजने का कष्ट करें।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय नेताओं ने जो विचार स्वर्गीय उस्मान साहेब तथा जंग बहादुर जी के बारे में व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को तथा अपने निर्दलीय समुदाय से सम्बद्ध सदस्यों को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप श्रद्धाञ्जलि के पुष्प उनके शोक सन्तप्त परिवारों तक भेजने का कष्ट करें।

*श्री राम नरेश—

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने जो विचार स्वर्गीय उस्मान साहेब तथा जंग बहादुर जी के बारे में व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और चाहता हूं कि शोक संतप्त परिवार तक मेरी सम्वेदनायें भेज दी जायें। मान्यवर, उस्मान साहेब, जैसा कि माननीय नेता सदन ने कहा, वह स्वतंत्रता के सैनिक थे, वे फारसी, उर्दू, अरबी के प्रकाण्ड पंडित थे और 77 में जब चुनकर आये थे, उनका सान्निध्य प्राप्त हुआ और वे विधान सभा के अन्दर समय-समय पर जो अपने विचार रखा करते थे उससे सचमुच में उनकी भावनाओं का अच्छी तरह से प्रस्फुटन दिखाई पड़ता था। साथ ही साथ जंग बहादुर जी समाजवादी थे, वे वाराणसी में जन्मे थे लेकिन सम्पर्क आजमगढ़ से रहा और कई संस्थानों से उनका सम्बन्ध था, वह एक विद्यालय के प्रबन्धक भी थे। ऐसी सूरत में दोनों पूर्व सम्मानित सदस्यों के निधन से अपूर्णीय क्षति हुई है। हमारी शोक समवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, श्री मोहम्मद उस्मान साहब और जंग बहादुर जी के निधन के सम्बन्ध में जो उद्गार माननीय नेता सदन तथा अन्य विरोधी दल के नेताओं ने व्यक्त किये मैं अपने को, अपने दल को उनसे सम्बद्ध करते हुए अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हूं। मान्यवर, दोनों स्वर्गीय सदस्यों के साथ हमको भी इस सदन में बैठने का सौभाग्य मिला। उस्मान साहब के चेहरे से मान्यवर, विद्वता झलकती थी और मान्यवर, जंगबहादुर जी किसानों के सही प्रतिनिधि इस सदन में थे। उनके निधन से हमारे प्रदेश की राजनीति और सामाजिक जीवन में जो रिक्तता आयी है उसकी पूर्ति करना सम्भव नहीं है। मैं अपने को और अपने दल को, जो उद्गार माननीय नेता सदन ने और अन्य विरोधी दल के नेताओं ने व्यक्त किये हैं, आपसे आग्रह करता हूं कि हमारी समवेदना उनके परिवार तक भेजने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

मोहम्मद उस्मान साहब आज हमारे बीच में नहीं रहे। देव बन्द नगर पालिका के वर्षों तक वह चेयरमैन रहे। वह उर्दू, फारसी, अरबी के विद्वान थे और देवबन्द में आजकल वह पढ़ा रहे थे, एक सादी जिन्दगी गुजारने वाले व्यक्ति थे। कभी भी कोई अपनी फरियाद लेकर पहुंचता था, उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते थे इसी तरह से जंग बहादुर जी हमारे सदन के वरिष्ठ सदस्य थे। सेवा की भावना उनमें कूट-कूट कर भरी थी। आज यह दोनों महान हस्तियां हमारे बीच में नहीं रही। जो विचार नेता सदन, नेता विरोधीदल और अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपकी सम्वेदनाएं दोनों परिवारों को पहुंचायी जायेंगी। अब हम 2 मिनट मौन खड़े होकर, अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करेंगे।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिए मौन खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें।

मुजफ्फरनगर के कतिपय ग्रामों की बाढ़ से सुरक्षा व सहायता की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 301 के अन्तर्गत 20 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 9 सूचनायें स्वीकृत की गई हैं। जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकृत हुई हैं वे इस प्रकार हैं—श्री सईदुज्जमा, श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री राम आसरे वर्मा, श्री बालेश्वर, श्री इकबाल अहमद, श्री देव कुमार यादव, श्री सुखपाल पांडे, श्री अशोक बाजपेयी तथा श्री राजेन्द्र गुप्त। अगर इन्हें आप पढ़ना चाहें, तो पढ़ दें।

एक सदस्य—

इन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सइदुज्जमा—

[महोदय, निवेदन हैं कि मेरे जनपद मुजफ्फरनगर के क्षेत्र मोरना ब्लाक, पुरकाजी के गांरधनपुर खादर में भयंकर बाढ़ आयी हुई हैं जिससे इस क्षेत्र के निवासियों का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया हैं और लगभग 25 हजार व्यक्ति इस बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं मकान भी नष्ट हो गये हैं। इस वर्ष भीषण बाढ़ के कारण यह क्षेत्र जल मग्न हो गया हैं। करीब 64 गांव बुरी तरह प्रभावित हैं। हजारों लोगों की खेती-बारी नष्ट हो गई हैं। सोलानी नदी एक ऐसी दरिया हैं जिसमें हर वर्ष बाढ़ आती हैं और नहरों के कारण भी बाढ़ विभीषिका बढ़ जाती हैं। इसके अलावा करीब 4 रोज से इस क्षेत्र के दूसरे हिस्सों में गंगा का पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा हैं जिससे करीब दसों गांव गिध्याबालो, कलसयाव हुमनपुरी आदि ग्राम भयंकर रूप से प्रभावित हैं। हजारों मकान बिल्कुल नष्ट हो गये हैं तथा बुरी तरह से तबाही आयी हुई हैं। गांवों मे करीब 5 फुट पानी खड़ा हुआ हैं इस क्षेत्र के लोग बहुत ही पीड़ित और दुखी हैं। उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हैं। परन्तु सहायता कार्य एवं पुल व बांध के निर्माण की आवश्यकता हैं

अतः इस सूचना के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाकर आशा करता हूं कि इस क्षेत्र के लोगों के दुख निवारण हेतु शीघ्र कदम उठाये जायेंगे।]

लालगंज, रायबरेली में भूमिहीनों को बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित भूमि का सुधार एवं समतलीकरण कराने में हुए व्यय की भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कृषकों से जबरन वसूली किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

कुंवर बहादुर सिंह—

[महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान नियम 301 के तहत आकर्षित करते हुए तहसील लालगंज, जनपद रायबरेली में सैकड़ों भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, हरिजन व निर्बल वर्ग के लोगों को जो गांव समाज व सीलिंग की जमीन माननीया स्व0 प्रधान मंत्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत खेती करने के लिए आवंटित की गयी थी वह अत्यन्त खराब किस्म की ऊबड़-खाबड़ अनउपजाऊ जमीन थी। जिसको बाद में भूमि संरक्षण विभाग रायबरेली द्वारा सुधार व समतलीकरण किया गया इसके एवज में जमीन को सुधारने व समतलीकरण कराने में जो पैसा खर्च हुआ हैं वह उक्त कृषकों से जबरन तहसील के माध्यम से नोटिस निर्गत करके वसूला जा रहा हैं। तथा उनके साथ उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही हैं। जब कि वसूली की रकम उक्त जमीनों की कीमतों से बहुत ही अधिक तथा उत्पीड़न कार्यवाही से उक्त कृषकों में हैं। अनउपजाऊ जमीन का आवंटन करने से तथा वहां की जनता में असन्तोष की भावना पैदा हो गयी हैं और अब यह कृषक आवंटित जमीन को सरकार को वापस करने को तैयार हो गये हैं। शासन की नीति के अनुसार अगर सरकार निर्धन मजदूरों एवं हरिजन को खेती के लिए निःशुल्क जमीन दे रही हैं तो उसके सुधार की जिम्मेदारी भी सरकार का ही कर्तव्य बनता हैं। अतः भूमि के समतलीकरण व भूमि सुधार पर जो भी खर्चा आता हैं वह सरकार को ही स्वयं वहन करना चाहिए। यदि ऐसा न किया गया तो यह स्पष्ट हैं कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर हैं तथा साथ ही साथ गरीब भूमिहीन खेतिहर बेरोजगार लोगों का लोकतांत्रिक व कल्याणकारी सरकार पर से विश्वास उठ जायेगा।

अतः इसको लोक महत्व का विषय मानते हुए तथा उक्त सैकड़ों निर्धन मजदूरों एवं भूमिहीन हरिजनों को नाजायज वसूली के भार से मुक्त कराते हुए उन्हें अपने परिवार के साथ जीवन चलाने के उनके अधिकार को सुरक्षित करें तथा सरकार को शीघ्र निर्णय व न्याय दिये जाने को निर्देशित करें तथा कृत कार्यवाही से मुझे भी अवगत करा दें।]

नोट :—[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अध्यक्ष ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गंगा नदी की बाढ़ से जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम के कतिपय गांवों का कटाव उनके पुनर्वास एवं सहायता के संबंध में नियम 301 **के अन्तर्गत सूचना**

श्री राम आसरे वर्मा—

[मान्यवर, जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में गंगा नदी की बाढ़ से जन-जीवन अस्तव्यस्त हो गया है। शेखनपुरवा, चौधीपुरवा, बछौहिया दनई पुरवा आदि कई गांव कट कर ध्वस्त हो गये हैं। चिरंजू पुरवा तथा कुछ अन्य गांव कटान पर हैं।

इन कटे हुए गांवों को पुनर्वासित करने की तत्काल आवश्यकता आ पड़ी है। सहायता के लिए भी नजर उठाये बैठे हैं।

सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए पुनर्वास एवं सहायता की शासन से मांग करता हूं।]

अकबरपुर, देवरिया जिले में विषाक्त जलेबी **खिलाने से बच्चों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री बालेश्वर—

[महोदय, मैं आपका ध्यान एम अकबरपुर थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद देवरिया की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि दिनांक 23-8-85 को दिन के दो बजे अकबरपुर के एक गरीब नोनिया के दरवाजे पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा सस्ती विषाक्त जलेबी के खाने से चार मासूम बच्चों की दर्दनाक मृत्यु हो गयी है साथ ही पांच बच्चे जीवन की लीला से जूझ रहे हैं और मृत्यु की शैय्या पर पड़े हुए हैं। डाक्टरों द्वारा उन बच्चों की जान बचा ली गयी है किन्तु दुःख है कि इस अज्ञात व्यक्ति के बारे में कोई भी छानबीन शासन द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस कांड से समूचे जनपद देवरिया में भय व आतंक तथा रोष व्याप्त हो गया है। लिहाजा मैं माननीय सदन व सरकार का ध्यान उपरोक्त गंभीर विषय की ओर आकर्षित करते हुए मामले की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करायी जाय। और दोषी को उचित दण्ड दिलाने की भी व्यवस्था की जाय।]

हैण्डलूम कारपोरेशन, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ में व्याप्त भ्रष्टाचार से पीड़ित बुनकरों को राहत दिलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री इकबाल अहमद—

[माननीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से मैं अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

मऊनाथ भंजन में स्थित हैण्डलूम कारपोरेशन से जनपद आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया के लगभग 50 हजार बुनकरों का सम्बन्ध है, शुरू के दिनों में कारपोरेशन बड़े पैमाने पर कन्ट्रोल क्लाथ की साड़ियां, धोतियां तैयार कराता था जिससे गरीब बुनकरों को राहत थी। इधर कारपोरेशन की रुचि नान-कन्ट्रोल की तरफ अधिक है। श्री के0 एस0 यादव गरीब बुनकरों से साफ-साफ कहते हैं कि मैं यहां के बुनकरों से भीख मंगवा कर छोड़ूंगा। श्री यादव के रवैये से वहां का बुनकर तबाह होता चला जा रहा है। नान-कन्ट्रोल की साड़ियां जो कारपोरेशन के अनुमति से बुनकरों ने तैयार किया है वह आज भी बुनकरों के घरों में भरी पड़ी हैं। कारपोरेशन के अधिकारी खरीदी नहीं कर रहे हैं। जिसकी वजह से गरीब बुनकरों के सामने भुखमरी के जैसी स्थिति आ गयी है।

अतएव मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अत्यन्त गंभीर विषय की ओर आकृष्ट करके यह चाहूंगा कि इस गंभीर समस्या के निदान हेतु सरकार तत्काल प्रभावी कदम उठाये।]

जनपद बांदा के अपर न्यायाधीश श्री डी0 आर0 सिंह द्वारा अपने अधीनस्थ एक लिपिक को अदालत में गालियां देने के विरुद्ध में जनपद के राज्य कर्मचारियों में क्षोभ के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री देव कुमार यादव—

[मान्यवर, बताया जाता है कि दिनांक 20 अगस्त, 85 ई0 को बांदा के अपर न्यायाधीश श्री डी0 आर0 सिंह ने अपने अधीनस्थ एक

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

लिपिक को खुली अदालत में अश्लील गालियां दी जिसके विरोध में विभाग के उच्च अधिकारियों को कर्मचारी संघ ने लिखित शिकायत करते हुए श्री सिंह के तत्काल स्थानान्तरण की मांग की। इसके पहले भी श्री सिंह द्वारा कई बार ऐसी ही हरकतें की जा चुकी हैं। माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा कर्मचारी संघ को 25-8-85 ई0 तक श्री सिंह के विरुद्ध कार्यवाही का आश्वासन दिया गया था लेकिन उक्त आश्वासन पूरी न किये जाने पर 25-8-85 ई0 से उत्तर प्रदेश दीवानी कर्मचारी संघ की बांदा शाखा द्वारा श्री सिंह के स्थानान्तरण की एक सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी गयी है। इसके कारण पूरे जनपद की फौजदारी एवं दीवानी अदालतों का काम पूरी तरह ठप्प हो गया है और न्याय व्यवस्था पंगु हो गयी है। इस संघ की मांग के समर्थन में जनपद के अन्य कर्मचारी संघों ने भी हड़ताल पर जाने की घोषणायें कर दी हैं। यह हड़ताल प्रदेश व्यापीरूप धारण कर सकती है। स्थिति तनावपूर्ण है। जनता और कर्मचारियों का असन्तोष उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है जिसके कारण कोई संगीन घटना घट सकती है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।]

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन लखनऊ द्वारा विषाक्त एवं तेजाबी लेवी चीनी का टेण्डर मांगे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सखपाल पाण्डे—

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान दिनांक 24-8-85 को उ0 प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन, लखनऊ द्वारा 88,333 मीटरी टन क्षतिग्रस्त लेवी चीनी के लिए गये टेन्डर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। उक्त तिथि में चीनी का टेन्डर फेडरेशन द्वारा किया गया है, उसमें 42 कन्तल चीनी 32-स्टेशन रोड, लखनऊ एवं 441 कन्तल चीनी आलमबाग स्थित गोदामों में रखी हुई है। 32 स्टेशन रोड, लखनऊ की गोदाम में रखी हुयी चीनी तेजाब खायी हुई तथा विषैले कीड़ों सहित चीनी है जो कि पूर्णतया विषाक्त हो चुकी है। उक्त चीनी का टेन्डर फेडरेशन द्वारा जनहित को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है।

अतः उक्त चीनी का परीक्षण चीनी विशेषज्ञ द्वारा के उपरान्त भी खुले बाजार में किसी के हाथों बेचा जाय अन्यथा लखनऊ में भी भोपाल काण्ड की पुनरावृत्ति हो सकती है। साथ ही साथ जिन अधिकारियों द्वारा ऐसी चीनी का टेन्डर 24-8-85 को लखनऊ में किया गया है उनके विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही करने की कृपा करें एवं उक्त तिथि में किये गये टेन्डर को रद्द करने के आदेश जारी करें।]

लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं घोटाले की जांच कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशोक बाजपेयी—

[मान्यवर, लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग में सम्भागीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन और ग्राम्य प्रशासन शोधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशासन एवं वित्त से सम्बन्धित विषयों पर जांच के लिए शिक्षा विभाग द्वारा 5 सितम्बर, 1983 को एक जांच आयोग का गठन किया गया जांच आयोग इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश श्री प्रेम प्रकाश के नेतृत्व में गठित किया गया परन्तु उन्हें स्टाफ इत्यादि न देकर उत्पीड़ित किया गया ताकि यह निष्पक्ष जांच न कर सके। अतः 31 मार्च 1984 को उन्हें हटाकर सेवा निवृत्त न्यायाधीश श्री एस0 के0 कौल को नियुक्त किया गया। अधिकारियों की बड़ी फौज उनके सहयोग के लिए नियुक्त की गयी परन्तु आज तक आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। शासन का आयोग का कार्यकाल लगातार 5 बार बढ़ाया है। इस आयोग पर 70 हजार रुपये प्रतिमाह का व्यय भार आता है। इस प्रकार पूरे प्रशासन विभाग का कार्य ठप्प पड़ा है जिससे कि विश्व

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में अपना विशेष महत्व रखने वाली संस्था राजनैतिक कुचक्र का शिकार बनी हुई है। सत्ता दल के राजनीतिज्ञों का कोपभाजन बनने के कारण पूरा विभाग बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। इससे प्रदेश के लोगों में क्षोभ और चिन्ता व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना अपना दायित्व समझता हूं कि जांच आयोग में तुरन्त जांच रिपोर्ट प्राप्त करने का काम करें अथवा लगातार अवधि बढ़ाकर प्रदेश पर वित्तीय भार बढ़ाया जाये तथा अनिश्चितता की स्थिति समाप्त की जाये।]

शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों के पाठ्य पुस्तकों में लखनऊ के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप की उपेक्षा किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

[मान्यवर, शिक्षा विभाग द्वारा लखनऊ के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप को विकृत कर पाठकों को भ्रमित किया जा रहा है। राजकीय प्रकाशन, शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित शिक्षा निदेशक द्वारा सम्पादित 'सांस्कृत-सबोध:' द्वितीय भाग विभाषा सत्रानुसार एक जूनियर हाईस्कूल कक्षा 7 में संस्कृत के छात्रों की अनिवार्य पाठ्य पुस्तक है उसमें चौथा पाठ "लखनऊ नगरम" में लखनऊ का वर्णन करते हुए मात्र रैजीडेंसी, इमामबाड़ा, विश्वविद्यालय तथा सचिवालय की चर्चा की गयी है। भगवान लक्ष्मण द्वारा बसाये गये इस नगर को प्राचीन काल में "लक्ष्मणपुरम" कहा जाता था यह वाक्य पाठ के अन्त में लिखा गया है। लखनऊ का सही ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व उजागर करने के लिए उचित था कि लक्ष्मण नगरम" की चर्चा से पाठ का प्रारम्भ होता और प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्थानों की भी चर्चा होती। मात्र इन स्थलों की चर्चा से यह एक आधुनिक नगर बन कर रह गया है और प्राचीन काल से निरन्तरता समाप्त होकर इसका ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप दब गया है। इससे जनता में शासन के प्रति असंतोष पैदा हुआ है।

लोकमहत्व का सुनिश्चित विषय सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि शासन द्वारा इस प्रकार के ऐतिहासिक नगरों का चित्रण सही परिप्रेक्ष्य में संशोधित कराकर मुद्रित कराया जाये।]

समाचार पत्रों में प्रकाशित उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को बदलने संबंधी तथ्यों से जनता में भ्रम फैलने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राम सरन—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज उत्तर प्रदेश की 12 करोड़ जनता में एक ऐसा भ्रम पैदा हो गया है और कल से आज तक सारी गलियों में, सड़कों में यह चर्चा है कि हमारे मुख्य मंत्री जी श्री नारायण दत्त तिवारी जी हमें छोड़कर यहां से जा रहे हैं और उनकी जगह श्री नरेन्द्र सिंह जी यहां आ रहे हैं। अखबारों में भी इस बात की चर्चा है हमने इसे कल भी पढ़ा और आज भी पढ़ा। नरेन्द्र सिंह जी मनीला से बुलाये गये हैं प्रधान मंत्री के हुक्म से। मान्यवर, यही नहीं बड़े अफसरों के पास जब हम कई मुद्दों पर बात करने गये तो उन्होंने कहा कि दौरिये क्या होता है। नई कैबिनेट बनने वाली है। मान्यवर, दौरियें कुछ मंत्रियों के चेहरे लटक रहे हैं। आप स्वयं देख सकते हैं दो-चार के चेहरे तो मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा मुख्य मंत्री जी आज कम मुस्करा रहे हैं। सुबह एक दफे मुस्कराये थे और अब थोड़े से मुस्करा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुख्य मंत्री जी स्पष्ट कर दें कि यहां पर प्रशासन जो ठप सा पड़ गया है, फाइलों में काम नहीं हो रहा है। वे यहां पर मौजूद हैं कृपया से बता दें कि यहां पर रहेंगे या दिल्ली जायेंगे। इसके बारे में प्रदेश की 12 करोड़ जनता के सामने स्थिति बता दें।

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष—

अभी तो फिलहाल यहीं हैं ।

श्री राम सरन—

मुख्य मंत्री जी से स्पष्टीकरण दिलवा दें । श्रीमन्, आपके सम्बन्ध में भी आया है कि आपको मंत्री बना देंगे अध्यक्ष नहीं रहेंगे, संसदीय कार्य मंत्री जी को मंत्री बना देंगे । मान्यवर, इसीलिये नरेन्द्र सिंह जी को सदीसा से बुलाया गया है . . .

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हाकम सिंह)—

मान्यवर, इनके चेहरे में भी रौनक है ।

श्री राम सरन—

मान्यवर, प्रदेश को 12 करोड़ जनता इस समाचार से भीमित है । साथ प्रशासन ठप्प है तो वे स्थिति बता दें ।

मुख्यमंत्री (श्री नारायन दत्त)—

श्रीमन्, मैं बड़ा आभारी हूं अपने सम्मानित नेता लोक दल का, उनकी बड़ी कृपा है और वे जिज्ञासा रखते हैं । वे मेरे भाई हैं उनकी मेरे प्रति सद्भावना रहती है । तो जिस पद पर मैं हूं उस तक आशीर्वाद साधन का ध्येय, मैं यही ग्रहण करूं । मैं दिल्ली गया था, जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है दिल्ली में अन्य एजेंसियों की और अन्य मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी अन्यान्यों के साथ-साथ मैं भी उस बैठक तक चला गया विषय पर बातें हुईं और जाती बार्ता के लिये मैं वहां रुका था । अगर यह दिल्ली समाचार पत्र में निकला है तो वह सत्य और संभवतः से बिलकुल परे है ।

(श्री शतरुद्र प्रकाश के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप क्या नियम 300 के अन्तर्गत बोलना चाहते हैं ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

जो मैंने लिखकर दिया है, वह कौन से नियम में दिया है . . .

श्री अध्यक्ष—

मान लिया है । यह मैंने आपको लिखित भी

श्री शतरुद्र प्रकाश—

जी हां ।

श्री अध्यक्ष—

इस पर आपने कोई नियम नहीं लिखा । बिना नियम के आप बोलना चाहते हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

अगर नियम नहीं लिखा हो . . . .

श्री अध्यक्ष—

वह 300 के अन्तर्गत था । उस पर मैं अभी आता हूं ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मैंने 300 में दिया है ।

श्री अध्यक्ष—

अगर कोई व्यवस्था का प्रश्न है तब तो ठीक है । 300 पर मैं अभी आ रहा हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

नियम 301 के संबंध में . . . .

श्री अध्यक्ष—

नियम 300 पर मैं आ रहा हूं आप सब्र करें ।

नियम 301 की सूचनाओं के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, आपने जो नियम 301 में सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया उसके बारे में व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

वह जो आपने नियम 300 के अन्तर्गत सूचना दी है क्या उसके बारे में कुछ कहना है ?

श्री राम आसरे वर्मा—

नियम 300 की सूचना अलग है और यह नियम 301 की सूचना पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं जिनको आपने पढ़ा हुआ वह हिट लिस्ट वाला ?

दिया है ।

श्री अध्यक्ष—

आपको क्या कहना है ?

श्री राम आसरे वर्मा—

व्यवस्था यह की गयी है कि जो सूचनाएं नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकार की जांय उनका जवाब एक महीने के अन्दर मिल जाना चाहिये और एक सप्ताह के अन्दर इंटरिम रिप्लाई आ जाना चाहिये । यहां पर पूरे सदन में एक मसला उठा था मैं आभारी हूं माननीय मुख्य मंत्री जी का जिन्होंने कृपा पूर्वक घोषणा की थी कंटोरी देवी के संबंध में और कहा था कि यह कृपा की पात्र हैं, उसे देखेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय वर्मा जी आपने नियम 300 के अन्तर्गत सूचना भी दी है आप कृपा कर बैठें (व्यवधान) ।

विधान सभा के उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मैनेजर सिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपने इस सदन में घोषणा की थी उपाध्यक्ष के चुनाव के संबंध में ।

श्री अध्यक्ष—

मैं करूंगा । उस पर मैं आऊंगा ।

दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंके जाने की घटना

[नहीं लावी की तरफ दर्शक दीर्घा से अस्पष्ट नारों की आवाज आने तथा पर्चे फेंके जाने पर]

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, अपर से यह पर्चे जो आये हैं उनको सामने लाया जाना चाहिये ।

नियम 301 की सूचनाओं के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है नियम 301 के संबंध में । लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रशासन विभाग में जांच के संबंध में मैंने 301 में सूचना दी थी ।

श्री अध्यक्ष—

वह पढ़ा हुआ मान लिया गया है ।

श्री अशोक बाजपेयी—

उस पर मैं व्यवस्था चाहता हूं । 5 बार समय बढ़ाया जा चुका है । माननीय शिक्षा मंत्री बैठे हैं स्थिति स्पष्ट करा दें ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मेरी बात खत्म नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष—

आपने 301 पर दिया है और फिर वही 300 के अन्तर्गत उठाया है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

नियम 300 के अन्तर्गत दूसरा मुद्दा लिया है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इसकी मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । नियम 300 को जब मैं लूंगा तब आप अपनी बात कहें ।

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, आपने नियम 301 में मेरी सूचना को स्वीकार करने की कृपा की है ।

श्री अध्यक्ष—

वह पढ़ा हुआ मान लिया गया है

श्री देव कुमार यादव—

[X X X]

श्री अध्यक्ष—

कोई शब्द नहीं लिखा जायेगा जो आप बोल रहे हैं । आप कृपा करके बैठें । (व्यवधान) नियम 301 में आपने उठाया, मैंने उसे स्वीकार किया । (व्यवधान) आप कृपा कर बैठें ।

नोटः [***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

बजट सत्र के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा सदस्यों को दिये गये उपहारों ब्रीफ़केस के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 300 के अन्तर्गत 9 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। उनमें श्री राम आसरे वर्मा, श्री हृदय नारायण दीक्षित, श्री सुखपाल पाण्डे, इन तीनों सूचनाओं को, मैंने अस्वीकार किया है।

श्री राम आसरे वर्मा ने जो मुद्दा उठाया है उसमें उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि वह कौन सा मुद्दा उठाना चाहते हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा

मान्यवर, नियम 300 के अन्तर्गत जो मुद्दा उठाया है आपकी आज्ञा से मैं कहना चाहता हूं कि बजट सत्र के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा जो उपहार बांटे गये हैं उसकी पूरे प्रदेश में चर्चा तो हो ही रही है और एक मखौल जैसा बन गया है। चर्चा के साथ ही साथ खर्च भी बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने तो ऐसा तमाशा यह किया है कि ब्रीफ केस मंगवाये और कुछ माननीय सदस्यों को दिये गये और उनकी आशा चले गये, इसलिये कुछ लोगों को मिले और कुछ को नहीं। विभिन्न विभागों द्वारा जैसे स्वास्थ्य विभाग के अलावा कृषि विभाग द्वारा ब्रीफकेस बांटे गये, विधायकों में होड़ लग गयी और उनकी बात छोड़ें उनके घरों पर दूसरे लोगों की होड़ लग गयी। पूरा सदन जानकारी चाहता है कि आखिर यह जो विभिन्न विभागों की तरफ से बैग या ब्रीफ केस पर खर्चा किया गया, और वह भी अनुमानित, तो कितने ब्रीफ केस आये, कितना पैसा खर्च किया गया। चूंकि यह पैसा प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का है, इसलिये इस पर आप अपनी व्यवस्था दें वरना हम लोग अपने अधिकार से वंचित रह जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय वर्मा जी पहली सूचना आपकी इसी संबंध में थी और मैं उस पर निर्णय दे चुका हूं कि अस्वीकार किया। आपने दुबारा उठाया तो दुबारा भी अस्वीकार किया।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं . . .।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो उठाया है, उस पर मैं निर्णय दे चुका हूं, उसको आप देख लें।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मैं निर्णय पर नहीं कहने जा रहा हूं। मेरे पास जो और सूचनायें और रेकार्डस उनको मैं देना चाहता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने जो मुद्दा आज उठाया है नियम 300 में और एक व्यवस्था का प्रश्न लिखकर दिया था। यह दोनों अलग-अलग हैं। व्यवस्था का प्रश्न अलग है। नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न उठाया जाता है।

तो मान्यवर, आप स्वयं हमारी दोनों सूचनाओं को देख लें। उसमें एक व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति चाही थी। गुनाह मेरा यह हो गया कि मैंने अनुमति चाहने के लिए लिखकर भेज दिया, वह व्यवस्था का प्रश्न था। जो दूसरा उपहारों के बारे में दिया था, वह मैंने नियम 300 में औचित्य के प्रश्न के रूप में दिया था। आप हमारे दोनों प्रश्नों के बारे में एक-एक कर इन्कार कर रहे हैं। इससे तो मुझे यह डर लगने लगा है कि कहीं आप राम आसरे वर्मा ही इन्कार न करने लगें। मान्यवर, इसमें परिवर्तन होने चाहिए। दोनों सूचनाएं आपके सामने हैं, आप दोनों देख लें . . . .

श्री अध्यक्ष—

पहली और चौथी सूचनायें आपकी थीं ब्रीफ केस आदि बांटने के सम्बन्ध में थी और मैं निर्णय दे चुका हूं कि यह नियम 300 में नहीं आता है।

रजा लायब्रेरी रामपुर में पुस्तकों की चोरी होने से संबंधित उठाये गए कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर श्री अध्यक्ष के निर्णय के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री मुहम्मद आजम खां—

मैंने जो सूचना दी थी, उसके बारे में आपने

यह फरमाया था कि चूंकि इसका सम्बन्ध सेन्टर से हैं, इसलिए हमारी विधान सभा में यह नहीं आ सकता। उस समय मेरे मुंह से यह लफ्ज निकल गया था कि यह मसला पार्लियामेंन्ट में भी आ चुका हैं लिहाजा उसे पकड़ लिया जाय इस लाइब्रेरी की जो अहमियत हैं, उसकी पर्दापोशी नहीं की जा सकती। उसकी अहमियत का सही/अंदाजा लगाने के लिये मेरे पास यहां बेशुमार फोटोस्टेट कापियों के शकल में मौजूद हैं वहां का कीमती लिटरेचर खुर्द बुर्द किया जा रहा हैं। मैंने इस लाइब्रेरी जिसका जिक्र 23 तारीख को किया था, जिसके बारे में मेरा आरोप था कि सरकार उसे बरबाद करना चाहती हैं। सन् 67 में वहां के एक किताब की कीमत एक अम्बेसडर ने जिसका नाम यहां लेने की जरूरत नहीं हैं ने 2 करोड़ रुपया लगाया था। इसी एक किताब से इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता हैं और इस तरह से उसमें सैंकड़ों खरबों की किताबें होंगी पार्लियामेन्ट का जो शब्द मेरे मुंह से निकल गया उसको पकड़ कर आपको एक हुक्म आ गया, लेकिन इसमें दो अहम मुद्दे हैं, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह लाइब्रेरी रामपुर में हैं और रामपुर उत्तर प्रदेश में हैं उसकी एक कमेटी हैं जिसे बोर्ड आफ डायरेक्टर्स कहा जाता हैं में सात मेम्बर इस प्रदेश के और 5 सेन्टर के मेम्बर हैं। गवर्नर चेयरमैन होते हैं और एक कमिश्नर, मुरादाबाद, एकाउन्टेन्ट जनरल शिक्षा सचिव एक शाही खानदान का शख्स, एक शिक्षा सचिव उ0प्र0 और जुल्फिकार अली जो इस समय कांग्रेस (इ) से मेम्बर पालियामेन्ट हैं। यू0पी0 के उसमें सात मेम्बर मैंजारिटी में हैं और पांच मैम्बर माइनारिटी वाले सेन्टर से उसमें नामजद किये जाते हैं। मैं उस दिन जिन भी पूरी तरह से यहां नहीं रख सका और आज भी पूरी तरह नहीं रख पाऊंगा वक्त की कमी के संबंध क्योंकि जो हमारे पास रिकार्ड हैं और जो पूरी बातें आनी चाहिए, उसके लिए हमारे पास समय नहीं हैं। मेरे पास अपनी पूरी बात साबित करने का पूरा रिकार्ड मौजूद हैं। 18 जनवरी, को सेन्ट्रल बोर्ड की मीटिंग में एक रिज्यूलूशन पास हुआ था—अंग्रेजी में वहां पर सारे रिज्यूलूशन पास होते हैं वह मेरे पास हैं, उसका तर्जुमा इस तरह हैं कि इसका आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी जो अगर कभी होगा, वह परिशियन, अरबी और उर्दू का जानने वाला होगा। न सिर्फ इन जबानों का जानने वाला बल्कि वह उसका स्कालर भी होगा साथ ही लाइब्रेरी का जानकार भी होगा। लेकिन मुझे निहायत अफसोस हैं कि ऐसी लाइब्रेरी जहां सिर्फ रिसर्च वर्क होता हैं, पर एक ऐसा आदमी लाद दिया गया हैं जो इन भाषाओं की किताबों का नाम तक पढ़ नहीं सकता। वह बिलकुल नान-टेक्निकल हैं वहां की किताब से बिलकुल नावाकिफ हैं, बूढ़ा रिटायर्ड आई0 ए0 एस0 आदमी हैं और जो अपनी जिन्दगी से थक चुका हैं। उनके रहते लाइब्रेरी के लिटरेचर का भारी नुकसान हो रहा हैं, स्कालर्स का भारी नुकसान हो रहा हैं, वह ठप हो गई हैं, जिससे पढ़ाई और रिसर्च का काम बिलकुल रुका हुआ हैं आई0 ए0 एस0 लाबी हावी हैं। मेरे पास पुलिस रिपोर्ट की कापियां फोटोस्टेट की हुई हैं। ऐसी कीमती लाइब्रेरी की अलमारियां 3 बार खुली पाई गई हैं। इसकी रिपोर्ट पुलिस में की गई, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से की गई और यहां के गवर्नर से की गई थी, किन्तु इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

मेरा मान्यवर, कहना यह हैं कि आपकी तरफ से यह आदेश हो गया कि यह पार्लियामेन्ट का इश्यू हैं, यहां पर डिस्कशन नहीं हो सकता। मेरा निवेदन हैं कि हमारी सरकार 48,000 रु0 सालाना मदद देती हैं, गवर्नर महोदय इसके चेयरमैन हैं बोर्ड में सात मेम्बर उत्तर प्रदेश के हैं ऐसी सूरत में मैं चाहता हूं कि 5 सदस्यों की एक कमेटी बने जो आपकी अध्यक्षता में हो और पूरे मामले की जांच करे। ऐसी लाइब्रेरी गवर्नर जिसके अध्यक्ष हों, उसमें खुर्द-बुर्द हुआ हैं, यह पता लगाना हैं, इसका रिसर्च वर्क कब तक रुका रहेगा, किताबें क्यों नहीं इशू होंगी, आफीसर आन स्पेशल ड्यूटी को कब हटाया जायगा? इस सिलसिले में मैं चाहता हूं कि 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाय, जिसके आप अध्यक्ष हों, जो दो महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट पेश करे।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसका निर्णय दे चुका हूं और यह नियम 300 के अन्तर्गत आता नहीं है। इसीलिए मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

छठी सूचना है माननीय राजेन्द्र गुप्त की बाढ़ के बारे में और सातवीं सूचना भी माननीय राजेन्द्र गुप्त की है।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, जो मैंने सूचना दी है यह नियम 56 से बिलकुल अलग है।

श्री अध्यक्ष—

राज्यपाल के आचरण पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। मैं निर्णय दे चुका हूं। आप बैठिये।

श्री मुहम्मद आजम खां—

[***]।

श्री अध्यक्ष—

आपकी कोई बात नहीं लिखी जायगी। आप कृपया बैठें।

दिल्ली में हुए शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में नई शिक्षा नीति के प्रारूप के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, अभी पिछले दिनों 29 व 30 तारीख को दिल्ली में हिन्दुस्तान के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें हमारे शिक्षा मंत्री ने भी भाग लिया। वहां पर जो प्रधान मंत्री द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की जा रही है, उसका प्रारूप तैयार हुआ। यह भी जानकारी हुई कि कुछ मुद्दों पर शिक्षा मंत्री ने अपनी सहमति भी प्रदान कर दी है। सभी प्रदेशों में चर्चा हुई। उसमें प्रदेश सरकार की सहमति जानी चाहिए। माननीय शिक्षा मन्त्री ने दिल्ली में वहां पर सम्मेलन में भाग लिया और आज सदन बैठा हुआ है, शिक्षा मंत्री अभी उठकर चले गये। नई शिक्षा नीति का प्रारूप क्या तय हो रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री ने भाग लेकर क्या तय किया? यह तीन-चार दिन के बाद सदन स्थगित हो रहा है। मान्यवर, 15 नवम्बर तक दुबारा सदन आहूत नहीं होना है। आखिर वह कौन सा मौका होगा, जिसमें माननीय सदन के सदस्य अपनी सहमति और अपनी जो समालोचना है, वह कर सकेंगे? इधर के और उधर के माननीय सदस्यों में कोई विवाद नहीं है। नई शिक्षा नीति की आवश्यकता है, इसीलिए आवश्यक है, हमारी रुचि है कि उस पर सम्यक विचार होना चाहिए। हम सबकी सहमति के साथ नई शिक्षा नीति बने, जिसमें हमारे भावी पीढ़ी का भविष्य जुड़ा हुआ है। माननीय शिक्षा मंत्री आ गये हैं, मैं चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री सदन में जानकारी दें कि उनकी वहां पर क्या बात हुई और यह तीन बातें मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं। यह औचित्य का प्रश्न इसलिए बनता है कि यह पूरे सदन की जिज्ञासा से सम्बन्धित है। अभी विगत दिनों मुख्य मंत्री जी ने विश्व बैंक के अध्यक्ष से चर्चा की थी, उन्होंने उसका विवरण दिया था जब माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने उस सम्बन्ध में प्रश्न उठाया था। इसलिए मैं समझता हूं कि विषय चर्चा में आना चाहिए था। इसलिए मैंने इसको औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाने की चेष्ठा की।

श्री अध्यक्ष—

माननीय शिक्षा मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं।

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)—

मान्यवर, नयी शिक्षा नीति के बारे में माननीय सदस्य ने जो अपनी दिलचस्पी का इजहार किया है हम उसका स्वागत करते हैं। केन्द्रीय सरकार ने इस शिक्षा नीति की चर्चा शुरू की है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछली 29/30 तारीख को जो निर्णय लिया था, शिक्षा मंत्रियों को सम्बोधित करते हुए तो उस शिक्षा नीति पर जनता के हर स्तर के ऊपर बातचीत होनी चाहिए और उसके बाद एक

नोट— [***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निष्कर्ष निकालने के बाद हम पुनः दिल्ली में बैठेंगे और नीति के ऊपर बहस मुबाहिसा करने के बाद, राय मशिवरा करने के बाद उस पर निर्णय लिया जायगा। अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पूरे देश में इस पर विचार शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश इसमें पिछड़ेगा नहीं। निश्चय ही सारे देश के लोगों की आकांक्षा नई शिक्षा नीति से जुड़ी है हम प्रयास करेंगे कि उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके।

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

माननीय, नयी शिक्षा नीति का प्रारूप क्या होगा, इसकी जानकारी कब मिलेगी। माननीय सदस्यों को इस पर चर्चा करने का मौका कब मिलेगा। माननीय नेता सदन बैठे हैं। 5 तारीख को सदन की बैठक समाप्त हो जायगी फिर नवम्बर तक मौका है नहीं। है, कैसे, इस सदन में चर्चा होगी यह बात माननीय नेता सदन के मुख से जानना आवश्यक है। इसमें लम्बे चौड़े मतभेद का सवाल नहीं है। लेकिन यह हो सकता है, उस प्रारूप को देख कर हो सकता है कुछ बातों से हम सहमत न हों राष्ट्रीय हित में कोई ऐसी बात हो जिससे हम प्रधानमंत्री से सहमत न हों, इसलिए इस पर बहस की आवश्यकता है। माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। जनता से उनका सम्बन्ध है, जनता की क्या भावनायें हैं, क्या आकांक्षा है और क्या आवश्यकता है, क्या रुचि है वह यहां पर मुखरित हो, इसलिए इस पर बहस होने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष—

शिक्षा मंत्री जी इस पर कह चुके हैं।

श्री सतरूद्र प्रकाश—

मान्यवर, 6 तारीख को इस पर बहस हो जाय।

श्री मिश्रे रजी—

मान्यवर, इस परिप्रेक्ष्य में, जैसी शिक्षा नीति आ रही है उसके बारे में 19 अगस्त को पूरे देश के स्तर पर प्रारूप की घोषणा कर दी गयी है। माननीय सदस्य को उसको में अपने स्तर से और निदेशालय के स्तर से पेश करने का भरसक प्रयत्न करूंगा।

श्री विजय सिंह राणा—

क्या यह सच है कि माननीय राजीव गांधी हाई स्कूल पास नहीं हैं?

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, इसी नीति के सम्बन्ध में हमारा एक सवाल था। आपने जवाब दिया कि इस तरह की कोई बात नहीं है। हाउस में दूसरी बात कह रहे हैं कि 19 तारीख को घोषणा हो गयी है। तो क्या घोषणा हो गयी है, यह सदन के अन्दर रख दें।

श्री अध्यक्ष—

जब घोषणा हो जायेगी तब मालूम हो जायगा।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, घोषणा हो गयी है।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रारूप की घोषणा हो गयी है और माननीय राजेन्द्र गुप्त जी को दे देंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्यों को प्रारूप उपलब्ध करा दें ताकि माननीय सदस्य उसका अध्ययन करें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इस सूचना को नियम 300 के अन्तर्गत अस्वीकार किया है।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, निर्देशित कर दें कि यह उपलब्ध करा दें।

श्री अध्यक्ष—

वह आपके पास आ जायेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश के पिछड़े वर्ग के आरक्षण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रेषित पत्र से राज्य सरकार के अधिकारियों का अतिक्रमण होने के विषय में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

माननीय सत्य पाल सिंह ने पिछड़े वर्गों के आरक्षण के सम्बन्ध में केन्द्रीय गृह मंत्री को कोई खत लिखा है जिससे सदन के अधिकारों में हस्तक्षेप होता है, के सम्बन्ध में सूचना दी है।

*श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

2 मिनट में अपनी बात कह दें।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, साधारण परिस्थितियों के अन्दर हमारा संविधान संघीय है। इस संघीय संविधान के अन्तर्गत कुछ अधिकार केन्द्रीय सरकार और कुछ राज्य सरकार को दिये गये हैं मान्यवर, जो अधिकार अनुच्छेद 246 के अन्तर्गत दिये गये 246 के अन्तर्गत, जो परिशिष्ट—7 शिड्यूल के अन्तर्गत, लिस्ट-2 है राज्य से सम्बन्धित, उसमें केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है और पूर्णतया अधिकार है। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वह कानून बनायेगी। हमारे यहां मान्यवर, पिछड़े वर्ग के आरक्षण का सवाल है। इस बारे में कहना चाहूंगा सन् 1971 में हमारे प्रदेश में तिवारी जी मुख्य मंत्री थे, तो आरक्षण के लिए आदेश जारी किए गये थे। प्रत्येक प्रदेश में विभिन्न आरक्षण है, अब हमारे प्रधान मंत्री ने घोषणा की है कि आम सहमति के बगैर कोई भी प्रदेश सरकार आरक्षण के सम्बन्ध में कानून नहीं बनायेगी। मान्यवर, केन्द्र के गृहमंत्री ने भी इस बात को प्रेस कान्फ्रेंस में कहा था, और उनकी बात की पुष्टि की थी। कि कोई भी प्रदेश सरकार आरक्षण के सम्बन्ध में कानून नहीं बनायेगी।

मुझे निश्चित जानकारी है कि केन्द्र सरकार की तरफ से एक पत्र आया है आरक्षण के सम्बन्ध में। शिड्यूल-7 के 58 के अन्तर्गत दिया गया है कि स्टेट पब्लिक सदस्य स्टेट पब्लिक कमीशन पर पूरा अधिकार है उत्तर प्रदेश की सरकार के कानून को। स्टेट सर्विसेज कानून जो है वह 5-6 अनुच्छेद में दिया गया है। विशेष आरक्षण 15 (4) और 16 (4) में दिया गया है तो केन्द्र सरकार ने देश के अन्य प्रदेशों में पत्र भेजा है मान्यवर, जो प्रधान मंत्री ने कहा है, गृह मंत्री ने कहा है, तो इन्होंने प्रदेश की स्वायत्तता पर अतिक्रमण किया है, जो हमारे निजी अधिकार हैं उन पर अतिक्रमण किया है, इस लिए मेरा आपसे कहना यह है विज्ञान लोगों के अधिकार नहीं है कि प्रदेश के अधिकारों का अतिक्रमण करें। मान्यवर, भारत के राष्ट्रपति ने कहा है कि पिछड़े वर्ग का आरक्षण उसी तरह होगा जैसे आगे हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

संविधान के अनुच्छेद 256 के 257 में केन्द्र सरकार को अधिकार है कि राज्य सरकार को समय-समय पर आवश्यक निर्देश दे। यह सदन अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है इसके अधिकारों के हनन का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है। इसलिए मैं नियम 300 के अन्तर्गत सूचना को अस्वीकार करता हूं।

श्री मैनेजर सिंह तथा प्रदेश के कुछ संसद सदस्यों की जान को खतरा होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

नवीं सूचना शतरुद्र प्रकाश जी की है। हिट लिस्ट की चर्चा सदन में हो...

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष—

यह ऐसी नाजुक चीज है।

---

*अवतरण ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी हैं । मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं । मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक हैं, एक मिनट में अपनी बात कहिए ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में विधायकों और संसद सदस्यों की जान को खतरा उत्पन्न हो गया हैं । कुछ ऐसे सदस्य भी हैं जो इस सदन के सदस्य हैं । और उनकी जान को खतरा उत्पन्न हो गया हैं । मान्यवर, मैं गम्भीर जानकारी दे रहा हूं । आज सबेरे मैनेजर सिंह जी ने बताया कि उनको यह जानकारी दी गई हैं कि उनकी जान को खतरा उत्पन्न हो गया हैं । मेरी जानकारी यह हैं कि 1—3 दिन पहले

श्री अध्यक्ष—

मैनेजर सिंह जी भी हिट लिस्ट में हैं ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मैं इसको मजाक का विषय नहीं बनाना चाहता हूं । इसी 24 अगस्त, 1985 को मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में इस सम्बन्ध में जानकारी दी थी मैंने कार्यवाही का पूरी तौर पर अध्ययन किया हैं, कार्यवाही ठीक तरह से नहीं लिखी गई हैं । मुख्यमंत्री जी ने कहा था आतंकवाद से खतरा हैं, कार्यवाही में लिखा गया आतंकवाद से कोई खतरा नहीं हैं । कार्यवाही के पेज 172 पर कहा गया हैं कि सदन के कुछ नेता, कुछ उच्च कोटि के नेता हैं, जिनकी जान का खतरा हैं । मैं समझता हूं सदन के कुछ सदस्य जिनकी जान का खतरा हैं । मैं दिल्ली गया था, लोक दल के महामंत्री जो राज्य सभा के सदस्य इसी विधान सभा से चुने गये हैं श्री सत्य प्रकाश मालवीय को इलाहाबाद के एस0 एस0 पी0 की तरफ से एक पत्र भेजा गया 21 अगस्त, 85 को । उसमें लिखा था "उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार आपकी सुरक्षा हेतु है0 का0/एपी नईम उल्ला को अंग रक्षक के रूप में नियुक्त किया जा रहा हैं । कृपया अंगरक्षक के आपके पास पहुंचने की तिथि से मुझे सूचित करने की कृपा करें ।"

श्री अध्यक्ष—

संक्षेप में बता दें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

उन्होंने जवाब दिया हैं । 26 अगस्त, 85 को । किन परिस्थिति में मेरे लिए अंग रक्षक की नियुक्ति की गई हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं हैं । क्योंकि शासन से मैंने अपनी सुरक्षा हेतु अंगरक्षक की मांग नहीं किया था । स्पष्ट हैं कि संसद सदस्य लोकदल के महामंत्री श्री सत्य प्रकाश मालवीय ने सुरक्षा की मांग नहीं की थी, इलाहाबाद के एस0एस0पी0 ने लिखा हैं कि शासन के निर्देशानुसार । इससे स्पष्ट होता हैं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा से चुने गये राज्य सभा के सदस्य के जीवन को खतरा हो गया हैं । तभी शासन ने निर्देश दिया । मान्यवर, सिंह ने कहा कि उनकी जान का खतरा हैं, बलिया के पुलिस अधिकारी ने कहा हैं कि उनकी जान का खतरा हैं, बलिया के पुलिस अधिकारी ने कहा हैं कि आप हिटलिस्ट मे आ गये हैं । मैं नहीं जानता हूं कि पंजाब के उग्रवाद का मामला हैं, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना हैं । लेकिन यह निर्विवाद रूप से सही हैं कि सदन के कुछ विधायकों और संसद सदस्यों के जाने का खतरा हो गया हैं । इस बारे में शासन को जानकारी होगी, इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री के कहने का निश्चिततौर पर कोई आधार होगा । माननीय सेठ ने कहा हो आने वाले दिनों में सुरक्षा का इन्तेजाम क्या हैं । एक संसद सदस्य लोकदल के महामंत्री के लिये अंग रक्षक का भेजा गया हैं । क्या सचमुच में उत्तर प्रदेश के विधायकों के जान का खतरा हैं, हिट लिस्ट में शामिल किया गया हैं । उच्च स्तर के नेता हैं किसी पक्ष के हों, कानून व्यवस्था के संदर्भ में कोई खतरा हैं । मैं चाहता हूं कि उनको बताया जाय । यह गम्भीर बात हैं । मैं चाहता हूं कि सब के जीवन की सुरक्षा की जाय और आश्वस्त हो जाय । मैंने इस आधार पर इस प्रश्न को सदन में पेश किया हैं ।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय शतरुद्र जी ने मेरा जिक्र किया हैं । जान के हिट लिस्ट का जिक्र कर रहे थे । हमारे आपकी का एक समाचार पत्र जागरण के प्रति-

निधि से एस0 एस0 पी0 ने कहा था कि नक्सलियों की हिटलिस्ट में बलिया के कई लोग हैं और मैनेजर सिंह भी उसमें हैं। एस0 एस0 पी0 ने मुझसे भी कहा था। मैंने कहा था कि नक्सलियों की हिट लिस्ट में नहीं हो सकता हूं। पुलिस और गुण्डों की हिट लिस्ट में हो सकता हूं। पार्लियामेन्ट के चुनाव के समय एक व्यक्ति जो अनेकों कत्ल किये हुये हैं, 7 दिन तक पार्लियामेन्ट के चुनाव में एक कांग्रेस आई के भू0 पू0 विधायक के साथ कांग्रेस के प्रचार में घूमा। चुनाव के बाद गौरिया हाफ बंगले में उक्त निर्धायक लत्ती की बैठक हुई थी। उसमें मेरी हत्या की बात आयी थी। उसके बाद एस0 एस0 पी0 महोदय ने सभी सचेत किया था कि मेरी जान को खतरा है। उन्होंने कहा था आप अपनी सुरक्षा हेतु कोई गनमैन ले लीजिये। मैंने उन्हें उत्तर दिया था कि मैं निरा खाने से डरता हूं मरने से नहीं। मैं किसी खतरे से कम करता हूं मुकाबला करता हूं। जो खतरा हो उसका सामना करता हूं। अखबार में निकला है पत्रकार ने एस0 एस0 पी0 से बात करके छापा है।

[illegible] जो बलिया का एस0 पी0 है, का आतंक फैलाए हुए हैं बलिया में नक्सलियों से सम्बन्ध का। अगर उसका कहना सही है तो [illegible] बलिया में जितने पुलिस के लोग [illegible] हैं, वह नक्सली हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जितने कत्ल वहां हुए हैं, अधिकांश [illegible] दबंगई से हुए हैं और से अगड़े के [illegible] लोग किये गये हैं और कुछ ही यादव से किये गये हैं। मैं नहीं मानता कि [illegible] की ओर से कोई हिट लिस्ट है। मैं उनकी हिट लिस्ट में क्यों आऊंगा।

श्री रामधन मंत्री (श्री नारायण दत्त)—

श्रीमान्, माननीय सदस्य बलिया की बात कर रहे हैं नक्सलवादियों की, तो वैसे भी जिले में बहुत शान्ति हो गयी है, माननीय सदस्य ने नक्सलवादियों की बात कह दी है तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उनकी सूचना

अध्यक्ष ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारा परम धर्म है। उन्होंने कहा कि वे शेडो नहीं चाहते हैं। तो शेडो तो केवल सुरक्षा के लिए होता है। केवल उसे अपने से थोड़ा पीछे चलने की अनुमति दे दीजिये। नहीं तो सुरक्षा कैसे होगी। इसमें माननीय सदस्य का सहयोग परमावश्यक है। मैं समझता हूं कि आंतकवाद का भी बहुत प्रचार नहीं होना चाहिए। न इससे बहुतज्यादा भयभीत होना चाहिए। ज्यादा त्रास के वातावरण के बारे में बात कही, तो त्रास के वातावरण में रहना उचित नहीं है। सम्मानित सदस्य, वाराणसी ने जो माननीय सदस्य, वाराणसी ने जो माननीय मालवीयजी के बारे में बात कहीं, तो दिल्ली में कुछ ऐसी घटनायें हुई जिससे लगा कि बिल्कुल निर्दोश व्यक्ति भी, किसी का मन हो जाय, तो उसके साथ दुर्घटना हो सकती है। तो हमने प्रयास किया कि दिल्ली में जो हमारे सांसद हैं, श्री ललित माकन जी की दुखद हत्या के बाद लगा कि सांसदों के जीवन को खतरा है, तो हमारे उत्तर प्रदेश के जो सांसद हैं, हमने उनकी सुरक्षा का प्रयास किया। हमने केवल योगदान किया। वैसे दिल्ली में केन्द्र का प्रशासन है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि वे शेडो को स्वीकार कर लें।

श्री शारदानन्द अंचल—

[* * *]

श्री अध्यक्ष—

कुछ नहीं लिखा जायेगा। आप कृपया बैठें। इस प्रश्न को तथ औचित्य के शेष प्रश्नों को अस्वीकार किया।

उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास शोजना विनियमन) विधेयक, 1985

सचिव विधान सभा—

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) विधेयक, 1985 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी

नोट :—[XXX] यह भी अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

दिनांक 17 जुलाई, 1985 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 2 अगस्त, 1985 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त, 1985 को प्राप्त हो गई और वह सन, 1985 का उत्तर प्रदेश का अठारहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा—

मैं, माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1985 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 17 जुलाई, 1985 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 अगस्त, 1985 के उपवेशन में पारित किया था । रष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त, 1985 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1985 का उत्तर प्रदेश का उन्नीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा—

मैं, माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1985 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 जुलाई, 1985 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 7 अगस्त, 1985 की बैठक में पारित किया था, रष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त, 1985 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1985 का उत्तर प्रदेश का बीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1985

(1 बजकर 20 मिनट)

सचिव, विधान सभा—

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से यह घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1985 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 31 जुलाई 1985 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 अगस्त, 1985 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त, 1985 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1985 का उत्तर प्रदेश का इक्कीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा—

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से यह घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1985 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 12 अगस्त, 1985 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 19 अगस्त, 1985 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 अगस्त, 1985 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1985 का उत्तर प्रदेश का बाइसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा—

मैं, माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा में यह घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) विधेयक, 1985 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 जुलाई, 1985 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 14 अगस्त, 1985 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक

22 अगस्त, 1985 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1985 का उत्तर प्रदेश का तेइसवां अधिनियम बन गया ।

जनपद लखनऊ में रहीम नगर, पीड़याना, लतीफ नगर, सम्पर्क मार्ग पर सई नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में तथा जनपद लखनऊ में बन्थरा से भटगांव जाने वाले संपर्क मार्ग पर दादूपुर गांव के समीप नगवा नाले पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री शारदा प्रताप—

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखनऊ में रहीमनगर पीड़याना, लतीफ नगर सम्पर्क मार्ग पर सई नदी पर पुल बनाये जाने विषयक श्री कृष्ण प्रताप शुक्ला तथा अन्य, निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखनऊ में बन्थरा से भटगांव जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर दादूपुर गांव के समीप नगवा नाले पर पुल बनाये जाने विषयक श्री चन्द्रभान सिंह तथा अन्य निवासीगण, जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद उन्नाव के गुलरिहा, गुरुबख्श गंज मार्ग को अकोहरी से गुलरिहा तक डामर रोड बनाये जाने तथा जनपद उन्नाव के पुरवा मंझगवां पिपरी बरौंली सम्पन्न मार्ग पर सरवन ड्रेन पर पुल निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री हृदय नारायण दीक्षित—

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के गुलरिहा गुरुबख्शगंज मार्ग को अकोहरी से गुलरिहा तक डामर रोड बनाये जाने विषयक श्री उदयवीर सिंह, निवासी, जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के पुरवा मंझगवां, पिपरी बरौंली सम्पर्क मार्ग पर सरवन ड्रेन पर पुल निर्मित कराये जाने विषयक श्री गंगा प्रसाद वर्मा, निवासी जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद बांदा के बदौंसा कस्बे में नया ब्लाक मुख्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बांदा के बदौंसा कस्बे में नया ब्लाक मुख्यालय स्थापित किये जाने विषयक श्री चान्दका प्रसाद तथा अन्य, निवासीगण, जनपद बांदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

बरेली को उच्चीकृत करके महाविद्यालय बरेली को उच्चीकृत करके महाविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

डा0 दिनेश जौहरी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से बरेली नगर स्थित इस्लामिया गर्ल्स इण्टर कालेज, बरेली को उच्चीकृत करके महाविद्यालय बनाये जाने विषयक श्री रवीन्द्र उपाध्याय तथा अन्य, निवासीगण, जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

विधान सभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन कार्य क्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को सूचित करता हूं कि उपाध्यक्ष, विधान सभा के निर्वाचन के संबंध में सदन द्वारा दिनांक 6 अगस्त, 1985 को स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसरण में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 9 (1) के अन्तर्गत मुझे उक्त निर्वाचन हेतु तिथि निर्धारित करनी थी । तदनुसार मैंने इस हेतु गुरुवार, 5 सितम्बर, 1985 की तिथि निर्धारित की है । अतः उक्त निर्वाचन 5 सितम्बर, 1985 को प्रश्नोत्तर काल के बाद होगा । उक्त नियमावली के नियम 9 (2) के अनुसार उपाध्यक्ष पद के लिये नाम-निर्देशन-पत्र नियमानुसार बुधवार, 1 सितम्बर, 1985 को मध्यान्ह 12 बजे से पहले सचिव, विधान सभा को दिये जा सकते हैं । नाम-

निर्देशन-पत्र का प्रपत्र विधान सभा के प्रत्येक माननीय सदस्य को पृथक से भेजा जायेगा ।

राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने के लिए विधान सभा के चार सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

कृषि राज्य मंत्री (शिव बालक पासी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष आदेश दें, राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 1963 की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करें ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय कृषि मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, यह सदन उसे स्वीकार करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1985 †

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसन (संशोधन) विधेयक, 1985 †

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसन (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से होम्योपैथिक मेडिसन (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करता हूं ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये राज्यों के पिछड़ेपन व आबादी के आधार पर केन्द्र सरकार से धन आवंटन की मांग तथा प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़े जनपदों के विकास हेतु अधिक धन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संकल्प को सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं ।

"यह सदन उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देता है कि वह सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्यों के पिछड़ेपन और आबादी के आधार पर ही विभिन्न प्रदेशों को धन आवंटन करने की केन्द्रीय सरकार से मांग करे और स्वयं भी प्रदेश के विभिन्न जिलों की विकास योजनाओं के लिये इसी आधार पर धन का आवंटन करे, ताकि जो जनपद जिस क्षेत्र में अधिक पिछड़े हैं, उस क्षेत्र में विकास के लिये उन्हे अधिक धन मिल सके और विभिन्न जनपदों में प्रति व्यक्ति औसत आमदनी की विषमता को भी दूर किया जा सके ।"

† दिनांक 6 सितम्बर, 1985 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

(इस समय 1 बजकर 28 मिनट पर अधिष्ठाता, डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, यह संकल्प जहां तक केन्द्र सरकार से सम्बन्धित हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश की 12 करोड़ जनता की तरफ से यह डिक्लेयरेटरी सूट हैं दावा हक इस्तखासा फरार हैं ताकि केन्द्र सरकार से हम मांग कर सकें कि वह घोषणा करे कि 7वीं योजना में राज्यों के लिए धन का आवंटन केवल पिछड़ेपन और आबादी के आधार पर होगा । जहां तक प्रदेश सरकार का सम्बन्ध हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में यह संकल्प निर्णायक रूप से प्रदेश की पिछड़ी और उपेक्षित जनता की तरफ से सीधा स्थाई निषेधाज्ञा का दावा हैं । इस संकल्प के माध्यम से हम सरकार से कह सकते हैं कि आज तक मंत्रियों के इशारे पर मन माने तरीके से योजनाओं में धन का आवंटन हुआ हैं, जिसका परिणाम यह हुआ कि हमारे बहुत सारे इलाके जो बहुत शुरू से ही पिछड़े हुए थे, वे निरन्तर पिछड़ते चले गये ।

मान्यवर, आज यह संकल्प लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? इसकी सार्थकता और महत्व को समझने के लिए हमें थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि को भी देखना पड़ेगा । जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नम्बर पर हमारा यह विशाल राज्य हैं लेकिन इसके सामयिक विकास के लिए जो धनराशि विभिन्न योजनाओं में व्यय की गई वह अपेक्षाकृत अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत अपर्याप्त थी । प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस प्रदेश का प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय केवल 25 रु0 था, जबकि पंजाब में यह औसत 175 रु0 और गुजरात में 58 रुपये और उड़ीसा मे 56 रुपये और इस परिव्यय का अखिल भारतीय औसत 38 रुपये था ।

मान्यवर, इस बात को भली-भांति समझने के लिए यह भी जरूरी हैं कि हम इन सूत्रों की आबादी और उनका जो क्षेत्रफल हैं, उसको भी ध्यान में रखें और इस दृष्टि से 1981 की जनसंख्या के आधार पर प्रति वर्ग किलोमीटर जो घनत्व हैं, आबादी का और प्रदेशों का क्षेत्रफल इसका ब्यौरा इस प्रकार हैं उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 394 हजार वर्ग किलोमीटर हैं और जन संख्या 11 करोड़ 8 लाख 62 हजार । प्रति वर्ग कि0 मी0 आबादी का घनत्व 377 हैं । पंजाब में जनसंख्या एक करोड़ 67 लाख 89 हजार, क्षेत्रफल 50 हजार वर्ग किलो मीटर हैं और आबादी का घनत्व 333 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर । गुजरात में 196 हजार वर्ग किलो मीटर क्षेत्रफल हैं और 3 करोड़, 40 लाख 86 हजार की जनसंख्या हैं । इसका आबादी का घनत्व हैं 174 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो मीटर । उड़ीसा में 156 हजार वर्ग किलो मीटर क्षेत्रफल पर आबादी हैं 2 करोड़ 63 लाख 70 हजार और इसका आबादी का घनत्व आता हैं 169 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो मीटर । इस परिप्रेक्ष्य में आप देखें प्रथम पंच वर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति परिव्यय के अनुसार जहां हमारा देश में 13वां नम्बर था और दूसरी में उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति परिव्यय 32 था, पंजाब में 146, गुजरात में 76, उड़ीसा में 54 और भारत में था 51 । इस दृष्टि से प्रथम पंच-वर्षीय योजना में जहां हमारा नम्बर 13वां था वहीं दूसरी में 15वें नम्बर पर ला कर पटक दिया गया । तीसरी पंच-वर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश मे, प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय 72 रुपये, गुजरात में 108 रुपये, उड़ीसा में 120 रुपये और प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय पूरे भारत का था 92 रुपया । पंजाब में 212 रुपये, गुजरात में 108 रुपये, उड़ीसा में 120 रुपये और भारत का औसत था 92 रुपये । और हम आ गये 16वें नम्बर पर । 66—69 में एनुअल प्लान चला था उस में उत्तर प्रदेश का हो गया गया 53 रुपया, पंजाब का 90 रुपया, गुजरात का 84 रुपया, उड़ीसा का 60 रुपया और भारत का 61 रुपया । चौथी पंच-वर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश 132 रुपया, पंजाब 1[illegible] रुपया, गुजरात 204 रुपया, उड़ीसा 114 रुपया और भारत का था 142 रुपया और पांचवी पंच-वर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश का था 277, पंजाब 748, गुजरात 444, उड़ीसा 267, और भारत का था 338, हम फिर 17वें नम्बर पर ला पटक दिये गये ।

6ठी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश 559रु0 पंजाब 1168 रु0 गुजरात 1080 रु0 उड़ीसा 569 रु0 और भारत का 694 रु0 और हम आ गये 21वें नम्बर पर। और इस तरह से प्रथम पंच-वर्षीय योजना में जहां हम 13वें नम्बर पर थे वहीं पर 6ठी में, 6ठी पंच-वर्षीय योजना समाप्त होते-होते 21वें नम्बर पर आ गये। जो केन्द्र से सहायता अब तक उपलब्ध होती रही है उस में अपेक्षाकृत उत्तर प्रदेश का अंश प्रति व्यक्ति बहुत ही कम रहा है और हर योजना में उसका औसत घटता गया है। पहली और दूसरी योजना में राज्यों को दिये गये केन्द्रीय सहायता में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रति व्यक्ति सबसे नीचे था। तीसरी और चौथी पंच-वर्षीय योजना में 13वें नम्बर पर थे और इसी सन्दर्भ में, हमारी जो लाइब्रेरी में शोध सेक्शन है, उसके द्वारा एकत्रित "उत्तर प्रदेश योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में" का केवल एक पैराग्राफ आपकी अनुमति से पढ़ना चाहता हूं।

"एक के तीन पंच-वर्षीय योजनाओं में सम्पूर्ण देश में जितना परिव्यय हुआ उसका केवल 9.4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में लगाया गया। जनसंख्या समस्त प्रदेशों से अधिक, देश की आबादी का लगभग 17 प्रतिशत है। इन विगत तीन पंच-वर्षीय योजना-अवधियों में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में कुल विनियोग का केवल 7.8 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में लगा। निजी क्षेत्र में 9000 करोड़ रुपये की पूंजी पूरे देश में इस अवधि में लगी। इस राज्य में केवल 680 करोड़ 92 पूंजी लगी जो कुल देश में लगाई गई निजी का केवल 7.55 प्रतिशत रहा।"

इस तरह से लगातार हमारी उपेक्षा की गयी है और यह उपेक्षा मैं नहीं कहता, जनता पार्टी या लोकदल के लोग नहीं कहते, ये स्वयं सरकारी आंकड़े बोलते हैं। अपने केस को बल देने के लिये चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना के संसाधनों के निमित्त उत्तर प्रदेश का दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए डा0 वी0 गोपाल रेड्डी ने 18 मई, 1968 को राष्ट्रीय विकास परिषद के सम्मुख प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल के रूप में जो कुछ कहा, मैं उसका एक अंश उधृत करता हूं। उन्होंने कहा कि—

"उत्तर प्रदेश बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है। लगता है कि ज्यों-ज्यों हम एक के बाद दूसरी योजना कार्यान्वित करते जा रहे हैं, यह प्रदेश पिछड़ता जा रहा है। योजनाओं के प्रारम्भ से पहले कुल राष्ट्रीय आय का 15.17 प्रतिशत से प्राप्त होता था। तृतीय योजनाकाल के अन्त में अंशदान घटाकर 12.9 प्रतिशत हो गया। सन् 1948 की कीमतों के आधार पर वर्ष 1950-51 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति पीछे वार्षिक आय 259.62 रुपया थी जबकि सम्पूर्ण देश की औसत आय 247.50 रुपया थी। अतः इस समय हर राष्ट्रीय औसत से ऊपर थे। द्वितीय योजना के बाद इस राज्य की प्रति व्यक्ति आय घटकर वर्ष 1960-61 की कीमतों के आधार पर 245.88 रुपया रह गयी जबकि पूरे देश का औसत बढ़कर 310 रुपया हो गया। इस प्रकार सम्पूर्ण देश में बिहार को छोड़कर उत्तर प्रदेश की आय सबसे कम थी।

आय घटते जाने का यह क्रम तीसरी योजना में भी जारी रहा। वर्ष 1965-66 में जब प्रति व्यक्ति पीछे राष्ट्रीय आय का औसत बढ़कर 315 रुपया हो गया तो उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति पीछे आय में 2 रु0 और घट गये और वह 243 रुपया ही रह गई। वर्ष 1966-67 में सूखे के कारण यह और घटी तथा 227 रुपया ही रह गई। यह तथ्य विशेष रूप से इसलिये दुखद है कि वर्ष 1950-51 में हमारी आय राष्ट्रीय औसत से अधिक थी।

नेशनल सैम्पल सर्वे के अनुसार 1950-60 और 1960-61 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में तो काफी लोगों को अपनी जीविका के लिये दूसरे राज्यों को जाता देखा गया। खाली दिनों में तो यहां के लोग 50 पैसे प्रति-दिन की मजदूरी पर काम करने को तैयार रहते हैं, लेकिन मुश्किल से ही इन्हें कोई काम मिल पाता है। सर्वे के अनुसार देश में 52 अत्यधिक पिछड़े जिलों में से 22 उत्तर प्रदेश के हैं। अतिशय गरीबी और बेरोजगारी की इस दशा का समाधान पूंजी के अधिकाधिक विनिवेश के प्रकाश में ही सोचा जा सकता है।

वर्ष 1951 से 60 की अवधि में राज्य की कुल आय में केवल 14.2 प्रतिशत की वृद्धि

हुई । वर्ष 1960-61 के अनुकूल मौसम के कारण आय का यह औसत बढ़कर 20.6 प्रतिशत हो गया, जबकि इसी अवधि में राष्ट्रीय आय में 41.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इसी दशक में राज्य की जनसंख्या भी 16.7 प्रतिशत बढ़ी । इस प्रकार राज्य की आय और जनसंख्या में लगभग समान वृद्धि के कारण विकास की गति का संतोषजनक प्रभाव न पड़ सका और राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय इस दशक में लगभग स्थिर रही । प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में जहां राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय राष्ट्रीय औसत से 8 प्रतिशत अधिक थी वहां 1960-61 में यह राष्ट्रीय औसत से 7 प्रतिशत कम हो गई ।"

इस तरह से जहां तक तरक्की की बात है, आप देखेंगे कि हम अनवरत रूप से हर क्षेत्र में लगातार पिछड़ते गये हैं । वर्ष 1970-71 से 82-83 तक के 11 सालों में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय में मात्र 0.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

जबकि इसी बीच भारत की प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति औसत आय की वृद्धि दर 1.05 प्रतिशत है अर्थात हमसे लगभग डेढ़ गुनी तो सब राज्य की औसत दर उत्तर प्रदेश से ऊपर है, विकसित प्रदेशों के मुकाबिले में हमारे प्रदेश के खड़े होने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

अब आप निरक्षरता की ओर देखिये कि उत्तर प्रदेश में 1981 में निरक्षरों की संख्या 8 करोड़ 5 लाख हो गयी है जबकि सन् 1971 में प्रदेश में 7 करोड़ लोग निरक्षर थे यानी कि एक दशक में प्रदेश में 1 करोड़ 14 लाख निरक्षर लोग बढ़ गये । इसके बावजूद शिक्षा पर उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खर्चा देश में सबसे कम होता है । अभी 9 अगस्त को राज्य सभा में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री के0 सी0 पन्त ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए जो विवरण दिया वह इस प्रकार है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति शिक्षा पर 52.41 रुपया, बिहार में 56.05 रुपया, मध्य प्रदेश में 62.63 रुपया, राजस्थान में 76.22 रुपया, महाराष्ट्र में 112.45 रुपया, पंजाब में 116.61 रुपया, चण्डीगढ़ में 292.15 रुपया तथा लक्षद्वीप जो सबसे छोटा है वहां भी 437.53 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष शिक्षा पर व्यय किया जाता है, तो यह हमारे प्रदेश की स्थिति है शिक्षा के क्षेत्र में जिसके आधार पर हम शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना चाहते हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं ।

इसी प्रकार से आप बिजली के बारे में भी देखिये कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बिजली की खपत मात्र 87 यूनिट है जो कि भारतीय औसत 141 यूनिट से 54 यूनिट कम है । बिजली की खपत में हमारे प्रदेश का तेरहवां स्थान है । सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 48 प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंची है । जबकि इसके विपरीत हरियाणा, केरल, पंजाब और तामिलनाडु के सभी गांव में और महाराष्ट्र के 85 प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंच चुकी है इसमें भी उ0 प्र0 का ग्यारहवां स्थान है ।

भारत के विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय में भी हमारा प्रदेश बहुत पीछे है । वर्ष 1982-83 के प्रचलित भावों के अनुसार भारत में 1891 रुपया, उत्तर प्रदेश में 1443 रुपया, पंजाब में 3484 रुपया, गुजरात में 2182 रुपया, पश्चिम बंगाल में 1767 रुपया, राजस्थान में 1574 रुपया है तो इस तरह से इस मामले में भी हम पीछे हैं ।

यदि हम उत्तर प्रदेश को सिंचाई के क्षेत्र में देखें तो 1961-62 में प्रदेश में 53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी जबकि 221 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती होती थी तो इस हिसाब से लगभग 24 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित होता था । जबकि 1981-82 में कुल सिंचित क्षेत्र 116 लाख हेक्टेयर है और कुल बोया गया क्षेत्र 248 लाख हेक्टेयर है तो इस तरह से 47 प्रतिशत भूमि सिंचित हुई । इस तरह से पता चलता है कि बीस वर्षों में केवल 22 प्रतिशत सिंचाई के क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हुई है । अगर हमारी सिंचाई को बढ़ाने की यही रफ्तार रही तो आने वाले 50 वर्षों में कहीं हम हर खेत को पानी दे पावेंगे । नहीं तो हर खेत को पानी देने का सपना हमारा सपना ही रह जायेगा । जब तक हमारी सरकार केन्द्रीय सरकार पर

दबाव नहीं डालेगी तब तक हमारे प्रदेश की समस्याओं का समाधान नहीं निकलने वाला है।

उत्तर प्रदेश की हर क्षेत्र में निरन्तर उपेक्षा हुई है। केवल जनता पार्टी शासन काल को छोड़कर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश ने केवल देश को प्रधान मंत्री ही दिये हैं। हमें केवल प्रधान मंत्री का पद मिला है और इसके बदले में केन्द्र से इस प्रदेश को मिली है उपेक्षा, पिछड़ापन, अशिक्षा, दरिद्रता और भुखमरी। इसलिये आज आवश्यकता है अपने अधिकारों को मांगने की।

हमारे प्रदेश के पिछड़ेपन को लेकर और दरिद्रता को लेकर प्रधान मंत्री को पैदा किया है और उसी में हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, इसलिये आवश्यकता है कि अपने अधिकारों को मांगे और केन्द्र सरकार से कहें कि अब हमें आगे बेवकूफ न बनायें और अब हम आगे बरदास्त करने को तैयार नहीं हैं। मान्यवर, इस संकल्प को लाने के पीछे भावना यह है कि केन्द्र सरकार हमारी इस भावना से अवगत हो सके।

मान्यवर, इसके दो फायदे हैं, एक तो यह है कि हमारे मुख्य मंत्री को एक नैतिक बल मिलेगा और आज मान्यवर, शासकीय दल की स्थिति क्या है, उसकी स्थिति कौरव सभा की भांति है, जिस तरह से कौरव सभा में द्रोपदी नंगी हो रही थी, उस समय भीष्म पितामह जैसे लोग बैठे हुये थे और वह अपने अन्दर महसूस कर रहे थे कि अन्याय हो रहा है, लेकिन उनमें आत्मबल नहीं था कि बोल सकें, उसी तरह से मुख्य मंत्री, मंत्री और दूसरे प्रतिनिधि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में जाते हैं, योजना आयोग की बैठकों में जाते हैं लेकिन वहां पर अधिकारपूर्ण स्वरों में अपने अधिकारों की मांग नहीं कर पाते हैं। अगर यह प्रस्ताव आप पास करेंगे तो आपके हाथ मजबूत होंगे और आप हिम्मत से कह सकेंगे प्रधान मंत्री जी से कि मान्यवर, प्रदेश में उत्तेजना फैल रही है और रोष फैल रहा है। अगर हर को आबादी के अनुसार केन्द्र सरकार से धन नहीं मिलेगा, इसका आवंटन नहीं होगा तो प्रदेश की जनता बरदास्त नहीं करेगी और वह किसी भी सीमा तक पहुंच सकती है। मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को दलीय मुद्दा न बनाया जाये, उससे ऊपर उठकर प्रदेश को मद्दे नजर रखते हुये, उसके विकास को मद्दे नजर रखते हुए, इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करें।

मान्यवर, मैं उधर के भी माननीय सदस्यों से कहूंगा कि कम से कम सही बात कहने के लिये हिम्मत लायें, अन्याय को बरदास्त न करें। अन्याय को बरदाश्त करने वाला अन्याय का भागीदार होता है। अभी मैंने कहा, महाभारत का उदाहरण दिया, भीष्म पितामह अन्याय के पीछे चुप रहे और उसका नतीजा हुआ, भीष्म पितामह की चुप्पी के कारण इस देश को महाभारत देखना पड़ा, जिसने इस देश का विनाश कर दिया और वह आज ऐतिहासिक चीज बन कर रह गया है। मैं कहना चाहता हूं कि आप भीष्म पितामह के इतिहास को न दुहरायें, प्रदेश की जनता को क्रान्ति के लिये आवाहन न करें, प्रदेश की जनता की बरदाश्त की सीमा पूरी हो चुकी है और अब इससे अधिक न करें वरना आप गृह युद्ध को न्योता देंगे, अराजकता जैसी चीजों को निमंत्रण देंगे। प्रदेश की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये प्रदेश के लिये केन्द्रीय सरकार से अधिक धन मांगने के लिये अपने अन्दर नैतिक साहस जुटायें। मान्यवर, दूसरा फायदा यह है कि जिलों को जो योजनायें जाती हैं उनके आवंटन में भेदभाव किया जाता है। उदाहरण के लिये वर्ष 1984-85 में सुल्तानपुर और रायबरेली के लिये डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपया सड़क अनुदान के रूप में और स्कूल-भवन निर्माण के लिये दिया गया, लेकिन फैजाबाद, मांगने की भी हिम्मत नहीं पड़ी केवल 25 जिला परिषद में चिट्ठी आयी थी ठीक से भीख लाख रुपया सड़क अनुदान के लिए मांगा, वह तो दे दिया और 20 लाख रुपया स्कूलों के भवन निर्माण के लिए मांगा उसमें एक पैसा भी इस सरकार ने नहीं दिया है।

माननीय योजना मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, अच्छी तरह से अवगत हैं, जिले के चप्पे-चप्पे से वह स्वयं जानते हैं कि जिलों में स्कूलों की क्या जर्जर हालत है।

मैं केवल एक ही उदाहरण देना चाहता हूं गोसाईंगंज में गर्वनमेन्ट गर्ल्स इंटर कालेज लड़-

कियों का स्कूल है । सयानी-सयानी लड़कियां पढ़ने जाती हैं, वह जिला परिषद् की बिल्डिंग है शिक्षा विभाग किराये पर लिये हुए हैं । उसमें यह हालत है कि स्कूल जब चलता रहता है और पानी बरसना शुरू हो जाता है तो वह टपकता है और डर लगता है कि कहीं छत न बैठ जाय । वहां पर कोई यूरीनल व लेट्रिन नहीं है छात्राओं के लिए और उसके लिए पैसा नहीं है । तो एक तरफ यह अन्याय है और दूसरी तरफ एक-एक जिले को डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपया दिया गया है एक-एक मद में । हमें सुल्तानपुर या रायबरेली से कोई द्वेष नहीं है लेकिन अब बता रहा हूं कि उस पैसे का भी पूरे जिले के लिये कोई सही इस्तेमाल नहीं हुआ है । वह केवल कुछ विशेष लोगों के क्षेत्रों को सजाने संवारने के लिए मोटा पैसा इस्तेमाल किया गया है । इस तरह से केवल कुछ क्षेत्रों को सजाया जा रहा है बनाया जा रहा है ।

मान्यवर, मैं केवल 2 जनपदों का केवल 84-85 का एक ब्यौरा आपकी अनुमति से सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं जिससे स्वतः स्पष्ट हो जायेगा कि वहां कितनी योजनाओं पर क्या परिव्यय हुआ, एलाटमेन्ट हुआ । उसे रखने के पहले मैं आपके सामने आबादी दे दूं । फैजाबाद में 1981 की जनगणना के अनुसार आबादी 23 लाख 69 हजार 626 है और क्षेत्रफल 4512 हजार वर्ग कि0 मी0 है । सुल्तानपुर में आबादी है 20 लाख 37 हजार 783 जो कि फैजाबाद से 3 साढ़े 3 लाख कम है और क्षेत्र वार्षिक योजना 84-85 में योजनावार परिव्यय, फल 4436 हजार वर्ग कि0 मी0 है जबकि फैजाबाद का 4512 हजार वर्ग कि0 मी0 है । इस में मैं यही बोल रहा हूं यह जो आपकी सरकारी किताब है जिला सेक्टर योजना व परिव्यय वार्षिक योजना 84-85 उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग नियोजन द्वारा नवम्बर 1983 में छपी हुई है उसमें जो दिया है यह आंकड़े मैं पढ़ूंगा ।

प्राथमिक शिक्षा पर हमारे जिले में 1717.9 हजार रुपये और सुल्तानपुर में 6062.5 हजार रुपये, प्राविधिक शिक्षा में हमारे जिले को 20 हजार रुपये और सुल्तानपुर को दिया गया 3555 हजार रुपये, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर दिया गया हमारे जिले को 5405.7 हजार रुपये और सुल्तानपुर को 13648.05 हजार सड़क एवं पुल पर हमारे जिले को मिला 12797.5 हजार रुपये और सुल्तानपुर को मिला 25806.5 हजार रुपय, कृषि में हमको मिला 986.5 हजार रुपये और सुल्तानपुर को 1243.0 उद्यान विभाग को हमारे जिले में मिला 688.9 हजार रुपये और सुल्तानपुर को 1225.0 हजार रुपये पशुपालन में हमारे जिले को मिला 1193.1 हजार रुपये और सुल्तानपुर को 2488.0 हजार रुपये, पंचायत राज में हमारे जिले को मिला 728.5 हजार रुपये और सुल्तानपुर को 948.0 हजार रुपये, जल निगम में हमको मिला 2225.00 हजार रुपये और सुल्तानपुर को मिला 7500.00 हजार रुपये और जो आफिस था जल निगम का फैजाबाद डिवीजनल हेडक्वार्टर पर, अभी 2-3माह पहले उसको भी स्थानान्तरित कर दिया गया सुल्तानपुर के लिए जिसका कोई औचित्य नहीं है । इस तरह से दोहरा मापदण्ड अपनाया गया है । ग्राम्य विकास में हमारे जिले को 90 हजार रुपया और सुल्तानपुर को 960 हजार रुपये, शिल्पकार प्रशिक्षण में हमको शून्य मिला और सुल्तानपुर को मिला 1651.5 हजार रुपये, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति कल्याण में हमारे जिले को 4060 हजार रुपये और उनको मिला 9095.0 हजार रुपये, समाज कल्याण विभाग में फैजाबाद को मिला 10 हजार रुपये और सुल्तानपुर को मिला 9205 हजार रुपये ।

श्रम विभाग से लेकर पशुहार में फैजाबाद को 60 हजार रु0 सुल्तानपुर को 185 हजार रु0 । चिकित्सा एवं कीटनाशक दवाओं के लिए भंडार गृह के लिए फैजाबाद को शून्य तथा सुल्तानपुर को 888 हजार । पौधशाला की स्थापना के लिये फैजाबाद को शून्य तथा सुल्तानपुर को 9000 हजार । फल संरक्षण केन्द्र के विस्तार के लिये फैजाबाद को 170 हजार तथा सुल्तानपुर के लिये 905 हजार । पिछड़े क्षेत्रों में उद्यान विकास के लिये फैजाबाद को 12-1 हजार तथा सुल्तानपुर के लिये 105 हजार । पशु चिकित्सालय के लिये फैजाबाद को 970 हजार तथा सुल्तानपुर के लिये 900 हजार । अतिरिक्त

सुविधा पशु चिकित्सालय के लिये फैंजाबाद का 10.0 हजार तथा सुल्तानपुर के लिये 102.0 हजार । भवन निर्माण (पशु चिकित्सालय) के लिये फैंजाबाद को शून्य तथा सुल्तानपुर के लिये 850 हजार । कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के विस्तार के लिये फैंजाबाद का 2.0 हजार तथा सुल्तानपुर का 200.00 हजार बालाहार में फैंजाबाद का 3.5 हजार तथा सुल्तानपुर का 7.0 हजार । उन्नीतशील पेड़ों का खरीदने के लिये फैंजाबाद का शून्य तथा सुल्तानपुर का 20.0 हजार । वन विभाग पर टोटल व्यय फैंजाबाद में 2640.0 हजार रुपये तथा सुल्तानपुर के लिये 7380.00 हजार रु0 । सामाजिक वानिकी योजना में फैंजाबाद का 2582.0 हजार तथा सुल्तानपुर का 6180.0 हजार । वन मनोरंजन के लिये फैंजाबाद के लिये शून्य तथा सुल्तानक लिये 1200 हजार । पर्यावरण में स्वच्छता के लिये खंड़जा तथा नालियों के निर्माण में फैंजाबाद को 540 हजार तथा सुल्तानपुर के लिये 700 हजार । पंचायत भवन के निर्माण म फैंजाबाद का 120 हजार तथा सुल्तानपुर का 200 हजार ।

सामाजक शिक्षा में फैंजाबाद का 1.5 हजार तथा सुल्तानपुर का 14 हजार । कृषि प्रसार में फैंजाबाद का 1.6 हजार तथा सुल्तानपुर के लिये 15 हजार । स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के लिये फैंजाबाद का 1 हजार तथा सुल्तानपुर का 25 हजार । निर्बल वर्ग को वितरित ऋण पर रिस्क फन्ड अनुदान के लिये फैंजाबाद को शून्य तथा सुल्तानपुर का 150 हजार । ग्रामीण मार्ग न्यूनतम कार्यक्रम में फैंजाबाद को 10397.5 हजार तथा सुल्तानपुर का 25806.5 हजार । अन्य मार्गीय सुविधा में फैंजाबाद को शून्य तथा सुल्तानपुर को 500 हजार । पर्यटक आवासगृहों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण में फैंजाबाद का शून्य तथा सुल्तानपुर को 224 हजार । सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान में फैंजाबाद का 25.00 हजार तथा सुल्तानपुर को 125.00 हजार रु0 । सीनियर बेसिक स्कूल के लिए फैंजाबाद को 499.00 हजार रुपये तथा सुल्तानपुर के लिये 1360.00 हजार रु0, मिश्रित स्कूल के लिये फैंजाबाद के लिये 79.00 हजार रु0 तथा सुल्तानपुर के लिये 417.00 हजार रु0 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उच्चीकरण के लिये फैजाबाद का शून्य तथा सुल्तानपुर के लिये 4535.00 हजार रु0 अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लिये फैंजाबाद को शून्य तथा सुल्तानपुर का 125.00 हजार रु0 ।

राजकीय चिकित्सालयों में रोगी शैय्याओं की वृद्धि के लिये फैंजाबाद को 190.00 हजार रुपया तथा सुल्तानपुर के लिये 350.00 हजार रुपया पुरुष तथा महिला चिकित्सालयों की स्थापना के लिये फैंजाबाद को 165.00 हजार रुपया तथा सुल्तानपुर के लिये 1750.00 हजार रुपया । उपचारिकाओं के लिये आवास गृहों के निर्माण के लिये फैंजाबाद का शून्य तथा सुल्तानपुर के लिये 1000.00 हजार (दस लाख) । शहरी तथा ग्रामीण होम्योपैथिक औषधालयों की स्थापना के लिए फैंजाबाद को 263.7 हजार रुपये तथा सुल्तानपुर के लिए 135.00 हजार रुपये इस प्रकार स्वास्थ्य पर पूरा खर्च फैंजाबाद को 5405.7 हजार रु0 तथा सुल्तानपुर को 13.648.00 हजार रु0 ग्राम्य विकास पर पूरा खर्च फैंजाबाद को 2225 हजार रु0 तथा सुल्तानपुर 7500.00 हजार रु0 अनुसूचित जाति छात्रवृति में पूरा खर्च फैंजाबाद को 387.2 हजार रु0 तथा सुल्तानपुर को 1410.5 हजार रु0 हैं ।

इस तरह मान्यवर, आप देखें कि मैंने एक जिले का उदाहरण दिया हैं और वह भी एक साल का हैं । किस तरह से योजनाओं में धन का आवंटन किया गया और उसमें पक्षपात एवं मनमानी की गई हैं । इससे साफ परिलक्षित होता हैं कि इसमें पक्षपात हुआ हैं । मैं जो संकल्प लाया हूं वह दो बातों के लिये लाया हूं । एक तो यह कि पक्षपातपूर्ण व्यवहार बन्द होना चाहिए दूसरा यह कि जो आज हम सेन्टर से अपना हक नहीं मांग सकते हैं, इस संकल्प के पारित हो जाने पर हमारे मुख्य मंत्री जी में जो मनोबल नहीं रह गया हैं, आत्मबल नहीं हैं कि वह प्रधान मंत्री और राष्ट्रीय विकास परिषद् में हिम्मत के साथ कह सकें कि वह हमें हमारा हक दें, इससे उन्हें बल मिलेगा ताकि वे निडर हो सकें । हमारे प्रदेश की जनता अभी अंगड़ाई ले रही हैं किन्तु मुख्य मंत्री सोचने के लिये मजबूर हो जायेंगे कि वे यह कहें कि

हमें योजनाओं के लिये हमारे हक का पूरा धन मिले ।

यह सिलसिला जो अब तक चलता रहा है बंद होना चाहिए और प्रदेश में तमाम जिलों के शोषण की बुनियाद पर कुछ क्षेत्रों को सजाने की बात समाप्त होनी चाहिए ।

इस समय सदन के नेता यहां पर नहीं हैं लेकिन जो वरिष्ठ मंत्रीगण यहां पर हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस प्रश्न को दलीय प्रश्न मत बनाइये, इस पर व्हिप जारी मत करिये और सभी को स्वतंत्र मन से बोलने दीजिए और मत का उपयोग करने दीजिए ताकि प्रदेश के जन प्रतिनिधियों की सही भावना, सही आकांक्षाओं का सही आकलन हो सके और प्रदेश के साथ न्याय हो सके । वर्ना मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकारें बनती रहती हैं और बिगड़ता रहता है जैसा अभी हमारे साथी राम सरन दास जी ने प्रश्न उठाया था, और अखबारों में भी छपा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी जा रहे हैं । यह सही हो या गलत हो लेकिन इस तरह की रयूमर चल रही है । पिछले 10-12 सालों का कांग्रेस का इतिहास देख रहे हैं तो उसमें कोई ताज्जुब नहीं है कि कब कौन सरकार बनेगी और कब कौन मुख्य मंत्री रहेगा यह बात यहां विधायक दल में तय नहीं होती है इसकी नकेल किसी और के हाथ में रहती है । तो मैं कहना चाहता हूं जो वरिष्ठ मंत्रीगण यहां पर उपस्थित हैं उनसे कहना चाहूंगा कि कुर्सी पर रहते प्रदेश की जनता के साथ, प्रदेश के पिछड़े जिलों के साथ न्याय करिये वर्ना जमाना कोसेगा जब आप कुर्सी पर नहीं रहेंगे तो आपको भी पश्चाताप होगा । इन शब्दों के साथ में दो लाइन पढ़कर अपनी बात समाप्त करूंगा ।

"शोहरत की बुलंदी में भी पलभर का तमाशा है,
जिस डाल पर बैठे हो वह टूट भी सकती है ।"

इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता के साथ न्याय करिये और प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने में अपना योगदान दीजिये और जो तरीका जिलों का शोषण कर कुछ क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है उस तरीके को बन्द कर दीजिये उस पर अंकुश लगाइये । इन शब्दों के साथ में आपके माध्यम से पुनः इस पक्ष और उस पक्ष के सारे माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि खुले मन से इस पर अपने विचार दीजिये और इस प्रस्ताव को अपना आशीर्वाद और समर्थन देकर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने और विकास दर को आगे ले जाने में योगदान दीजिये और अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिये । इन शब्दों के साथ में अपने संकल्प को सदन के सामने पेश कर रहा हूं ।

* श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय तिवारी जी ने इस सदन में आज एक अहम मसला अपने संकल्प के माध्यम से रखा है । श्रीमन्, जब से प्रदेश बना है, शुरू से आज तक प्रदेश की उपेक्षा हर स्तर पर होती रही है । जैसा माननीय तिवारी जी ने कहा प्रधान मंत्री लेकर हमने गरीबी खरीदी है । श्रीमन्, यही स्थिति हमारे साथ रही है कि मुख्य मंत्री लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश ने भी गरीबी खरीदी है । पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति अपने प्रदेश के अंदर और प्रदेश की स्थिति भारत के अन्दर अत्यन्त ही विकल हो गयी है । कि यहां किस समय क्या भावना जागृत हो जाय कहा नहीं जा सकता है । प्रदेश में जो विकास के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें भी सभी जिलों का समन्वित विकास नहीं हो रहा है और उसमें कुछ ही क्षेत्रों को लिया जा रहा है । बजट में जो पैसा रखा गया है उसमें आप उद्योगों को ही ले लीजिये, बेकारी को ही ले लीजिये वह कुछ जिलों में बहुत अधिक हो गयी है लेकिन उनके लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया है जिससे बेकारी दूर हो सके । यह बात सही है कि गंगा की तलहटी पर पापुलेशन अधिक है जब वहां पर अधिक पापुलेशन है तो वहां के गरीबों को रोटी रोजी देने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है । इस साल जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसको देख लें तो किसी जगह पर एक जिले में 63 करोड़ का उद्योग लगाया जा रहा है या 6सौ करोड़ का उद्योग लगाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे जिलों को उपेक्षित किया जा रहा है, इसका कारण है कि योजना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आपने बनाया है कि प्रदेश में कुछ जिलों को छांटकर वहीं विकास किया जाये, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इससे पूरे प्रदेश का विकास संभव है, कतई संभव नहीं है।

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात जब आती है तो मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि वहां इतनी योजनायें चलाई जा रही हैं, इतने उद्योग लगाये जा रहे हैं, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, तिवारी जी ने काफी आंकड़े प्रस्तुत कर दिये हैं, मैं केवल कुछ मुद्दों पर ही अपनी बात रखना चाहता हूं। आप एक तरफ भाषण देते हैं कि हम सभी जगह समन्वित विकास, बराबर विकास करना चाहते हैं और जहां सिंचाई और जहां सड़कें नहीं हैं वहां सिंचाई के साधन उपलब्ध करायेंगे और सड़कें बनायेंगे। आपने जिला योजना लागू किया और उसके आधार पर जहां जिन चीजों की आवश्यकता है वहां उन चीजों के प्रस्ताव मंगाकर राज्य योजना में उसको समन्वित किया जाये। लेकिन स्थिति यह है कि जिला योजना से जो प्रस्ताव आते हैं, यहां धन आवंटित उनको करते हैं, मैं यह मानता हूं लेकिन उस जिले में क्या कार्य कराया जायेगा इसके लिये जिला कमेटी बनायी है तो उससे जो प्रस्ताव आते हैं उनको राज्य स्तर पर जानबूझकर, मनमाने ढंग से काट दिया जाता है। किसी जिले से कोई प्रस्ताव आया उसको यहां मनमाने ढंग से काट दिया जाता है।

मान्यवर, दूसरी बात कहना चाहता हूं कि एक बार जब जिला योजना प्रणाली को लागू किया कि जिले से जो योजनायें आयेंगी, उनको धन आवंटित करेंगे और उन पर धन खर्च करने के लिए वह स्वतंत्र होंगे। तो क्या कारण है कि जब जिले से योजनायें आती हैं तो यहां जब वह स्वीकृत हो जाती हैं तो उनकी वित्तीय स्वीकृति भी राज्य स्तर से जाती हैं जैसे पी0 डब्लू0 डी0 या सिंचाई विभाग को ले लें। जो भी योजनायें जिलास्तर से बनकर आती हैं यहां से स्वीकृत हो जाने के बाद पुनः उस पर वित्तीय स्वीकृति चीफ इंजीनियर या सचिव देते हैं। नतीजा है मेरे बस्ती जिले जिले में 1982-83 की वित्तीय स्वीकृति पी0 डब्लू0 डी0 की 1984-85 में प्राप्त हुई है। जिला योजना 82-83 में स्वीकार हुई कि कौन कौन सड़कें बनायी जायेंगी लेकिन राज्य सरकार से उसकी वित्तीय स्वीकृति 1984-85 में प्राप्त हुई है। तो 1982-83 की जिला योजना की क्या उपयोगिता रह गयी।

मान्यवर, एक तरफ कहते हैं कि सभी जिलों का बराबर विकास करेंगे लेकिन आप कुछ चंद जिलों को छांट लेते हैं और उसके बाद वहां सारी पूंजी लगाते हैं, बाकी जिलों को आप उपेक्षित क्यों छोड़ रहे हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान में उपेक्षित हो रहा है। मुख्य मंत्री हमेशा कहते हैं कि इतना धन प्लानिंग कमीशन से ले लिया लेकिन होता है हमारे यहां के मुख्य मंत्री और मंत्री वहां बोल नहीं पाते हैं और जो ऊपर से कह दिया गया उसको सिर झुकाकर मानकर चले आते हैं, क्योंकि जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को जो भी दे दिया जायेगा उसमें वह प्रसन्न रहेगी। इस तरह आप कैसे प्रदेश को आगे बढ़ायेंगे और जो यहां विषमतायें हैं उनको कैसे दूर करेंगे, इस पर सहानुभूति पूर्वक और गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है ताकि जो मंशा आप अपने भाषणों में व्यक्त करते हैं उसको सचमुच में कार्यान्वित किया जा सके। प्रदेश के प्रत्येक जिले का बराबर विकास हो, वह चाहे पहाड़ी जिला हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले हों या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हों। मान्यवर, यह निश्चित है कि प्रदेश का कोई न कोई हिस्सा किसी न किसी चीज में पीछे है। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि प्रदेश का कोई हिस्सा सम्पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। आप इसका अनुश्रवण करा चुके हैं, आपके पास डाटा मौजूद है कि प्रदेश के किस हिस्से में किनकी कमी है और किसकी बाहुल्यता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय तिवारी जी ने जो संकल्प रखा है, उस पर बल देते हुए मुख्य मंत्री जी से और प्रदेश के अन्य मंत्रियों से आग्रह करूंगा कि वह इस पर विशेष ध्यान दें और इसको वाकई में कार्यान्वित करने का कष्ट करें, ताकि प्रदेश का कुछ हिस्सा जो एक दम पिछड़ा होता जा रहा है और अपना प्रदेश पूरे 'भारतवर्ष' में जो एकदम पिछड़ा जा रहा है, उनका समन्वित विकास किया जा सके।

श्री मयंकर सिंह—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, भजन का कोरम बिलकुल समाप्त हो गया है ।

एक सदस्य—

आज असरकारी दिवस है और आज के दिन कोरम का सवाल नहीं उठता है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्यों ने आज के लिए 5 संकल्प प्रस्तुत किये हैं अलग अलग नामों से । इन पर केवल 3 बजे तक ही चर्चा होनी है । यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो जो संकल्प चल रहा है, उसी पर बोलना चाहें तो उसी पर बोलेंगे । अन्यथा दूसरे पर बोलना चाहें तो उसे लिया जा सकता है ।

एक सदस्य—

यह बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे ही चलने दीजिए ।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है । माननीय मंत्री जी, आप अभी बोलेंगे या बाद में ?

नियोजन मंत्री श्री जयराम वर्मा—

माननीय सदस्यगण अपनी राय प्रकट कर लें, तब बोलना मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा

श्री मित्रसेन—

अधिष्ठाता महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य तिवारी जी ने जो संकल्प रखा है वह किसी जिले से सम्बन्धित नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश और पूरे प्रदेश की जनता से सम्बन्धित है और हमारे सभी लोगों के हित का है । इसके जरिये प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से धन के आबंटन में और प्रदेश सरकार द्वारा जिलों में धन आबंटन के लिए सम्यक नीति अपनाए जाने पर बल दिया गया है ताकि विकास की विभिन्न योजनाओं में विभिन्न जिलों के मध्य जो असमानता है, जो विषमता है वह दूर हो सके और सबको विकास का समान लाभ मिल सके । मैं समझता हूं कि इससे अधिक बुनियादी प्रश्न कोई दूसरा हो नहीं सकता है । यह प्रश्न जनता और प्रदेश से गहराई से जुड़ा हुआ है, और इससे किसी का विरोध नहीं होगा, बल्कि सबका जबरदस्त समर्थन होगा । शिक्षा में उद्योग में आत्मनिर्भरता के साधनों में, सिंचाई के साधनों आदि तमाम मामलों में जिलों के मध्य विषमतायें अभी बनी हुई हैं । उसमें यदि हमने विकास के लिए कई योजनायें बनाई हैं, तो वह यहां पर काम निश्चित रूप से होना चाहिए ना कि शासन में रहने के नाते कुछ ही लोगों को, उनके जिलों और क्षेत्र को पूरा लाभ उठाने का मौका होना चाहिए ।

हमें कानून के दायरे में कुछ ऐसा नियोजन अपनाना चाहिए कि प्रदेश की तमाम जनता को बुनियादी हक प्राप्त हो सके और उनकी रोजी-रोटी, शिक्षा और उद्योग आदि की आवश्यकताएं समान रूप से पूरी हो सकें । उत्तर प्रदेश विशाल प्रदेश है और उसको धन के आबंटन में अब तक जो मिलता रहा है, उसका नतीजा यह है कि हम पिछड़ते पिछड़ते उस स्तर पर चले गये हैं कि हमारा प्रदेश सारे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा पीछे हो गया है । यह प्रदेश सरकार की उपेक्षा की नीति रही है और यदि अपने बलबूते पर, अपनी जनता के बलबूते पर हमने अपना हक नहीं प्राप्त किया तो नतीजा यह होगा कि हमारा उत्तर प्रदेश हर मामले में और भी पीछे चला जायगा । इसीलिए हमें योजनाएं ऐसी अपनानी चाहिए कि उनके माध्यम से केन्द्र सरकार से भी हमें सही धन का आबंटन हो सके और हम देश के अन्दर अन्य देशों के समान सभी क्षेत्रों में अपना विकास कर सकें । माननीय तिवारी जी ने विस्तृत आंकड़े रखकर बड़ी अच्छी तरह इसे समझाया है कि जिस कोने का मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री हो जाए प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का सारा पैसा उनके क्षेत्र में लग जायगा उनके क्षेत्र के सौन्दर्यीकरण और विकास के लिए सारे धन का आबंटन हो जाता है जिससे प्रदेश के अन्य क्षेत्र पिछड़ जाते हैं । इस तरह से प्रदेश के कोने कोने की जनता के साथ अन्याय होता है तो इस पर कोई प्रतिबंध लाना चाहिए । इस संकल्प के जरिये लोगों को ऐसा बल मिलता है कि किसी भी क्षेत्र में जो असंतुलन है, जो विषमता की खाई है उसको पाटने और समानता तथा विकास में गति लाने का अवसर यह संकल्प प्रदान करता है ऐसा संकल्प विपक्ष की तरफ से नहीं आना चाहिये था । ऐसा संकल्प तो सत्ता पक्ष की तरफ से आता और हम लोग उसका पुरजोर समर्थन

करते। यह खुशी की बात है कि हमारे सत्ता पक्ष को सद्बुध्दि प्रदान करने वाला यह संकल्प विपक्ष की तरफ से आया। सत्ता पक्ष के लोगों को इसका स्वागत करना चाहिये और इसके माध्यम से सभी क्षेत्रों के विकास को बल मिलेगा और जो असंतुलित विकास के कारण विस्फोटक स्थिति पैदा हो रही है वह सुधरेगी।

अभी 2—4 आंकड़ों की तरफ माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया था। मैं फैजाबाद जिले की बात कहना चाहता हूं। हमारा जिला कमिश्नरी स्तर का जिला है। सरकार ने तय किया था कि कमिश्नरी स्तर पर जो जिले हैं उनको मेडिकल कालेज देंगे उनको इंजीनियरिंग कालेज देंगे। कमिश्नरी स्तर के जिलों के लिये कुछ मानक तय किये गये थे कि उनको इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा लेकिन फैजाबाद जिले में, चूंकि प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री के जिले उसी कमिश्नरी में हैं इसलिये इंजीनियरिंग कालेज सुल्तानपुर चला गया और मेडिकल कालेज भी सुल्तानपुर जाने वाला है। फैजाबाद जो कमिश्नरी स्तर का जिला है वह इससे वंचित हो रहा है। जो औद्योगिक विकास की संभावनायें थीं फैजाबाद जिले में वह अमेठी और इसौली क्षेत्र में सीमित होती जा रही हैं। कुछ लोगों का वर्चस्व कायम करने के लिये उनके क्षेत्र के विकास के नाम पर, हमेशा उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिये उनके क्षेत्रों को उनका गढ़ बनते जा रहे हैं। यह नीति देश और प्रदेश की जनता को जो अधिकार प्राप्त हैं, समानता का जो अधिकार है, उसमें बाधक है। इस संकल्प के जरिये क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जा सकता है। हमारे सामने बैठे हुये अनुभवी और बुजुर्ग मंत्री माननीय वर्मा जी, आर्या जी, यादव जी जैसे लोग हैं जिन्होंने इसको देखा है और हमारा ख्याल है वह महसूस करते होंगे क्षेत्रीय विषमता को और क्षेत्रीय असंतुलन को। प्रदेश के सभी जिलों में जो संभावनायें हैं, जिस क्षेत्र का जैसा विकास होने की आवश्यकता है उसको उससे वंचित न रखा जाय यह संकल्प इस मंशा से लाया गया है। इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि इस संकल्प को पारित करें। इसमें यह नहीं देखा जाना चाहिये कि यह पक्ष का संकल्प है या विपक्ष का संकल्प है।

जो आंकड़े तिवारी जी ने पेश किये हैं उनको मद्देनजर रखते हुये, हम इस बात को महसूस करते हैं कि इस संकल्प के जरिये कमजोरियों को दूर किया जा सकता है और जनता और प्रदेश की सरकार को ऐसा हथियार मिल सकता है जो केन्द्र सरकार से अपना हक मांग सके। इस लिये इसको पारित करना चाहिये। मैंने आंकड़े नहीं पेश किये हैं लेकिन जो फैजाबाद के अंदर कमिश्नरी लेविल का जिला होने के नाते और जो सुविधायें नीतिगत रूप में स्वीकार की गयीं थीं कमिश्नरी स्तर के जिलों के लिये वह सुविधायें उसको दी जायं। फैजाबाद जिले को उससे वंचित नहीं किया जाना चाहिये। इस कमिश्नरी का जिला सुल्तानपुर मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री से संबंधित हैं सारे धन के आबंटन को वहां ले जाया जा रहा है। ऐसा सारे प्रदेश में हो रहा है। इस विषमता को दूर करने के लिये मैं इस संकल्प पर बल देते हुये यह चाहता हूं कि इसको पारित किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(2 बजकर 20 मिनट)

श्री रघुबर दयालु वर्मा—

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने उत्तर प्रदेश के संतुलित विकास और उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जो संकल्प जिन आंकड़ों के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया है, उस संकल्प के माध्यम से माननीय तिवारी जी ने उत्तर प्रदेश के करोड़ों-करोड़ों उन लोगों की भावनाओं को आपके माध्यम से सरकार के सामने रखने की कोशिश की, जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। 6 पंचवर्षीय योजनायें पूरी हो गयी हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना का रूप तैयार हो गया है। उत्तर प्रदेश और पंजाब को मिलने वाले राष्ट्रीय परिव्यय में से प्रति व्यक्ति औसत यदि निकालें, तो उत्तर प्रदेश को 566 रु0 प्रति व्यक्ति और पंजाब को 1160 रु0 प्रति व्यक्ति प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय आमदनी में राज्यवार जो रुपया विकास के नाम पर मिला उसको अगर देखा जाय, तो उत्तर प्रदेश

अध्यक्ष ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

सबसे नीचे चला जाता है। उत्तर प्रदेश का नेतृत्व इतना लड़खड़ाया हुआ है कि वह अपनी बात भी कहने में शर्मिंदगी महसूस करता है। इसलिए वह उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन की बात केन्द्रीय नेतृत्व के सामने रखने में सक्षम नहीं हुआ। पंजाब का लड़ाकू नेतृत्व इतना रुपया लेने में सक्षम हुआ और अपनी तरक्की कर गया और उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ गया।

श्रीमन्, अब आगरा के उन भागों में आप जायं, तो देखेंगे कि जैसे जमुना और चम्बल और टंगन नदी की घाटी क्षेत्र हैं, जहां पर आप देखेंगे कि वहां पर सबसे ज्यादा भूमि कटाव और भू-क्षरण से ग्रसित है। आगरा में कृषि सुधार एवं कृषि विपणन के नाम पर 1984-85 में एक पैसा भी नहीं संकलित किया गया और सेक्टरवार जो परिव्यय की सूचना दी गयी है, आगरा में एक पाई भी इस हेतु सुरक्षित नहीं की गयी। आगरा में जमुना और चम्बल और टंगन नदी के इलाके में कटान इतना होता जा रहा है कि कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है, जहां पर सबसे ज्यादा भूमि सुधार करने की आवश्यकता है वहां पर भूमि कटाव रोकने के लिए धन सुरक्षित न करना कितना अन्याय है। वहां पर जो कृषि योग्य भूमि है, वह कट-कट कर कम होती जा रही। इसकी उपेक्षा का कारण एक ही है कि वहां का कोई व्यक्ति मंत्रि परिषद में नहीं है। धन आबंटन की जो वरीयता मंत्री या विशिष्ट व्यक्ति पर की जाती है, वह न कर इस आधार पर आबंटन कीजिए कि वहां का आधार शिक्षा, पिछड़ापन और सामाजिक स्तर और आमदनी क्या है। इस आधार पर धन का बटवारा हो तो राज्यों का, उत्तर प्रदेश का भला हो सकता है। इसी प्रकार इस जनपदवार, सेक्टरवार परिव्यय में आगरा में गन्ने के विकास के लिए एक भी पैसा नहीं रखा गया। आप जानते हैं कि आगरा की सातों तहसीलों में सबसे ज्यादा गन्ना पैदा होता है। गन्ना के विकास पर एक पाई भी वहां पर न रखना आगरा के साथ सौतेला व्यवहार है।

आगरा सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है, लेकिन एक पाई भी इसमें नहीं दर्शायी गयी है। 1984-85 में जिलेवार, सेक्टरवार परियोजना परिव्यय में एक भी पैसा पर्यटन मद में सुरक्षित नहीं है। आगरा का जो पिछड़ापन है, जो वहां की गरीबी है, यदि आप वहां का आकड़ा करना चाहें, तो उदाहरण स्वरूप जो आगरा जून, 84 में प्रायस इन्डेक्स (मूल्य सूचकांक) पर आया है, उससे जो आमदनी का औसत प्रति व्यक्ति निकाला गया है, वह 120 रु0 प्रति माह प्रति व्यक्ति आता है, जो बहुत ही निम्नतम स्तर का है। जमुना, चम्बल और टंगन बैली में आप जायं, तो वहां पर एक आदमी की औसत आमदनी 2 रु0 रोजाना पड़ती है। एक महीने में 30 दूना 60 रु0 और उसी में उसे अपना जीवन यापन करना पड़ता है। यदि हम यह अन्दाजा लगायें कि 2 रु0 कमाने वाला आदमी अपने पूरे परिवार को खाना खिलाने में एक दिन में कितना खर्च करेगा? तो उसका औसत बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक आता है, जो जिन्दा रहने लायक भी नहीं बैठता। आप महसूस करेंगे, उत्तर प्रदेश की जमुना, चम्बल, टंगन नदी की घाटी में लोग रहते हैं। उनके खर्च की जो सीमा है वह निम्नतम स्तर की है। उनके पिछड़ेपन और उनके जीवन स्तर को इसमें रखने की बात हुई है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां की जो हालत है बांदा का जनपद है बुन्देलखंड का इलाका है वहां के बन्धुआ मजदूरों की जो हालत है उसको देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि एक बन्धुआ मजदूर को दो रोटी एक प्याज की गांठ और दो हरी मिर्च रोज खाने को मिलती है। जो पैसा कमाते हैं उनकी यह हालत है। आपको मान्यवर, मालूम है गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की क्या हालत हो गई है। इसको उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने देखा है और संकल्प सुझाया है उन्होंने ज्यादा से ज्यादा रुपया मांगकर। उत्तर प्रदेश की सरकार को चाहिए कि पिछड़ापन दूर करे। आज आवश्यकता है आमदनी के साधन की। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खर्च की सीमा पर रोक लगाई जाए। लोहिया जी ने कहा है कि खर्च की सीमा पर पाबन्दी लगाने से जो आमदनी से पैसा निकलेगा वह गरीबों की जेब में जाने से काम हो सकता है। यदि आप पिछड़ेपन को दूर करना चाहते हैं, तो आपको क्रान्तिकारी कदम उठाने चाहिए

थे। जैसा कि राममनोहर लोहिया जी ने खर्च की सीमा पर पाबन्दी लगाने को कहा था। अगर आपकी सरकार इस पर सोचती तो अच्छा होता आज जो हालत पिछड़ेपन की है।

शिक्षा के क्षेत्र में आप चले जाएं। हमारे जनपद में जहां ग्रामीण इलाका है पूरे गांव में ऐसी स्थिति है कि अगर एक चिट्ठी आ जाए तो एक बच्चा पढ़ने वाला मिलता है। चिट्ठी लिखाने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। ऐसी स्थिति जमुना आदि के जो इलाके हैं वहां बनी हुई है। जो ग्रामीण इलाके हैं, जंगल के इलाके हैं, घाटियों का इलाका है, जहां संतुलित विकास की एक किरण नहीं पहुंची है ऐसे इलाकों को विकास में जोड़ना चाहिए।

माननीय, मुझे कहना पड़ रहा है कि पांच प्रधान मंत्री हमारे प्रदेश को मिले पंडित जवाहर लाल नेहरू, स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी और आज उनके परिवार के वर्तमान प्रधान मंत्री हैं और इसके बाद चौधरी चरन सिंह और लाल बहादुर शास्त्री जी। यह पांच प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश को मिले। जब-जब राज्यवार बंटवारा हुआ तब-तब उत्तर प्रदेश सबसे पीछे चला गया, हम पिछड़ते गए। इसीलिए मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का नेतत्व प्रधान मंत्री बगैर कैसे गया। पंजाब की जनता ने लड़ाकू नेतत्व पैदा कर किया। और पंजाब के लड़ाकू नेतत्व ने सिद्ध कर दिया कि हम अपने यहां प्रगति की ज्योति जलाने में, उत्तर प्रदेश से हमारा नेतत्व कितना प्रखर है। यह उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया कि 1160 रुपये प्रति व्यक्ति उन्होंने लिया और आपको छठीं पंचवर्षीय योजना में 566 रुपये मिला। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में आपने 17 सौ करोड़ केन्द्र से मांगा था और आपको 11 सौ करोड़ प्राप्त हुआ। आपने प्रति व्यक्ति आमदनी 5-2 आंका है, फिर कभी कहते हैं कि 6 प्रतिशत बढ़ी है।

मैं कहना चाहता हूं कि यदि दोनों परिव्ययों को जो प्राप्त हुआ है आंकलन किया जाय और जो महंगाई बढ़ रही है उसको देखा जाय तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में अन्त तक यह आमदनी घटकर 4-99 हो जायेगी। यह स्थिति उत्तर प्रदेश की बनने वाली है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये गरीबी को दूर करने के लिये तिवारी जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, इस संकल्प के माध्यम से पिछड़ेपन के आधार पर, आबादी के आधार पर धन का बंटवारा कराने हेतु, लड़ाई लड़े। पहली पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश का स्थान तेरहवां, दूसरी में 15, फिर सोलहवां हुआ और छठी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश का स्थान 21 नम्बर पर आ गया। इससे सिद्ध होता है कि उत्तर प्रदेश का नेतत्व कितना सक्षम है उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने में कितना जागरुक है गरीबी को दूर करने में। उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन और आबादी को देखते हुए विकास का दीप जलाने में कितनी दिलचस्पी रखता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का विशाल आकार, विशाल आबादी को देखते हुये आज उत्तर प्रदेश में 51-11 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन बिता रहे हैं। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की हुकूमत की है। उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग कर्ज में पैदा होते हैं और कर्ज में मर जाते हैं। जिनके तन पर पहनने को कपड़ा नहीं होता है, जो एक वक्त पेट को बांध कर सो जाते हैं, भूखों रहते हैं, ऐसे लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिये यदि उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ करना चाहती है तो तिवारी जी के इस संकल्प को सर्वसम्मति से पास करें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर जिले की स्थिति, आबादी, शिक्षा का स्तर और सामाजिक स्तर के हिसाब से धन का आवंटन किया जाय तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का चतुर्मुखी विकास हो सकता है। इस आधार पर धन न दिया जाय कि जिले में फला विशिष्ट व्यक्ति है। विशिष्ट व्यक्ति के आधार पर धन न दिया जाय। उस जिले के पिछड़ेपन, भूमि का कटान, शिक्षा की स्थिति वहां के लोगों की आमदनी के आधार पर धन का बंटवारा किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश का चतुर्मुखी विकास हो सकता

हैं। इन शब्दों के साथ मैं तिवारी जी के संकल्प का समर्थन करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि इस संकल्प को सर्वसम्मति से पास करने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, अगला संकल्प भी बहुत महत्वपूर्ण है, इनको भी प्रस्तुत करा लीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने पहले ही निवेदन किया था कि और संकल्प भी ले लिये जायं, लेकिन माननीय सदस्यों ने कहा कि यह महत्वपूर्ण विषय है, इस पर ही चर्चा चलने दें। इसमें तो माननीय सदस्यों की इच्छा ही सर्वोपरि है।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैं माननीय तिवारी जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस संकल्प पर चर्चा हो रही है, वह भी महत्व पूर्ण है। इनका सम्बन्ध पूर्व प्रदेश की घटनाओं से है। तीन बजे तक तक संकल्पों पर चर्चा होनी है अतः सारे संकल्प प्रस्तुत हो जायं, फिर इसी विषय पर चर्चा चलती रहे तो अच्छा होगा।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, मनोहर लाल जी बोल लें तो विचार कर लेंगे।

*श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। किसी भी देश या प्रदेश की तरक्की के लिये आवश्यक है कि नियोजन सही ढंग से हो। तभी प्रदेश या देश तरक्की कर सकता है। अभी तक छह पंचवर्षीय योजनाएं बीत चुकी हैं। सातवीं लाग् हो रही है। इसी के साथ-साथ हमारे युवा प्रधान मंत्री हमारे देश को 21वीं सदी की ओर ले जाने की घोषणा कर चुके हैं। जा पाएंगे या नहीं यह दूसरी बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश की हालत को देखते हुए कहना चाहूंगा कि बुन्देलखण्ड और मिर्जापुर जैसे जिलों की जहां तक बात है वे 14वीं और 15वीं सदी से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। 21वीं सदी तो आगे की बात है। इसलिये 7वीं योजना सम्बन्ध में तिवारी जी ने जो संकल्प रखा है, उस पर विचार आवश्यक है। अगर किसी योजना के तहत सही पैसे का आवंटन नहीं होगा, कम पैसा मिलेगा तो जो पिछड़े जिले हैं, वे और पिछड़ जाएंगे। अतः पिछड़े जिलों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं गलत नियोजन की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे कवाल टाउन्स हैं। पहले जो जल संस्थान थे, वे नगर महापालिका के अन्तर्गत थे। लेकिन एक त्रुटिपूर्ण कार्य यह हुआ कि जल संस्थान को अलग कर दिया गया। अलग करते समय किसी भी प्रकार का कोई अनुदान नहीं दिया गया। जैसे कोई बाप अपने बेटे से कह दे एकदम से अलग हो जाओ, तुम्हारा चौका बरतन अलग हो गया है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई पूंजी न दे। तो कोई पूंजी न होने से उसकी क्या हालत होगी। तो इन जल संस्थान के पास कोई पूंजी नहीं है। उनसे कहा गया है कि जितना टैक्स का पैसा उसी की वसूली करके खर्च चलावे। कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ या बनारस कहीं के भी जल संस्थान हों इनकी वित्तीय दशा की हालत पैदा हो गयी है। जल संस्थान को कोई भी अनुदान भी नहीं मिला है। नियोजन सही ढंग से नहीं होता है तो इस तरह की बहुत सी बातें सामने आती हैं हम लोग चाहते हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में कानपुर और उन्नाव जनपद में गंगा पर बैराज होना अति आवश्यक है।

मैं माननीय नियोजन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सातवीं योजना में इन दोनों जनपदों के लिये गंगा बैराज देने की कृपा करें। कानपुर के लिये खास तौर पर, क्योंकि वहां पीने के पानी की समस्या है, इस 20 लाख की आबादी वाले शहर में गंगा जी उन्नाव की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। उन्नाव में कटान हो रहा है अब तक लगभग 200 गांव कट चुके हैं। अगर इस सातवीं पंचवर्षीय योजना में गंगा बैराज के लिए धन आवंटित नहीं किया गया तो दोनों जनपद खतरे पर हैं। मान्यवर, बहुत अफसोस होता है कि तमाम घोषणाओं के बावजूद भी इस सातवीं पंचवर्षीय योजना में किसी भी प्रकार

अध्यक्ष ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

के धन का आवंटन गंगा बैराज के लिये नहीं रखा गया। मान्यवर, एक सन कमेटी बनी थी उस सैन कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें बताया गया था कि 56 करोड़ की लागत से गंगा बैराज का निर्माण हो सकता है। अब वह 56 करोड़ रुपये बढ़कर 200 करोड़ रुपये हो गये हैं। और यह 200 करोड़ रुपये की लागत उत्तर प्रदेश सरकार की क्षमता से बाहर हो गयी है उसे बनवाने के लिये। मान्यवर, आज नेतृत्व में इतना साहस नहीं है कि वह केन्द्र सरकार से लड़ सके। जो आवश्यक योजनायें हैं, उन पर सातवीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त प्रदेश के उन जिलों की ओर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो काफी पिछड़े हुए हैं।

मान्यवर, जिस तरह से हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हनुमान जी रहे हैं, उनको यह दिखाने के लिये कि तुम्हारे अन्दर बहुत बड़ी ताकत है, तुम सूर्य को निगल सकते हो उसी तरह से माननीय तिवारी जी ने उत्तर प्रदेश शासन को यह दिखाने के लिए कि तुम्हारे अन्दर क्षमता है, संकल्प रखा है। इसके माध्यम से यह प्रयास किया है कि अगर प्रदेश शासन साहस करे तो सातवीं पचवर्षीय योजना में ज्यादा पैसा मिल सकता है। उन जिलों पर जो पिछड़े हुए हैं, अधिक ध्यान देकर, धन आवंटित कर जिला योजनाओं के माध्यम से काम किया जा सकता है। मान्यवर, इन पिछड़े जिलों का, नियोजन में विशेषतौर से ध्यान देकर, कृषि के माध्यम से सिंचाई के माध्यम से, नगर विकास के माध्यम से विकास किया जा सकता है। माननीया नगर विकास मंत्री जी बैठी हुई हैं। मान्यवर, हमारे जनपद उन्नाव में हर तरफ गन्दगी व्याप्त है, ड्रेनेज सिस्टम वहां हुआ ही नहीं। वहां से एक केन्द्र में मन्त्री हैं और प्रदेश मन्त्रिमण्डल में कैबिनट स्तर के एक मंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्नाव जनपद की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह इस बात का सबूत है कि लखनऊ और कानपुर के बीच में होते हुए भी उन्नाव जनपद पिछड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ में प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं।

(श्री त्रिलोक चन्द्र व श्री देव कुमार यादव के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

इसके बाद दूसरे भी संकल्प हैं, माननीय मंत्री जी को बोलने के लिए कहूं या आप लोग बोलना चाहेंगे।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मैं 5 मिनट चाहूंगा इस पर बोलने के लिए।

श्री देव कुमार यादव—

5-5 मिनट इस पर मौका दे दें।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, आप हम लोगों के जो संकल्प हैं, उनको आप पेश करवा लीजिये।

*श्री त्रिलोक चन्द्र—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो विषय आज सदन के सामने विचाराधीन है, बहुत ही गंभीर विषय है। यह कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई का प्रश्न नहीं है। हमेशा इस प्रदेश के साथ, जहां तक मुझे ध्यान है 1975 से पहले कभी भी आबादी के आधार पर केन्द्र सरकार से धन का आवंटन नहीं होता था। वह विवेक के आधार पर होता रहा। बारबार यह प्रश्न, खासकर हमारे प्रदेश की तरफ से उठता भी रहा है कि आबादी और पिछड़ेपन के हिसाब से केन्द्र से धन का आवंटन किया जाय। 1975 में जाकर यह हुआ कि 60 प्रतिशत आबादी के हिसाब से 40 प्रतिशत विवेक के हिसाब से धन का आवंटन किया जाय। 1947 से 1975 तक के बीच के समय में जो धन मिलता रहा, वह विवेक के आधार पर ही मिलता रहा। आबादी के हिसाब से नहीं मिला। यह हमारे प्रदेश के पिछड़ेपन का कारण है। छोटे-छोटे जो हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश और भी छोटे-छोटे प्राविन्स, इन्हें विवेक के आधार पर पैसा ज्यादा मिला। पंजाब और हरियाणा, इन प्रदेशों को भी विवेक के आधार पर बहुत ज्यादा पैसा दिया गया लेकिन इस प्रदेश को विवेक के आधार पर भी जो पैसा आवंटित किया गया वह बहुत कम किया गया। जबकि होना यह चाहिए था कि आबादी, और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पिछड़ेपन के हिसाब से धन का आवंटन किया जाना चाहिए । 80 प्रतिशत धन आबादी के हिसाब से और 20 प्रतिशत विवेक के हिसाब से आवंटित होना चाहिए । हमारे प्रदेश में बाढ़ जैसी दैवी आपदा और सूखे जैसी आपदा प्रति-वर्ष आती है, लेकिन जो विवेक के आधार पर केन्द्र द्वारा पैसा आवंटित किया जाता है वह हमारे प्रदेश के लिए बहुत कम होता है । तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसे प्राविन्स के लिए दैवी आपदा के समय भी ज्यादा पैसा दिया जाता है । इसलिए हमको इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए ।

माननीय तिवारी जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, यह तो सरकार को मार्गदर्शन देने के लिए रखा है, सरकार की मदद करने के लिए रखा है और प्रदेश की जन भावना को ध्यान में रखते हुए यह संकल्प रखे हैं । कई माननीय सदस्यों ने कहा कि उनके जिलेवार और गांववार-सबकी पोजीशन खराब है । मिसाल के तौर पर मैं एक-दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा । हमारे यहां जो सड़कें हैं, वे स्टेट हाई-वे हैं, केवल 3800 किलोमीटर सड़क नेशनल हाईवे हैं । हरियाणा जैसा छोटा प्राविन्स, जो केवल मेरठ मण्डल के बराबर है साढ़े 6 हजार किलोमीटर सड़क नेशनल हाई-वे है, जिसका पेमेण्ट सेन्ट्रल गवर्मेन्ट करती है और स्टाफ हमारा रहता है । लेकिन जो स्टेट वे हैं उन पर हमारा ही खर्च होता है और मेन्टेनेन्स भी हमीं को करना होता है ।

इसीलिए मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने जो प्रस्ताव रखा है, वह प्रदेश की जनता की भावना है, सरकार की मदद के लिए है । यहां तक कि सरकार के लिए यह एक अस्त्र है । वह केन्द्र सरकार से भी कह सकते हैं कि कि हमने यह मांग की है । सेन्ट्रल से लड़ाई लड़ने में भी कोई नुकसान नहीं है । हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं । प्रति व्यक्ति की आमदनी, शिक्षा की हालत . . . .

हरियाणा, आप समझ लीजिये कितने साल बड़ा बजट है, कितना बड़ा क्षेत्र है लेकिन वह हर मामले में हमसे अच्छे हैं । इसीलिए मैं कहूंगा कि इससे हमारे शासन को बल मिलेगा और इस को स्वीकार कर लें ताकि केन्द्र में कहने के लिए बल मिले ।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप नियम 313 देखें, इसमें विशिष्ट शक्तियां हैं जो अध्यक्ष नियम स्थगित करना चाहें तो कर सकें । जाहिदी साहब ने निवेदन किया और हम लोगों ने भी निवेदन किया पुटअप करा लें चर्चा जारी करा दें, जिन नियमों को निलम्बित करना चाहें, कर सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

नहीं, यह तो सम्भव नहीं होगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

जब आप दूसरे संकल्पों को प्रस्तुत नहीं करा रहे हैं तो और सदस्यों को जो चर्चा में भाग लेना चाहें, उन्हें बुलवा लें, मंत्री को क्यों बुलवा रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

चर्चा समाप्त नहीं होगी । आगे जारी रहेगी ।

नियोजन मंत्री (श्री जय राम वर्मा)—

यह प्रस्ताव केवल सिद्धान्त और नीतियों से सम्बन्धित है इसमें कोई विशेष जगहों की बात नहीं है । इस पर केवल 7 वीं पंच-वर्षीय योजना में किस तरह से धन का अन्त-रण हो, उस तक इस को सीमित रखा गया है । पहले तो श्रीमन्, इस प्रस्ताव के रूप पर विचार नहीं किया गया । इस का रूप ही ऐसा है कि इस को आना नहीं चाहिए था । वह नियम विरुद्ध है । लेकिन उस पर आपत्ति नहीं की, कि विचार हो जाय । असरकारी प्रस्ताव में सरकार को निर्देश नहीं दिया जाता । राय प्रकट की जाती है, कोई संस्तुति की जाती है, अनुरोध किया जाता है । यह सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है, इसके नियम 88 को देखों, इसका रूप साफ दिया हुआ है, कोई निर्देश देने की बात सरकार को असरकारी प्रस्ताव द्वारा नहीं है । लेकिन फिर भी इस पर विचार हुआ । मैं माननीय तिवारी जी और अन्य माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस तरह के

प्रस्ताव को सदन के सामने लाने का प्रयास किया और अपने विचार प्रकट किये और उससे यह प्रकट होता है कि उनको प्रदेश के विकास की कितनी चिन्ता है और उसके लिए हर प्रकार से वह सहयोग देने के लिए तैयार हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह हो गई कि सभी सदस्यों की प्रदेश को उठाने और आगे बढ़ाने में पूरी सहायता मिलेगी, तो फिर जो उनकी चिन्ता है, वह दूर हो जायेगी।

श्रीमन्, इसमें पहले हिस्से में कहा गया है कि यह प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से यह मांग करे कि 7 वीं पंचवर्षीय योजना में धन का अन्तरण जनसंख्या और पिछड़े-पन के आधार पर हो। और फिर यह बात और कही गयी है कि यह उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं इस सिद्धान्त को अपनावे कि जिलों की विकास योजनाओं के लिए जो पैसा दिया जाता है, इसी आधार पर वह भी अन्तरण करे।

जिससे जो मिले जिस क्षेत्र में पिछड़े हों उस क्षेत्र में विकास के लिए ज्यादा धन मिल सके और विभिन्न जिलों में जो प्रति व्यक्ति आय में असन्तुलन है, वह दूर हो सके। यह बात सही है कि हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है और उसको तेजी से आगे लाने के लिए बहुत प्रयास करना होगा। निःसन्देह निरंतर इसके लिए प्रयास करेंगे और अधिकाधिक विनियोजन हो सके, इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि केन्द्रीय सरकार से हमको उसके लिए धन मिल सके तभी हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ा सकेंगे। यह बात सही है कि शुरू में जब पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई तो कोई सिद्धान्त निर्धारित नहीं था जिसके आधार पर कि यह आयोजना का परिव्यय निर्धारित होना।

दूसरी योजना में भी यही हाल रहा। तीसरी योजना काल में इसकी शुरुआत जरूर हुई। उसमें 70 प्रतिशत आबादी के आधार पर और 30 प्रतिशत दूसरी चीजों के आधार पर आवंटन किया गया, लेकिन ठीक-ठाक सिद्धान्त के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय चौथी पंचवर्षीय योजना से हुआ। जब प्रोफेसर गाडगिल प्लानिंग कमीशन में डिप्टी चेयरमैन थे, उन्हीं के जमाने में हुआ और उन्होंने यह सिद्धान्त निर्णीत किया कि 60 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर अन्तरण किया जाय और 40 प्रतिशत में 10 प्रतिशत उन प्रदेशों को दिया जाय जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से कम हो और 10 प्रतिशत जो सिंचाई और विद्युत की योजनायें हैं उनके आधार पर और 10 प्रतिशत जो कर निर्धारण के लिए प्रयास किये जाते हैं उसके आधार पर, और 10 प्रतिशत विशिष्ट समस्याओं के आधार पर। इस तरह से चौथी पंचवर्षीय योजना में 60 प्रतिशत आबादी के आधार पर वितरित हुआ और 10 प्रतिशत पिछड़ेपन के आधार पर। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में यही स्थिति कायम रही। छठी पंचवर्षीय योजना में इसमें कुछ और परिवर्तन हुआ और 60 प्रतिशत तो जनसंख्या के आधार पर अन्तरण जारी रहा और चौथी पंचवर्षीय योजना में पिछड़ेपन के लिए जो केवल 10 प्रतिशत था, इसमें पिछड़ेपन के आधार पर 20 प्रतिशत कर दिया। 10 प्रतिशत कर निर्धारण के प्रयासों पर और 10 प्रतिशत विशिष्ट योजनाओं के आधार पर। इस समय 60 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर हो गया, 20 प्रतिशत प्रदेश के पिछड़ेपन के आधार पर और कर निर्धारण के जो प्रयास किये जाते हैं, उसमें हमारा प्रदेश प्रयास करता रहता है कि ज्यादा से ज्यादा संसाधन करों के द्वारा इकट्ठा करें जिससे उसके आधार पर भी धन मिल सके और विशिष्ट जो योजनायें हैं, प्रदेश पिछड़ा हुआ है, इसलिए इन योजनाओं के लिये जो धन आता है उसमें भी पैसा मिल जाता है इसलिए जिस सिद्धान्त और नीति की मांग इस प्रदेश सरकार से की गयी है, प्रदेश के लिये धन के अन्तरण के लिये, कमोबेश वही सिद्धान्त सब जगह लागू हैं यानी 20 प्रतिशत धन पिछड़ेपन और जनसंख्या के आधार पर वितरित होता है और 10 प्रतिशत विशिष्ट योजनाओं के आधार पर और 10 प्रतिशत कर निर्धारण के आधार पर हम प्रयास करते रहते हैं कि हमारे कर प्रयास कम न हों जिससे अपने हिस्से से वंचित न हों जायें और अपना हिस्सा मिल सके। उसके लिये भी बराबर प्रयास होता है।

उसके लिये बराबर प्रयास होता है श्रीमन्, अन्तरण के सिद्धान्त के लिए नेशनल डेवलपमेन्ट कांउसिल में यह निश्चित होता है, आगे भी हमारा प्रयास है कि हमको कुछ और धन उस आधार पर मिल सके, इसके लिए हमारे मुख्य मंत्री ने सुझाव दे रखे हैं जब उसकी बैठक होगी तभी उसका पता चलेगा कि हुआ या नहीं हुआ।

जहां तक नियोजन के अतिरिक्त धन का प्रश्न है, उसके लिए वित्त आयोग में तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं कि उसके आधार पर हमको ज्यादा से ज्यादा धन मिल सके। इसलिए प्रदेश की तरफ से कोई कमी नहीं की जाती है, हमारी कोशिश रहती है कि हमको ज्यादा से ज्यादा अन्तरण में धन विनियोजन के लिये मिल सके।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी, आप अभी कितना समय और लेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—

अभी हमें समय तो लगेगा ही।

श्री अधिष्ठाता—

तो अब हम इस पर चर्चा समाप्त करते हैं, 5 तारीख को इस पर चर्चा जारी रहेगी।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985 को विचारार्थ लिए जाने पर आपत्ति

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, नियम 125 को आप देखने की कृपा करें जिसमें विधेयक से सम्बद्ध पत्र मांगने की शक्ति का उल्लेख किया गया है कि विधेयक के पुरःस्थापन के उपरान्त कोई भी सदस्य यह मांग कर सकेंगे कि ऐसे पत्रों की प्रतिलिपियां, यदि कोई हों, जिन पर विधेयक आधारित हो और गोपनीय न हों सदन के पटल पर रख दी जाय। यह उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985 जो कि यहां पर विचार के लिये रखा जा रहा है इसके उद्देश्य और कारणों में लिखा है न्यायिक निर्णयों के अनुसार। तो मान्यवर, लगता है कि कोई इस सम्बन्ध में न्यायिक निर्णय हुआ है और उसके कारण विधेयक में संशोधन लाना आवश्यक प्रतीत हुआ है। जब तक हम उस न्यायिक निर्णय को नहीं देखेंगे तब तक हमें उसके बारे में कैसे जानकारी हो सकती है। पहले हम उसे देख लें, यदि वह गोपनीय नहीं है तो, तभी आप इस पर विचार करने की अनुमति प्रदान करें।

राजस्व मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

मान्यवर, यह जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985 है वह पहले सभी सदस्यों को वितरित किया जा चुका है, वह उनके पास होगा। जो माननीय गुप्ता जी ने प्रश्न उठाया है, इससे वह मेल नहीं खाता है। यह एक सीधा सादा विधेयक है, जिसके लिए मैं सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इस विधेयक को पेश होना और पास होना चाहिए।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैंने संसदीय परम्परा के अनुसार आपकी व्यवस्था चाही है। नियमों में इसके लिए व्यवस्था है जिसका हवाला मैंने दिया। इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में साफ लिखा है, मैं इस विधेयक की मैरिट पर नहीं जाना चाहता हूं। संसदीय औचित्य यह है कि यदि किसी बात पर आधारित विधेयक हो तो वह चीज हमें मिलनी चाहिए। न्यायिक निर्णय का वह अंश या उसकी जिस्ट मुझे चाहिए, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकम सिंह)—

मान्यवर, जिस उद्देश्य का गुप्ता जी ने उल्लेख किया है और हवाला दिया है, यह विधेयक किसी न्यायिक निर्देश पर आधारित नहीं है, बल्कि कोई कठिनाई पैदा हुई ?

न्यायालय का निर्णय हो गया, और कठिनाई पैदा हो गयी, यह किसी न्यायालय के निर्णय पर आधारित नहीं है। प्रवर समिति का

*अध्यक्ष ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

प्रतिवेदन आता हैं, उसकी रिपोर्ट हम प्रस्तुत करते हैं और विधेयक लाते हैं लेकिन यह तो निर्णय रोज हुआ करते हैं और जो कठिनाई पैदा हुई उसको दूर करने के लिए इस विधेयक को लाये हैं इसलिए यह नियम 125 में नहीं आता हैं।

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

आप भी इस सदन के सदस्य थे, शिक्षा मंत्री जी ने एक विधेयक रखा था, तो उस पर आपत्ति की गयी थी तो माननीय अध्यक्ष ने उसको वापस कर दिया था और तीन दिन बाद वह विधेयक आया था। यह डिफीकल्टी क्यों आयी। कोई भी विदेशी अगर भूमि अर्जित करना चाहता हैं तो राज्य सरकार से अनुमति लेकर ही अर्जित कर सकता हैं। सत्य क्या हैं, यह मुझे नहीं मालूम हैं। किसी कम्पनी को जमीन एक्वायर नहीं करायी जा सकी और उसमें न्यायालय आड़े आ गया और डिफीकल्टी पैदा हो गई। मान्यवर, मैं संसदीय औचित्य की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जो संसदीय संस्थायें हैं, उनकी गरिमा कम होती जा रही हैं, उनका सम्मान घटता जा रहा हैं, उनको सम्मान प्रकट करने के लिए मैंने आपका ध्यान 125 की ओर आकृष्ट किया हैं। यह छोटा सा विधेयक हैं, कल आ सकता हैं, आज आप व्यवस्था दे दें कि आज पेश नहीं हो सकता हैं। वह जजमेंट क्या हैं, जिसके कारण यह संशोधन विधेयक लाना पड़ा हैं। हम उसको देखेंगे और बहस करेंगे। संसदीय औचित्य और सम्मान के रक्षा के लिए इसे उठाया हैं।

श्री हुकुम सिंह—

जो तर्क मा0 राजेन्द्र गुप्त जी ने दिया हैं, उनका तर्क अपनी बात से ही समाप्त हो जाता हैं, क्या आप चाहेंगे कि न्यायालय के निर्णय यहां पर लाये जायें और उन पर चर्चा की जाये, जो व्यवस्था पहले उठी थी वह बिल्कुल अलग हैं, 125 को आप दुबारा पढ़ लें, विधेयक के पुरःस्थापन के उपरान्त कोई भी सदस्य यह मांग कर सकेंगे कि ऐसे पत्रों की प्रतिलिपियां, यदि कोई हों, जिन पर विधेयक आधारित हो और गोपनीय न हो सदन के पटल पर रख दी जाये। इसमें पत्रों का उल्लेख किया गया हैं, कोई अभिलेख नहीं मांगा जा सकता हैं। ऐसे पत्र जिन पर विधेयक आधारित हों। आप जानते हैं कि जब प्रवर समिति बनायी जाती हैं, उसकी रिपोर्ट आती हैं, और आप अपने तर्कों को प्रस्तुत करते हैं, वह स्थिति नहीं हैं, न्यायाधीशों के निर्णय हुए, और हमारे सामने कठिनाई आयी, इसी कारण यह संशोधन लाया गया हैं। नियम 125 से इसका कोई सम्बन्ध नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय गुप्त जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया हैं, उसके सम्बन्ध में नियम 125 लागू नहीं होता हैं और माननीय मंत्री जी अपना भाषण शुरू करें।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985†

राजस्व मंत्री (श्री बलदेव सिंह)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय। मान्यवर, यह 1976 में यह प्रश्न बहुत दिनों से चल रहा था कि विदेशी राष्ट्रकों को उत्तर प्रदेश में भूमि अर्जन करने, चाहे वह दान से हो चाहे वह किसी तरह से हो, पर प्रतिबन्ध लगाया जाय, तो 1976 की 15 जून को एक धारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में एक धारा जोड़ी गयी जिसके द्वारा कोई विदेशी नागरिक या विदेशी राष्ट्रक इस प्रदेश में भूमि अर्जन नहीं कर सकता, उस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए यह 154 क शामिल किया गया। तो अब मान्यवर, उसके मुताबिक यहां पर अब कोई विदेशी नागरिक भूमि नहीं खरीद सकता। लेकिन उसमें कुछ कमियां ऐसी रह गयी जिसकी वजह से यह संशोधन विधेयक आपके समक्ष लाना पड़ा उसमें जहां तक कि भूमिधरी को अधिकार हैं भूमिधरी अपनी जमीन का संक्रमण नहीं कर सकता और अगर कोई

†दिनांक 22 अगस्त, 1985 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा हैं।

करेगा तो इस प्रावधान के होते हुये वह शून्य जायेगा, उस पर कोई उसका अधिकार नहीं रहेगा जिसका वह संक्रमण करेगा । यह 1963 में सुप्रीमकोर्ट ने जो ए0 आई0 आर0 है उसके एस0 सी0 1811 में यह उल्लेख किया गया है कि नागरिक जीवित व्यक्ति होगा और वह जो बाहरी व्यक्ति आयेगा, वह उस व्यक्ति पर तो प्रतिबन्ध है लेकिन इसकी धारा यह होगी कि हमारे प्रदेश में जो हमारी कम्पनियां हैं, निगम हैं, और औद्योगिक विकास के लिए जो भूमि का अर्जन करते हैं उन पर भी प्रतिबन्ध लग गया, क्योंकि सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि नागरिक वह माना जायेगा जो कि जीवित व्यक्ति होगा । उसके साथ में यह होगा कि हमारे प्रदेश में जो निगम हैं, जो कम्पनियां हैं वह भी नहीं खरीद सकती, इससे ऐसा निष्कर्ष पैदा हुआ कि हमारे औद्योगिक विकास में रुकावट आ गया तो उसमें अब सुप्रीमकोर्ट के इस निर्णय को जो समस्या उत्पन्न हुई सुप्रीमकोर्ट के निर्णय से उस समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक था कि यह विधेयक यहीं पर लाया जाय और आदरणीय सदन का उसमें समर्थन प्राप्त किया जाय ।

तो मान्यवर, सुप्रीमकोर्ट के इस निर्णय के आधार पर यह तय हुआ, अब यह प्रस्तावित है कि विदेशी नागरिक राष्ट्रक को इस प्रदेश में बगैर राज्य सरकार की पूर्व लिखित अनुज्ञा के भूमि खरीदने का अधिकार नहीं होगा और जो अपने देश का नागरिक है या जैसे कम्पनियां हैं, उनको इससे छुटकारा दे दिया गया और सिर्फ प्रतिबन्ध विदेशी नागरिक राष्ट्रकों पर लगाया गया है ताकि हमारे देश में जो औद्योगिक विकास की गति चल रही थी, उसमें किसी प्रकार की रुकावट न आये । यह छोटा सा विधेयक है. यह विधेयक जब 1976 में आया उसमें कुछ गल्ती रह गयी जिसके कारण यह संशोधन लाना पड़ा । अब इससे स्पष्ट हो गया है कि इस प्रदेश के और भारत के नागरिकों को भूमि अर्जन करने में कोई दिक्कत न होगी । किन्तु जो बाहरी नागरिक होगा, राष्ट्रक होगा, उसको भूमि खरीदने के लिए पहले राज्य सरकार की लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी उसके बाद ही वह भूमि खरीद सकेगा या कोई दान करेगा तो उसको सकेगा । यह बात स्पष्ट आ गई है कि आगे इसमें कोई कठिनाई नहीं आयेगी । मुझे पूरा विश्वास है कि इस विधेयक के पास हो जाने के बाद कोई कठिनाई नहीं रहेगी । मैं इस सदन से यह अनुरोध करता हूं कि यह विवाद रहित संशोधन है* जिसमें किसी को उज्र नहीं होनी चाहिए । इसलिये सदन इसे स्वीकार करे जिससे जो कमियां काम करने में रह गई हैं औद्योगिक और दूसरे कामों में वह दूर हो जाय । इन शब्दों के साथ में इस विधेयक को प्रस्तुत करता हूं ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जो दो माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, मैंने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था उस पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने विधेयक प्रस्तुत करते समय स्वयं भी कहा है कि यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर आधारित है । मान्यवर, मैं पुनः कहता हूं कि आप इसको देख लें । वैसे मान्यवर, सिर आंखों पर है । फिर भी मैं अपना विचार प्रकट करते हुये यह कहना चाहता हूं कि देखने में तो यह संशोधन बहुत छोटा है लेकिन यह गम्भीर खतरों का संकेत करता है और इसीलिए मैंने इस प्रवर समिति में भेजने के लिए प्रस्ताव किया है । इसमें व्यवस्था की गयी है कि कोई विदेशी नागरिक राज्य सरकार की अनुमति के बिना किसी भूमि को अर्जित नहीं करेगा । यह तो ठीक है । लेकिन जहां तक अनुमति प्राप्त करने की बात है उसमें यह देखना होगा कि क्या उसके लिये हमने कोई निश्चम या कोई शर्त लगाई है । यदि नहीं लगाई है तो राज्य सरकार के पास जैसे ही कोई अप्लीकेशन आयी तो उसको देखकर ही जमीन अधिग्रहण करने की अनुमति दे दी जो विदेशी आ रहे हैं, जो विदेशी कंपनियां

हैं वे हमारे देश में स्थापित होकर उनके द्वारा जासूसी करने का काम हो रहा है और हमारे देश में अपने धर्म का प्रचार और ऐसे लोगों का निर्माण करने के लिए एक भूमिका रची जा रही है जिससे देश की अखण्डता प्रभुसता एकता और धर्म परिवर्तन का कार्य हो रहा है, इसलिए हमें जागरुक रहने की आज आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि अगर हम उन्हें कोई चीज देते हैं तो उसके लिये शर्तें होनी चाहिए।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां एक सेकंड इन्टर मीडिएट कालेज है। उन्होंने जिन शर्तों पर उस कालेज के लिए जमीन अधिग्रहीत की थी, उनको वह पूरा नहीं कर रहे हैं और स्कूल चला रहे हैं। बहुत पैसा फीस के नाम पर ले रहे हैं। हमारे यहां 15 अगस्त मनाने के लिये जो कमेटी बनी है उसकी बैठक में भी यह बात कही थी कि 15 अगस्त और 26 जनवरी जो कि हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं उन पर भी वे हमारा राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण नहीं करते। इस तरह की गतिविधियां हैं। यह कहा गया था कि हम निःशुल्क शिक्षा देंगे। माननीय मंत्री जी विराजमान हैं वे जानते हैं कि ऐसे स्कूल केवल बड़े और सामन्ती लोगों के परिवारों के बच्चों को ही शिक्षा दे रहे हैं। इसी तरह से खैराबाद में एक प्राइवेट अस्पताल है जो कि अन्य साधारण अस्पतालों की अपेक्षा बहुत मंहगा है। यह विदेशी जासूसों का अड्डा बना हुआ है। यह हमारे देश के लिये खतरे की बात है। इसलिए मान्यवर, मैंने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिये प्रस्ताव रखा है। उसमें सारे तथ्यों पर विचार हो जायगा और उसके बाद नीति आप निर्धारित कर सकते हैं। उसके लिये मानक भी तय करके स्थिति स्पष्ट हो जायेगी कि यदि हम किसी व्यक्ति या विदेशी कम्पनी को कोई जमीन दान में किसी रूप में दे रहे हैं तो उसके लिए शर्तें भी बना लेंगे। इसके लिये संविधान में भी व्यवस्था है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अनुसार अल्प संख्यक लोगों को अपनी इच्छानुसार काम करने की व्यवस्था की गई है।

(3 बजकर 20 मिनट)

तो वहीं पर 29 में प्रतिबंध लगाया गया है कि कि प्रदेश में कोई भेदभाव नहीं बता जायेगा। तो यह देखने की बात है कि जमीन लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहा है। मेरी जानकारी में है कि नैनी में एक इंस्टीट्यूट है उसके खिलाफ हाई कोर्ट से न जाने कितने निर्णय दिये हैं लेकिन वह उनकी परवाह नहीं करता है और एडमिशन में भेदभाव करके विशिष्ट लोगों को एडमिशन देते हैं। चाहे किसी की मैरिट कुछ हो उस पर विचार नहीं होता है। इसी तरह से परीक्षा में भी धांधली होती है। इस लिए इस स्थिति पर विचार होना चाहिये और प्रवर समिति में भेजने की बात मैंने कही है ताकि वहां पर इन सब बातों पर विचार हो और कोई मानक, कोई रूल होना चाहिये जिसके आधार पर विदेशी नागरिकों को अनुमति दी जाय।

* श्री लाल प्रताप सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, यह एक साधारण सा बिल है मेरे विचार में इसमें कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता है और प्रवर समिति में भेजने की तो कोई आवश्यकता नहीं होती है। वास्तव में यह 154 जमींदारी उन्मूलन एक्ट की धारा में दिया है कि भूमिधर को किन-किन हालात में ट्रांसफर करने का अधिकार है और किन किन हालात में नहीं है रिस्ट्रीक्सन आन राइट्स आफ ट्रांसफर बाई भूमिधर दिया हुआ है इसी में 154 (ए) है उसमें दिया है फारन नेशनल्स नाट टु एक्वायर लैण्ड जिसकी मंशा है कि विदेशी नागरिक बिना लिखित सरकार की इजाजत के कोई जमीन हासिल नहीं कर सकता है। लेकिन जो इंटरप्रिटेशन हुआ है उस पर जाने की जरूरत नहीं है जो मारजिनल नोट होते हैं उन पर गौर नहीं होता है उससे मदद ली जा सकती है। नो परसन शैल हैव दि राइट टु एक्वायर एनी लैण्ड विदाऊट प्रायर परमिशन आफ दि गवर्नमेंट परसन मीन्स लिविंग परसन, कंपनी उसमें नहीं है। तो यह जो कंपनी की बात आ गयी है उसके लिए संशोधित करने की बात है। इसलिए 154 (ए) को संशोधित करके कोई भी विदेशी नागरिक बिना सरकार की लिखित आज्ञा के कोई जमीन एक्वायर नहीं कर सकता है। बस इतना सा इसका मकसद

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

हैं कोई और बात नहीं है वैसे संशोधन तो यह कहा जायेगा लेकिन यह स्पष्टीकरण है। इसीलिए इसको प्रवर समिति में भेजने की बात नहीं है। जहां तक माननीय गुप्ता जी ने जो मुद्दे उठाये हैं वे सब रूल्स में कवर हो जाते हैं। सरकार परपज पूरा करने के लिए नियम बनायेगी जिसका उसको अधिकार है और इस प्रकार के नियम बनते ही हैं उसके लिए तरीके बनाये जाते हैं जिससे इन सब चीजों पर प्रतिबंध लगाये जाते हैं ताकि कोई गलत तरीके से जमीन न खरीद सके मजहब के नाम पर या फर्जी तौर कोई आदमी जमीन खरीद ले इस पर प्रतिबंध लगाने की बात है। तो यह संशोधन सिर्फ इस बात का है कि कोई भी विदेशी नागरिक किसी जमीन को बिना सरकार के प्रायर परमिशन के न ले सके। बस इतना ही इसका मतलब है। दरअसल यह थोड़ा लेट आया है जो ऐक्ट की धारा में थोड़ी मिस्टेक थी उसे दूर कर दिया गया है इसलिए प्रवर समिति में जाने का कोई औचित्य नहीं है। अगर प्रवर समिति में इस प्रकार जो रोज-रोज प्रस्ताव आते हैं तो कितने प्रस्ताव हो जायेंगे।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

यह सब अधिकार प्रवर समिति को ही दे रहे हैं।

श्री लाल प्रताप सिंह—

इसलिये प्रवर समिति को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। रेवेन्यू कोड पूरा का पूरा इंटरहेयूस्ड हो चुका है, वह बहस में आयेगा, उसमें सारी बातों पर विचार हो रहा है। कम्पनी भी अब जमीन एक्वायर कर सकती है और जो भारतीय नागरिक नहीं है वह जमीन एक्वायर नहीं कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं एमेंडिंग बिल का समर्थन करता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, श्री राजेन्द्र गुप्त ने जो यह प्रवर समिति में भेजने के लिये इस विधेयक के लिये संशोधन पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, इसमें जिस उद्देश्य से संशोधन किया गया है जैसा कि मंत्री जी ने कहा है वह उद्देश्य तो ठीक लगता है लेकिन इसमें कुछ ऐसी कमियां रह गयी हैं जिनके कारण बहुत खतरा दिखाई दे रहा है, इसी कारण मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति के पास भेज दिया जाये उसमें यह खतरा कैसे निकाला जाये इस पर प्रवर समिति विचार करेगी। मान्यवर, एक विदेशी नागरिक को भूमि लेने के लिये राज्य सरकार की अनुमति तो चाहिए परन्तु यह कहीं नहीं स्पष्ट हुआ है कि विदेशी नागरिक जो भूमि लेना चाहता है उसका भूमि लेने का उद्देश्य क्या है। वह उसका क्या उपयोग करेगा। भारत की धरती पर विदेशी को आने की अनुमति किन कारणों से दिया जाए यह नहीं लिखा है। बहुत से विदेशी लोग किसी न किसी कारण हिन्दुस्तान में बसे थे, पिछला 150—200 वर्ष का इतिहास बताता है कि विदेशी हिन्दुस्तान में किसी बहाने से आए और हिन्दुस्तान को हथिया लिया। वह गलती अब न दोहराई जाये। इसलिये स्पष्ट उद्देश्य लिखना चाहिए। जो विदेशी नागरिक होंगे उन्हें बिना उद्देश्य को स्पष्ट कराए राज्य सरकार को भूमि नहीं देनी चाहिए।

मैं इसी के साथ आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया जाये जिससे स्पष्ट हो सके कि जो भी विदेशी उत्तर प्रदेश में भूमि चाहता है उसको प्राप्त करने का क्या उद्देश्य है, किस लिये जमीन वह ले रहा है। हो सकता है कि राज्य सरकार समझ पाये कि यह उद्देश्य ठीक नहीं है जिससे जमीन देने से इंकार कर पाये, इसलिये उद्देश्य का सपष्ट होना अनिवार्य है। इसलिये प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी बहुत होशियारी से पूरे प्रदेश को विदेशी कम्पनियों को सौंपने की साजिश रच रहे हैं। वरना इसमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं थी। मेरी समझ में नहीं आता है कि यह आखिर विदेशी कम्पनियों को अधिकार दे दिया जायेगा कि पूर्व अनुमति के वह जमीन ले सकते हैं, परिभाषित किया, जो उद्देश्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बताया कि कोई व्यक्ति विदेशी उत्तर प्रदेश में बिना पूर्व अनुमति के जमीन नहीं खरीद सकता है। विदेशी कम्पनियां इसमें वांछित थीं, आप उनको पूरी आजादी दे रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रख रहे हैं। लेकिन इससे भी खतरनाक बात है कि विदेशी नागरिक पूर्व अनुमति के जमीन खरीद सकता है, तो इस तरह यहां जो समाजवादी व्यवस्था है उसको दूसरे रास्ते पर ले जा रहे हैं, इसलिये श्री राजेन्द्र गुप्त के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह अनुमति इन पर भी प्रतिबंधित करें और इसे इस प्रकार परिभाषित न करें कि यह विदेशी कम्पनियां चाहे जहां चाहें, जमीन ले लें और गरीब आदमी की जमीन ले लें और हमारे सामने एक समस्या खड़ी कर दें, और यह लाभदायक होगा या नहीं होगा, इन सब बातों पर विस्तृत विचार के लिए इसे प्रवर समिति में जाना चाहिए और यह प्रवर समिति में जाएगा तो वहां इस पर व्यापक विचार होगा और उसके निर्णयों से लाभान्वित होकर एक विस्तृत विधेयक यहां पर बनाकर वह ले आएं। राजस्व संहिता पर इतना बड़ा और व्यापक विधेयक मंत्री जी के अन्दर पड़ा हुआ है—बिरामत से लेकर पटटा तक का जो बवाल रहता है, इसे यदि मंत्री जी यहां ले आएं तो इस सारे संशोधन विधेयकों को यहां पर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं इसके साथ यह भी मांग करता हूं कि आप इस राजस्व संहिता विधेयक को सदन के पटल पर रखिये, बहस करवाइये और इसको पास करवाइये। मंत्री जी इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेज दें, मान्यवर, आप भी मंत्री जी से यह कहें।

*श्री सूर्य प्रताप शाही—

यह बड़ा ही छोटा विधेयक, बड़ी सरल भाषा में रखा गया है, लेकिन यह कितनी गम्भीर समस्याओं को जन्म देने वाला है और पूरी शक्तियों को राज्य सरकार अपने हाथों में रख लेना चाहती है, उसका कोई रास्ता इसमें नहीं बताया गया है। वह कौन सी परिस्थितियां होंगी जिसमें विदेशी कम्पनियां जमीन लेंगी और किन-किन परिस्थितियों में राज्य सरकार उन्हें अनुमति देगी, इसका कहीं भी उल्लेख इसमें नहीं है। मंत्रीगण कभी-कभी कुछ मनमानी करना शुरू कर देते हैं, ऐसी स्थिति यदि इस विधेयक के चलते कभी आएगी तो सारे राष्ट्र की अखण्डता को खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए यह प्राविधान होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में राज्य सरकार इसकी अनुमति देगी। इसलिए मैं गुप्त जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक को और उसके समस्त प्राविधानों की एक प्रकार से सरकार ने जो शल्य चिकित्सा कर दी है—मंत्री जी को खुद याद नहीं होगा कि कितने बार उसमें संशोधन हो चुका है, उसमें उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, अतः मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस मामले पर भी विचार-विमर्श करने के लिए प्रवर समिति में जाना जरूरी है, जिससे जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम को ठीक प्रकार से रखा जा सके।

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैं उन सारे सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस प्रस्ताव पर यहां अपने विचार प्रकट किये। मैं केवल दो बात कहकर इस अपनी बात पर बल देना चाहता हूं। एक तो लालप्रताप सिंह जी ने मेरे सम्बन्ध में यह कहा है कि प्रवर समिति में भेजना मेरा हाबी है, तो जैसा मेरा हाबी है, उसी प्रकार तो उन्हें इस बात का हाबी है कि सरकार की सही या गलत वकालत करने की। उन्होंने अभी अपनी बात में इस बात की अनभिज्ञता प्रकट की कि मेरा-कोई कहां है। वह दो-दो सरकारों के बीच में पड़ा रहा। जनता पार्टी के समय में आया और माननीय शारदा अखश सिंह के राजस्व मंत्रित्वकाल में उस पर काम शुरू हुआ। सौभाग्य से मैं उस समय भी उस समिति का सदस्य था और बाद में जब आपकी सरकार आयी थी उस समय भी मैं उसका सदस्य रहा हूं। मुझे उसमें एक सदस्य के नाते कार्य करने का मौका मिला है। न जाने कितने मंत्री बदले, विधेयक सदन में पास हुआ, परन्तु वह फिर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोल्ड स्टोरेज में चला गया है। वह चला गया है, इस बात की पुष्टि यह प्रस्तुत विधेयक करता है। वह आने को होता तो यहां पर आज न आता।

दूसरी बात यह है कि अधिष्ठाता महोदय आप भी यह जानते हैं रूल्स का जो महत्व है, उसका कोई महत्व नहीं होता है, जो ऐक्ट के रूल का होता है। मैंने इस ऐक्ट को ही पैंडेंट ली शल कही है।

आप जानते हैं कि कितने ही वर्षों से रूल नहीं बने हैं और जमीन एक्वायर करने के जो रूल्स हैं वह अपर्याप्त हैं, उसके अंदर कई कमियां रह गयी हैं और संशोधन हो रहे हैं। इसलिये यह गम्भीर मामला है और जैसा कि माननीय सदस्यों ने संका प्रकट की उसके बचाने वाली विभेषी प्रतिनिधि प्रजाकी आवश्यक बनाने वाला बोला देकर और सरकार को गुमराह करके अपना एजेंडा ली सकिय अपनी पर लटका न कर हैं कमियों हैं उन्हें दूर करने गयी हैं। विधायक ने कानून तो कोई विशेष नहीं है लेकिन विधायक ने उसमें कानूनों दायरा में कोई कमियां रह गयी हैं, उन्हें दूर करने के लिये यह संशोधन लाया है।

श्री हरीश चन्द्र शर्मा—

माननीय अधिष्ठाता जी, इसी में चंदे की व्यवस्था हो जायगी।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है जिसका मैंने उल्लेख किया था, ए0 आई0 आर0 1963, एस0 सी0, 1811 में उसे देख सकते हैं। लाइब्रेरी में वह मिल सकता है। उसका पूरा-पूरा लाभ माननीय सदस्य उठा सकते हैं। इसी संदर्भ में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि 1976 में इसमें 154(क) धारा जोड़ी गयी थी और उस समय सदन ने विस्तार के साथ इस पर विचार किया था और इसको स्वीकार किया था। अभी तो ऐसा था कि कोई भी विदेशी आवे और कहीं जमीन ले ले, कहीं कोई दूसरे ढंग से दान में ले ले तो इसको रोकने के लिये कोई रास्ता नहीं था। 1976 में यह धारा जोड़ी गयी थी और उन पर रुकावट हयी। लेकिन इसमें कुछ ऐसी कम्पनियां आ गयीं उनके लिये पहले परमीशन की आवश्यकता हयी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो नागरिक की परिभाषा की और बताया कि जीवित व्यक्ति नागरिक कहलायेगा तो वह कम्पनियां जीवित व्यक्ति नहीं हैं। वह नहीं आ सकती थीं इसलिये अपने देश की और अपने प्रदेश की उन कम्पनियों को इससे बाहर निकालना पड़ा। जैसा मैंने कहा कि हमारे औद्योगिक विकास में इसमें कमी रुकावट पैदा हयी और जो बीच में ऐसी कठिनाइयां उत्पन्न हयीं उनका निराकरण करने के लिये यह संशोधन विधेयक सदन में लाया गया है।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को जो संशय है वह नहीं रहेगा क्योंकि इस पर पहले भी विचार किया जा चुका है और आज दोनों ओर के लोगों ने सुझाव दिये हैं। वह सुझाव हमारे सामने हैं, इन पर अमल होगा। जहां तक प्रवर समिति में भेजने की बात है मैं समझता हूं कि इसका कोई औचित्य नहीं है। सरकार अपने कार्य से उन संदेह को दूर करेगी यह अवश्य मैं कह सकता हूं और ऐसा मेरा आश्वासन है। एक बात यह है कि हमारे प्रदेश में हो समय उद्योगों को बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि आबादी दिनों-दिन बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अगर यहां पर उद्योग लगेंगे तो उससे प्रदेश की जनता को लाभ होगा। इसलिये मेरा अनुरोध है कि प्रवर समिति वाले प्रस्ताव को गुप्ता जी वापस ले लें और यह संशो-

बताया कि कोई व्यक्ति विदेशी उत्तर प्रदेश में बिना पूर्व अनुमति के जमीन नहीं खरीद सकता है। विदेशी कम्पनियां इसमें बाधित धन विधेयक सर्व सम्मति से स्वीकार करें। इससे हमें प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिये बड़ी मदद मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं उन माननीय सदस्यों का जिन्होंने अपने सुझाव दिये हैं, उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय गुप्ता जी, आप अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र गुप्त—

नहीं, मान्यवर।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो दो माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, खण्ड 3, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951 की धारा 154-क का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 154-क में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी और सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात् :—

"((1) इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई विदेशी राष्ट्रिक राज्य सरकार की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना विक्रय या दान द्वारा कोई भूमि अर्जित नहीं करेगा।"

बैधीकरण

3—मूल अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किया गया कोई संक्रमण, जो इस अधिनियम द्वारा तथा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा 154-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के उल्लंघन में न हो, केवल इस कारण शून्य नहीं समझा जायगा कि वह उस उपधारा का, जैसा वह ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थी, उल्लंघन करके किया गया था और ऐसे संक्रमण की विषय-वस्तु, यदि ऐसा संक्रमण अन्यथा विधिमान्य हो, कभी भी राज्य सरकार में निहित नहीं समझी जायगी।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 3, खण्ड 1 प्रस्तावना और शार्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1985 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1985†

*नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, कुछ समय पहले राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि 1983 के अन्त तक स्थानीय निकायों के चुनाव करा दिये जायेंगे । उस समय 1981 की जनगणना पूर्ण हो चुकी थी और आंकड़े भी प्रकाशित हो चुके थे, लेकिन यह कक्षों की परिसीमन नहीं हो पाई थी, इसलिए यह चुनाव नहीं हो पाया । मान्यवर, यह संशोधन इसलिए लाया गया था कि 23 अगस्त, 1983 को एक वर्ष के लिये उसकी अवधि बढ़ाई गयी थी और 1971 की जनगणना के आधार पर यह चुनाव कराये जायेंगे, यह निर्णय लिया गया था । लेकिन उस एक वर्ष की अवधि के दौरान निर्वाचन कराना सम्भव नहीं हुआ, क्योंकि ऐसी बात पड़ गयी, जिससे कि चुनाव नहीं हो सका । अब स्थानीय निकायों के यथाशीघ्र चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है और चूंकि अभी कक्षों का परिसीमन नहीं हो पाया है और कक्षों का परिसीमन कराने में समय लगेगा और सभी माननीय सदस्यों की यह इच्छा है कि चुनाव जल्द से जल्द पूरे करा दिये जायं, इसीलिए यह विधेयक लाया गया है । इसके पारित होने से मान्यवर, राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त होगा कि 1971 की जनगणना के आधार पर 23 अगस्त, 1986 तक निर्वाचन करा लिये जायं और मैं इस सदन से अनुरोध करूंगी कि इस विधेयक को स्वीकार करें ।

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1985 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो दो माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें ।

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि छोटी सी बात है लेकिन मैं समझता हूं कि यह छोटा सा संशोधन इस बात की शंका पैदा करता है कि आप अपनी घोषित तिथि के अन्दर नगरपालिकाओं के चुनाव करा रहे हैं या नहीं ? मैं समझता हूं कि चुनाव कराने की मंशा नहीं है । अगर समय से चुनाव कराने की आपकी मंशा होती, तो इस संशोधन की आवश्यकता नहीं होती । मान्यवर, इसमें गुमराह करने की चेष्टा की गई है, इससे पहले कहा गया था कि 1984 में नगर पालिका के चुनाव कराए जायेंगे । उससे पहले जो जनगणना हुई होगी उसका परिसीमन किया जाएगा । मान्यवर, 1981 के आधार पर, चुनाव परिसीमन के आधार पर कराए जाने चाहिए । इन्होंने कहा कि 1984 में 1971 की तरह चुनाव करायेंगे । फिर अब घोषणा की है । 1983 से अब तक दो वर्ष का कार्यकाल बीत गया चुनाव नहीं हुए । सही मायने में जन भावना के साथ अधिनियम की मूल भावना के तहत चुनाव की मंशा होती तो परिसीमन हो गया है । चुनाव कराने चाहिए ।

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि 1981 की जनगणना के आधार पर परिसीमन हो जाएगा, उसकी सब कार्यवाही हो गई है । मैं सीतापुर की नगरपालिका के बारे में कहना चाहता हूं 16 वार्ड में 19 वार्ड पहुंच गये । बिसवां में दो वार्ड बढ़ाकर रिपोर्ट आ गई ।

†दिनांक 24 अगस्त, 1985 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हर नगरपालिका के वार्ड बढ़ाकर, परिसीमन की सूचना आ चुकी है। उसके बाद भी आपकी नियत गड़बड़ है। इसलिए संशोधन आ गया। क्या 1971 की जनगणना पर वार्ड का परिसीमन होगा ? जब 1981 के आंकड़े उपलब्ध हैं। गम्भीरता से काम हुआ है तो पुराने तरीके पर जाना जनभावना के खिलाफ है आप देखें 23 अगस्त, 1983 को चुनाव होने के बाद एक वर्ष का संशोधन किया गया था। 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया था तो आप एक की जगह तीन कर देते। जबकि सरकार ने घोषणा की है कि 31 दिसम्बर, 1985 तक चुनाव करा दिए जायेंगे, यदि यह सही है तो संशोधन होना चाहिए था 31 दिसम्बर 85 में कराना चाहते हैं। लेकिन आपकी नियत गड़बड़ है। इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं। क्योंकि हमारे पास विरोध करने के सिवाए दूसरा कोई अधिकार नहीं है। जो प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव है उसमें सब बातें हैं कि 1971 माना जाए या 1981 माना जाए। आपने घोषणा की है कि आपके स्थानीय निकायों के चुनाव दो चक्र में होंगे। एक लाख की आबादी के बाद और दो लाख की आबादी के बाद। तो इसमें आप कौन सी जनगणना लेंगे। यदि 1971 की जनगणना लेंगे तो यह विसंगतियां होंगी। 81 में जनगणना में वृद्धि हुई है। आप तो शहर के रहने वाले हैं, आप जानते हैं कि शहरों में कुछ मुहल्लों में आबादी ज्यादा बढ़ी है, किन्हीं मुहल्ले में कम बढ़ी है और कुछ मुहल्ले उजड़ गये हैं। इससे यह विसंगति पैदा होगी कि कहीं ज्यादा मतदाता होने प्रतिनिधि चुनेंगे और कहीं कम मतदाता होने प्रतिनिधि चुनेंगे। हमारे संविधान के निर्माताओं ने यह व्यवस्था की थी कि प्रत्येक चुनाव के पहले जो परिसीमन होगा उसके आधार पर किया था। इस आधार पर 01 के मुकाबले 1 वार्ड हो गए हैं। यह विसंगति को दूर करने की आवश्यकता है। मैंने संशोधित प्रस्ताव में भेजने का प्रस्ताव किया है। एक संवैधानिक संकट है कि जो अधिनियम में व्यवस्था है, 81 माना जाय या न माना जाय। क्या कहीं कम मतदाता को और कहीं ज्यादा मतदाता को समान अधिकार दिया जाय इसमें राजनीतिक बात नहीं है। मेरे प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्ताव पर दोनों पक्षों के माननीय सदस्य विचार करें, और प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को स्वीकार करें।

श्री शत्रुघ्न प्रकाश—

जो विधेयक लाया गया है मैं समझता हूं कि इससे जो लोकतांत्रिक मान्यता है, जो लोकतांत्रिक ताकत है वह कमजोर होगी। स्वायत्त शासी संस्थायें नगरपालिका, टाउन एरिया, नगर महापालिकायें यह सब इस समय सरकारी अफसर के हाथ में है और 72 से आज तक जो भी नगर महापालिकायें हैं उनका चुनाव नहीं हुआ। 1974 से लेकर 1985 तक बीच में 5 साल में नहीं रहा, अजीब विडम्बना है जो भी सरकार आती है, जनता पार्टी की सरकार आयी, उसके साथ यही विडम्बना रही। कांग्रेस पार्टी की सरकार दस साल से हर 6महीने पर अध्यादेश के जरिये या विधेयक के जरिये समय मांग लेती है। मैंने उस समय विरोध किया था श्री गनी गफूरान जाहिदी साहब मौजूद हैं, जनता पार्टी की सरकार ने समय मांगा, श्री सत्य प्रकाश मालवीय मंत्री थे, एक साल की अवधि बढ़ाई, मैंने जनता पार्टी में रहते हुए सदन में खड़े होकर विरोध किया था। सवाल पार्टी का नहीं है। सवाल यह है कि लोकतंत्र की ताकत को मजबूत किया जायेगा या कमजोर किया जायेगा। यह निर्विवाद रूप से सत्य है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जिनसे लोकतंत्र शाखा से शिखर पर पहुंचता है, प्रशासनिक ढांचे की जो हकदारियां हैं जिनमें ज्यादा से ज्यादा जनता की हिस्सेदारी हो सकती है, वह वंचित हो रहे हैं। आप जिला परिषदों को ले लें, टाउन एरिया को ले लें, नगर महापालिकाओं को ले लें जितनी भी स्वायत्त शासी संस्थायें हैं, जो सरकार से कुछ मानों में खुद मुख्तार हैं, अपने आप में स्वीयत्तता को लेकर चलती हैं, वह

अधिनियम में व्यवस्था है, 81 माना जाय या न माना जाय। क्या कहीं कम मतदाता को और कहीं ज्यादा मतदाता को समान अधिकार दिया जाय इसमें राजनीतिक बात नहीं है। मेरे प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्ताव पर दोनों पक्षों के माननीय सदस्य विचार करें, और प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को स्वीकार करें।

श्री शत्रुघ्न प्रकाश—

जो विधेयक लाया गया है मैं समझता हूं कि इससे जो लोकतांत्रिक मान्यता है, जो लोकतांत्रिक ताकत है वह कमजोर होगी। स्वायत्त शासी संस्थायें नगरपालिका, टाउन एरिया, नगर महापालिकायें यह सब इस समय सरकारी अफसर के हाथ में है और 72 से आज तक जो भी नगर महापालिकायें हैं उनका चुनाव नहीं हुआ। 1974 से लेकर 1985 तक बीच में 5 साल में नहीं रहा, अजीब विडम्बना है जो भी सरकार आती है, जनता पार्टी की सरकार आयी, उसके साथ यही विडम्बना रही। कांग्रेस पार्टी की सरकार दस साल से हर 6महीने पर अध्यादेश के जरिये या विधेयक के जरिये समय मांग लेती है। मैंने उस समय विरोध किया था श्री गनी गफूरान जाहिदी साहब मौजूद हैं, जनता पार्टी की सरकार ने समय मांगा, श्री सत्य प्रकाश मालवीय मंत्री थे, एक साल की अवधि बढ़ाई, मैंने जनता पार्टी में रहते हुए सदन में खड़े होकर विरोध किया था। सवाल पार्टी का नहीं है। सवाल यह है कि लोकतंत्र की ताकत को मजबूत किया जायेगा या कमजोर किया जायेगा। यह निर्विवाद रूप से सत्य है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जिनसे लोकतंत्र शाखा से शिखर पर पहुंचता है, प्रशासनिक ढांचे की जो हकदारियां हैं जिनमें ज्यादा से ज्यादा जनता की हिस्सेदारी हो सकती है, वह वंचित हो रहे हैं। आप जिला परिषदों को ले लें, टाउन एरिया को ले लें, नगर महापालिकाओं को ले लें जितनी भी स्वायत्त शासी संस्थायें हैं, जो सरकार से कुछ मानों में खुद मुख्तार हैं, अपने आप में स्वीयत्तता को लेकर चलती हैं, वह

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वायत्तशासी संस्थायें अगर सरकार के अधिकारियों के शिकंजे में काम करेंगी तो लोकतंत्र की मान्यता की शाखा में आचरण में शून्यता पैदा हो जायेगी। पिछले सन् 72 से 85 तक 14 सालों में जो भी सरकार आती है और खासतौर से कांग्रेस की सरकार जिसको अपार बहुमत मिला, 50 सैकड़ा से ज्यादा बहुमत है, वह सरकार भी चुनाव के लिये समय लेती रही है। 77-78 में एक साल की अवधि ली गई।

आज मान्यवर, यह तीन साल का विधेयक ला रहे हैं। अगर तीन साल भी यह चुनाव नहीं करायेंगे तो सदन में विधेयक लाने की कोई जरूरत नहीं होगी। अभी तक यह व्यवस्था थी कि एक साल की अवधि पूरी होने पर यहां विधेयक लाकर आगे बढ़ा लेते थे। लेकिन इस विधेयक की मंजूरी के बाद तो इस सदन में तीन साल तक फिर विधेयक लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज आप 71 की जनगणना के आधार की बात कह रहे हैं। कल को 91 में या 98 में यही बात फिर दुहरायेंगे और सन् 2000 तक उत्तर प्रदेश में नगर महापालिकाओं के चुनाव नहीं हो पायेंगे और जो ये प्रशासक और नौकरशाही हैं, सारी की सारी मन माने ढंग से अपना काम चलायेगी।

मैं एक बात की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि अगर प्रदेश का सारा का सारा बोझ और सारी जिम्मेदारी आपने अगर अफसरों के हाथ में दे दी तो यह तय जानिये कि नौकरशाही पर नियंत्रण आपके बस के बाहर की बात होगी और आप चाह कर भी स्वायत्तशासी संस्थाओं के द्वारा जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पायेंगे चाहे बनारस की नगर महापालिका हो या कानपुर की, कहीं भी प्रशासक दिन में 10 से 5 बजे तक बैठते नहीं हैं और जब तक चले हुए जन प्रतिनिधि रहे हैं नगर प्रमुख रहे हैं उनके कार्य काल में 24 घंटे में से 12 घंटे जनता का काम हुआ है। चुने हुए सभासद जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, इसलिये उनमें कार्य में सजगता होती है जो नगर महापालिकाओं और टाउन एरिया में दिखाई पड़ती है। आप विकास प्राधिकरण को ही देख लें। नगर विकास योजना अधिनियम, 1973 में प्राविधान है कि उसका उपाध्यक्ष गैरसरकारी होना चाहिये। मेरी निजी जानकारी है कि आज उत्तर प्रदेश में जितने भी विकास प्राधिकरण हैं, उनमें सबमें उपाध्यक्ष सरकारी व्यक्ति बने हुए हैं। जो नगर पालिका प्रशासक हैं, वही विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी हैं, जबकि अधिनियम में यह नहीं था। अधिनियम यह कहता है कि उपाध्यक्ष गैर सरकारी व्यक्ति होगा। आज जितनी भी विकास प्राधिकरण की समितियां हैं, उनमें से 2/3 सदस्य तो सरकारी होते हैं। हालत यह है कि 1973 में अधिनियम बना और आज 85 चल रहा है, लेकिन 12 साल के अन्दर आज तक कोई नियम नहीं बन सके हैं। नक्शा पास करने का बाबत का कोई नियम नहीं है।

मैं कहना चाहूंगा कि यदि सचमुच स्वायत्तशासी संस्थाओं का स्वरूप बरकरार रखना है, स्वस्थ जनतंत्र का विकेन्द्रित स्वरूप बनाए रखना है और सही माने में चौखम्बा राज और गांधी जी के स्वराज्य की कल्पना को बनाए रखना है तो सत्ता विकेन्द्रीकरण प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण किया जाय, अगर सचमुच इनको चलाना है तो नगर महापालिकाओं और स्वायत्तशासी संस्थाओं का चुनाव कराना चाहिये और यह बिल यहां पर नहीं लाना चाहिये। लेकिन मैं नहीं जानता कि मंत्रीजी इससे सहमत हैं कि नहीं। मैंने इनका पार्टी घोषणा पत्र पढ़ा है। लेकिन अगर इस तरह से 13 वर्षों तक चुनाव नहीं होंगे तो कैसे निचले स्तर पर लोकतंत्र चलेगा। मैं तो चाहूंगा कि यदि कोई अच्छी सरकार आए तो भारत के संविधान में परिवर्तन करके जैसे यहां की व्यवस्था को केन्द्र और राज्य के आधार पर दो खण्डों का दर्जा दिया गया है उसी प्रकार नगर पालिकाओं का भी एक दर्जा दिया जाना चाहिये और उत्तर प्रदेश विधान सभा के समान ही इन स्वायत्तशासी संस्थाओं को भी दर्जा दिया जाना चाहिये। नहीं जो ये संस्थाएं सरकार की रखैल बनकर रह जायेंगी। जो सरकार आती है, इनके स्वरूप को गैर जनतांत्रिक बनाती जाती है।

इसलिए मैं यह चाहता हूं कि बेहतर होगा कि आप इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दें। यह विधेयक जो है, इसके परिणामों को ध्यान में रखते हुए, माननीया मंत्री जी भी चिंतन मनन के लिये थोड़ा समय लें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए पुनः प्रवर समिति के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करती हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आपके माध्यम से विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहती हूं कि इस बात से कहीं हमारी और आपकी नाइत्तफाकी नहीं है कि चुनाव नहीं होने चाहियें। वह कहते हैं कि चुनाव होने चाहियें हम कहते हैं कि चुनाव होंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क रह जाता है कि जिसके कंधों पर जिम्मेदारी होती है, उसको वह सब पहले देखने पड़ते हैं जिसके परिणाम में चुनाव कराने की प्रक्रिया है। मान्यवर, नीयत हमारी साफ है इस सरकार की साफ है चुनाव होंगे। मान्यवर, कभी-कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उन परिस्थितियों के परिवेश में चुनाव कराने का जो तरीका है, अगर उसमें कोई कमी होती है तो वह तारीखें टाल दी जाती हैं। इसलिये यह तारीखें बढ़ायी गयी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के सम्मानित सदस्यों से कहना चाहूंगी कि वह स्मरण करें, जिसमें हमारे आदरणीय राजेन्द्र गुप्त जी कह रहे हैं कि यह जिला परिषद की बात है, आपकी सरकार आयी, स्थानीय निकाय, जिला परिषदों की जो चुनी हुई इकाइयां थी, उसको आपने भंग कर दिया। यह काम आपने जरूर किया। दूसरे मैं स्मरण दिलाना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने गांव सभा के चुनाव कराये, जो वैधानिक इकाई है, उसमें इस सरकार ने चुनाव कराये, जिससे यह स्पष्ट है कि यह सरकार प्रजातांत्रिक तरीके से इस प्रदेश को चलाना चाहती है जिला परिषदों को भी बनाने का हमारा इरादा और सोचना है जिसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। मान्यवर, यह छोटा सा विधेयक है, इस सदन के माध्यम से उस पर आज्ञा मांगी गयी है। इसमें चूंकि उसका परिसीमन नहीं तैयार है, परिसीमन न तैयार होने के कारण इसको मौका दिया जाय। मान्यवर, पुरानी परम्परा में 1983 से 1986 की बात है। वह 3 वर्ष की बात न होकर, अब 1985 समाप्त हो रहा है, इसमें एक वर्ष की आज्ञा मांगी है अगस्त तक के लिये। माननीय राजेन्द्र गुप्त जी योग्य विद्वान हैं, उन्होंने इसे प्रवर समिति को सौंपने की बात कही है, मान्यवर, सबसे बड़ा तो/एक सम्मानित सदन है जहां हम सबको बैठकर सोचने का मौका मिलता है। माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने कहा कि जहां तक मेरी जानकारी है परिसीमन तैयार है, मान्यवर, उन्होंने हवाला किसका दिया बिसंडा सीतापुर का। मान्यवर, सीतापुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है एवं प्रदेश तो है नहीं। हो सकता है बिसवां सीतापुर है, वहां यह तैयारी हो चुकी हो लेकिन जहां तक पूरे प्रदेश की बात है मेरी निश्चित जानकारी है कि अभी परिसीमन तैयार नहीं हुआ है।

मान्यवर, मैं फिर कहना चाहूंगी कि नगर पालिका नोटिफाइड एरिया जो भी हमारे स्थानीय निकाय हैं उनके चुनाव कराने की हमारी सरकार की पूरी योजना है। हमारे सम्मानित साथी चाहे वह तिवारी जी हों, चाहे वह गुप्ता जी हों चाहे अब रमीज जी हों और चाहे सबसे ज्यादा योग्य हमारे श्री शतरुद्र प्रकाश जी हों, जिन्होंने विस्तारपूर्वक अपनी बात बताई और सबने में अच्छा भी लगा, कहा कि जब यह शासन में थे, तो उन्होंने वहां बैठकर भी स्थानीय निकायों के चुनाव कराये जाने की बात कही थी। बहुत अच्छी बात है। हम सब मिलकर यह बात कहें कि स्थानीय निकायों के चुनाव होने चाहिए और जरूर होने चाहिए। मेरी निश्चित जानकारी है कि सरकार स्थानीय निकायों का चुनाव कराना चाहती है। इस छोटे से विधेयक को प्रवर समिति को सपर्द करने का मतलब यह है, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय तिवारी जी से और माननीय श्री गुप्त जी से कहना

*अनुवाद ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहती हूं कि प्रवर समिति में भी देर ही होगी, वहां पर कोई जल्दी नहीं होगी, इसलिए मैं चाहती हूं कि इस छोटे से विधेयक को जैसा का तैसा स्वीकार कर लिया जाय ।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

मान्यवर, यह संशोधन तो छोटा है लेकिन इसका परिणाम बड़ा होगा । मैं इसमें 3 बातों की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का हर जनगणना के बाद परिसीमन करना आवश्यक होता है । एक जन प्रतिनिधि चाहे वह किसी नगर-पालिका के वार्ड का हो चाहे विधान सभा का हो या फिर लोकसभा का हो, एक निश्चित जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करता है । 1971 की जनगणना और 1985 की जनगणना में, यह स्वाभाविक है कि जो जनप्रतिनिधि चुना जायेगा, उसकी जितनी जनसंख्या होनी चाहिए थी, उससे ज्यादा होगी । दूसरा परिणाम यह होगा कि किसी भी नगरपालिका या महानगर-पालिका की जितनी जनसंख्या है, उसी के अनुसार जनप्रतिनिधियों की संख्या होनी चाहिए । इसी नाते यह कहा गया कि यदि परिसीमन समय से हो जाता तो अच्छा रहता । माननीया श्रीमती तिवारी जी ने सीतापुर और बिस्वां की बात कही, यह केवल यहीं का मामला नहीं है, मेरी भी जानकारी में है कि गोरखपुर बनारस, जौनपुर और सिद्धार्थ में यह परिसीमन की कार्यवाही बहुत आगे तक बढ़ चुकी है । मोटे तौर से 2 महीने का यह काम था और शासन स्तर पर अन्तिम निर्णय लिया जा सकता था । जल्दी में मुख्य मंत्री जी के मुंह से मैंने सुना था कि स्थानीय निकायों के चुनाव करायेंगे । अब सितम्बर आ गया है । यदि ईमानदारी से इसके पीछे सरकार लगी होती तो आज तक परिसीमन की कार्यवाही पूर्ण हो गई होती । आज भी मैं शासन से कहना चाहता हूं कि शासन यह निर्णय ले । परिसीमन की कार्यवाही आगे बढ़ गई है, कि इसे अन्तिम रूप चुनाव से पहले दिया जा सकता है ।

इसमें सन्देह होना स्वाभाविक है । कितनी ही बार कहा जा चुका है कि चुनाव करायेंगे । अगस्त, 1986 तक समय लेने से यह प्रतीत होता है कि सरकार की चुनाव टालने की मनशा है । इसलिए भी सन्देह हो रहा है कि रोज अख-बारों में छप रहा है कि मुख्य मंत्री बदले जा रहे हैं, सरकार गिरने जा रही है और हटने जा रही है, जिसके साथ चुनाव भी टलते जायेंगे । इसलिए इसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय । 31 दिसम्बर, 1985 तक का समय ले लें और चुनाव करा लें तो हमको कोई सन्देह नहीं है ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का मौका दिया । थोड़े समय के लिए तारीख बढ़ाने के लिए यहां पर यह विधेयक लाया गया है । हमारे विपक्ष के सम्मानित सदस्यों ने एक तर्क रखा कि 31 दिसम्बर, 1985 तक यदि हो जाय तो हमें कोई शंका नहीं है । इसी तर्क के जवाब में तर्क है वह यह कि 31 दिसम्बर, 1985 में तो आपको कोई शंका नहीं है और अगस्त, 1986 में आपको शंका है । शंका के आधार पर ही आपको शिकायत है वरना जो बात मान-नीय श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने और माननीय श्री हरीश जी ने कही, उससे न हमको इख्त-लाफ है और उधर के बैठने वाले लोगों को इख्तलाफ है । हम चाहते हैं कि जनता के नुमाइन्दे हों । नगर पालिकाओं और नगर की हुकूमतों का भार सौंप दिया जाय इसमें जितनी चिन्ता आपकी हो सकती है उतनी ही हमारी है लेकिन जो समय की और शंका की बात है, उसी से शिकायत हो रही है और उसी के लिए प्रवर समिति को भेजने की बात है, तो शंका की कोई बुनियाद नहीं होना चाहिए और यह कहा गया है कि अगस्त 86 तक कार्य पूरा कर सौंप दिया जायगा, तो मेरा अनुरोध है कि 6-7 महीने का सवाल है, वह भी मान लीजिये । जनता के हाथों में मामला आ जायगा तो हमारी आपकी जिम्मेदारी कम होती है । जब हम जाते हैं तो छोटे-छोटे मामलों के लिए पोल जाता है और जो कार्य हमारा नहीं है उसके लिए शहरों में धंधे चलते हैं । यह इत्तेफाक की बात है लेकिन जो तारीख अगस्त की रखी जा रही है उसमें सहयोग दें और विधेयक को पास करें

ताकि कार्यवाही समय से पूर्ण हो जाय और हर मामले में बड़े सदन से निकल कर छोटे में जाने की जो प्रक्रिया अपना रखी है, उस से हट कर थोड़ा आगे बढ़ें ।

श्री अशोक बाजपेयी—

जैसा कि सामने बैठे हुए माननीय सदस्यों ने इस बात को बार-बार कहा छोटी तारीख बढ़ाने की बात है और छोटा सा विधेयक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । विधेयक छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन जनहित सर्वोपरि है और सदन में जहां पर लोक शाही और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग बैठे हैं, चाहे वह इधर के सदस्य हों चाहे उधर के हों अगर लोक शाही और लोकतंत्र पर इसी तरह कुठाराघात होता रहा और जनतंत्र पर दमन का चक्र चलता रहा और इसी तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला घोंटा जाता रहा तो हो सकता है एक दिन ऐसा भी आ सकता है आप कल्पना करें तो इस तरह से एक समय ऐसा आ सकता है कि इस सदन का अस्तित्व भी नहीं रहेगा । हम इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन ऐसे गम्भीर और जन महत्व के विषय पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर लिया जाय और प्रवर समिति में इन सारी बिन्दुओं पर विचार करने के बाद तब अगर प्रवर समिति की संस्तुति आती है, हम आश्वासन देते हैं कि इसके अनुमोदन में इसके पास कराने में पूरा सहयोग प्रदान करेंगे । इस विधेयक में शासन की मूल भावना का ही विरोधाभास परिलक्षित होता है जो निरन्तर हमारे मुख्य मंत्री और तमाम सत्तापक्ष के वरिष्ठ सदस्यों, कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने घोषणा की है कि जल्दी ही लोकल बाडीज के चुनाव करायेंगे, ग्राम प्रधानों के चुनाव हुए, और इसके लिए सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने सारी तारीफ और बधाई दे डाली सत्ता पक्ष के आज भी प्रधानों के चुनाव के बाद जो जनतांत्रिक संस्थाएं हैं, जिला परिषद् उसका गठन नहीं हो सका है जहां पहुंचने का मौका चुने हुए प्रतिनिधियों को मिलना चाहिए वह मौका उन्हें नहीं मिल सका है, चुनाव अधूरा पड़ा हुआ है, तो यह कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि दुबारा लोकल बाडीज के चुनाव टालने के लिए विधेयक नहीं लायेंगे । अच्छा होता सार्वजनिक जीवन में कथनी और करनी में भेद कम किया जाता । आज मंत्री जी विधेयक लायी थी तो स्पष्ट रूप से कह देती कि इतने दिनों में निश्चित रूप से चुनाव करा देंगी । यह तो परम्परा बनती जा रही है कि बार-बार विधेयक ला कर जनतांत्रिक चुनावों को टालने का प्रयास किया जा रहा है।

मानवर, केवल लोकल बाडीज के चुनाव ही नहीं बल्कि तमाम सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक संस्थाओं के चुनाव, जहां कि जनतांत्रिक तरीकों से जन प्रतिनिधियों को चुना जाना था उनके चुनाव की प्रक्रिया को बढ़ाया जा रहा है । मुझे इनकी मंशा ही नहीं लगती है कि कभी भी चुनाव करा सकेंगे । अगर जनतंत्र की जड़े कमजोर हो गयी और इसका प्रचार और प्रसार नीचे तक नहीं पहुंचा, गांवों और नगरों के लोगों को आपने लोक प्रशासन में सहभागी नहीं समझा तो कैसे समझा जा सकता है कि जनतंत्र फल-फूल सकेगा । आज जो नगर महापालिकाओं की स्थिति है, चाहे इधर के बैठे हुए माननीय सदस्य हों या उधर के बैठे हुए माननीय सदस्य हों, आज नगर महा पालिकाएं एवं नगर पालिकाएं मनचाहा राजस्व बढ़ा रही है गृहकर और जलकर के नाम पर, इसको केवल चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है, किन्तु आज लोगों पर दबाव डाला जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, गृहकर और जलकर दस गुना और पन्द्रह गुना बढ़ाया जा रहा है । अगर यही परम्परा रही तो ये प्रसासनिक अधिकारी, जिनको जनता का दर्द नहीं है, न जाने कितना भार लोगों पर लादते जायेंगे । यदि माननीय मंत्री जी इस विषय को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का निर्णय लेती तो इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार हो जाता और प्रवर समिति की राय के अनुसार ही इस पर निर्णय लिया जाता । इसके साथ ही मैं इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

★श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, इसको प्रवर समिति में भेजे जाने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। इसको प्रवर समिति क्या देखती और क्या संशोधन इण्ट्रोड्यूस करेगी ? बहुत ही सीधी सी बात है कि एक वर्ष के बजाय 3 वर्ष कर दिया जाय। अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि चुनाव नहीं हुए। मैं बताना चाहता हूं कि यह सरकार और पार्टी कमिटेड है चुनाव कराने के लिये और लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत रखने के लिये। उससे कोई हट नहीं सकता है। इस देश में हम उस जगह चुनाव करा रहे हैं, जहां सारे विरोधी लोगों ने कहा कि चुनाव नहीं होने चाहिये, वहां भी चुनाव करा रहे हैं और चुनाव के माध्यम से ही चाहते हैं कि सारी समस्याओं का हल हो और जनता के प्रतिनिधि बैठकर समस्याओं का हल ढूंढें। माननीय बाजपेयी जी ने कहा कि ऐसा दिन आ सकता है कि विधान सभा हो न रहे, जब तक "इनलाइटेण्ड पब्लिक ओपीनियन" है, इस बेसिक फाबर को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। आप पार्टी के "रिवाइवलिज्म" में विश्वास करते हैं वह इसके लिये घातक हो सकता है, किन्तु यह पार्टी लोकतंत्र को हमेशा ही मजबूत करेगी। बहुत सी बातें ऐसी हैं, सरकार के काम प्रैक्टीकल होते हैं, दूर से करने वाली बात और होती है, प्रैक्टीकल प्राब्लम्स में बहुत सी दिक्कतें हो जाती हैं। इसमें "आप्शन" और "च्वाइस" होती हैं। कभी-कभी ऐसी "च्वाइस" लेनी पड़ती है जो पसन्द न हो। चुनाव होंगे और लोकल बाडीज के चुनाव होंगे, इसीलिए परिसीमन की बातें कही गयी हैं।

अतः मैं माननीय गुप्त जी से निवेदन करूंगा कि वह जो प्रवर समिति की बात है, प्रवर समिति की बात कोई पैदा ही नहीं होती है। सिर्फ कहने की बात होती है, वह आपने कह ही दिया। मैं समझता हूं कि बहुत ही उचित विधेयक लाया गया है। मुझे विश्वास है कि नीचे से ऊपर तक चुनाव होंगे, हम कमिटेड हैं चुनाव के लिये। मैं दोहराना चाहता हूं कि विपक्ष के वह लोग जो "रिवाइवलिज्म" में विश्वास करते हैं, हमें तो लोकतंत्र में विश्वास है, हम भी जानते हैं, सारा देश जानता है।

(4 बजकर 20 मिनट)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि प्रवर समिति में भेजे जाने के प्रस्ताव पर आप न जोर दें, यह विधेयक विचाराधीन है, इसे आप वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता—

मैं फिर माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे दो-दो मिनट में अपनी बातों को कहकर समाप्त करें।

श्री राजकिशोर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यहां जो यह विचाराधीन विधेयक है इसके लिये उस पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव अगस्त, 1986 तक किये जांय। अभी इस सदन के उपवेशन में उधर से मंत्री जी ने और उनके समर्थकों ने यह कहा कि इसी वर्ष के अन्त तक यानी कि दिसम्बर तक चुनाव हो जायेंगे और उसके लिये यह भी कहा गया कि दो स्तरों में चुनाव होंगे। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि चुनाव 1986 में कराये जांय। अभी जो आपने बात कही उसको आपने स्वयं ही उलट दिया तो कैसे यकीन कर लिया जाय कि आप 1986 में चुनाव करायेंगे ही। यदि आप चुनाव नहीं करायेंगे तो हम क्या कर लेंगे ? क्या विश्वास है कि आप चुनाव करायेंगे ? आप बड़ी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं कि जैसे आप ही बड़े लोकतंत्रवादी हैं और हम लोग इस बारे में जैसे कुछ जानते ही नहीं हैं। आपकी यह छोटी सी बात लगती है जैसे कि :—

सतसइया के दोहरे ज्यों नावक के तीर,

देखन को छोटे लगें, घाव करे गम्भीर।

आपने इसे छोटा-छोटा कह करके लाखों-लाखों के अधिकार को छीन रखा है जिससे पूरी शहरी जीवन, टाउन एरिया का जीवन बद से बदतर हो गया है, न रोशनी का इन्तजाम है, न पानी

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

का ठीक से इंतजाम है, न दवाई का इन्तजाम है और न पढ़ाई-लिखाई का इन्तजाम ठीक से है बस स्वेच्छाचारी शासन चल रहा है। हमारे यहां वाराणसी की स्थिति यह है कि प्रशासक बैठा हुआ है। माननीय सदस्य जो इसे छोटी सी बात समझ रहे हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप जरा गुदौलिया में जाकर देखिये कि कितने पर्यटक उस तरफ से गुजरते हैं, विदेशी पर्यटक भी उसी रास्ते से जाते हैं सब देखते हैं कि कूड़े का ढेर का ढेर पड़ा हुआ है जिसे साफ करने वाला कोई नहीं है। अगर उस नगर में जन प्रतिनिधि होता तो निश्चित रूप से वह कूड़े का ढेर वहां न पड़ा रहता और विदेशी पर्यटक वाराणसी को कूड़ेदान न समझता। विदेशी पर्यटक समझता है कि वाराणसी की छवि ऐसी ही है, वहां का इन्तजाम बहुत ही बदतर हालत में है लगता है कि जैसे यहां कोई रहता नहीं है।

हमारे पूरे प्रदेश के अन्दर जितनी नगर महापालिकायें हैं जितनी नगर पालिकायें हैं, जितनी टाउन एरिया हैं, जितनी नोटीफाईड एरिया हैं, हर जगह यही हालत है और यहां आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, हमको जैसे मालूम ही नहीं [illegible] के बारे में।

[illegible] कहता हूं कि आप ही लोकतंत्र की जड़ों को खोद रहे हैं जनता को अपने अधिकारों से वंचित कर रहे हैं इसी कारण से 1971 से आज तक चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। क्या आपको डर है कि 71 के बाद विदेशी आ गये हैं। 10 वर्ष के बाद कितने लोग बढ़ गये हैं। जहां तक परिसीमन का सवाल है, उसकी कार्यवाही बहुत कुछ हो गयी है, आप कहते हैं कि दिसम्बर तक चुनाव करा डालेंगे और परिसीमन की कार्यवाही एक दो महीने में पूरी हो जायेगी। इस प्रकार से जो प्रस्ताव राजेन्द्र गुप्त जी ने रखा है, वह सही है और मैं उसका समर्थन करता हूं।

* श्रीमती कमला साहनी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो लोकतंत्र में अविश्वास प्रकट किया गया है, उसको सुनकर मुझे याद आया कि 1974 और 1977 के बीच के पीरिएड में लोग यही कहते थे कि इन्दिरा जी चुनाव नहीं करायेंगी और वह डिक्टेटर हो गयी हैं, उन्हीं का अब राज्य रहेगा, परन्तु उन्होंने 1977 में चुनाव करा दिया क्योंकि हमारा लोकतंत्र में विश्वास है। और फिर अब यह कहा जा रहा है कि चुनाव नहीं करायें जायेंगे और लोकतंत्र की जड़ों को खोदा जा रहा है। मान्यवर, मैं कहना चाहती हूं कि किसी काम को पूरा करने के लिये समय की जरूरत होती है। आप कह रहे हैं कि देरी हो रही है, तो कह रहे हैं कि देरी हो रही है, तो कुछ देरी हो रही है, लेकिन उसकी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। मैं कहती हूं कि चुनाव जरूर करायें जायेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाती हूं। जो प्रस्ताव प्रवर समिति के लिये किया गया है, उसको माननीय सदस्य वापस ले लें और इस विधेयक को पास होने दें।

* श्री सूर्य प्रताप शाही—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, विपक्ष का जो सन्देह है, उसकी पुष्टि इस विधेयक में दिये गये उद्देश्य और कारणों से ही हो जाती है। 1983 में यह विधेयक आया कि एक वर्ष का समय परिसीमन के लिये चाहिये और अब तक दो वर्ष बीत गये हैं और फिर वही बात दोहरायी जा रही है कि समय चाहिये, उस समय परिसीमन न होने का कारण यह था कि 1981 की जनगणना की रिपोर्ट नहीं आयी थी। अब 1981 की जनगणना की रिपोर्ट आ गयी है तो कह रहे हैं कि क्षेत्रीय परिसीमन कर रहे हैं। मान्यवर यह तीन वर्षों में परिसीमन नहीं कर पाये हैं, तो यह आपके निकम्मेपन का परिचायक है।

मैं कहता हूं कि सारी लोकतांत्रिक शक्तियों को निर्जीव बनाने का काम किया जा रहा है, चाहे कोआपरेटिव हो, नगर पालिका हो, या नगर महापालिका हो आप वहां पर प्रशासक नियुक्त कर देते हैं उनका चुनाव नहीं कराते हैं और जब चुनाव कराने की बात आती है तो आपकी हिम्मत हार जाती है और यही कारण है कि नगर पालिकाओं और नगर महापालिकाओं में प्रशासक भ्रष्टाचार करते हैं। जनता से टैक्स वसूल किया जा रहा है, जिसका अख्त्यार प्रशा-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सक को नहीं हैं और जो पैसा इस प्रकार से आता हैं वह उनकी आव भगत में खर्च किया जाता हैं उनकी साज सज्जा पर खर्च किया जाता हैं, सफाई के नाम पर कोई कार्य नहीं किया जाता हैं, मैं जानना चाहता हूं कि जल निगम की ओर से कितने वाटर वर्क्स लगाये गये हैं। जिस समय विपक्ष ने दबाव डाला कि चुनाव कब तक करायेंगे, तो मुख्य मंत्री ने कह दिया कि दिसम्बर में करायेंगे, हम लोगों ने सन्देह व्यक्त किया था कि जो भी चुनाव कराना चाहता हैं, वह त्याग पत्र देकर चला जाता हैं, इसीलिये वह घोषणा नहीं करना चाहते थे, और अब सुना जाता हैं कि वह भी जाने वाले हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस विधेयक को वापस ले लें। आप अपने इस विधेयक को वापस ले लें। माननीय राजेन्द्र गुप्त जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इसे मैं प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अधिष्टाता—

माननीय गुप्ता जी आपको कुछ कहना हैं।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

माननीय अधिष्टाता महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस संशोधन विधेयक पर अपने विचार रखे। मान्यवर, मैंने सभी सदस्यों का भाषण सुना लेकिन माननीय प्रेमवती तिवारी का भाषण ज्यादा गौर से सुना। माननीय सदस्या जी जिस लहजे से बोल रही थी मुझे खुशी होती कि वह मंत्री हो जाती। लेकिन लगता हैं कि हमारे सीतापुर की जो पद्मा जी हैं उनको खो कर यह मंत्री बनना चाहती हैं, उनका दर्शन करके हम लोग तृप्त हो जाते हैं, उनको हटाकर यह मंत्री बनना चाहती हैं। सीतापुर की बात इसलिए कि वहां की जनता ने मुझे निर्वाचित किया और विमला की बात मैंने इसलिए की कि माननीय मंत्री जी को उन्होंने निर्वाचित किया लेकिन अगर माननीय प्रेमवती तिवारी जी का अब भी सम्पर्क जनता से बना रहा होता तो वह भी यह कहती लखनऊ को उठाने के लिए कि परिसीमन रिकार्ड परा हो चुका हैं।

श्री अधिष्टाता—

माननीय गुप्ता जी, तिवारी जी की शिकायत यह हैं आप सीतापुर, विमला तक ही सीमित हैं।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मैंने सिर्फ सीतापुर, बिसवां के लिए नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का कहा हैं, उनका दायरा छोटा हैं हमारा पूरा उत्तर प्रदेश का हैं।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, माननीय लाल प्रताप जी ने कहा कि हमारी पार्टी तैयार हैं, कामटेड हैं चुनाव कराने के लिए। मैं आपका कटेम्पट तभी दूंगा जब चुनाव करा दिये जाय। यह इसको 86 तक ले जाने की क्या जरूरत थी। यही बात संदेह को पुष्ट करती हैं सभी माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि जन प्रतिनिधियों के न होने से कितना भ्रष्टाचार हो रहा हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान अपने ही जनपद की ओर दिलाना चाहता हूं। मैंने इसको सूचना नियम 301 में भी दी हैं कि सीतापुर जनपद में पिछले 2 वर्षों से 4 वर्षों से जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं वह सब-स्टैण्डर्ड के हुए हैं, उसकी जांच करायी जाय लेकिन नहीं करायी गयी। वहां के जो अधिकारी हैं, वहां के दादा ठेकेदार से सब स्टैण्डर्ड काम कराते हैं। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि सीतापुर में इस समय हाउस टैक्स असेसमेन्ट हो रहा हैं, उनकी पार्टी के लोग खुद उनको बतायेंगे कि कितना वार भ्रष्टाचार हैं। बिना किसी आधार के मनमाने ढंग से गरीब लोगों को कुचला जा रहा हैं और गलकर लगाया जा रहा हैं। खन्ना जी जब थे तो खन्ना जी ने कहा था कि जब तक निर्वाचित सदस्य नहीं आयेंगे कोई नया टैक्स नहीं आयेगा। इसीलिए मुझे संदेह हैं।

मान्यवर, पूरी हंडी का एक चावल ही देखकर पता लगाया जा सकता हैं। मुझे कभी खाना बनाने का मौका मिला नहीं, संयोग से हमारी जो मंत्री जी हैं वह इस बात को समझती होंगी कि हंडी का एक चावल देखकर पता लग सकता हैं कि चावल पका कि नहीं। यही स्थिति पूरे प्रदेश की हैं। मान्यवर, टैक्सों का विवेकपूर्ण ढंग से निर्धारण हो और जनता के हित में हैं कि चुनाव कराये जाय। इसके लिए यह समझते हुए कि फिर निर्धारित तिथि पर चुनाव नहीं करवाये जायेंगे इसलिए मैं इसे प्रवर समिति में भेजने के लिए बल देता हूं।

श्रीमती पद्मा सेठ—

मान्यवर, जो सुझाव थे वे अच्छे थे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यह जो परिसीमन की बात आयी है और गुप्ता जी ने कहा कि बिसवां और सीतापुर में परिसीमन हो चुका है किन्तु सारे प्रदेश में अभी परिसीमन नहीं हुआ है। इसलिये थोड़ा समय की जरूरत है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया है, जहां तक हो सकेगा भी चिन्तित हैं कि यह चुनाव हो जाने चाहिए। जो कठिनाइयां माननीय सदस्यों ने यहां पर कहीं हैं उनसे हम भी अवगत हैं और जो आश्वासन मुख्य मंत्री जी ने दिया है, जहां तक हो सकेगी दिसम्बर तक ही चुनाव कराने का प्रयास किया जायेगा। लेकिन इसके लिये थोड़ा समय चाहिए। अभी 81 का परिसीमन पूरा नहीं हुआ है इसलिए मैं गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि सन् 71 की जनगणना के अनुसार ही इसको मान लें और इस विधेयक को प्रवर समिति में न भेजें।

श्री अधिष्ठाता—

गुप्ता जी, आप इसे वापस लेंगे ?

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, 31 दिसम्बर तक हो जाता तो मैं मान लेता। लेकिन अब नो मानने का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1985 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो दो माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2

अध्याय—दो

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम सं0 2 सन् 1916 धारा 9-का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 9-क में, उपधारा (1) में, द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द 'तीन वर्ष' रख दिये जायेंगे।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खन्ड 2 की तीसरी पंक्ति में शब्द 'तीन वर्ष' के स्थान पर शब्द 'दो वर्ष' रख दिये जांय। मान्यवर, अभी स्वायत्त शासन मंत्री और सत्ता पक्ष में बैठे सब लोग 3 वर्ष के लिये ऐसा कह रहे थे कि यह एक छोटा सा संशोधन है। मैंने भी यह छोटा सा ही ऊपर से देखने वाला संशोधन पेश किया है। इसका स्वरूप छोटा अवश्य है लेकिन यह बहुत विकराल भी है। जो इसकी भावना है वह बहुत भयंकर हो जायेगी। इसीलिये जो शंका की गई है उसी के निवारण के लिये 3 वर्ष के स्थान पर दो वर्ष रखने का मेरा प्रस्ताव है, यही इसको निर्मूल सिद्ध कर सकेगा। मान्यवर, जैसा कि हम समझते हैं कि हमारे लोकल बाडीज के चुनाव हो जाने चाहिए जिसके लिये शासन पक्ष की ओर से घोषणा भी की गई थी लेकिन माननीय मन्त्री जी ने कहा कि परिसीमन में समय लगेगा इसलिए इसकी अवधि को बढ़ाना चाहते हैं। जैसा कि संशोधन में कहा गया है सन् 83 में एक वर्ष बढ़ाने की बात थी। अगर वह बढ़ती तो 1984 में हो जाना चाहिए था। अब आप इस अवधि को 3 वर्ष बढ़ाने की बात कह रहे हैं और इस प्रकार चुनाव सन् 86 तक ले जाना चाहते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि 1986 तक क्यों बढ़ाना चाहते हैं जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे शार्ट नोटिस प्रश्न के जवाब में कहा था

कि दिसम्बर, 85 तक चुनाव करा देंगें तो जब दिसम्बर, 85 तक चुनाव कराने की आपकी मंशा हैं फिर तीन वर्ष की अवधि बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं हैं और यदि दिसम्बर, 85 तक की अवधि आप बढ़ा दें आपकी मंशा पूरी हो जाएगी। इसमें 3 वर्ष की अवधि बढ़ाने की आवश्यकता नहीं हैं। आवश्यकता किस बात की हैं ? यदि हम लोग सभी यह मानते हैं कि स्वायत्तशासी संस्थाओं को अधिक अधिकार मिलें और हमारी लोकतंत्रीय परम्परा जीवित रहे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो तो इसका चुनाव दिसम्बर तक आप करा दें। इस पर विवाद हो सकता हैं कि कुछ जगहों पर परिसीमन पूरा नहीं हुआ हैं लेकिन मेरी निश्चित जानकारी हैं कि शायद ही कोई नगरपालिका हैं जहां पर परिसीमन पूरा न हुआ हो। मैं फर्रूखाबाद का एक उदाहरण देकर स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं।

फर्रूखाबाद में नगर पालिका परिसीमन में 11 वार्ड थे उनको 25 कर दिया गया हैं और उसमें जिला परिषद् के जो क्षेत्र थे न्याय पंचायत बहेपुर के अन्तर्गत लगने वाले क्षेत्र जिनमें सात गांव सभायें हैं जो जिला परिषद में आती थी उनको नगरपालिका क्षेत्र में कर दिया गया हैं। आप डिलिंबरेट पीटते हैं कि जिला परिषदों के चुनाव करा लिये लेकिन उन 7 ग्राम सभा के नागरिकों को आपने जिला परिषद् के चुनावों में भाग नहीं लेने दिया उनके प्रधानों से कह दिया गया कि तुम नगर पालिका क्षेत्र में आ गये हो और दूसरी तरफ नगरपालिका के चुनाव होंगे नहीं उनसे कह दिया कि जब नगर पालिका के चुनाव होंगे तब मतदान करोगे। तो यह एक भयंकर परिणाम हुआ हैं। परिसीमन पूरा हुआ नहीं जो लोकतांत्रिक अधिकार मिला हैं वह मिल नहीं रहा हैं। तो जो जिला परिषद् का वोटर होना चाहिये उसको नगर पालिका का वोटर बना दिया और नगर पालिका के चुनाव होंगे नहीं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि एक भयंकर परिणाम इसका होगा और जो आपने स्पष्ट आश्वासन दिया हैं कि चुनाव करायेंगे तो इसमें यह जो आप 3 साल की अवधि बढ़ा रहे हैं इससे नीयत साफ नहीं लगती हैं। जो आपने जिला परिषदों के चुनाव कराये वह भी पूरे नहीं हो सके हैं। इसलिए कि एक जिले के अंदर जितनी नगर पालिकायें हैं, जितनी टाउन एरियाज हैं उनके अध्यक्ष जिला परिषद् के चुनाव के लिए वोटर होता हैं। तो जब तक नगरपालिकाओं के चुनाव पूरे नहीं होंगे जब तक जिला परिषद् का गठन नहीं हो सकेगा। इसी तरह से एम0 एल0 सी0 का चुनाव होता हैं जब तक नगरपालिकायें गठित नहीं होंगी तब तक एक बहुत बड़ी संख्या को उसके अधिकार से डिप्राइव कर देंगे। उनका जो बहुमूल्य अधिकार वोट देने का हैं वह अधिकार उनको नहीं मिल पायेगा। इसलिए अतिआवश्यक हैं कि नगर पालिकाओं के चुनाव शीघ्रातिशीघ्र करायें जायं। यह कहा जाता हैं कि "हेयर दियर इज विल देयर इज वे" यानी जहां नियत हैं वहां मार्ग निकल आता हैं। इसी लिए यह संशोधन मेरे द्वारा दिया गया हैं जो माननीय मंत्री जी ने बिल प्रस्तुत किया हैं उसमें यह उनके लिए एक मार्ग हैं जिसको दिखाने की मैंने चेष्टा की हैं। इससे आपकी मंशा भी पूरी हो जायेगी और लोगों के अधिकार भी सुरक्षित होंगे 1971 से जो चुनाव नहीं हुए हैं जिससे नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार फैला हुआ हैं वह समाप्त होगा।

मैं आपको इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं फर्रूखाबाद में 1929 में राष्ट्रपति महात्मा गांधी गये और जहां पर उन्होंने आवास किया उनकी शरणस्थली में स्वराज कुटीर बनी हैं।

1932 में स्व0 पं0 जवाहर लाल नेहरू जब वहां गये तो पूज्य राष्ट्र पिता महात्मा गांधी की याद में सत्याग्रहियों व क्रान्तिकारियों की शरण स्थली 'स्वराज कुटीर' का उद्घाटन उसे राष्ट्र को अर्पित करने वाले लाला लालमन गुप्त के चित्र का अनावरण और सुन्दर उद्यान की स्थापना की। और आज भी वहां सुन्दर लाइब्रेरी हैं। लेकिन नगरपालिका का भ्रष्टाचार देखें कि नगरपालिका के जो वर्तमान अधिकारी हैं उन्होंने नगरपालिका का जो नक्शा बनाया हैं उससे वह इतनी ऐतिहासिक और मूल्यवान स्वराज्य कुटीर, फर्रूखाबाद की जो राष्ट्र को समर्पित हैं, वह नक्शे से गायब हैं, तो यह भ्रष्टाचार वहां फैला हैं।

इसलिए कहना चाहता हूं कि तीन वर्ष की अवधि बढ़ाने से आपको 1986 तक छूट मिलती है चुनाव कराने या न कराने की और यह विरोधाभास है कि चूंकि आप दिसम्बर 1985 के पूर्व चुनाव कराना चाहते हैं और सदन से छूट चाहते हैं 1986 तक तो चुनाव के प्रति आशंका व्यक्त होती है इस बिल द्वारा । जो परिस्थिति सामने आती है उससे मालूम पड़ता है कि दिसम्बर 1985 में आप चुनाव कराने के लिए कमिटेड हैं, इसलिए तीन वर्ष छूट की आवश्यकता नहीं है और दो वर्ष से काम चल जायेगा क्योंकि इससे समय 1985 तक हो जायेगा और 1985 में आप चुनाव कराना चाहते हैं, इसलिए तीन वर्ष की आवश्यकता नहीं है । हमारे जो मौलिक अधिकार हैं कि स्वायत्त संवी संस्थाओं के माध्यम से अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने मन के लोगों द्वारा इस प्रकार का संगठन खड़ा करें जिसमें नौकर शाह लोगों का कम से कम हस्तक्षेप हो, इसलिए चुनाव शीघ्र कराये जांय और यह तभी होगा जब मान्यवर, आप अपनी घोषणा से अपनी बंदिश से इनको बांधें । सत्ता पक्ष के लोग चुनाव चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि दिसम्बर 1985 तक चुनाव हो जांय तो मंत्री जी दो वर्ष की अवधि कर देने से दिसम्बर 1985 तक छूट मिल जायेगी और चुनाव हो जायेंगे एवं माननीय सदस्यों की आशंका भी दूर हो जायेगी । इसलिए मंत्री जी जो आप रास्ता भटक गयी थीं उसमें तीन वर्ष के स्थान पर दो वर्ष कर दिया जाय, इससे इस अधिनियम का और जनप्रतिनिधियों की भावना का आदर हो जायगा इसलिए दो वर्ष कर दें । मैं समझता हूं कि यह तर्कसंगत बात है और विवेकपूर्ण बात को मानने के लिए मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगी ।

श्री अधिष्ठाता—

खंड दो पर जो संशोधन पेश किया है, मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

प्रश्न यह है कि खंड 2 की तीसरी पंक्ति में शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

धारा 11-क का संशोधन

खण्ड 3

3—मूल अधिनियम की धारा 11-क में उपधारा (2) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिये जायेंगे ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 की द्वितीय पंक्ति में शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जांय ।

मान्यवर, मैं अपने पहले संशोधन के संबंध में जो तर्क दिये हैं, वही तर्क इसमें भी हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड 3 की द्वितीय पंक्ति में शब्द 'तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जांय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड 3 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अध्याय 3

खण्ड 4

(उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 का संशोधन)

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 7 का संशोधन

4—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की, जिसे आगे इस अध्याय

में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 7 में उपधारा (1) में द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिये जायेंगे ।

श्री बृहम दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड-4 की तीसरी पंक्ति में शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायं ।

जो मैंने पहले तर्क दिये हैं वही तर्क इस सम्बन्ध में हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड 4 की तीसरी पंक्ति में शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड-4 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 5

धारा 31 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 31 में, उपधारा (2) में प्रतिबन्धात्मक खंड में, शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिये जायेंगे ।

श्री बृहम दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 5 की द्वितीय पंक्ति में शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायं ।

मान्यवर, जो मैंने पहले तर्क दिये हैं वही तर्क इस सम्बन्ध में हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड 5 की द्वितीय पंक्ति में शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड 5 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 6 खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

अध्याय चार

संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2 सन् 1914 की धारा 5—क का संशोधन

6—संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 की धारा 5-क में, उपधारा (1) में, द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1985

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 और संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड 6, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती पद्मा सेठ—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1985 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1985 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उ0 प्र0 के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों व निगमों में बढ़ते घाटे, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री गौरी शंकर भइया—

माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों व निगमों में निरन्तर बढ़ते घाटे, अव्यवस्था, तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 52 के अंतर्गत जो चर्चा मन्जूर की गयी थी, एक घंटे की उसको प्रारम्भ करता हूं।

श्रीमन्, जैसा कि इस बजट सत्र में आपने देखा कि काम रोको प्रस्ताव के जरिये प्रतिदिन विधान सभा के अन्दर किसी न किसी निगम के घाटे और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मामला आपके सामने लाया गया और सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। श्रीमन्, इसी सन्दर्भ में मैंने एक प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष को भेजा था ताकि जो चर्चा आज तक सम्मिलित रूप में नहीं हो सकी, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों व निगमों में भ्रष्टाचार और घाटे के सम्बन्ध में उस पर व्यापक रूप से चर्चा हो सके। श्रीमन्, आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में जो निगमों की मुख्य कम्पनियां हैं उनकी संख्या 59 है और जो उनकी सहायक कंपनियां हैं उनकी संख्या 93 है। 31 मार्च, 1985 को 46 हजार 50 करोड़ रुपये का विनियोजन पूंजी और ऋण के रूप में उनके अन्दर किया गया। मान्यवर, इनमें संचित घाटा 31 मार्च, 1985 तक 1950 करोड़ रुपयों का हो चुका है। इसी सन्दर्भ में यह उम्मीद की गयी थी कि यह जो निगम हैं 1984-85 तक 10 प्रतिशत के हिसाब से 465 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ सरकार को देंगे। परन्तु, उसके विपरीत 150 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि इस वर्ष हमारे शासन को इन निगमों की काहिली, भ्रष्टाचार, नाकाबिलियत के जरिये हुआ है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि अब तक जो पूंजी इनमें लगायी गयी है तो उसका 40 प्रतिशत भाग अधिकारी खा चुके हैं और इतना बड़ा मामला इस प्रदेश के अन्दर बिना चर्चा के रह जाय यह उचित नहीं था, इसलिए यह जरूरी हुआ कि इसको विधान सभा के माध्यम से आपके समक्ष लाया जाय और माननीय सदस्य अपनी बात सदन में कह सकें। जो निगम लाभ में चल रहे हैं मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि जिनकी संख्या 33 है, 1984-85 में 15 करोड़ रुपये का लाभ इस प्रदेश को दिया। बड़ी चतुराई का माननीय मुख्य मंत्री जी ने परिचय दिया। जो घाटे में 22 निगम थे, उनके सम्बन्ध में वह बात छिपा गये। हमारे 22 निगम ऐसे हैं जो निरन्तर घाटे में चल रहे हैं। 355 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि इन निगमों ने अर्जित किया है। चौथी बात, जो मुख्य रूप से जिस पर आपका ध्यान आकर्षित करना है, कहना चाहता हूं कि चीनी निगम का जैसा घाटा है, चीनी निगम का घाटा प्रोडक्शन कास्ट सभी इकाइयों में एक तरह से कम करके 6 करोड़ रुपया बचाया जा सकता है। तो आप कम से कम 6 करोड़ रुपया जो है, इसे आप बचत कर सकते हैं। तो जो अव्यवस्था फैली हुई है, उसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, एक चीज मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। यह सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो है निगम का, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है। इनके रख-रखाव की जिम्मेदारी है, इनको सलाह देने की जिम्मेदारी है, इनको टैक्निकल एडवाइज देने की जिम्मेदारी है यानी उनकी निगरानी, सहायता, और टैक्निकल एडवाइज का काम इन सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो का है। गड़बड़ियों की जांच की जिम्मेदारी भी इनके ऊपर लादी गयी है। एक कम्पनी का घाटा दो वर्ष से जांचा नहीं गया। इसी तरह से 3 कम्पनियों के ऐसे घाटे हैं जो कि 11 वर्ष से जांचे नहीं गये, दो कम्पनियों के घाटे 9 वर्ष से जांचे नहीं गये, 4 कम्पनियों के घाटे 8 वर्ष से जांचे नहीं गये, 5 कम्पनियों के घाटे 7 वर्ष से जांचे नहीं गये, 10 कम्पनियों के घाटे 6 वर्ष से जांचे नहीं गये, 11 कम्पनियों के घाटे 5 वर्ष से जांचे नहीं गये, 22 कम्पनियों के 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक लेखा पुस्तिका ही नहीं पूरी की जा सकी। ये आडिट के सामने पेश ही नहीं किये जा सके और उनका भ्रष्टाचार प्रकाश में नहीं आया। तो यह स्थिति कुल मिला कर कई निगमों की बनती है। एक बात की ओर और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, 57 मुख्य कम्पनियों में जो खाते नहीं दिखाये, उनकी संख्या 168 होती है। इस प्रकार इनका टर्न ओवर 4561.95 करोड़ का विनियोजन टर्न ओवर के रूप में होता है। अगर एक की दृष्टि से अनियमितता हम मान लें तो कुल मिलाकर 56 करोड़ रुपये की अनियमितता प्रकाश में आती है या 56 करोड़ का भ्रष्टाचार इन निगमों से खाता न पेश करके एक बार में हो रहा है। इसमें तमाम जन सेवक हैं। या जनप्रतिनिधि लेकिन जो आई० ए० एस० अधिकारी या अन्य जो अधिकारी कुंडली मार कर बैठे हुए हैं, वे सारे के सारे घाटे में चल रहे हैं। लगभग 6 अरब रुपये का बजट इस वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार ने पारित किया और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस वर्ष 6 अरब का बजट पेश हुआ और 465 करोड़ का इन निगमों ने घाटा उठाया। अगर यह लाभ कमाने लगें, तो जो वे अपने बजट में आर्थिक साधन जुटाने के लिए नये टैक्सेशन के लिए सोचते हैं या भारत सरकार के पास जाकर इन्हें गिड़गड़ाना पड़ता है, तो यह सब इन्हें न करना पड़ता। यह सारी बातें नहीं हो सकती हैं, जो उत्थान एक साल के अन्दर 6 अरब रुपया देकर कराना चाहते हैं वह एक साल के अन्दर यदि निगम अपना घाटा पूरा कर लेते हैं, तो 6 अरब रुपया देश के विकास में लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कहना चाहता हूं कि यह स्थिति क्यों आई अतिरिक्त वित्त आयोग के सामने बात आई तो उन्होंने मुख्य-मंत्री जी से कहा कि आप 465 करोड़ रुपया जुटायें और उन्होंने कहा नौ महीने में धन-राशि जुटाकर अतिरिक्त संसाधन न जुटाने का काम करेंगे।

माननीय, वर्षों से घाटे की स्थिति रही है। मुख्य मंत्री जी 465 करोड़ रुपये का घाटा नौ महीने में पूरा करने की दिशा में अष्टम वित्त आयोग को आश्वासन दे दिया। श्रीमन्, एक चीज और आपके संज्ञान में जानना चाहूंगा सार्वजनिक निगमों की वार्षिक रिपोर्ट 1981—82 तक बनकर प्रस्तुत होने के लिए आई हुई हैं, लेकिन वह अभी तक प्रस्तुत नहीं हुई हैं। 1984-85 के लगभग तीन के आंकड़े सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति में दिये जा चुके हैं परन्तु, विधान सभा में आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये जा रहे हैं। माननीय, आप ताज्जुब करेंगे 106 आई० ए० एस० अधिकारी अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक हैं। माननीय, अगर यह मामला विधान सभा में पेश कर दिया जाएगा तो उनके भ्रष्टाचार की कलई खुल जायगी। श्रीमन्, इस भ्रष्टाचार के सन्दर्भ में आपका ध्यान बहुत नहीं लाना चाहता हूं क्योंकि एल० डी० ए० का पांच करोड़ का मामला था। कई माननीय सदस्यों ने इस भ्रष्टाचार के मामले को अलग-

इसी तरह से आपके सामने और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप देखें कि जिन निगमों में लाभ हो रहा है, उन निगमों के अध्यक्ष पद पर कौन लोग हैं और जिन निगमों में घाटा हो रहा है, उन निगमों के अध्यक्ष कौन हैं। जो निगम लाभ कमाने का काम कर रहे हैं इसमें तमाम जन सेवक हैं। या जनप्रतिनिधि बैठे हैं उनमें तो हम लाभ कमा कर दे रहे हैं। लेकिन जो आई० ए० एस० अधिकारी या अन्य

अलग तरीके से आपको दिखाया जैसे विकास परिव्यय का आकलन करते हैं। निगम घाटे में चलते का है, विकास निगम है इनका नहीं करवाया जाता है, तो जो भ्रष्टाचार है इसकी खबरें नहीं हो पाती हैं प्रदेश की जनता को यह जानकारी नहीं हो पाती है कि निगम में क्या कार्यवाही हो रही है, क्या घोटाला हो रहा है। अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है तो पानी नाक के ऊपर हो जायेगा और आप इस घाटे की पूर्ति के लिए कोई ठोस बात नहीं कर सकते हैं, तो उनको इस प्रथा में लाने की कोशिश की जाए कि इन सारी चीजों को ठीक किया जा सके।

मान्यवर, सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो का गठन 1975 में किया गया था। इसके जिम्मे यह जिम्मेदारी दी गई कि उद्योग को टैक्निकल एडवाइज देने के लिए यह कार्य करेगा। 1977 में महानिदेशक के पद का इस ब्यूरो में सृजन किया गया। आई0 ए0 एस0 और आई0 पी0 एस0 अधिकारी जो हैं इनकी वजह से महानिदेशक का पद खाली रखा गया है। हर साल इस पद की तन्खवाह ली जाती है। आई0 ए0 एस0 और आई0 पी0 एस0 के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा इसको चलाया जा रहा है। इस निगम में अफरा-तफरी व्याप्त हो गई है। जिससे उम्मीद की जा रही थी कि यह जो निगम हैं उनको टैक्निकल एडवाइज देने का प्रयास करेगा। प्रदेश का कल्याण करेगा इन सारी चीजों से यह अन्तग्रस्त हो गया है। इसका कोई प्रसावशाली नियन्त्रण नहीं रह गया है। मैंने एक सवाल अध्यक्ष जी के सामने उठाना चाहा था मामला आ नहीं पाया। उसी सन्दर्भ में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मान्यवर, राजस्व एक वक्फ सचिव को अतिरिक्त चार्ज ब्यूरो का दे दिया गया। दूसरे यह विभाग मुख्य मन्त्री के पास हैं जैसी हालत 44 विभागों की है वही हालत इस ब्यूरो की हो रही है। न सचिव को समय मिलता है इसके काम देखने का और न मुख्य मंत्री को समय है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ब्यूरो कन्ट्रोलिंग बाडी है, इसके महानिदेशक के पद पर किसी योग्य आदमी को नियुक्त की जाय ताकि वह समय दे सके और उपयोगी सुझाव दे सके।

एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं निदेशक के पद पर नियुक्त दो व्यक्ति जे0 सुन्दर राजाराव और पी0 एस0 गंग का क्रमशः 23 फरवरी, 1982 और 19 जुलाई 1985 को कार्यकाल समाप्त हो गया। इस पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गई। कोर्ट ने निर्णय दिया कि इस पद को आयोग में भेज दें ताकि उपयुक्त अभ्यर्थी मिल सके और इन पदों को भरा जा सके। लेकिन नौकरशाही के दबाव के कारण इनको आयोग के पास नहीं भेजा जा रहा है। मान्यवर, जो निगम हैं उनकी देख-रेख इस ब्यूरो के द्वारा होती है। इसमें 3 उपनिदेशक के पद हैं इसमें से एक पर पी0 सी0 एस0 अफसर और एक लेखा सेवा का व्यक्ति नियुक्त हैं। इस सम्बन्ध में मंत्रिमण्डल की एक बैठक हुई थी, उसमें जो योग्यता निर्धारित की गई वह चार्टर्ड एकउन्टेन्ट, कास्ट एकाउन्टेन्ट, एम0 बी0 ए0 होना चाहिए और 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जिन लोगों को नियुक्त किया गया है उनके नीचे के पदों पर उनसे योग्य लोग पड़े हैं। अगर इन पदों को आयोग के पास भेजा जाय तो अधिक योग्य लोग आ सकते हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी मुख्य मंत्री जी नहीं हैं, उन्होंने अखबारों में बयान दिया था कि कितना करोड़ का घाटा यह निगम दे रहे हैं। एक तरफ जनता की कमाई का एक-एक पैसा वसूल कर रहे हैं प्रदेश के विकास के लिए और एक तरफ चारागाह खोल रखा हैं इन आई0 ए0 एस0 भ्रष्ट अधिकारियों के लिये कि वह 93 निगमों को लूट खायें, विधान सभा का कोई अधिकार या नियन्त्रण आप पर नहीं होगा। केवल अध्यक्ष जो हो उसकी गाड़ी में लालबत्ती और भोजन आदि की व्यवस्था आप करिये। मान्यवर, कुछ

निगम ऐसे हैं जिनमें अध्यक्ष सार्वजनिक जीवन से सम्बन्धित हैं। धारासिंह की बात उठाई गई थी उन्होंने अपने सेक्रेटरी के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट लिखा दी है। हरिजन विकास निगम है वहां के अध्यक्ष आज कैफटेरिया में मिल गये वह अपना रोना रो रहे थे कि यहां तो चाय भी पीनी हो तो अपनी जेब से बात करो और आई0 ए0 एस0 को शराब पीनी हो तो सरकारी खर्च दिखला दिया जाता है। मैं दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इस महत्वपूर्ण समस्या पर जो सामने आयी है, खुलकर अपनी राय व्यक्त करें। सबसे ज्यादा मैं सत्ता पक्ष के साथियों से चाहूंगा कि दलगत भावना से ऊपर उठकर इस पर खुली बहस करें। पूरे उत्तर प्रदेश का जितना बजट पास किया जाता है उतने रुपये का नुकसान यह निगम कर रहे हैं इससे हमारे प्रदेश के विकास में और संसाधन जुटाने में, आर्थिक स्रोत जुटाने में बड़ी मदद मिल सकती है। अगर निगमों को अनुशासित करके, और उनमें भ्रष्टाचार दूर करके उनमें शुद्ध लाभ दिलाने की कोशिश की जाय।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदस्य गौरी शंकर भइया जी की चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। इस सदन में सम्मानित सदस्यों के संज्ञान में कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। और इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। मान्यवर, जैसा कि आप जानते हैं कि यह समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात थी, हमारे बुजुर्ग राजनीतिज्ञों ने इस ओर कदम बढ़ाये और यह प्रयास किया कि जो पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था है, उसको धीरे धीरे समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर लाया जाय। और इसी के तहत सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना की गई। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 31 मार्च, 1985 तक हमारे इस विशाल प्रदेश में छोटे बड़े मिलाकर करीब 59 सार्वजनिक उद्योग और उपक्रम स्थापित हुए और यह उम्मीद की गई कि इनके माध्यम से केवल पूंजी ही प्राप्त नहीं करेंगे। बल्कि समाजोत्थान का कार्य करेंगे। इससे हम प्रदेश की गरीब जनता की आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठायेंगे और गरीब जनता को उन्नति के लिये इनके माध्यम से संसाधन जुटा पायेंगे। लेकिन आज स्थिति यह है कि इन प्रतिष्ठानों में अभी तक 46 अरब 54 करोड़ 58 लाख रुपये का सरकारी पूंजी निवेश इसमें हुआ है और इसमें से 31 मार्च, 1985 तक 10 अरब 13 करोड़ 58 लाख रुपये का घाटा इन सफेद हाथियों ने सरकार और गरीब जनता के सर पर डाला है, जिसको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की बात की जाती है।

मान्यवर, यह देखकर ताज्जुब होगा कि केवल इन 59 उपक्रमों में से जो 10 बड़े सफेद हाथी हैं, वे जो सबसे ज्यादा पैसा खा रहे हैं उनमें विद्युत परिषद, वित्तीय निगम, सीमेन्ट कार्पोरेशन, चीनी निगम, उत्तर प्रदेश जल निगम, परिवहन निगम, वस्त्र निगम, प्रदेशीय इन्वेस्टमेन्ट निगम विद्युत उत्पादन निगम आदि हैं। इनमें कुल 44 अरब 65 करोड़ 3 लाख रुपया नियोजित किया गया और इन्होंने 31 मार्च, 1985 तक घाटा दिया है 9 अरब 74 करोड़ 76 लाख का। तो मान्यवर, हमें सोचना है कि इसको मजबूत कैसे बनाया जाय। इनकी उपादेयता और उद्देश्य जो रखे गये थे, उन पर पुनर्विचार की, उनकी कार्य प्रणाली पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। मान्यवर, आपको याद होगा कि एक बात हमारे प्रधान मंत्री जी ने बड़ी सख्ती से कहा था कि सार्वजनिक उपक्रमों को बहुत ज्यादा घाटे में रहते हुए बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज हम लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं। तो हमको इस बात पर पुनर्विचार करना पड़ेगा कि आखिर यह स्थिति क्यों है। उन उपक्रमों और निगमों में जिनका प्रचलन समाजोत्थान के लिये, जनता की आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए संसाधन जुटाने के लिये किया गया था।

मान्यवर, इस ओर भी मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो प्रबंध व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था

हैं वह किस तरह से लुंज पुंज हैं और उसके क्या कारण हैं। मान्यवर, 59 जो उपक्रम निगम हैं, उनमें जो अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक नियुक्त होते हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि 59 निगमों में जो 40 अध्यक्ष हैं, जिसमें 7 पूर्णकालिक हैं और 33 अंशकालिक हैं। और, इनमें भी 4 इंजीनियरिंग सेवा के हैं और 36 आई0 ए0 एस0 सेवा के हैं। इसके अतिरिक्त इन 59 निगमों में 52 में सरकारी अधिकारी एक में गैर सरकारी अधिकारी प्रबन्ध निदेशक के पद पर तैनात हैं कुछ अभी रिक्त रखे गये हैं। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 52 सरकारी अधिकारी जो प्रबन्ध निदेशक हैं, उनमें 32 प्रबन्ध निदेशक पूर्ण कालिक हैं और 20 अंशकालिक रूप से कार्यरत हैं। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह जो नियुक्तियां हैं भी वे मात्र दो वर्ष के लिये होती हैं, यह भी एक वजह है इन निगमों में घाटे की अंशकालिक नियुक्ति पर उस पर तैनात व्यक्ति यही सोचता है कि खाओ पिओ और चल दो। अध्यक्ष एक वर्ष के लिए या कुछ समय के लिये आया वह काम तो समझता नहीं है, वह यही समझता है कि मुझे तो इसमें ज्यादा काम करना नहीं है, जितनी ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हो सकें, ले लो।

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से यह सुझाव रखना चाहता हूं कि यह जो अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्तियां हैं, यह अंशकालिक न होकर, पूर्णकालिक हो और इनको 5 वर्ष के लिये कर दिया जाए। [illegible] व्यक्ति अपनी कल्पना से, जन भावनाओं के आधार पर, कुछ योजनायें बना सके और उसमें अधिक से अधिक अपना योगदान दे सके ताकि एक स्थायित्व आ सके। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जितने भी निगम हैं, उसमें जो प्राविधिक नोन्हाऊ हैं किस भी क्षेत्र में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति में बड़ी गड़बड़ी है, जिसकी वजह से भी यह निगम घाटे में चल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की स्थापना जो की गयी थी उसमें यही उद्देश्य था कि इन निगमों के ऊपर कंट्रोल किया जा सके, मानिटरिंग की जा सके ताकि इनका कार्य संचालन सुचारु रूप से चल सके। महानिदेशक का [illegible] अभी रिक्त है, जो डायरेक्टर्स हैं, वह भी अपने टेक्नीकल एफीशियेंसी के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। इसकी बाबत कई उदाहरण हैं, माननीय सदस्य भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आज इनकी नियुक्ति का भी आधार राजनीतिक हो गया है।

एक उदाहरण देना चाहूंगा कि डायरेक्टर फाइनेंस जो हैं यह गुटबाजी में ज्यादा विश्वास रखते हैं, राजनीति में ज्यादा विश्वास रखते हैं जो काम सम्पादित करने के लिये इनकी नियुक्ति की गयी है उस पर यह बहुत कम ध्यान देते हैं।

(5 बजकर 20 मिनट)

ब्यूरो ने इस वर्ष 309 पृष्ठों की एक रिपोर्ट तैयार की है, जो अभी तक इस सदन में नहीं आई है। उसका कारण यह बताया गया कि उसमें 30 पृष्ठों का एक संशोधित संस्करण नत्थी किया जा रहा है। यह एक कार्य कुशलता का नमूना है, जिसे मैंने आपके सामने पेश किया। श्री गौरी शंकर भइया ने जो बात कही है, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं सरकार इन निगमों को पैसा इसीलिये देती है कि वे बिजनेस करें, अपने संसाधनों को बढ़ायें और मुनाफा बढ़ायें, लेकिन सरकार का इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। दूसरा, जो अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं, उनका अल्पकालिक नियुक्ति की वजह से और भ्रष्ट आचरण की वजह से इन निगमों पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। 59 निगमों में से केवल 8 निगमों में फाइनेन्सियल (टेक्नीकल) लोग हैं, लेकिन वह भी निम्न स्तर पर हैं, इसलिए मेरा सुझाव है कि इन निगमों के वित्त प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए वित्त विभाग की ओर से उच्च स्तर पर नियुक्तियां की जानी चाहिए, यदि ऐसा किया गया तो इन निगमों को बहुत बड़े घाटे से बचाया जा सकता है।

मान्यवर, आज पूरे प्रशासन में दो किस्म के अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं एक प्रशासनिक सेवा के और दूसरे टेक्नीकल। जब कभी उपक्रम में या निगम में कोई गड़बड़ी होती है

या म्यूनिसपैलिटी के ऊपर। जलकल्पुरी जल करता है और म्यूनिसपैलिटी म्यूनिसपैलिटी के ऊपर। इस प्रकार ये दोनों ही संस्थान सड़ते रहते हैं। इस तरह के संस्थान जो ठीक ढंग से चलने चाहिए हैं, वे अपना कार्य सुचारु रूप से नहीं कर पाते हैं।

एक तो मेरा सुझाव यह है कि सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो को विद्युत विभाग से संबद्ध किया जाय, जिसमें वित्त विभाग का एक पद क्रिएट हो जो भी भौतिक उपलब्धता होगी, जो भी संसाधन की उपलब्धता होगी और जो भी लाभ मिलेगा, वह वित्त विभाग को मिल सकेगा। ऊपर पर भी टेक्नीकल पोस्ट हैं, उन पर प्रशिक्षित लोगों को नियुक्त किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बहुत से माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं। एक घण्टे का समय चर्चा के लिए निर्धारित है, इसलिए मेरा माननीय सदस्य से यह कहना है कि वे काफी सुझाव दे चुके हैं, यदि उनको और कोई सुझाव देना है तो वह लिखकर भेज दें, उनको हम सदन में पढ़ा हुआ मान लेंगे।

श्री काशी सिंह ऐरी—

धान्यवाद, ठीक है। मैं पुनः आपका आभार प्रकट करता हूं।

*श्री प्रमोद कुमार—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे चर्चा में शामिल होने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं। मैं बड़े गौर से सुन रहा था, गौरी भइया ने निगमों के बारे में जो विचार व्यक्त किये हैं, ऐसा लगा जैसे एकतरफा बात करना चाहते हैं। 59 निगम हैं जहां तक मेरी जानकारी है . . .

(व्यवधान)

फिर से देख लीजियेगा, अभी तक 57 थे, दो और बढ़ गये हैं। ये प्रस्ताव ला रहे हैं और निगमों के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी घाटे में चल रहे हैं। 24 फायदे में और 13 ऐसे हैं जो कभी घाटे में और कभी फायदे में चल रहे हैं। जब निगमों के बारे में बात करें तो केवल फायदे की और घाटे के सम्बन्ध में ही नहीं बल्कि देखना यह होगा कि जब यह बने तो इनका उद्देश्य, एवं उद्गम ध्येय क्या था। सरकार कभी-कभी ऐसी संस्थाओं को जन्म देती है जो जनकल्याणकारी हैं क्योंकि यह सहकारी जनकल्याणकारी सरकार है, जनता को सुविधायें मिलें। ऐसी संस्थाओं को घाटा स्वाभाविक है लेकिन उद्देश्य यह है कि जो जनकल्याणकारी नीतियां हैं वह पूरी कर सकें। स्पष्ट शब्दों में अगर कहा जाये तो यह सरकार दुकान नहीं चलाती है जो सिर्फ फायदा ही देखे, 12 करोड़ की आबादी को ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे पहुंचे, यही उद्देश्य और नीति है। अभी मण्डी परिषद् की बात कर रहे थे, वह किसी निगम में नहीं आता, श्रारा सिंह की बात की, वह . . .

श्री गौरी शंकर भइया—

जो अध्यक्ष और अधिकारी हैं, उनकी लूट में क्या हो रहा है? मैंने तो उदाहरण दिया था।

श्री प्रमोद कुमार—

यही तो मुसीबत है, गौरी शंकर भइया जब भी कोई उदाहरण देते हैं, बाहर का देते हैं।

एक सदस्य—

व्यास जी तो आते हैं।

श्री प्रमोद कुमार—

मैं विद्युत परिषद् और परिवहन निगम की बात करूंगा, यहां घाटे की बात है लेकिन ईमानदारी से सोचें कि इनकी स्थापना क्यों हुई है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर विद्युत परिषद् अपने ऊपर हॅवी सब्सिडी देकर ग्रामीण विद्युतीकरण न करावे तो उत्तर प्रदेश के सारे गांव बगैर विद्युत के रह जायेंगे। परिवहन निगम की बात है, आज स्थिति यह है कि जो प्राइवेट आपरेटर्स हैं उन्हीं जगहों पर बस चलाना चाहते हैं जहां अच्छी सड़कें हैं और फायदे के स्थान हैं। हम चाहते हैं कि अच्छे ढंग से बसें चलें और इसमें घाटा भी होता है। निश्चित रूप से

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

इसमें सुधार की गुंजाइश है। परिवहन निगम को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में आना होगा। बढ़ते हुए ट्रैफिक के कारण बड़ी बसें नहीं चलायी जा सकती हैं इसलिए उनके स्थान पर मिनी बसें चलायी जायें और प्राइवेट बसों को भी चलने की इजाजत दी जाय क्योंकि वह खड़ी नहीं हैं बल्कि चल रही हैं और अवैध कमायी कर रही हैं। अगर वह रायल्टी दें तो निगम का घाटा पूरी हो सकेगा और जनता को काफी सुविधा होगी। जहां तक घाटे का प्रश्न है, मूल कारण जो मैं समझ पा रहा हूं, वह है आवश्यकता से अधिक कर्मचारी रख लिये गये हैं या हैं। और उनके कारण जो सर्च आता है, वह आंकड़े के लाभ को समाप्त कर देता है। इसी तरह इस बात का है कि निगमों में जारी होने वाली नियुक्तियां रोक दी जांय जब तक कि निगम फायदे की स्थिति में न आ जायं। जहां तक मेरी जानकारी है 36, 37 निगम ऐसे हैं, जिनकी नियमावली बन गयी है। आवश्यकता इस बात की है कि सभी की नियमावली बनायी जाय जिससे कि कर्मचारियों को सुविधा मिले और वे समर्पित भाव से काम कर सकें तथा बेहतर ढंग से सेवा कर सकें। अन्त में शंकर भइया जी के वक्तव्य की ओर ध्यान दिलाते हुए कि निगम जो शासन सेवाएं स्थापित किये गये हैं, उनका मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना है, उनको लाभ पहुंचाना है, उनका उद्देश्य व्यापार करना या दुकान चलाना नहीं है। उनके घाटे को इस नजर से भी देखना होगा कि कल निगम ऐसे हैं कि अगर वे बन्द कर दिये जायं तो किसानों की सिंचाई सुविधा बन्द हो जायगी, कल ऐसे हैं कि जिनको बन्द कर देने से पूरे प्रदेश में अन्धकार हो जायगा। इनके लिये सार्वजनिक मन्त्रालय की स्थापना इसी उद्देश्य से की गयी है, लेकिन इसको अभी उतने अधिकार नहीं दिये गये हैं। मैं चाहूंगा कि इसको अधिकार दिये जायं और निगम जो उत्तरदायी न हों, उनके विषय में विचार किया जाय। निगमों की स्थापना जनहित में की गयी है, इस पृष्ठभूमि में माननीय गोंनी शंकर भट्टया जी जो इस विषय पर प्रस्ताव लाये हैं, वह उचित नहीं है।

श्री अशोक भाजपेयी—

अभी मैं माननीय तिवारी जी की बात सुन रहा था। जब माननीय तिवारी जी खड़े हुए, जो कि सत्ता पक्ष के एक वरिष्ठ सदस्य हैं, और उनकी योग्यता पर भी कोई सन्देह नहीं है, मैं सोच रहा था कि तिवारी जी भी शायद इस वेदना में पीड़ित होंगे, जिससे पूरी सदन चिन्तित है, किन्तु उन्होंने दूसरी बात कही। प्रदेश को 4650 करोड़ रु० की पूंजी इन निगमों पर लगी है और ये निगम लगातार प्रदेश की जनता के ऊपर केवल भार बढ़ाते चले जा रहे हैं। इनकी स्थापना के समय इनसे अपेक्षा की गयी थी कि ये 10 प्रतिशत का लाभ देंगे। यदि यह लाभ मिलता तो वर्ष 84-85 में 4 अरब 65 करोड़ का लाभ प्रदेश सरकार को होता। आज प्रश्नोत्तर काल में शिक्षा मन्त्री जी ने कहा कि आर्थिक संसाधन नहीं हैं इसलिये बेसिक स्कूल और जूनियर स्कूल के भवन नहीं बन सकते। अगर यह 4 अरब 65 करोड़ की पूंजी उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा के पुनरुद्धार पर लगा दी जाती तो प्रत्येक गांव में प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल के भवन निर्मित हो जाते। एक तरफ जहां 10 प्रतिशत का लाभ मिलना चाहिये था वहां 84-85 में 256 करोड़ रु० का घाटा निगमों में मिला है।

मैं सोच रहा था कि तिवारी जी कोई तर्कपूर्ण बात कहेंगे, लेकिन उन्होंने आज भी वही कुतर्क रखे। अभी नित्त आयोग के सामने माननीय सत्य मन्त्री जी ने तमाम दलीलें रखीं कि विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में जितने बच्चे शिक्षा के लिये बढ़ते हैं उसका कारण बताया, लेकिन आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि 91-92 में कम से कम 5 प्रतिशत का वृद्धि लाभ होना चाहिये था, लेकिन प्रतिवर्ष जो घाटा बढ़ता जा रहा है। आज स्थिति यह है कि प्रदेश की जनता के सामने निगम एक गम्भीर समस्या का रूप धारण कर चुके हैं। राज अस्तबारों में निकलता है कि 0.75 प्रतिशत पर बागडे के रूप में जनता से सरकार धन प्राप्त करने जा रही है। मान्यवर, इसमें इनको 0.75 प्रतिशत के रूप में घाटा

अदा किया जा रहा है। यदि प्रदेश में इन निगमों की अपनी पूंजी विनियमित हो। यदि 10 प्रतिशत लाभांश इनसे सरकार को मिलता तो 4 अरब 29 करोड़ रु० प्रति वर्ष राजकीय कोष में आना चाहिये था। एक किसान पर अगर मालगुजारी का बकाया होता है तो उसे पकड़ कर तहसील के हवालात में बन्द कर दिया जाता है लेकिन इन निगमों पर जो इतना बकाया पड़ा है इसके लिये कौन उत्तरदायी है? इसके लिये उत्तरदायी हैं वित्त सचिव, प्रबन्ध निदेशक और निगमों में बैठे हुए प्रशासक जो कि बराबर इनके प्रति लापरवाही बरत रहे हैं।

आज निगम की स्थिति यह है कि अगर ये इस परसेन्ट का डैवीडेन्ट देते तो प्रदेश के कम से कम 40 लाख बेरोजगार लोगों को 100 रु० महीने के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता था और सरकार इस तरह से यह पुनीत कार्य कर सकती थी। सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की स्थापना इसी मंशा से की गयी थी लेकिन उसने भी आज तक कोई रिपोर्ट पटल पर रखने का काम नहीं किया है। आज प्रदेश में 106 आई० ए० एस० अधिकारी कहीं न कहीं किसी न किसी निगम में कुंडली मार कर बैठे हुए हैं। सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो में मूल्य पदों पर तीन आई० ए० एस० अधिकारी नियुक्त कर दिये गये हैं। अगर कहीं निगमों के प्रशासकों के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो इन 106 आई० ए० एस० को ये तीन आई० ए० एस० अधिकारी संरक्षण प्रदान करते हैं ये आई० ए० एस० अधिकारी निरन्तर अपनी मर्यादा को घटाने का काम कर रहे हैं।

आश्चर्य, स्थिति यहां तक है कि जहां पर जन प्रतिनिधि अध्यक्ष हैं वहां अपेक्षाकृत घाटा कम हो रहा है लेकिन जहां पर प्रशासक बैठे हुए हैं वहां निरन्तर घाटा बढ़ता चला जा रहा है। मेरा सुझाव है कि केवल तकनीकी ज्ञान वाले अधिकारी ही सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो में रखे जाने चाहिये ताकि उनका कार्य सुचारु रूप से चल सके। जितने भी निगमों में बोर्ड आफ डाइरैक्टर्स हैं, उनमें कहीं भी जन प्रतिनिधियों को स्थान नहीं दिया गया है। उनके लेखे-जोखे के बारे में जन प्रतिनिधियों को कोई जानकारी नहीं मिलती है। मेरा सुझाव है कि जहां उनके 20—22 सदस्य हैं वहां कम से कम 5 सदस्य जन प्रतिनिधि के भी बोर्ड आफ डाइरैक्टर्स में रखे जांय। वहां जनता की पूंजी विनियोजित हो रही है उसको जन प्रतिनिधि देख सकें कि वह ठीक तरह से व्यय हो रही है या नहीं।

मेरा एक सुझाव यह है कि सतर्कता विभाग के अधिकारी भी अपने को इससे (निगमों से) अलग रखे हुए हैं इनको महत्वपूर्ण स्थानों पर रखा जाय। यू० पी० एफ० सी०, पिकअप, पंचायती राज, वित्त निगम, अनुसूचित जनजाति वित्त निगम इन सबका निर्माण इसलिए किया गया था कि इससे प्रदेश का भला होगा औद्योगिक विकास होगा और जनता का कल्याण होगा। लेकिन हम उद्योग के क्षेत्र में निरंतर पिछड़ते चले जा रहे हैं उद्योगों के लाभांश को रोक लिया जाता है और उसे वित्त निगमों द्वारा रिवाल्विंग फंड के रूप में दिया जाता है। सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो भी इस दिशा में कुछ नहीं कर पा रहा है। नयी यूनिटों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते समय वित्त निगमों के वित्तीय तकनीकी अधिकारी यूनिट मालिकों से 5 प्रतिशत कमीशन लेकर या मैटीरियल पर सोनेट की राशि लेकर या मार्केट का बकाया गारंटी पूर्वक दिलाने का आश्वासन देकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर देते हैं और उसे वित्त निगम से तत्काल ऋण स्वीकृत करा देते हैं। मैं चाहता हूं कि हर यूनिट की गम्भीरता पूर्वक जांच के बाद ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट को स्वीकृत हो ताकि ऐसे-ऐसे यूनिटें जो (सिक) कमजोर होती रही या बनी हैं, वह कमजोर न होने पायें। इन निगमों में जो धांधली हो रही है। अब मैं आपको इस सम्बन्ध में कुछ मूल्यवान सुझाव देना चाहता हूं . . .

श्री अधिष्ठाता—

सुझाव आप लिखकर दे दें।

श्री अशोक वाजपेयी—

मैं उनको भेज रहा हूं, उनको कार्यवाही का अंग मान लिया जाय।

(श्री अशोक बाजपेयी के सुझाव देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 164—165 पर)

★श्री राजेन्द्र गुप्त—

माननीय गौरी भइया ने जो प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। तिवारी जी का भाषण मैं सुन रहा था सत्तारूढ़ दल की ओर से वह बोले हैं, बड़े योग्य व्यक्ति हैं लेकिन आज पता नहीं क्यों वह कनफ्यूज दिखाई दिये। उन्होंने सामाजिक लक्ष्य की बात की और कहा कि परिवहन निगम में प्रतियोगिता होनी चाहिये और फालतू आदमी निकाल दिये जाने चाहियें। निगम की स्थापना व्यवसायिक रूप से की जानी है, और वह शासन की नीति के खिलाफ बोलते रहे। वित्त सचिव ने पत्र लिखा 9-1-1985 को जिसमें कहा है कि जितनी पूंजी लगी है, उसका 5 प्रतिशत लाभांश के रूप में मिलना चाहियें। मान्यवर, लाभ और लाभांश में अन्तर है। मान्यवर, बात भ्रष्टाचार की हो रही है, अनुसूचित जाति वित्त निगम में डेढ़ करोड़ रुपये के नलकूप लगा दिये गये तो असेट्स के खाते में कुछ जमा होना चाहिये लेकिन एक नया पैसा भी जमा नहीं हुआ है और नलकूप लग गये। व्यास जी अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं और अधिकारी व्यास जी पर आरोप लगा रहे हैं। तो मान्यवर, बड़े पैमाने पर दुर्व्यवस्था है। चीनी निगम की बात स्वाभाविक है, वहां पर अगर मानीटरिंग की व्यवस्था नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। चीनी निगम घाटे पर है। इसकी जो कनवर्जन कास्ट है, उत्तर प्रदेश में जिस मिल में सबसे कम है, उसका नाम है, खड्डा।

मान्यवर, वह सबसे अधिक पुरानी है, 1917 में उसकी स्थापना हुई थी उसकी 900 टन क्रशिंग क्षमता है, उसकी कनवर्जन कास्ट 445 रुपये है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर सेवा नियमावली नहीं है, वहां पर स्टैंडिंग आर्डर है, तो उनका वायलेशन क्यों किया जा रहा है, तो मान्यवर, सभी निगम इस तरह से चल रहे हैं, उनका कोई सही नियंत्रण नहीं है, कुछ निगम घाटे में हैं। और घाटा बढ़ता चला जा रहा है। हम दलीय आधार पर बातें नहीं कर रहे हैं। 5 प्रतिशत का लाभांश मिलना चाहिये था, तो वह क्यों नहीं मिल रहा है। जो ब्यूरो बनाया गया है, उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जो निगम हैं उनका व्यवसायिक आधार पर गठन किया जाये और लाभ का लक्ष्य रखा जाये अगर हम इस रास्ते पर बढ़ेंगे तो हमारा लक्ष्य पूरा होगा और व्यवस्था अपने आप सही हो जायेगी। तो हमने केवल पी0 सी0 एस0 या आई0 ए0 एस0 बैठाल रखे हैं, लेकिन शिकायत पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, एम0 बी0 ए0 से इसकी जांच की जायेगी, ब्यूरो को सुदृढ़ किया जायेगा तभी मैं समझता हूं कि व्यवस्था ठीक होगी। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

★श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, आज एक बहुत आवश्यक विषय पर चर्चा इस सदन में हो रही है। जो गौरी भइया ने नियम 52 के अंतर्गत मांग की थी। श्रीमन्, काफी कुछ माननीय सदस्य, निगमों के बारे में कह चुके हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। श्रीमन्, प्रमोद तिवारी जी ने जो अपने भाषण में कहा कि यह समाज कल्याण के लिये निगम बनाये गये हैं, यह व्यावसायिक संस्था नहीं है। श्री तिवारी जी को मान्यवर, यह सुझाव अपने प्रधान मन्त्री जी को देना चाहिए जिनके अक्सर भाषण आ रहे हैं, अखबारों में पढ़ने को मिल रहे हैं कि जो भी निगम केन्द्र हैं वह लाभ में नहीं आयेंगे, तो जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। तो यह सुझाव पहले प्रधान मन्त्री को देना चाहिए उसके बाद उत्तर प्रदेश में लागू होना चाहिए। अगर प्रधान मंत्री इस पर अमल करेंगे तो उत्तर प्रदेश में पूरा अमल किया जायेगा। मान्यवर, जो निगमों में घाटा हो रहा है इसका कारण दुरुपयोग और समय से निर्णय न लेना है। निर्णय के लिए फाइलें पड़ी रहती हैं।

श्रीमन्, व्यवसाय की बात करते हैं तो व्यवसाय में आपको यह देखना पड़ता है कि किसी चीज को खरीदने के लिए कोई मशीन रुक

★वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया। ★वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

गयी हैं तो इस पर तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। निर्णय न लेने की नीति से 2 करोड़ रुपया प्रति दिन का नुकसान सभी निगमों से उत्तर प्रदेश सरकार को हो रहा है। यह केवल इतने ही त्वरित गति से चल रहा था कि व्यावसायिक ढंग से निर्णय लिया जाय तो यह जो 2 करोड़ का नुकसान है, इसको रोका जा सकता है। वित्तीय अनुशासनहीनता जितनी होती है आपके वित्तीय विभाग की ही वर्ष 1978 में ही इसके विषय में एक आदेश जारी हुआ था कि कोई भी धन फिक्सड डिपाजिट में निगमों का नहीं रखा जाना चाहिए। आप यह देखें कि 31 मार्च 1983 में सभी निगमों का 21951 लाख रुपया नकद या बैंक कैश के रूप में 7800 लाख रुपया केवल फिक्सड डिपाजिट में रखा गया था उनको टर्न ओवर में लगाया जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया गया और फिक्सड डिपाजिटों में रखा गया। तो इतना रुपया फिक्सड डिपाजिट में आपके निगम रखकर बैठे रहे उसको उन्होंने अपने व्यवसाय में न लगाकर, इससे ही कितना नुकसान हुआ इसको सोचा जा सकता है। इस पर श्रीमन्, आपके 6 निगम ऐसे हैं मंडलीय विकास के गढ़वाल, कुमायूं, लखनऊ, इलाहाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी जिसमें 575 लाख रुपया नकद तथा बैंक के मद में अवशेष 31 मार्च को बचा है 902 लाख में से, 575 लाख रुपया इनमें से अवशेष रह गया है, शेष समाप्त हो गया है। इसी प्रकार से 'उपाय' एक संस्था बनायी गयी 1976 में मुख्य मंत्री नारायन दत्त तिवारी ने उसको शुरू किया था। "उपाय" में कुल 20 लाख रुपया जमा किया गया था। उसके बाद अब तक "उपाय" ने कोई कार्य नहीं किया और 7 लाख रुपया केवल एम0 डी0 की मोटर, पेट्रोल और ड्राइवर की तनख्वाह में खर्च हो चुके हैं और 13 लाख रुपये बचे हैं और वह भी खर्च हो करके "उपाय" ज्यों का त्यों रह जायेगा। इसी प्रकार से आप देखें सार्वजनिक क्षेत्रों में जो आपके उद्योग चूरा हैं उसका निर्णय है कि एक माह का कैश और एक माह की इनवेन्ट्री निगमों में रहनी चाहिये। 31 मार्च 1983 की रिपोर्ट के अनुसार ढाई महीने तक ये निगम कैश रखे रहे और 1 महीने की जगह 9 महीने तक इन्वेन्टरी रखे रहे और जो सामान आगे के उपयोग के लिये रखे रहे उसका उपयोग न करके इतना अधिक सामान एक साथ खरीद लिया गया कि निगम ब्याज देने लगा, वह नुकसान हुआ, फिक्सड डिपाजिट में भी 6 प्रतिशत का नुकसान हो गया और इन्वेन्टरी खरीदकर 18 प्रतिशत बैंकों को ब्याज दिया। इसलिये आपके निगमों को जब तक चार्टर्ड एकाउन्टेंट या उस विषय से सम्बन्धित एजेन्सी नहीं देखेगी तब तक आपके ये निगम लाभ नहीं कमा सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(श्री जयदीप सिंह बरार का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता—

बरार साहब, चूंकि समय हो रहा है, इसलिये संक्षेप में ही . . .

श्री जयदीप सिंह बरार—

हां, मान्यवर, बहुत संक्षेप में ही बोलूंगा। श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर दिया। मैं ध्यान से चर्चा सुन रहा था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जब इन निगमों की स्थापना की गई होगी तो चाहे वह समाजवादी उद्देश्य की पूर्ति के लिये हो या जन कल्याणकारी उद्देश्य की पूर्ति के लिये हो, इसी उद्देश्य से की गई है कि इनकी स्थापना से प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ मामलों में वास्तव में प्रदेश में इन निगमों के निर्माण से जनता के हित में कुछ न कुछ योगदान अवश्य रहा है। इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ, संदेह इस बात का भी नहीं है कि यहां पर निगमों की स्थापना के बाद कुछ अच्छे कार्य भी हुये हैं तो कुछ कमियां भी रही हैं। इन सारे निगमों की स्थापना की परिकल्पना स्वतंत्रता के बाद ही इस देश में की गई थी और उनका निर्माण हुआ और इन पर काम शुरू हुआ। इसलिये जो कमियां इनके साथ जुड़ी हुई हैं, उसका अनुभव हमारे देश की और प्रदेश की सरकारों को पहले से नहीं था कि इसमें क्या-क्या कमियां आयेंगी। समय के साथ कमियां

समने आयी हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो कमियां हुई हैं जहां हम एक तरफ यह तस्वीर देखते हैं कि निगमों को घाटा हुआ है उसके सम्बन्ध में एक अंग्रेजी की कहावत है कि 'दि वे टु हेल इज सेड विद गुड इन्टेंशन'। नरक का रास्ता नेक इरादों से पटा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि इनकी स्थापना उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये की गई है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि आज वे भी प्रदेश के विकास में अवरोध पैदा करने लगे हैं।

मैं दो-एक बातें कहना चाहूंगा। हमारे निगम जन कल्याणकारी उद्देश्यों के लिये बनाये गये हैं। यदि उनमें कुछ घाटा होता है तो हमें चिन्ता नहीं करनी चाहिए। घाटा किस कारण होता है इस बात पर चिन्ता करने की जरूरत है। यदि सार्वजनिक पक्ष में एक गन्ना मिल लगी और वह घाटे में चली गई तो चिन्ता नहीं होनी चाहिए। चिन्ता और आश्चर्य तब होता है जब नई मिल लगती है और इसमें उतना ही पैसा गन्ने के मूल्य का, तनख्वाह का, टैक्स आदि का दिया जाय जितना कि एक प्राइवेट मिल देती है जो लाभ कमाती है और आपकी मिल घाटे में जाती है तो मैं शासन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह नहीं होना चाहिए। अकुशलता, अक्षमता कभी समाजवाद का स्थान नहीं ले सकती है क्योंकि जन कल्याणकारी उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकती है। यदि लगातार इन निगमों में इस तरह की स्थिति रही, इस तरह का वातावरण रहा तो उसका लम्बा असर देश की और प्रदेश की प्रगति पर पड़ता है। चाहे जिस पार्टी की भी सरकार हो वह कुछ न कुछ कार्यों को करने के लिये मजबूर होगी। कुछ ऐसे कार्य हैं, जिनका क्षेत्रीय आधार पर चयन करके इनमें निजी उद्योगपति नहीं जाना चाहेंगे। ऐसे निगमों को यहां पर अवश्य रहना चाहिये और इसको हम सबको स्वीकार करना चाहिये। अब मैं थोड़ा सा सुधार की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं और इस सम्बन्ध में दो-तीन बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। सबसे बड़ी चीज किसी उद्योग में या व्यवसाय में जैसा माननीय गुप्ता जी ने कहा हमारे निगमों की भूमिका में लिखा हुआ है कि उनको व्यावसायिक आधार पर चलाया जाय, तो उनको चलाने के लिये केवल पैसे या साधन नहीं होते हैं बल्कि सबसे बड़ी आवश्यकता व्यक्ति की प्रतिभा, मैनेजमेंट में अनुभव और ट्रेनिंग की होती है। तो जो हमारे निगम चलते हैं उनमें कोई न कोई कमी इन तीन चीजों की रह जाती है। जो हमारे निगम करोड़ों और अरबों रुपयों से चलते हैं उनको कोई ट्रेनिंग ठीक से नहीं मिलती है। जो एक साधारण उद्योगपति ट्रेनिंग प्राप्त करके धीरे-धीरे मैनेजमेंट की पोजीशन में आता है तो उसे सफलतापूर्वक चलाता है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

*श्री जयदीप सिंह बग्गर—

हमारे यहां स्थिति इसके बिलकुल विपरीत है। दूसरी बात अनुभव की है। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जो यहां पर कहा गया कि आई0 ए0 एस0 आफिसर नहीं होने चाहियें, मैं इससे सहमत नहीं हूं। उसका कारण यह है कि योग्य व्यक्ति चाहे कोई हो, चाहे वह मंत्री हो या अधिकारी या साधारण जनता का सदस्य हो अगर उसमें उद्योग चलाने की क्षमता है, अनुभव है तो उसे चलाना चाहिये। लेकिन अफसोस तब होता है जब हमारे आई0 ए0 एस0 आफीसर को निगम में आने के बाद और अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद दूसरी जगह के लिए चलता कर दिया जाता है और उनको अनुभव का लाभ निगम को नहीं मिल पाता है। अनुभव प्राप्त करने के बाद दूसरी जगह चले जाते हैं इसका लाभ उनके व्यक्तिगत जीवन में होता है लेकिन निगम को लाभ नहीं होता है।

इसमें तीसरी चीज यह होती है कि इसमें किसी की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा सरकारी बजट खर्च होने के बाद तीन चार साल बाद पी0 ए0 सी0 में आडिट के मामले आते हैं लेकिन निगमों में

आडिट रिपोर्ट 10-10 साल तक नहीं आती हैं। इससे किसी की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं कर सकते हैं अगर निगमों को ठीक से चलाना हैं, सामाजिक न्याय और गरीब इलाकों में काम करने के उद्देश्य को प्राप्त करना हैं तो जब तक जिम्मेदारी निर्धारण का सिद्धान्त नहीं अपनायेंगे तब तक सफलता प्राप्त नहीं हो पायेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

चूंकि समय नहीं हैं, गौरी शंकर भइया जी आपको तो अब कुछ कहना नहीं हैं।

श्री विजय सिंह राणा—

थोड़ा समय और बढ़ा दें। (व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

आगरा विकास मण्डल के बारे में आपको जानकारी हैं।

श्री अधिष्ठाता—

इस पर पहले चर्चा हो चुकी हैं और जब बजट प्रस्तुत हुआ तब भी आपको मौका मिला हैं।

श्री अधिष्ठाता—

इस पर पहले चर्चा हो चुकी हैं और जब बजट प्रस्तुत हुआ तब भी आपको मौका मिला हैं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

एक बाल्टी बाबा का प्रकरण चला हैं।
(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

ऐसा हैं जो माननीय सदस्य रह गये हैं जिनको समय नहीं मिला हैं वे अपने सुझाव लिखकर दे दें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

बहुत दफा दिया हैं लेकिन सरकार सुनती नहीं हैं।

श्री विजय सिंह राणा—

दो-दो मिनट में सुन लें।

श्री अधिष्ठाता—

राणा साहब आगरा के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा हो चुकी हैं। माननीय मंत्री जी भी कुछ कहना चाहेंगे।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

वह क्या कहेंगे? हमारे यहां 1980 से निगम बना हुआ हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय गौरी शंकर भइया, कुछ कहना शेष नहीं बचा हैं, मैं माननीय मंत्री जी को बुलवाता हूं।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मुरादाबाद विकास मंडल निगम के मुतल्लिक भी मुझे कुछ कहना हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आज सूची इतनी लम्बी हैं कि रात के 10 भी बज सकते हैं और भी चर्चा हैं तथा वक्तव्य भी हैं इसलिए मैं अनुरोध करूंगा इसे समाप्त करें। आप लोग बैठ जायें। श्री गौरी शंकर भइया अपनी बात एक मिनट में कह दें।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

गोरखपुर मंडल विकास निगम में करोड़ों रुपये का घाटा हैं। मुझे अपनी बात कहने का समय दें दें।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, आगरा मंडल विकास निगम में 200 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हैं। आप इस पर चर्चा कर लेने दें चूंकि जिस दिन इस पर चर्चा हुई थी उस दिन कहा था कि निगमों पर चर्चा होगी तो आप अपनी बात कह लेना लेकिन आज आप कह रहे हैं कि इस पर चर्चा हो चुकी हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप लोगों की बातें आ गयी हैं। आप लोग बैठ जायें।

*श्री गौरी शंकर भइया—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत सी बातें इस संदर्भ में दोनों पक्षों की तरफ से आयीं। एक आध बातें कटाक्ष करके कही गयीं जिनके संबंध में कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष के श्री प्रमोद कुमार तिवारी जी एक पेशे से संबंधित हैं वह सत्ता पक्ष की ओर से वक्ता थे और वह अधिवक्ता भी पेशे से हैं, जिसका काम हैं कि जिसकी तरफ से नियुक्त हो उसी की बात करें। सच्चाई को अफसाना और अफसाने को सच्चाई में बदलना इस पेशे का काम हैं और वह सच्चाई विधान सभा में कायम रहे इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मान्यवर, जिस काम के लिये हम चुनकर आते हैं/ उसको नजरंदाज आपने किया हैं। हमने 59 निगमों की बात न कहकर 57 की बात किया और आपने 70 की बात किया। एजेन्डे, विषय सूची, में इसी संदर्भ में कहा हैं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में निगमों में निरन्तर होने वाले घाटे, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार किन्तु आपने दो निगमों, जो अभी हाल में पैदा हुए हैं, जिनके दांत नहीं हैं तो वह काटेगें कहां से, की बात कही। मान्यवर, यह सही हैं कि लोकतंत्र में स्टेट की स्थापना वेलफेयर के लिये की जाती हैं और उसके अन्तर्गत काम करने वाली तमाम संस्थाओं चाहे वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा में हों या निगम बनाये जांय, उनका मुख्य उद्देश्य होता हैं लोक कल्याणकारी दिशा में काम करेंगे और इस तरह के निगमों में घाटा हो जाये तो उसे वहन किया जा सकता हैं लेकिन निगम ने कितना काम किया और उसमें लगी हुई पूंजी एवं घाटा, जब इन चीजों को विश्लेषण करेंगे तो आपके ध्यान होगी

बेचने का काम कर रहे हैं। इस तरह की अदूरदर्शिता प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। आप मजदूर करें कम से कम 5 प्रतिशत का लाभ जो निगम स्टेट को नहीं देते हैं उनको मजबूती के साथ बंद करें और दूसरे विभाग खोलें जो वेलफेयर का काम करें। इन शब्दों के साथ मैं पक्ष और विपक्ष के जिन माननीय सदस्यों ने राय दी मैं उनकी भावनाओं से सहमत होते हुए अपने इस प्रस्ताव पर जोर देता हूं।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं अपने योग्य साथी गौरी शंकर भइया जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इस चर्चा के माध्यम से इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया और आलोचना भी की और महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये।

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग शांत रहें। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं।

एक सदस्य—

वहां अलग शासन हो रहा है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

अधिष्ठाता मंडल के साथी मंत्रणा कर रहे हैं।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, चर्चा के दौरान कई सम्मानित साथियों ने आंकड़े प्रस्तुत किये। मैंने देखा कि उनमें कई जगह पर अंतर है है। मैं उन आंकड़ों का जिक्र करके सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता। लेकिन 2—4 बिंदु ऐसे हैं जिनके संबंध में मैं कहना चाहता हूं। जो आंकड़े गौरी भइया ने दिये हमारे आंकड़े कुछ अधिक ही हैं नुकसान के भी और जितनी पूंजी लगी हैं उसमें मेरा कर्तव्य है कि मैं उन आंकड़ों को प्रस्तुत करूं। जो पूंजी इनमें 1984-85 तक लगी है वह 503 करोड़ रुपये की है और 4112 करोड़ रुपये का ऋण है। इस तरह से कुल 4615 करोड़ रुपये इसमें लगे हैं। इसके अलावा जो बैंकों से ऋण लिया गया है वह 2419 करोड़ रुपये है। इसमें विशेष तौर से घाटे के बारे में आपने ध्यान दिलाया कि घाटे का कारण भ्रष्टाचार, प्रबंध शिथिलता आदि बातों का जिक्र किया। सबसे मुख्य प्रहार आई० ए० एस० और पी० सी० एस० अधिकारियों पर किया गया। कहने का आशय था कि इसी सेवा के अधिकारी इन निगमों को चला रहे हैं इसी कारण से तमाम निगम घाटे पर चल रहे हैं।

माननीय गौरी भइया अगर देखें, विद्युत परिषद् का जिसका जिक्र खासतौर से आप करते रहे हैं उसका अपना घाटा तमाम निगमों से अधिक ही नहीं बल्कि बहुत अधिक है। लेकिन क्या विद्युत परिषद् को कोई आई० ए० एस० अधिकारी चला रहा है। किसी निगम को कोई अधिकारी चला रहा है और इस कारण से उसमें घाटा है इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। केवल किसी विशेष सेवा के अधिकारी मात्र के चलाने से निगम को घाटा नहीं होता बल्कि इसके कारण अधिकारी की क्षमता के साथ साथ और बहुत से होते हैं। विद्युत परिषद् को तकनीकी अधिकारी चला रहे हैं और उसका घाटा 1128 करोड़ रुपये है। इसमें अगर ग्रामीण विद्युतीकरण के घाटे को जोड़ दें जो 808 करोड़ रुपये हैं तो कुल घाटा 1936 करोड़ रुपये हो जाता है।

दूसरी बात तिवारी जी ने कही थी, बरार साहब ने कहा उसका प्रतिवाद जोरों से किया। निगम का उद्देश्य व्यवसायिक था या जनहित में जन कल्याण करने का था, उद्देश्य में दोनों बात शामिल हैं। मैं दोनों बात से सहमत हूं। जनकल्याण को निगम से जोड़कर निगम के तमाम घाटे की चर्चा कर देना, इससे मैं सहमत नहीं हूं। जो निगम जनकल्याण में लगे हुए हैं जैसे विद्युत परिषद् है, जो ग्रामों में विद्युतीकरण करता है, तो उन योजनाओं से हम यह उम्मीद करें कि जितना खर्च होगा, उतना [illegible] होगा, यह सही नहीं है। 808 करोड़ रुपये ग्रामों के विद्युतीकरण का है। इस भाग को विद्युत परिषद् से निकल कर सम्परीक्षण कराने की आवश्यकता है। हरिजन विभाग के निगम हैं। हरिजन जाति विकास निगम और हरिजन विद्युत निगम हैं, इसमें [illegible]

काई काम नहीं हैं। इसलिये जहां ही दोष, या उन निगमों में, जिनमें खर्चे होता हैं और आमदनी से पूरित नहीं हो पाता हैं, उसका विश्लेषण करके इसकी समालोचना इसका सर्वेक्षण अलग से होना चाहिए। इसके बारे में सरकार ने निर्देश कर दिया हैं।

हमारे विद्वान माननीय सदस्य ने भ्रष्टाचार के बारे में उठाया था तो यह संयोग की बात हैं कि 56 निगम हैं और चर्चा का समय एक घंटा हैं अगर एक मिनट में एक निगम की बात की जाए, तो भी उसका एक हिस्सा नहीं आता हैं। भ्रष्टाचार एक ऐसी शब्दावली हैं कि कहीं किसी कमी की बात हो तो भ्रष्टाचार का रूप दे दें। आगे नहीं देखा जायगा कि क्या काम इसका रहा हैं। केवल भ्रष्टाचार की संज्ञा देकर उसको समाप्त कर दें यह ठीक नहीं हैं। माननीय सदस्य विभिन्न निगमों को देखें कि कितनी-क्या उपलब्धियां हुई हैं। श्रीमन्, मैं संतु निगम का उदाहरण पेश करना चाहता हूं। संतु निगम ने डेढ़ करोड़ की पूंजी लगाकर इसको शुरू किया और डेढ़ करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया हैं। भारतवर्ष के हर प्रदेश में जाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल में ऐसा कार्य किया जिसका प्रशंसा पत्र भी प्राप्त हुआ हैं। अभी जो केरल के मुख्य मंत्री हैं श्री के0 करुणाकरन, इन्होंने लिखकर दिया हैं कि काम जल्दी हुआ हैं, अच्छा हुआ हैं और चीजों की क्वालिटी बहुत अच्छी हैं। इसी तरह श्रीमन्, एशियाड में तमाम निगमों से कम्पटीशन करके जो प्लाई ओवर बनाया वह कम बड़ी उपलब्धि नहीं हैं। मान्यवर, अभी बड़ी तफसील से परिवहन निगम की चर्चा की यह वास्तव में दुख की बात हैं कि इस निगम का पूर्णतया: व्यावसायिक दृष्टिकोण था।

केवल सिटी बस सर्विसेज को छोड़कर बाकी बस सर्विसेज की जो आलोचना की गयी, बहुत हद तक हम इससे सहमत हैं। इसमें बहुत सी ओवर स्टाफिंग हुई। व्यवस्था की दृष्टि से अगर सोचा गया होता कि एक बस पर कितने कर्मचारी काम करेंगे, तो यह बात सामने न आती। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि इस निगम पर जितनी तवज्जह देना चाहिए थी, वह नहीं की गयी। अगर कोई भी सरकार आई होती, और निगम पर तवज्जह दी गयी होती, इसकी यह दशा न हुई होती। सरकार ने अनेक्चर प्रोपोजल देकर इसका परीक्षण कराया हैं और इस निगम ने 4 महीनों में लाभ उठाया हैं। पिछले पांच साल से इस निगम में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुए थे और होता था तो तदर्थ आधार पर होता था। लेकिन अब प्रोसीजर्स इन्ट्रस्ट्यू लेने के बाद जो लोग क्वालीफाइड हैं, उनको लिया जा रहा हैं। हमको स्वयं चिन्ता इस बात के लिए हैं कि हम इसको फायदे में लायें और जो उद्देश्य इन निगमों के पीछे था, उसको हम पूरा करें।

मान्यवर, उद्यम ब्यूरो के बारे में काफी बात कही गयी। उद्यम ब्यूरो का एक लक्ष्य यह था कि तमाम निगमों का सामंजस्य स्थापित करके मानीटरिंग करे और मानीटरिंग करके इस बात की जानकारी करे कि कौन-कौन से निगम घाटे में हैं और उसका क्या कारण हैं। यह बात चाहे उद्यम ब्यूरो हो, चाहे कोई भी निगम हो, जब हम इक्सपीरियन्स के बेसिस पर चलाते हैं, तो उसमें कुछ समय लगता हैं। अधिकारी लेने में भी, तदर्थ रूप से नियुक्ति करें, तो उसमें आलोचना होगी। हमने दो बार सम्मानित लोक सेवा आयोग को लिखा हैं कि इसमें शीघ्र अधिकारी की नियुक्ति की जाय।

एक बात हम स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं। हम लोगों ने जो एक भेद पैदा कर दिया आई0 ए0 एस0 अधिकारी और पी0 सी0 एस0 अधिकारी का, तकनीकी अधिकारी और सो काल्ड, और तथा कथित तकनीकि अधिकारी का, तकनीकी अधिकारी क्या हैं? अगर हम गाड़ी पर बैठेंगे, तो तकनीकी अधिकारी ड्राइवर मानेंगे, जो गाड़ी चलाना जानता हो? सूत मिल में जो मशीन चलाता हैं, उसको तकनीकी अधिकारी मानेंगे? ऐसी बात नहीं हैं, बल्कि जो अधिकारी उस पद पर बैठा हो, सबसे बड़ी क्वालिटी उसके अन्दर ऐडमिनिस्ट्रेशन की हो। मिलिट्री में आर्टिलरी कोर, इन्फंटरी कोर, सिग्नल कोर, इंजीनियरिंग कोर, मैडिकल कोर भी हैं, सारे विंग्स हैं, लेकिन जो जनरल

होता, उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि वह इंजीनियर हो, बल्कि उसके लिए जरूरी है कि वह अपने व्यक्तित्व से, अपने आचरण से, अपनी योग्यता से, अपनी लीडरशिप कायम कर सके और वही आवश्यकता निगमों में काम चलाने की है, चाहे हमारे पी0 सी0 एस0 अधिकारी दे सकें, चाहे आई0 ए0 एस0 अधिकारी दे सकें या अन्य अधिकारी दे सकें, जो काम कर सकें, और अच्छा लाभ दे सकें.

(6 बजकर 20 मिनट)

यह सही है हमने इस दिशा में कदम उठा लिया है। जो आदेश दिये गये हैं उसमें यह प्रयास किया जायेगा कि जो अधिकारी रखे जांय कम से कम 5 वर्ष तक काम करने का उनको अवसर मिले। ताकि उनकी जिम्मेदारी रहे और उत्तरदायित्व निर्धारित करने में आसानी हो सके। इन शब्दों के साथ पुनः सभी सम्मानित सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। जो सुझाव उन्होंने दिये हैं जिन पर हम पहले ही कार्यवाही कर चुके हैं और जिन पर नहीं किये हैं उन पर पुनर्विचार कर उनको लागू करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि वर्तमान मुख्य मंत्री के नेतृत्व में इन निगमों को बहुत शीघ्र आप इस स्थिति में देखेंगे कि जिन उद्देश्यों के लिये इनको बनाया गया था, उसकी पूर्ति यह कर रहे हैं।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं सेतु निगम की प्रशंसा माननीय मंत्री जी ने की इस पक्ष के लोग भी करते हैं। लेकिन किसी आई0 ए0 एस0 को बैठा दीजिए देखिये एक साल में दिवाला निकल जायेगा।

श्री हकम सिंह—

दिवाला नहीं निकलने पायेगा।

सदन में पर्चे फेंकने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता—

मद संख्या 24 से पहले एक सूचना देना चाहता हूं। आज दिनांक 2 सितम्बर, 1985 को जिस समय सदन की कार्यवाही चल रही थी, अपराह्न 12-42 बजे दर्शक-दीर्घा एक से 2 व्यक्तियों ने हाथ से लिखे हुए 3-4 पर्चे विरोधी पक्ष की ओर फेंके तथा एक दो नारे लगाये। दीर्घाओं में तैनात रक्षकों ने दोनों व्यक्तियों को तुरन्त अपने कब्जे में करके नारे लगाना बन्द करा दिया तथा अभिरक्षा में लेकर उन्हें दीर्घा से हटा दिया। उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के प्रवेश-पत्र तथा फेंके हुए पर्चे की एक प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं। इन व्यक्तियों के नाम क्रमशः श्री बी0 पी0 सिंह एवं श्री दिनेश कुमार प्रवेश-पत्र पर अंकित हैं, जिन्हें कि विधान सभा सदस्य, श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा जारी कराया गया था। उपरोक्त दोनों व्यक्ति घटना के पश्चात से मार्शल की अभिरक्षा में बैठे हुए हैं।

उपरोक्त दोनों व्यक्तियों ने दर्शकदीर्घा से नारे लगाकर तथा पर्चे फेंक कर सदन के कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया है। यह कार्य सदन की अवमानना का आधार बनता है। अतः दोनों व्यक्ति इस समय मार्शल की अभिरक्षा में हैं। ऐसे उच्छृंखल व्यक्तियों को अनावश्यक महत्व देना समीचीन न होगा। अतः यदि सदन सहमत हो तो आज के उपवेशन की समाप्ति तक उपरोक्त व्यक्तियों को मार्शल की अभिरक्षा में रखा जाय और तत्पश्चात उन्हें विदा कर दिया जाय।

(सदन ने अपनी सहमति दी)

प्रदेश में नव-विवाहित युवतियों को जलाने, गला घोंटकर मारने तथा आत्म हत्या के लिए मजबूर करने की घटनाओं में अभूतपूर्व वृद्धि के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री शत्रुघ्न प्रकाश—

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं समझता हूं आज की जो सामाजिक परिस्थिति है, उसके सन्दर्भ में इस ज्वलन्त प्रश्न को देखने की जरूरत होगी। हालांकि इस समय समाज में जो नवविवाहितायें हैं उनको जलाने की घटनायें आ रही हैं। आज ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि नवविवाहिताओं को आत्म हत्या कर लेनी पड़ रही

* छपी नहीं गयी।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

हैं। इस सन्दर्भ में यह कहना उचित नहीं होगा कि यह घटनायें अभी सामने आयी हैं। बल्कि हमारे सामाजिक परिवेश के अन्दर आज ऐसा सिलसिला चल रहा है, आज ऐसी स्थिति आ गई है जब इन घटनाओं को उजागर करने की मानसिकता धीरे-धीरे बढ़ रही है। मैं समझता हूं यह शुभ लक्षण है। आज यह प्रश्न उठता है कि हमारे समाज में औरत की जगह क्या है, किस निगाह से उसको देखा जा रहा है। जब तक एक नयी दृष्टि उसके बारे में नहीं बनाई जायेगी तब तक जोर जुल्म चलता रहेगा। आज के सन्दर्भ में केवल भारत में नहीं बल्कि विश्व के पृष्ठभूमि में देखा जाय तो औरत एक उपभोग की वस्तु बन-कर रह गई है। आज जरूरत इस बात की है कि दुनियां में जितनी गैर बराबरी है। औरत मरद में जो गैर बराबरी है, उसको दूर करने के लिये काम करना समाजवाद के लक्ष्य में प्रमुखता बनता है।

(इस समय 6 बजकर 24 मिनट पर अधिष्ठाता श्री प्रमोद कुमार पीठासीन हुए।)

मान्यवर, मैं समझता हूं कि आज यह सच है कि हम लोग जो बराबरी की परिभाषा है, या आयाम है, उसको स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। एक तरफ हमारे सामने कुरीतियां खराब परम्पराएं हैं जो हमारे दिमाग को ग्रसित कर रही हैं, दूसरी तरफ पश्चिम का नारी उन्मुक्ति आन्दोलन है उसकी नकल करने का दिमाग बन रहा है। मैं समझता हूं कि भारतीय परिवेश में ही इसको देखना उचित होगा अभी हाल में भारतीय संसद में इस संबंध में बलात्कार के सम्बन्ध में एक बिल पास हुआ है, उसमें कई प्राविधान किये गये हैं और इस सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता में कुछ संशोधन किये हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारी विधि है, उसको भी ध्यान से देखना पड़ेगा। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 297 298 पर ध्यान दें तो नहीं लगता है कि औरत मर्द के बारे में साफ बराबरी का दृष्टिकोण नहीं दिखाई पड़ता है। भारतीय संविधान की धारा 14 में स्पष्ट था कि विधि के समक्ष जो समानता होगी उसमें रंग, जाति लिंग का भेद नहीं माना जायगा। लेकिन मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के समाज में जहां एक खास तबके में पिछड़ापन एक अरसे से, बल्कि सदियों से चल रहा हो, उसमें नारी समानता की बात नहीं हो सकती है। बल्कि मैं समझता हूं कि जो लोग पिछड़े हों, यह सर्वमान्य बात है कि जन्म के आधार पर देखें तो औरत चाहे किसी भी जाति की हो, पिछड़ी जाति की हो या ऊंची जाति की, वे सब पुरुषों के मुकाबले पिछड़ी हैं और समानता के अवसर उनको नहीं मिल पा रहे हैं। भारतीय संविधान की धारा 15 में जो प्राविधान है, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 297-298 को देखें तो उसमें व्यभिचार के सम्बन्ध में जो अपराध माना गया है, वह इस तरह से रखा गया है कि जैसे पुरुषों के नियंत्रण में नारी रहेगी और सर्वोच्च न्यायालय के न्याया-धीश श्री चन्द्रचूड़ ने एक मुकदमें के फैसले में कहा था कि अगर कोई पुरुष किसी महिला की, उसके पति की इच्छा के खिलाफ उसके साथ रहे तो वह दोषी होगा।

इसका निर्वाचन किया जाय तो साफ लगेगा कि औरत मर्द में भेद है।

मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिये और समाज में इस समय जो व्यवस्था है, उसको बदलने की जरूरत है। आज प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के हर जिले में ऐसी घटनायें सामने आ रही हैं। तो मैं समझता हूं कि इस बारे में भी एक नयी अवधारणा फैमिली कोर्ट की होनी चाहिये। परिवार न्यायालय का गठन होना चाहिये। अगर पांच छः साल के अन्दर (शादी होने के बाद) महिलाओं को जला दिया जाय, या उन्हें आत्म-हत्या करनी पड़े ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जांय, तो इस सम्बन्ध में जो मुकदमा दर्ज किया जाय, उनकी न्यायिक प्रक्रिया साधा-रण अदालतों में नहीं होनी चाहिये। उनके लिये पारिवारिक अदालतों का गठन होना

चाहिये। मेरी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की अदालतों में 10—15 लाख मुकदमें लम्बित हैं। उत्तर प्रदेश की अदालतों में सामान्य अपराधों के मुकदमें इतने ज्यादा हैं कि इस तरह के सामाजिक अपराधों के सम्बन्ध में जो मुकदमें सामने आ रहे हैं, उनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। मैं समझता हूं कि इस बारे में पारिवारिक न्यायालयों का गठन उत्तर प्रदेश में होना चाहिये। वहां पर इस तरह के मुकदमें ग्राह्य करने चाहिये और इस सम्बन्ध में जिस महिला के साथ में इस तरह का अत्याचार, सास के जरिये, ससुर के जरिये ससुराल वालों के जरिये या उसके पति के परिवार वालों के जरिये या उसमें निशुल्क विधिवत सहायता भी मिलनी चाहिये। वरना जिस महिला के साथ अत्याचार हुआ है यदि उसके परिवार वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वाद दायर करने में कठिनाई महसूस करती है। दूसरे, न्यायालयों की प्रक्रिया इतनी लम्बी है जिसकी वजह से न्याय पाने में विलम्ब हो जाती है। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड के सिद्धान्त के अनुसार यदि देखा जाय तो उसके परिवार के सदस्यों को न्याय पाने में 5 से 10 वर्ष का समय बीत जाता है। इस बीच में जो साक्ष्य प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी नवविवाहिता या उसके द्वारा जिन्होंने वाद दायर किया है, उनके ऊपर होती है।

मैं समझता हूं कि इस मामले में जिस तरह से भारतीय संसद में बलात्कार के संबंध में जो विधि में संशोधन किया है, उसी तरह से जो अत्याचार नवविवाहितों के साथ किये जाते हैं, उस मामले में भी यह भार साधक की जिम्मेदारी यह वादी पर नहीं होनी चाहिये बल्कि जिसके ऊपर यह मुकदमा लिखाया गया है उसके ऊपर यह जिम्मेदारी होनी चाहिये वह यह बतायें कि जलाने का या अन्य अत्याचार का काम नहीं किया है। इसमें विशेष तौर पर संशोधन करके जो बर्डेन आफ प्रूफ है जो सिद्ध करने का दायित्व है वह वादी का न होकर, अभियुक्त का होना चाहिये। यह आज के सन्दर्भ में समसामयिक हो सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार को इसमें पहल करनी चाहिये। मान्यवर, सरकार के स्तर पर इन समस्याओं का निस्तारण नहीं हो सकता है, समाज में भी चेतना पैदा करनी होगी, सरकार की परिधि के बाहर का प्रश्न है, लेकिन सरकार इसमें मध्यम बन सकती है। सरकार इस प्रकार की घोषणा करे कि जो लोग अन्तर्जातीय विवाह करके अपनी जिन्दगी जीना पसंद करते हैं, उनको कुछ सुविधाएं कुछ प्रोत्साहन मिलें। नौकरी में उसे प्रोत्साहन दे सकते हैं, उनको ऋण देने में प्रोत्साहन दे सकते हैं उनको अन्य प्रोत्साहन दे सकते हैं। यही नहीं जितने राजनीति दल हैं, उनमें भी अन्तर्जातीय विवाह करने के बाद राजनीति में जो लोग आने का काम करते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

मैं समझता हूं कि राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और सरकार—यह दोनों का दायित्व है कि इस सवाल पर प्रोत्साहन देने का काम किया जाय। इसके अलावा मैं समझता हूं कि यह सवाल सब लोगों के लिये एक चुनौती है। जहां यह कहावत है कि यत्र नार्ययस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता। हमारे समाज में जहां पर सरस्वती की अराधना होती, जहां पर लक्ष्मी की अराधना होती है, जहां पर श्याम के साथ राधा का वर्णन है, शिव के साथ पार्वती का वर्णन है, राम के साथ सीता का वर्णन है, उसी समाज में औरत के साथ इस तरह का अत्याचार सामने आये, यह सबसे बड़ी विडम्बना और विसंगति है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहूंगा कि जितने भी ईष्ट देवता हुए हैं, उनमें अर्धनारीश्वर शिव ही एक ईष्ट हैं, वही एक उदाहरण हैं जो पत्नीव्रता रहे हैं।

मैं समझता हूं कि हमारे जो आदिकाल के उदाहरण हैं और आदिकाल में जो प्रसंग आये हैं, उन्हें भी आज परिमार्जित संदर्भ में देखने की जरूरत है। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि धर्म ने औरत की तस्वीर को बिगाड़ने का काम किया है। धर्म के माध्यम से औरत की तस्वीर को सुधारने का सिलसिला शुरू होगा तो इस प्रकार की घटनायें कम होंगी। अब वह समय नहीं रह गया है कि औरत को उपभोग की वस्तु माना जाय। इसलिए मेरा कहना है कि आज के संदर्भ में औरत की तस्वीर को

सुधारने के लिए राजनैतिक दलों, सामाजिक संगठनों और सरकार को अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहियें और एक ऐसी मानसिकता तैयार करनी चाहिए, जिससे अच्छा काम हो सके।

श्री नरेन्द्र देव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय देव जी आप बैठ जायें। चूंकि माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहती थी, इसलिए उनको पहले अपनी बात कहने दें।

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस चर्चा में अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। अभी श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने अपना बहुत जोरदार भाषण दिया और उसे मैंने सुना। वह बहुत विद्वान हैं। लम्बे चौड़े आकड़े उन्होंने प्रस्तुत किये। यह भाषण तभी इफेक्टिव हो सकता है, जब उनका क्रियान्वयन हो। मान्यवर, विद्वान सदस्य जो अभी भाषण दे रहे थे, जब उनके नेता यहां मुख्य मंत्री थे तो उस समय जो महिला मण्डल योजना थी, जिसमें बहुत सी गरीब विधवायें निराश्रित महिलायें और परित्यक्तता महिलायें काम करती थीं, जो गांवों में जाकर . .

श्री राम सरन—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह एक ऐसा मसला है, जिस पर हमें गम्भीरता से बोलना चाहिए। किसने क्या किया और किसने कब क्या किया, यदि श्रीमती बख्शी जी इस प्रकार बोलने लगें तो फिर हमें भी दूसरी भाषा बोलनी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि इस समस्या का कोई समाधान हो। सबसे ज्यादा कत्ल तो इन्हीं का हो रहा है।

(श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी जी के कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उस पर मैं पहले अपनी व्यवस्था तो दे दूं। माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, वह व्यवस्था का प्रश्न है ही नहीं। कौन क्या बोले इसके लिए वह किसी को निर्देश नहीं दे सकते हैं। हां, यह जरूर होना चाहिए कि संसदीय भाषा का प्रयोग किया जाय न कि असंसदीय। यदि कोई अपनी बात कहने के लिए तर्क देना चाहता है तो उसे पूर्ण स्वतंत्रता है। इसलिए आपके व्यवस्था के प्रश्न को मैं निरस्त करता हूं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

यह गम्भीर बात है। निराश्रित, विधवायें, परित्यक्ता महिलायें जो रोटी कमाती थी, उनकी एक कलम से नौकरियां समाप्त कर दीं। जब वह आपके भूतपूर्व मुख्य मंत्री के पास गयीं तो उन्होंने कहा कि आपका काम है घर में चूल्हा-चौका करना। उन्होंने कहा कि हम बच्चों के लिए खाना बनाना चाहती हैं, लेकिन क्या मिट्टी की रोटियां बनायें जब पैसा ही नहीं है तो क्या करें। साले की नौकरी समाप्त कर दी। अब हमारी प्रधान मंत्री इंदिरा जी ने इन्हें फिर उठाया, कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को उठाया, और इंदिरा जी को अपना नेता, प्रधान मंत्री बनाया। वह केवल भारत के ही प्रधान मंत्री रही बल्कि 108 देशों की अध्यक्ष बनी।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी, कृपया नव विवाहित युवतियों को जलाने तथा मारने के सन्दर्भ में ही बात करें, उससे अलग न जायें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जहां तक महिलाओं पर अत्याचार की बात है, विपक्ष के नेता श्री शतरुद्र प्रकाश ने कानून की व्यवस्था रखी लेकिन हमें उस रूट में जाना होगा कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से उन पर अत्याचार हो रहे हैं?

(व्यवधान)

यह बड़ा गम्भीर मामला है और मुझे प्रसन्नता है कि आपने इस समस्या को उठाया और पक्ष और विपक्ष को देखना है कि कैसे हम अपनी

महनों, बेटियों की रक्षा करें, उनके इज्जत की रक्षा करें। इसको आप गम्भीरता से विचार करना चाहें तो मैं मैं कहना चाहती हूं कि सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा, शिक्षा का सर्वेक्षण कराएं, जब तक महिलाओं को हम शिक्षित नहीं करेंगे, 90 प्रतिशत उत्तर प्रदेश की महिलायें पढ़ी-लिखी नहीं हैं, जब तक उनका शोषण [illegible] हमारे मुख्य मंत्री राजीव गांधी प्रधान मंत्री बने उन्होंने यह कहा कि कन्याओं [illegible]

[illegible] के माध्यम से [illegible] तीन बोर्ड [illegible] हैं [illegible] हुआ। इसका है [illegible] मैं कहना चाहती हूं कि सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा, शिक्षा का सर्वेक्षण कराएं, जब तक महिलाओं को हम शिक्षित नहीं करेंगे, 90 प्रतिशत उत्तर प्रदेश की महिलायें पढ़ी-लिखी नहीं हैं, जब तक उनका शोषण [illegible] हमारे मुख्य मंत्री राजीव गांधी प्रधान मंत्री बने उन्होंने यह कहा कि कन्याओं [illegible] [illegible] [illegible]

बिकती हैं और अमीर का बेटा बिकता है। मान्यवर, जो जितना बड़ा अमीर होगा उसके बेटे का उतना ही ज्यादा दाम लगेगा, लेकिन जो ज्यादा गरीब होगा उसकी लड़की बिकेगी।

हम चाहते हैं कि भारत सरकार या प्रदेशीय सरकार सरकार कोई ऐसा कानून बनाये कि जो इस तरह की प्रथा के कारण लड़की का गला दबा दिया जाता है, या लड़की ही खुदकशी करती है, इससे छुटकारा मिले।

एक दिन मैं अखबार में पढ़ रहा था कि पच्चीस हजार लड़कियां दहेज के कारण मर गयी हैं। इससे बख्शी दीदी जितना दोष हम लोगों का है उतना ही आप लोगों का भी है। आप लोग भी अपनी ही बहनों को हरी झण्डी दिखा देती हैं। यदि कहीं एक मालिक की दो औरतें हुई तो उसमें से एक ही दूसरे का गला दबा देती हैं। बख्शी दीदी सबूत हैं इस बात की कि उन्होंने अपनी ही बहन मीरा बख्शी का गला दबा रखा है।

वह बेचारी प्रधान मंत्री तो अब इस दुनियां में नहीं रही इसीलिये क्या कहूं ? लेकिन इस देश में बड़े घरों से बहुओं को निकाल दिया जाता है जिस तरीके से बख्शी दीदी ने भाषण दिया, मैं नहीं समझता हूं कि उन्हें महिलाओं से हमदर्दी है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस समय सदन में दो वरिष्ठ मंत्री गण बैठे हुए हैं—श्री बलदेव सिंह आर्य और श्री वासुदेव सिंह से कि वह शासन के द्वारा कोई ऐसा कानून लायें कि जो रोज आये दिन की घटनायों हो रही हैं गला दबाने की, वह समाप्त हों।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने एक सजेशन दिया कि महिलाओं के लिये शिक्षा का प्रचार होना चाहिए, पर्दा प्रथा को दूर किया जाना चाहिये तो क्या मैंने यह गलत कहा ? पूंजीवादी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, महिलाओं का शोषण नहीं होना चाहिये. अगर मैंने गलत कहा है तो ये कहें कि मैंने गलत कहा है ?

श्री राम सरन—

मान्यवर, मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि लड़कियों की शिक्षा लड़कों के बराबर की होनी चाहिये। जितनी बातें शतरुद्र प्रकाश ने कही हैं मैं उन सबका पक्षधर हूं। हम और वे एक ही स्कूल के पढ़े हैं, मैंने यह सब पहले पढ़ा और उन्होंने उसके बाद में पढ़ा। मैं कोई इन सब बातों का विरोधी नहीं हूं लेकिन मर्दमार महिला भी नहीं होनी चाहिए = बख्शी दीदी।

श्री नरेन्द्र देव—

मान्यवर, मैं पुनः विषय पर आ जाना चाहता हूं। माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने जो चर्चा रखी है वह आवश्यक ही एक गम्भीर मसला है। हम देश को कितनी ही प्रगति में आगे ले जायें, विश्व में कितने भी ऊंचे स्थान पर चले जायें लेकिन यदि हमारे यहां नव विवाहितायें इस तरीके से मृत्यु पाती रहीं, उनकी हत्या और आत्महत्या होती रही तो हम कभी भी सिर उठा कर जी नहीं सकेंगे, यह बात सही है।

अभी सभी लोगों ने एक ही बात कही कि इसके मूल की तरफ जाना होगा। मूल तो यह है कि जब तक भारत में दहेज दिया जाता रहेगा तब तक इस तरह की मौतें होती रहेंगी। यह सिर्फ अकेले उस परिवार की समस्या नहीं है जहां इस प्रकार की मौत की घटना घटित होती है। इसके लिये कानून ढूंढ़ने होंगे, आप चाहे जितने अमीर होंगे, आप दहेज नहीं दे पायेंगे। इस गलत प्रथा को हम यहीं रोकें। यदि हमारे यहां दहेज लेने और देने की प्रथा का अस्तित्व रहेगा तो उसके परिणाम स्वरूप हत्यायें होती रहेंगी। जो मिडिल क्लास है उसके लिये अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि जातिवाद के आधार पर ऐसी घटनायें घटित होती हैं। लेकिन मान्यवर, यह हत्यायें जातिगत आधार पर नहीं बल्कि सबसे अधिक इस प्रकार की घटनायें मध्यम वर्ग में हो रही हैं और मध्यम वर्ग के लोग ऐसा कर रहे हैं कि उच्च श्रेणी के लोगों की देखा देखी कर रहे हैं, उनका जो आक-

ण हैं, उसी को यह फालो कर रहे हैं और उसी का अनुसरण कर रहे हैं और यह लोग चाहते हैं कि किस प्रकार से उच्च श्रेणी की श्रृंखला में आ जाय, उनके अन्दर लालच और आकांक्षा होती है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश में इस बात की आवश्यकता है कि आयकर अधिकारियों का एक संगठन बनाया जाये और उस संगठन के लोग जब कहीं पर विवाह हो तो वहां पर जायें और देखें कि जो दहेज दिया जा रहा है, वह कहां से आया है। दहेज का क्या लेना देना हो रहा है। मान्यवर, इसको पूरी तरह से अपराध माना जाय, और दण्ड की भी व्यवस्था की जाय। इसको गम्भी [illegible] जाये, इसको बड़ी कड़ाई के स [illegible] चाहिये और चाहे जो विरोध करना पड़े, उसका सामना करना चाहिए और जब इस प्रकार की कार्यवाही की जायेगी तो उसका सारा हिसाब किताब रखना पड़ेगा कि यह दौलत कहां से आयी, कि आप फ्रिज दे रहे हैं। लड़के और लड़की वाले रजामन्द हैं और उसी का परिणाम होता है कि गरीब नवयुवतियों की हत्या होती है, इस परम्परा को रोकना होगा।

अब मान्यवर, एक दूसरी बात कहना चाहता हूं फैसली कोर्ट की बात कही गयी है, माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि जिस परिवार की लड़की की हत्या होती है, उसको शीघ्रता से न्याय नहीं मिलता है, तो इस प्रकार के अपराध को रोकने में मदद नहीं मिलती है। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के अपराधों में न्याय शीघ्रता से किया जाना चाहिए। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं जिसको बख्शी दीदी ने कहा कि लड़कियों और महिलाओं को शिक्षित किया जाना चाहिए। उनमें शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया जाना चाहिए, जिससे इस प्रकार के अपराध कम हो सकें। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अशोक बाजपेयी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक बड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल की ओर गौरी भैया ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया है। हम जब भी प्रातः अखबार को उठाते हैं, तो सुर्खी में नित्य प्रति दहेज के कारण नवयुवतियों की हत्या की खबर सामने आती है। मान्यवर, इसके मूल कारण पर हमें गम्भीरता के साथ सोचना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि महिलाओं में शिक्षा का अभाव, कानूनी शिथिलता और प्रशासनिक उपेक्षा है इनकी ओर सरकार का ध्यान देना बहुत जरूरी है जब तक सरकारी नौकरियों में या प्राइवेट प्रतिष्ठानों में महिलाओं को उनकी शिक्षा के अनुरूप स्थान आरक्षित नहीं किया जाता, उनको स्वावलम्बी नहीं बनाया जाता तब तक इस समस्या का निदान सम्भव नहीं [illegible] यें पुरूषों को आश्रित हैं। [illegible] आधार, उनकी जीविका के सारे दायित्व पुरूषों पर ही हैं अतः शासन इस ओर विशेष ध्यान दें और महिलाओं के लिए सभी सार्वजनिक सेवाओं में स्थान आरक्षित किये जायें अगर संख्या के आधार पर स्थान 50 प्रतिशत नहीं तो 30 प्रतिशत अवश्य ही आरक्षित किये जायें सभी नौकरियों में। मान्यवर, शिक्षा का अभाव आज पूरे प्रदेश में है 27 प्रतिशत लोग यहां साक्षर हैं। और आज विशेषकर महिलायें और ग्रामीण अंचल की महिलायें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं, तो उनके लिये कोई विशेष व्यवस्था होनी चाहिये। सरकार चाहे तो उनकी शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिये या और कोई व्यवस्था की जाय जिससे महिलाओं में शिक्षा का प्रसार हो सके। मान्यवर, तीसरी बात कानून की शिथिलता है। जो कानून बनाये जाते हैं उन पर अमल नहीं किया जाता है। जब कोई लड़की अपनी ससुराल में प्रताड़ित की जाती है और उसके सम्बन्ध में जब पुलिस को या प्रशासन को इसकी सूचना दी जाती है तो पुलिस या प्रशासन इसमें कोई रूचि नहीं लेता है और बाद में जब घटना हो जाती है तो उस पर कार्यवाही की जाती है। अगर शरूआत में जब कोई ऐसी सूचना प्रशासन को या पुलिस को मिले और उसके ऊपर प्रभावी कार्यवाही की जा सके तो इन अमानवीय घटनाओं पर रोक लगायी जा सकती है। यह विडम्बना है कि नित्यप्रति स्टोव पर महिलायें ही जलती हैं

पुरुष क्यों नहीं जलते । उनको प्रताड़ना दी जाती है मान्यवर, आपने पाँच घंटे का समय ही निश्चित किया है इस पर विस्तार से चर्चा की आवश्यकता है । मान्यवर, साथ ही साथ सामाजिक चेतना में बदलाव की आवश्यकता है तभी इन पर रोक लगायी जा सकती है ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस नाजुक मसले पर बोलने का मौका दिया । कहना यह है कि यह मसला किन कारणों के बिना पर है, कौन सी बात है जिसके बिना पर हम लोग हर रोज इस पर सोचने लगते हैं कि क्या हो रहा है और हमारा समाज किधर जा रहा है । यह बुनियादी तौर पर किसी ऐसे मसले से नहीं फैला हुआ है जिसको हम नहीं जानते, यह बुनियादी तौर पर सोसल इकानामिक प्राबलम है, सामाजिक और आर्थिक मसला है । पहले भी धर्म था, पहले भी हमारा समाज था, पहले भी हमारे घर की बेटियां, बहनें दूसरी जगह काम नहीं करती थी, यह सब चीजें होने के बाद आज यह है कि हम दहेज के खिलाफ आवाज उठाते हैं इसके बावजूद अगर कोई हादसा होता है तो पुलिस को यह हुक्म है कि इसको कत्ल समझे और उस पर कार्यवाही करें यह है बुनियादी सवाल जिस पर हमारे बहुत सम्मानित सदस्य शतरुद्र जी ने बहुत अच्छी रोशनी डाली है ।

25 हजार बेटियों के मरने का सवाल नहीं है, 25 भी हैं तो वह हमारे लिए कलंक है यह जो बुनियादी मसले उठ रहे हैं हमारे समाज में हर रोज सुबह हम करोड़पति होना चाहते हैं । ब्लैक का पैसा ऐसा फैल गया है कि गरीब की बेटियां घरों पर हैं और पैसों की बुनियादों पर इज्जत का सौदा होता है, पैसे की बुनियादों पर मानवता का सौदा होता है । जहां मानवता के बारे में बुनियाद नहीं रहता सिर्फ पैसा ही बुनियाद हो जाय और सिर्फ उस बुनियाद पर लड़कों का सौदा हो या लड़कियों का सौदा हो । तो हम इस ओर बढ़ रहे हैं, इस जमाने में बढ़ रहे हैं जब हमें याद आता है कि हम किस समाज में रहते हैं, किस जगह रहते हैं और कैसी जगह बसते हैं । मैं इन बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाते हुये आपसे कहना चाहता हूं कि हमें इस तरह का एक महौल बनाना होगा । अगर इस तरह का महौल नहीं बनता है अगर कोई इंसेन्टिव नहीं दिया जाता है तो हालत और बदतर हो जायेंगे । एक ही मंडप की नीचे बैठकर दस-दस और बीस-बीस जोड़े शादियां नहीं कराते हैं तो हमें पुराने उसूलों के ऊपर सोचना होगा । पहले भी शादियां होती थी । धर्म की इसमें कोई बुराई नहीं होती । कोई धर्म बुरा नहीं होता लेकिन नई रश्म में जो बुराई पैदा हो गई है उसमें सुधार लाना होगा । यह अजीब और अहम मसला समाज के सुधार का आया है । इसमें पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है । तालीम और परदा सिस्टम से इस अहम मसले का कोई ताल्लुक नहीं है । इसमें आर्थिक मामला है । ऐसी व्यवस्था हो कि मियां-बीवी दोनों कमायें । इस तरह से बुनियादी तौर पर हमें एक महौल बनाना होगा और नई रश्मों के खिलाफ बनाना होगा । इस आधार पर बनाना होगा कि हम इसे सोसियो-इकानामिक-प्रोबलम के तौर पर देखें इसमें धन की कोई गुंजाइश नहीं है । यही मुझे अर्ज करना था ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

चूंकि समय हो चुका है अतः मैं चाहूंगा कि एक-एक मिनट में माननीय सदस्य अपने सुझाव रखें । 45 मिनट का समय हो चुका है ।

श्री अब्दुल वहीद कुरैशी—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे बोलने का अवसर दिया । अभी तक इस विषय पर बहुत से सुझाव आये । किसी धर्म या मजहब में ऐसा नहीं है कि जिसमें यह पाया गया हो कि दहेज की प्रथा आवश्यक है । यह प्रथा हमारी पैदा की हुई है । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । एरिया जामा

गाजियाबाद दिल्ली में इस तरह का महौल पैदा किया गया और भिन्न-भिन्न धर्म के सब लोगों ने मिलकर एक सोसाइटी बनायी जिसने सबसे पहले दहेज की प्रथा को बन्द कर दिया। उसमें करीब दो हजार शादियां एक महीने के अन्दर हुई। इसकी यह वजह थी कि उनकी दहेज के कारण शादियां रूकी थीं इसी लिये लोग अधिक इस बात पर ध्यान दे रहें हैं कि जो जल रही हैं आत्महत्या कर रहीं हैं उसका एक मात्र कारण दहेज ही हैं। इसीलिए ऐसी सामाजिक सोसाइटीज कायम की जाय। क्योंकि इस बात का सोचना भी जरूरी हैं जहां जवान बेटियां घरों में बैठी हैं उनके पास साधन इस तरह के नहीं हैं कि वे इतना दहेज दे सकें। उनकी मां बहनें किस तरह रात भर जागती हैं और अपनी इज्जत बचाती हैं। इस तरफ आज ध्यान नहीं हैं। मेरा सुझाव हैं कि जहां इस की रोक थाम कानून द्वारा हो वहीं सामाजिक साधनों से भी दहेज की प्रथा बन्द की जाय। जब तक सामाजिक माहौल पैदा नहीं किया जायेगा, तब तक यह चीज खत्म होने वाली नहीं हैं।

श्रीमती कमला साहनी—

मान्यवर, मैं आभारी हूं आपने मुझे समय दिया। यह मसला एक गम्भीर मसला हैं। आजादी के पहले हमारे महान कवि जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था—

"अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी,
आंचल में हैं दूध और आंखों में पानी।

एक सदस्य—

यह मैथिली शरण गुप्त ने कहा था . . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य ने ठीक कहा यह जयशंकर प्रसाद ने नहीं, बल्कि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा हैं।

श्रीमती कमला साहनी—

इसके तहत आंसू पोंछने का काफी हद तक प्रयास किया गया लेकिन फिर भी यह स्थिति है कि आज भी प्रतिदिन अखबारों में ऐसी घटनाओं की सूचना मिलती रहती हैं। आज यह बड़े खेद का विषय हैं। इसके लिये मैं दो-तीन सुझाव देनी चाहती हूं। वैसे तो जो सुझाव माननीय शत्रुघ्न प्रकाश जी ने दिया कि इसके लिए अलग से कोर्ट की व्यवस्था हो ताकि फैसला जल्दी हो सके।

(इस समय 7 बजकर 8 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 कृष्ण वीर सिंह कौंशल पुनः पीठासीन हुए)

क्योंकि जब फैसला देर से होता हैं तो कोई भी करने वाले का मनोबल बढ़ता हैं और दूसरे लोग भी ऐसा ही काम करने लगते हैं क्योंकि जब वह देखते हैं कि लोग छूट जाते हैं तो इससे उनको भी प्रेरणा मिलती हैं। इसीलिए ऐसे मामलों के फैसले जल्दी हों तो इससे इस प्रकार के अपराध में कमी आयेगी।

दूसरा ऐसे लोगों पर अर्थ दण्ड लगाना चाहिए चाहे वह पति हो, सास हो या ससुर हो। इससे अपराध में कमी आयेगी। जो लड़की या महिला आत्म हत्या करती हो अगर उसका पति नौकरी करता हैं तो उसको नौकरी से निकाल देना चाहिये और ऐसा कानून बनाया जाय कि जिसकी पत्नी इस प्रकार मारी गयी हो उसको नौकरी से निकाल दिया जायेगा तो लोग डरेंगे क्योंकि उनकी आजीविका का प्रश्न पैदा होगा।

दूसरा ऐसे लोग जो इस प्रकार के काम करते हैं और बेरोजगार हो गये हैं उनके जीवन के पन्नों के साथ एक काला पन्ना जोड़ दिया जाय और चाहे वह नौकरी करे या व्यापार करे उसके साथ वह पन्ना संलग्न रहे कि इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मारा हैं। इसके लिए लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिए लड़कियों के लिए नौकरियों में आरक्षण दिया जाय अगर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता हैं तो वह अपने पैरों पर खड़ी रह सकें और परिवार से अलग रह कर अपना जीवन चला सकें। इन सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्षः—

माननीय सदस्य का समय समाप्त हुआ।

श्री गौरी शंकर भइया—

माननीय अध्यक्षा जी, यह जो आज यहां [illegible] घटनाएं [illegible] घटनाओं में [illegible] बेवजह मजदूर [illegible] घटनाओं में [illegible] शामिल हैं, लोकल अखबार हैं, इसके पहले पृष्ठ में दी गयी है [illegible] महिला के फांसी लगा ली, एक जल कर मर गयी, तीसरे ने इन के आगे कूद कर आत्महत्या कर ली। तो इन सब का वहेज ली [illegible] कारण हैं पति की अकुशलता, देवर, जेठ और ससुर की हवस के सामने नतमस्तक न होने के कारण या वैवाहिक शारीरिक [illegible] न होने के कारण भी इस तरह की [illegible] जो महिला अंगीकार कर लेती हैं। [illegible] निश्चित रूप में सामाजिक [illegible] पहलू भी सामने आता है और जो [illegible] मानसिक आपराधिक कृत्य तो रहा है [illegible] सम्बन्ध हैं। चूंकि सजा कम है इसलिये यह [illegible] किस्में महिलाओं की इस तरह से हत्या [illegible] हैं। मैं जानता हूं कि विभिन्न विधियों में 30 से 35 वर्ष के अंतर की धाराओं में [illegible] अंगीकार किया है। यह बड़ी लम्बी लिस्ट है। मैं आदिवासी कल्याण की बात सुन रहा था [illegible] यह धार्मिक नेता या समाजसुधारक नहीं हैं। तो इस विधान सभा का सीधा सीधा [illegible] अगर कहीं सामाजिक इश्यू उत्पन्न होता है तो कानून बना कर इस प्रकार के अपराधों को रोका जा सकता है।

श्री खान गुफरान जाफरी—

माननीय सदस्य शायद मेरी बात को समझे नहीं। जिसका आप जिक्र कर रहे हैं यह जिम्मेदारी पहले समाज पर आती है तब इस सदन में आती है।

* श्री गौरी शंकर भइया—

न समाज सुधारक हैं और न धार्मिक नेता हैं। मैं आपका ध्यान तीन चार बातों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनें। एक युवती को जला कर मार डाला जाता है और कहा जाता है कि स्टोव फट गया था और वह आत्मा से [illegible] जल कर मर गयी।

आपने, मीडिया [illegible] पढ़ा [illegible] पढ़ा होगा, सुना और [illegible] है। इस [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible]

को रफा दफा करने में क्या साजिश किया है। इन सारी चीजों को मिलाकर, उन पर विचार कर एक नये कानून बनाने की जरूरत है चूंकि आर्थिक कारण दहेज के कारण समाज में हैं और राजिन्दर में रहेंगे।

श्री अवधेश प्रताप मल्ल—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यदि कोई दहेज चुपके से देना चाहे और ले तो कानून में उस पर किस प्रकार बंधन लगायेंगे, इस पर विचार करें।

श्री अधिष्ठाता—

इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, पूरे प्रदेश में जो लड़कियां शादी किये हैं या कर रही हैं वह आतंकित हैं इसीलिये मैं चाहूंगा कि विधान सभा में आप सरकार को निर्देशित करें कि एक ऐसा कानून बनायें जो इन सारी चीजों की तह में जायें और जो इस तरह के अपराध हो रहे हैं उनमें प्रभावशाली भूमिका निभा सकें। इन शब्दों के साथ में श्री शतरुद्र प्रकाश ने जो चर्चा प्रारम्भ की है उस पर जोर देता हूं।

श्री फूल सिंह सौंदाई—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं 1 मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, चाहे इस पक्ष के माननीय सदस्य हों या उस पक्ष के माननीय सदस्य हों सबने कानून पर ज्यादा जोर दिया है। सब लोग कानून की बात कर रहे हैं। कानून मानव ही बनाता है और मानव में जो कमियां हैं, वह वहां भी जायेंगी। मैं कहना चाहता हूं कि यह एक सामाजिक बुराई है। इस बुराई के कारण कितने ही बड़ीकयों के पिता हैं जो अपने आपको असमर्थ पा रहे हैं मैं एक ऐसे वर्ग से आया हूं जो कमजोर वर्ग है और जिसे सफाई मजदूर कहते हैं। हमारे यहां डावरी का सिस्टम नहीं है। जब कोई आदमी सासाजिक बुराई करता है तो उसके साथ हम रोटी और बेटी का सम्बन्ध छोड़ देते हैं। आज जिस वर्ग ने अगर अपनी बहू को मारा है तो क्या कभी आपने सोचा है कि हम उस वर्ग के साथ रोटी बेटी का सम्बन्ध नहीं रखेंगे। अगर किसी ने दहेज के लिये मारा है तो अगर उसके प्रति समाज थोड़ा सख्त हो जाय तो फिर आप देखें कि यह कैसे होता है। जिस घर की बहू मारी गयी अगर उस व्यक्ति के लड़के की दोबारा शादी न हो और उसे कोई बेटी न दे और उसके साथ खाना पीना बंद हो जाय और समाज से उसको अलग कर दें तो उसकी अक्ल ठिकाने आ जायगी और ऐसी घटनायें नहीं होंगी।

एक सदस्य—

बहुत अच्छा सुझाव है।

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, केवल 2 मिनट दे दें।

एक सदस्य—

अभी इनकी शादी नहीं हुई है।

श्री किरनपाल सिंह—

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान्यवर, मेरा सुझाव है, जैसा कि माननीय गौरी शंकर भइया ने कहा, कानून से इस समस्या का निदान नहीं हो सकता। अभी हत्यायें होती हैं, हत्या के लिये कानून है लेकिन हत्यायें रुक नहीं रही हैं। तो यह एक सामाजिक समस्या है, यह समाज के द्वारा रोकी जा सकती है। मान्यवर, इस हत्या से सम्पत्ति का मामला जुड़ा हुआ है। मान्यवर, जैसा हमारे संविधान के आर्टिकिल 14 के बारे में शतरुद्र प्रकाश जी ने बराबरी की बात कही और लिंग भेद नहीं है, की बात कही, लेकिन मान्यवर, प्रापर्टी के अन्दर भेद है, किसी भी ला में स्त्री को प्रापर्टी में बराबरी का हक नहीं है। तो जब तक स्त्री को प्रापर्टी में बराबरी का हक नहीं मिलेगा तब तक स्त्री को हमारे समाज में, खासतौर से हिंदू समाज में दूसरे नम्बर का नागरिक समझा जायगा।

नारी पर जो अत्याचार हो रहे हैं, मैंने जो इस सम्बन्ध में अध्ययन किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें नारी का दोष पुरुष से ज्यादा रहता है। जहां भी दहेज की बात आयेगी, जब नव विवाहिता घर में आती है तो सास हो या जो बड़ी औरतें होती हैं, वह ही

दहेज के लिये बहू की प्रताड़ना करती हैं और तंग करती हैं। पुरुष तो ज्यादा घर के बाहर काम करते हैं। तो इस तरह से नारी ही नारी का उत्पीड़न करती हैं। मेरा सुझाव हैं कि नारी को अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना चाहिये। देखा गया हैं कि किसी भी घर में जब कन्या का जन्म होता हैं तो बड़ी नारी की आंख में आंसू देखे गये हैं जबकि पुरुष पर उसका असर नहीं होता हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह हैं कि नारी को नारी के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिये तभी नारी का उत्थान हो सकता हैं और उस पर होने वाले अत्याचार बंद हो सकते हैं। यही मेरा सुझाव हैं।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, 2 मिनट का समय दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

अब समय नहीं हैं। विषय सूची बहुत लम्बी हैं। दूसरे विषय पर बोल लीजियेगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा जो इसका निचोड़ हैं और निष्कर्ष हैं वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में हिस्सा लिया मैं उनको धन्यवाद देता हूं। एक बात तो साफ रूप से सामने आ गयी कि यह एक सामाजिक अपराध हैं और इसकी बुनियाद दहेज हैं। मैं समझता हूं कि जो कानून के बारे में यहां पर राय रखी गयी तो कानून से सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कानून के जरिये ही इस समस्या का समाधान नहीं हैं, क्योंकि कानून के प्रति दृष्टिकोण जो हैं, वह भी बहुत बदल गया हैं। जूरिसप्रूडेंस की धारणा 100 साल पहले थी, वह धारणा अब नहीं रह गयी हैं, बल्कि जो नई विधि आई हैं, वह कानून जो हैं, विधि एक सामाजिक अभियंत्रण हैं, ला इज ए सोशल इंजीनियरिंग, तो समाज को संतुलित करने के लिए अगर कानून जीवंत नहीं रहेगा, अगर कानून मर जायगा, क्योंकि विधि नहीं रहेगा, नीतिकता नहीं रहेगी, मान्यतायें नहीं रहेंगी, तो समाज नहीं चल सकता हैं। अगर कानून 100 साल, डेढ़ सौ साल पुराने हो जायेंगे, तो समाज गतिशील नहीं रह सकता हैं। तो विधि में समय के मुताबिक आवश्यक परिवर्तन करना होगा। मैं समझता हूं कि आज विधि में परिवर्तन किये जांय, तो विधि का इस्तेमाल समाज को करना चाहिए, उसको जीवंतता प्रदान करने के लिए, वह हम नहीं कर पा रहे हैं।

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक बात यह कही हैं, मैं उनकी भावना को समझ रहा था कि शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। मेरे पास आंकड़े हैं कि शिक्षित लोग दहेज के लेने में किसी तरह की कमी नहीं बरतते हैं, बल्कि पढ़े-लिखे परिवारों में दहेज की प्रथा बड़ी लम्बी-चौड़ी होती हैं। इसके लिए समाज में जाग्रति पैदा करनी चाहिए। यह शिक्षा से नहीं होगी। मैं यह मानकर चल रहा हूं कि मौजूदा शिक्षा असफल साबित हुई हैं। इसीलिए आज से ही नहीं, बल्कि 10 साल से शिक्षा में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ रही हैं। हमारे जो समाज के सवाल हैं, उनको हल करने में शिक्षा में परिवर्तन करने की आवश्यकता हैं। लार्ड मैकाले की शिक्षा के चलते यह समाज की समस्या का हल नहीं हो सकता। समाज को ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि दहेज में कमी हो सके। जीवन साथी का आधार आर्थिक नहीं होना चाहिए, सामाजिक कुरीतियां नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपसी समझदारी एवं परस्पर प्रेम ही होना चाहिए। यही मुझे कहना था।

* संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय अधिष्ठाता जी, इस गम्भीर घटना की ओर दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने गम्भीरता के साथ ध्यान आकर्षित किया, मैं माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं। दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने इस समस्या के प्रति यह भी भय व्यक्त किया कि कानून के जरिये से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जब-जब भी ऐसी बात आई हैं, तो किसी ने जन्म लेकर बिना विधि बनाये इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठा कर इसका निराकरण किया

★वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

हैं । जिस संस्कृति में हम लोग जन्म लिये, वहां पर नारी का रूप क्या था ? पति मर गया, तो उसको जबरदस्ती सती किया जाता था । लेकिन राजा राम मोहन राय ने जन्म लिया और उन्होंने इस सती प्रथा को समाप्त किया । अगर 16 साल की, 10 साल की बालिका विधवा हो गयी, तो उसे दुबारा शादी करने का अधिकार नहीं था, तो स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जन्म लिया और उन्होंने इसको समाप्त किया । इस समाज में दहेज के रूप में कुरीतियां चल रही हैं ।

सरकार इसमें क्या करना चाहती है, मैं संक्षेप में उसका उल्लेख करना चाहता हूं । अभी धारा 498-ए में केन्द्रीय सरकार ने संशोधन करके इस बात का प्राविधान किया है कि शादी होने के 7 साल के भीतर यदि कोई हत्या का प्रयास होता है, तो उसके जो सगे, संबंधी, पति होंगे, वह उसके उत्तरदायी माने जायेंगे । इवीडेंस ऐक्ट में संशोधन करके इस बात का प्राविधान किया गया है ।

इस बात का उत्तरदायित्व अभियुक्तों के ऊपर होगा । उनको स्पष्टीकरण देना होगा कि क्या परिस्थिति थी आत्महत्या करने में अभी जो कानून हमारे यहां हैं, उसमें शक सुबहा लाद दिया जाता है, तो इसमें संशोधन किया गया है । हमारे यहां से जो प्रशासनिक आदेश जारी किए गये हैं, उसमें कहा गया है कि शादी के 10 साल के भीतर किसी की मृत्यु होती है या आत्महत्या होती है जो स्थानीय पुलिस को उसकी सूचना लेकर विवेचना करनी है । श्रीमन्, चाहे हत्या का मुकदमा हो चाहे डकैती का मुकदमा हो उसमें विवेचना दरोगा करते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में डी0 वाई0 एस0 पी0 के स्तर के अधिकारी ही विवेचना करेंगे । इसमें यह भी निर्देश दिए गये हैं कि ऐसे मामलों में तो डाक्टर जाकर पोस्टमार्टम करेंगे । ताकि कोई बात शंका की न रह जाए । ऐसी कई बातें हैं जो राज्य सरकार के विचाराधीन हैं । केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं । और भी प्रयास इसमें किए जा रहे हैं । वैसे सबको जानकारी है कि दहेज विरोधी कानून 1961 में पारित हुआ था, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो सकी ।

मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक दहेज निषेध समिति का गठन किया गया है तो मैं माननीय सदस्य को सजग करना चाहता हूं कि जितने उत्तरदायित्व प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार के हैं, दोनों ही इस अभिशाप से जूझने के लिए सजग हैं सचेत हैं और इसका मुकाबला करके इसको दूर किया जाएगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं जिन्होंने इतनी गम्भीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया और अपनी राय रखी कि इस समस्या का सबको मिलकर मुकाबला करना चाहिए ।

महिलाओं के लिए स्नातकोत्तर कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किये जाने के विषय में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन संस्तुति करता है कि महिलाओं के लिए स्नातकोत्तर कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए ।

मान्यवर, मैंने अपने इस प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख किया है कि महिलाओं को ऊंची से ऊंची शिक्षा जो इस प्रदेश में उपलब्ध है वह उनको निःशुल्क दी जाए । उस शिक्षा से हमारा मतलब विज्ञान और तकनीकी की भी शिक्षा से है । सभी प्रकार की शिक्षायें महिलाओं को निःशुल्क दी जायं । कई समितियों, आयोगों और व्यक्तियों ने इस संबंध में अपनी संस्तुतियां की हैं । बी0 टी0 सी0 के दूसरे वर्ष में जो पुस्तिका पढाई जाती है उसमें यह सुझाव की गई है कि स्त्रियों की समस्त शिक्षा निःशुल्क कर दी जाए । महिलाओं का जो पिछड़ापन है, लोगों का दृष्टिकोण जो उनके प्रति हीनता का बन गया है, उसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा दी जाए । 1958 में राष्ट्रीय महिला समिति बनी थी जिसने इसी प्रकार से अपनी संस्तुति की है । मान्यवर, उसको पढ़ना चाहता हूं । इस राष्ट्रीय महिला समिति ने कहा है कि स्त्री शिक्षा को विशेष स्थान देकर यह कार्य सरकार स्वंय करे" । राष्ट्रीय स्तर पर

हंसा मेहता समिति का गठन किया गया था उसने कहा था कि "समाजवादी तथा लोकतंत्रीय समाज के निमार्णार्थ पुरुष एवं नारी समन्वय की आवश्यकता है, अतः किसी प्रकार के अन्तर को स्थायी या उग्र न होने दिया जाय।" मान्यवर, कठारी कमीशन की भी संस्तुति है कि "स्त्रियों की शिक्षा की प्रगति हेतु बालिकाओं के लिये निःशुल्क पाठ्य सामग्री वितरित की जाय तथा आने जाने हेतु वाहन व्यवस्था की जाय, दूसरी संस्तुति कि बालिकाओं को उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये छात्र वृत्तियां, छात्रावासों की व्यवस्था की जाय"।

इस प्रकार के जितने भी कमीशन या समितियां बनी सबने इसी प्रकार की संस्तुति की है कि महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करने हेतु ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं तथा ध्यान दिया जाय। मान्यवर, एक शिक्षा शास्त्री श्री मुकुन्द कुलकर्णी ने 71 से 74 के बीच बनी राष्ट्रीय स्तर की एक समिति का उल्लेख करते हुए कहा है कि उसने जो संस्तुतियां की हैं उसकी सातवीं संस्तुति में कहा गया है कि महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा देने का ध्यान रखकर उस दिशा में प्रयत्न करना आवश्यक होगा। महिलाओं को शिक्षा निःशुल्क देने की बात अनेकों समितियों ने की है। इसीलिये मैंने इस प्रस्ताव के द्वारा आपके माध्यम से एक ऐसे शिक्षा मंत्री से जो मंच के अच्छे वक्ता हैं, युवक हैं प्रोग्रेसिव हैं, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था करने की मांग की है। मध्य प्रदेश ने महिलाओं के लिए बी0 ए0 तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। पड़ोसी होने के नाते उत्तर प्रदेश में उच्च स्तर की शिक्षा निःशुल्क करने पर आप विचार करें। यह महिलाओं की वरीयता देने की बात क्यों कही जाती है इसका कारण है। महिलाओं में हीनता उत्पन्न हो गई है। पुरुषों में भी महिलाओं के प्रति हीनता की भावना उत्पन्न हो गई। इसी हीनता के कारण महिलाओं के लिए विशेष अवसर की मांग कर रहा हूं। यह हीनता भारत की नारियों की मौलिकता नहीं है, संस्कृति नहीं है, भारत की सभ्यता नहीं है। हमारी विकृति है।

भारत की महिलाओं का वास्तविक दर्शन करना हो तो वेदकालीन भारत में जाना पड़ेगा। वेद कालीन भारत में स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं था। उपनयन संस्कार दोनों के होते थे। दोनों समान रूप से यज्ञ में बैठते थे उपनयन संस्कार होता था इसी से प्रमाणित है कि कन्याओं को भी शिक्षा दी जाती थी, वेद कालीन भारत में कई विदुषी नारियों का उल्लेख आया है उर्वशी, अमोला और घोसा का नाम आया है जिन्होंने वेदों की ऋचायें लिखी हैं। विश्वरा, सिकता, निवावरी सोमशा और लोपा मुद्रा का भी उल्लेख आया है जो अच्छी अध्यापिकाएं तथा कवित्रियां थीं। वेद कालीन भारत में ऐसे प्रसंग आए हैं जहां बड़े-बड़े दार्शनिक भी किसी विदुषी महिला के सामने हतप्रभ हो गये और निरुत्तर हो गये। जनक के दरबार में गार्गी और याज्ञवलक्य का शास्त्रार्थ हुआ था। गार्गी ने ऐसे गूढ़ प्रश्न किये कि याज्ञवलक्य को उसका लोहा मानना पड़ा। उनकी पत्नी मैत्रेयी भी विदुषी थीं। उसने भी आत्मा की अमरता के ऐसे प्रश्नों को उठाया कि वे उत्तर नहीं दे पाए। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि नारियों ने पुरुषों को हराया था। लेकिन वे नारियां शिक्षित थीं। उस समय शिक्षा का प्रसार था। उपनयन संस्कार कन्याओं का भी होता था। इस समय इस बात पर चर्चा करके ज्यादा समय नहीं लूंगा।

मैं इस सदन के माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि गुलामी के पहले की जो हमारी संस्कृति थी, वह गुलामी के काल में विकृत हुई। विदेशी आक्रमणों के बाद यह विकृति हुई। इसके पहले हमारी मां बहनें स्वतंत्र घूमती थीं और शिक्षा ग्रहण करती थीं। उन्हें परदेशी लोगों के आने के बाद मजबूरी में पर्दे में डाला गया। कम उमर में ही लड़कियों का विवाह होने लगा नारी के प्रति देखने का हमारा दृष्टिकोण भी प्रभावित हुआ। अब भारत की भी नारी भोग की वस्तु और बच्चा पैदा करने की मशीन मात्र बन गई। उसके बाद स्त्रियों की दशा सुधारने के प्रयत्न किये गये। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती और महात्मा गांधी के नाम उल्लेखनीय हैं लेकिन दासता के अवशेष आज भी विद्यमान हैं। आज चर्चा चली

कि बलात्कार होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो बलात्कार होते हैं उनमें से केवल 5 प्रतिशत शिक्षित महिलाओं के साथ होते हैं और 95 प्रतिशत अशिक्षित महिलाओं के साथ होते हैं। महिलाओं के साथ जो शोषण और बलात्कार होता है। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि महिला चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित, बलात्कार, बलात्कार है। उसके पास जो सबसे बड़ा धन है, वह उसका स्त्रीत्व है जब अपहृत होता है तो वह शिक्षित हो या अशिक्षित, उसका सब कुछ चला जाता है। राम ने अहिल्या को छू दिया तो वह पत्थर से नारी बन गई। पत्थर क्यों हुई थी, उसका स्त्रीत्व अपहृत हुआ था, सतीत्व अपहृत हुआ था। जब राम ने उसको छूकर कहा कि नारी निर्दोष होती है तो समाज में उसे सम्मान मिल गया था।

मान्यवर, आज जो स्थिति है; उसमें जरूरी है कि महिलाओं के शोषण और बलात्कार को रोकने के लिये उनमें शिक्षा का प्रचार, प्रसार किया जाय। समाज कल्याण मंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 10 परसेंट महिलाएं साक्षर हैं। मुझे तो 14 प्रतिशत मालूम था, वह 10 कह रहीं हैं तो 10 ही मान लेता हूं। लेकिन जो भी हो यह प्रतिशत बहुत कम है। इसी हिन्दुस्तान में केरल में महिलाओं में साक्षरता 67 प्रतिशत है। बिहार में साक्षरता 13 प्रतिशत, राजस्थान में 11 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 14 प्रतिशत है तो भारत भर में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं में साक्षरता बहुत कम है। लेकिन इसका कारण यह है कि यहां पर विद्यालय नहीं हैं तो लड़कियां पढ़ें कैसे। विद्यालय बहुत कम हैं। गावों में तो नहीं के बराबर हैं। मान्यवर, जूनियर हाई स्कूल लड़कियों के लिये उत्तर प्रदेश में 1982-83 में केवल 3596 थे। जबकि लड़कों के लिए 10473 अर्थात् 3 गने अधिक थे। इसी तरह से हायर सेकेंडरी स्कूल 822 लड़कियों के लिए थे और लड़कों के लिए 1788 अर्थात् 6 गुना अधिक थे। इसी तरह उच्च शिक्षा में यह अन्तर और अधिक है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय हरीश जी, 15 मिनट हो चुका है इसमें आधा घंटा शेष रह गया है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, इसी तरह से 1982-83 में प्राथमिक विद्यालयों में 32 लाख 51 हजार 592 लड़कियां थीं, जबकि लड़के थे 72 लाख 8 हजार 314 अर्थात् आधे से कम जूनियर हाई स्कूल में 3 लाख 62 हजार 333 लड़कियां थी और लड़के थे 14 लाख 46 हजार 186 अर्थात् 1/4 से कम। हायर सेकेंडरी में 3 लाख 78 हजार 117 लड़कियां थी और लड़के थे 16 लाख 73 हजार 990 अर्थात् 1/5 से कम। उच्च शिक्षा में यह अन्तर और भी बढ़ जाता है वह है 1/10 से भी कम। मान्यवर, इसको देखने से स्पष्ट होता है कि जहां हम लड़के लड़कियों में समानता की बात कहते हैं—वह किस स्थिति में है। लेकिन, आप देखें अगर लड़कियों को पढ़ाई की सुविधा दी गयी तो वह किस तेजी से आगे बढ़ी है। 1950-51 से 1982-83 के बीच में लड़कियों की संख्या स्कूलों में 11 गुना बढ़ी है, जबकि लड़के 3 गुना बढ़े हैं। जूनियर हाईस्कूल में लड़कियां 4गुना बढ़ी हैं, लड़के 6 गुना बढ़े हैं। हायर सेकेंडरी में लड़कियां 6 गुना बढ़ी हैं लड़के 5 गुना बढ़े हैं। परन्तु उच्च शिक्षा में इनकी संख्या की बढ़त इनकी संख्या की वृद्धि के अनुसार है।

मान्यवर, कहने का तात्पर्य यह है कि जहां लड़कियों को पढ़ने की आपने सुविधा दी, लड़कियां उसमें तेजी से बढ़ी हैं। लेकिन, आगे शिक्षा मंहगी होने के कारण उच्च शिक्षा में नहीं जा पा रही हैं। मैंने इस प्रस्ताव में कहा कि उच्च शिक्षा तक शिक्षा निःशुल्क कर दी जाय। इसके साथ ही मैं महिला दशक की चर्चा करुंगा। महिला दशक में इस बात की संस्तुति की गयी है कि स्त्री शिक्षा के प्रसार से राष्ट्रीय मानव शक्ति की वृद्धि होगी जन्म दर घटेगा। पारिवारिक जीवन में सुख शांति आयेगी। भावी पीढ़ी अच्छी होगी अन्यथा अशिक्षा के करण जनसंख्या वृद्धि-कुपोषण व बीमारी से मानव ग्रस्त रहेगा। मान्यवर, ऊंची शिक्षा तक पहुंचने के लिये जो बाधा है, वह है, धन की है। प्रथम श्रेणी के एक अधिकारी से मैंने इस बात का जिक्र किया कि इस तरह का प्रस्ताव मैंने रखा है। उन्होंने कहा कि ज्यादा लड़कियां पढ़ेगी

तो ज्यादा पढ़ा हुआ लड़का ढूंढना पड़ेगा, ज्यादा दहेज देना पड़ेगा।

मान्यवर, मैं विवेकानन्द जी की एक उक्ति को यहां उद्धरित करना चाहता हूं उन्होंने कहा था—सर्वप्रथम स्त्री जाति को सुशिक्षित बनाओ, फिर वे स्वयं कहेंगी कि उन्हें किन सुधारों की आवश्यकता है। तुम्हें उनके प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि उन्नति के लिए सबसे पहले स्वाधीनता की आवश्यकता है, यदि तुम लोगों में से कोई यह कहने का साहस करे कि मैं अमुक स्त्री अथवा अमुक लड़की की मुक्ति के लिए काम करूंगा, तो यह अत्यन्त अन्याय और भूल होगी। मुझसे बारम्बार पूछा जाता है कि विधवाओं की और सारी स्त्री जाति की उन्नति के उपाय के सम्बन्ध में आप क्या सोचते हैं मैं इस प्रश्न का अंतिम उत्तर देता हूं—क्या मैं विधवा हूं जो तुम ऐसा निरर्थक प्रश्न मुझसे पूछते हो क्यों मैं स्त्री हूं, जो तुम बार-बार मुझसे यही प्रश्न पूछते हो। स्त्री जाति के प्रश्न को हल करने के लिये आगे बढ़ने वाले तुम हो कौन ? क्या तुम हर एक विधवा और हर एक स्त्री के भाग्य विधाता साक्षात भगवान हो। अलग हो जाओ। अपनी समस्याओं की पूर्ति वह स्वयं कर लेगी। उन्हें शिक्षित बनाओ।

मान्यवर, यह बात स्वामी विवेकानन्द जी ने कही है। इसीलिए मैं शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि महिलाओं को ऊंची से ऊंची शिक्षा निःशुल्क देने की व्यवस्था करें। संविधान की धारा 45 में भी दिया गया है कि 6 से 10 वर्ष तक के बच्चों को वे लड़के हों अथवा लड़की सबको निःशुल्क शिक्षा दी जाय। संविधान निर्माताओं ने यह सोचा था कि 10 साल के बाद इस प्रदेश के लोग समर्थ हो जायेंगे। लेकिन आज 40 साल बीत गये हैं, 60 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं। वे न तो पढ़ाई-लिखाई कर सकते हैं और न ही दवाई की व्यवस्था कर सकते हैं। आज हिन्दुस्तान के पिछड़ेपन का कारण है 50 परसेन्ट की महिला शक्ति की उपेक्षा उसमें व्याप्त हीनता की भावना और उनका पिछड़ापन। यदि इतनी बड़ी शक्ति के कल्याण [illegible] नहीं सोचा गया तो समाज का उत्थान कैसे हो पायेगा। आचार्य विनोबा जी ने कहा था कि विकास योजनाओं के सारे प्रारम्भिक कार्यों को महिलाओं को सौंपा जाय, प्राथमिकता शिक्षा के कार्यों की महिलाओं को सौंपा जाय। लेकिन जब गांवों में शिक्षा प्रसार का सवाल आता है। स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं गांवों में महिला अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं, स्कूलों में अध्यापिकायें नहीं हैं, जिससे विद्यालय नहीं चल पा रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि आप महिलाओं को ऊंची से ऊंची शिक्षा निःशुल्क दें। जिससे कि गांवों से लेकर शहरों तक महिला विद्यालयों तथा महिला अस्पतालों का भी विस्तार हो सके।

मैं अन्त में अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं उन लोगों से जो पुनर्जन्म में विश्वास रखाता हूं। अगर महिलाओं में यही पिछड़ापन रहा यही हीनता रही उनका ऐसा ही शोषण होता रहा तो हो सकता है, आज हम लोग पुरूष हैं, आने वाले जन्म में हम नारी भी हो सकते हैं। इसीलिए हमें इस समय ऐसी स्थिति पैदा कर देनी चाहिए जिससे नारी और पुरूष के बीच का भेद मिट जाय। कहा जाता है कि बच्चे तो कमाते हैं, इसीलिए उनकी पढ़ाई पर खर्च किया जाता है और लड़की कमाती नहीं है, इसीलिए उसकी पढ़ाई को बीच में ही छुड़ा दिया जाता है। लड़की को केवल कमाने के लिए पढ़ाना नहीं है बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए उसे शिक्षित करना है। महिलाओं को शिक्षित करने से इस हिन्दुस्तान का विकास गतिमान होगा और जो 50 परसेन्ट शक्ति निष्क्रिय बनकर बैठी है, उन्हें सक्रिय किया जाय। यदि कोई बाप अपनी लड़की को नहीं पढ़ाता है तो वह लड़की कह सके कि मैं अपने आप पढ़ लूंगी यह तभी सम्भव होगा जब उनकी शिक्षा निःशुल्क होगी। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में [illegible] को संरक्षण देने की आवश्यता है ताकि वे आगे आ सकें। मैं समझता हूं कि मंत्री जी [illegible] विचार करेंगे और अपने ही [illegible] घोषणा करेंगे।

श्री बसन्त सिंह गहलौत—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैंने हरीश जी का व्याख्यान बड़े ध्यान पूर्वक सुना। उन्होंने, स्नात्कोत्तर कक्षाओं तक लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही हैं। उनका व्याख्यान ज्यादातर इस बात पर निर्भर रहा कि लड़कियों को शिक्षा देना बहुत जरूरी हैं लेकिन क्या शिक्षा निःशुल्क कर देने से लड़कियों की शिक्षा में प्रगति हो जायेगी, इस पर कुछ नहीं कहा। समाज में परिवर्तन के लिए उनसे जो काम लिये जाते हैं, उनके लिए उनकी सुरक्षा एवं बलात्कार से रक्षा के लिए जो सोशल इकानोमिक प्राब्लम हैं उन्हें हल करने के लिए लड़कियों की शिक्षा जरूरी हैं लेकिन क्या शिक्षा निःशुल्क करने से ऐसा हो सकेगा? कदापि नहीं। मैं तो हरीश जी से आशा करता था कि वे शिक्षा में परिवर्तन करनें पर बोलेंगे। जो आज शिक्षा दी जा रही हैं वह वास्तव में शिक्षा नहीं हैं। कुछ सूचनायें हैं, जो विद्यालयों महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के माध्यम से दी जाती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज ऐसे विद्यालयों को खोलने की कोई जरूरत नहीं रह गई हैं। यह काम रेडियो एवं दूर दर्शन के माध्यम से हो सकता हैं शिक्षा का केवल एक ही अर्थ हैं कि जो प्रसुप्त शक्तियां हैं, जो बन्द हैं, उन को जाग्रत करें। परन्तु उच्च शिक्षा से लेकर नीची शिक्षा तक क्या कहीं इस पर ध्यान दिया जाता हैं? नहीं। लोकतंत्र को सही रूप से चलाने के लिए अनुशासित व्यक्तित्व के निर्माण करने वाली शिक्षा जरूरी हैं। यह सब कानून के जरिये नहीं डण्डे के जरिये नहीं बल्कि शिक्षा के माध्यम से हो सकता हैं।

दहेज के बारे में अभी बहस चल रही थी, मैं कहना चाहता हूं कि जब तक पूंजीवादी सिस्टम समाप्त नहीं करेंगे दहेज समाप्त नहीं होगा। हम पुरानी बातों से चिपटे हैं और अपनी सोशल इकानामी में परिवर्तन लाना पसन्द नहीं करते चाहे सरें बदलने के लिए भाषण जितने करें लेकिन सब कार्य उसी के अनुसार करते हैं। मैं सदन का ध्यान इसी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि एजूकेशन के बारे में गंभीरता से विचार किया जाय कि किस तरह की एजूकेशन दी जाय। भारत के अतीत में इस तरह की शिक्षा व्यवस्था थी। जिससे व्यक्तित्व निर्माण पर जोर दिया जाता था मैत्रेय, गार्गेय, सारे उदाहरण दिये लेकिन मैं आशा करता था कि उस शिक्षा व्यवस्था के लिए भी कहेंगे कि किस तरह की शिक्षा व्यवस्था दी। जब 1963 से 1971 तक मैं बोर्ड का मेम्बर रहा, मैंने यह बात रखी थी कि शिक्षा में परिवर्तन किया जाय और ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो मन के विकारों को दूर करती हो, व्यक्ति के शरीर और बुद्धि का विकास करती हो। हमारे समाज को ठीक करने के लिए जरूरी हैं कि हम यंग की शिक्षा को रखें। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हायर एजूकेशन की की जरूरत नहीं हैं। केवल 12वीं तक शिक्षा दी जाय और उसके बाद टैक्निकल शिक्षा दी जाय। हायर सेकेण्डरी या इण्टर मीडिएट एजूकेशन के साथ अगर हमने रोजगारपरक शिक्षा को मिला दिया तो एक तमाशा हो जायगा, खेल हो जायगा, गांधी जी ने इसे बेसिक शिक्षा में रखा था लेकिन हमने उसे खेल बना दिया। यह भी इसी प्रकार हो जायगा हम प्रेक्टिकल चीजों को देखें और केवल हायर सेकेंडरी तक शिक्षा दें। और उसके बाद शिक्षा योजनाओं के अनुसार टैक्नीकल कालेजों के माध्यम से दी जाय। ऐसी स्थिति में माननीय हरीश जी ने जो प्रस्ताव रखा हैं उच्च शिक्षा तक लड़कियों की फीस माफी का उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। माननीय अधिष्ठाता जी प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती हैं। वहां विश्वविद्यालय नहीं खोले जा सकते लड़कियों की सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता। 20 प्रतिशत जनता शहर में रहती हैं उसमें भी पिछड़े वर्ग के लोगों में लड़कियों की शादी छोटी आयु में हो जाती हैं। इस प्रकार फीस माफी से उसी वर्ग को लाभ होगा जो बड़ा व्यापारी हैं बड़ा वेतन भोगी हैं। यह सरकार केवल 5 प्रतिशत लोगों को लाभ पहुंचा सकेगा। वह भी उन लोगों को जो प्राथमरी शिक्षा के लिए मान्टैसरी स्कूल में 125 रु0 मासिक तक फीस देते हैं। इससे गरीब और गांव के लोगों का कोई लाभ नहीं होगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय हरीश जी का प्रस्ताव पूंजीवादी लोगों का प्रस्ताव है। हमारे पास स्कूल खोलने के लिए भी रुपया नहीं है, टाट पट्टी की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे हैं ऐसी हालत में अगर यह बात मान ली गयी उच्च शिक्षा तक लड़कियों की फीस माफी की तो इससे बड़े आदमियों को फायदा होगा और गरीब आदमियों का हिस्सा मारा जायगा। जब तक हमें उन 80 प्रतिशत लोगों के लिये जो गांव में रहते हैं, शिक्षा की व्यवस्था नहीं करते हैं, तब तक इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं तो समझता था कि माननीय हरीश जी यह प्रस्ताव रखेंगे कि शिक्षा का रुपान्तरण किया जाय। यदि लोकतान्त्रिक, समाजवादी, धर्म-निरपेक्ष समाज की स्थापना करनी है जो शिक्षा के माध्यम से ही सम्भव है तो पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना होगा। मैं माननीय शिक्षा मंत्री, जी से आग्रह करुंगा कि इन विन्दुओं पर विचार करें। वर्तमान पाठ्यक्रम से कोई काम चलने वाला नहीं है। अधिष्ठता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मेरे विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया।

श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मैंने अपने प्रस्ताव के सम्बन्ध में बातें कही हैं। बाद में एक बात आयी कि बालकों की शिक्षा के सम्बन्ध में, तो मैंने शिक्षा आज कैसी है या उस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है, आज का विषय इस समय नहीं था, इस नाते मैंने इस पर कोई विचार प्रगट नहीं किया। आज की जो शिक्षा है, उससे हम सन्तुष्ट नहीं हैं, उससे काम भी नहीं चल पा रहा है। उसमें परिवर्तन होना चाहिए। माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए। हम भी इस से सहमत हैं। आज की शिक्षा जो है, जैसी है, जैसी भी शिक्षा प्राप्त हो रही है, उसे महिलाओं को भी सस्ते रूप में प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त हो जाय, इसलिए निःशुल्क शिक्षा की बात कही है। पुरुषों का जहां तक सवाल है, पुरुष और स्त्री में अन्तर नहीं है अर्थात भेद नहीं है दोनों समान हैं। एक अगर 10 वीं मंजिल पर है तो दूसरा दूसरी पर। समान अवसर में तो 10:2 का अन्तर रह जायगा। इसलिए महिलाओं के लिए विशेष सुविधा देने की बात कही है। यह अवसर अगर उनको मिल जायगा तो वे भी लड़कों के बराबर आकर खड़ी हो जायेंगी। उनका उत्तीर्ण होने का प्रतिशत भी लड़कों से अच्छा है, पढ़ाई में उनका मन भी लगता है। यह सुविधा अगर उन्हें मिल जायगी तो स्त्री और पुरुष का भेद और अन्तर मिट जायगा।

मैंने कहा पंचवर्षीय योजनायें विफल हो रही हैं, गरीबी नहीं मिट रही है। एक परिवार में अगर दोनों शिक्षित हो जायेंगे तो परिवार सुखी हो जायगा। परिवार अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा। इसलिए मैंने बल दिया क्योंकि महिला मां है वही पहली शिक्षका है। गर्भ में रख कर गोद में खिला-कर उंगली पकड़कर वह जन्म देती है, पालती है और बड़ा करती है। यदि वह पढ़ी लिखी होगी तो हिन्दुस्तान में अच्छे नागरिक बनने लग जायेंगे। इसलिये मैंने उनकी पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान देने की बात कही है। मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि उनकी शिक्षा स्नाकोत्तर दर्जे तक निःशुल्क कर दी जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी, इसको सवा आठ बजे समाप्त कर देना है इसलिए आप संक्षेप में ही अपनी बात को कहें।

★शिक्षा मंत्री (श्री सिन्हे रजी)—

जी हां, मैं संक्षेप में कहूंगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज जब हम सदन के सत्र के आखिरी दिनों में मिल रहे हैं तो बड़ी गम्भीरता से समाज की जलती हुई समस्याओं के विषय में दोनों ओर के सदस्यों ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है।

★वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महिलाओं की सामाजिक चेतना पर सारी चर्चा उभरती है ।

हमारे यहां की महिलायें, हमारी मां बहनें उनको उस सामाजिक उद्दण्डता का शिकार होना पड़ रहा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के आधार पर समाज में लौटता चला आ रहा है । पहले महिलाओं की शिक्षा की तरफ बहुत ज्यादा एक्सास नहीं किया गया था बल्कि हमारे यहां उनकी शिक्षा घरों में ही हुआ करती थी । जैसे कि अभी माननीय हरीश जी ने बहुत सारे उदाहरण दिये कि हमारे यहां महिलाओं की शिक्षा केवल औसत शिक्षा के रूप में हो, यह हमारे संस्कार बन गये हैं, बल्कि हमारे संस्कार तो यह भी बन गये कि महिलाओं को शिक्षा विद्यालय के प्रांगण में या उसके परिसर में न होकर हमारे घरों में हो और इन संस्कारों के बनाने में हम सब बहुत योगदान देते हैं ।

आजादी के बाद जिस तरीके से संविधान में समावेश करके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में स्वतन्त्र भावना बनाएंगे, उसी तरीके से पूरे शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया गया और इस सबका संविधान के अनुच्छेद में तसकीरा भी किया गया । जिसके तहत हमने वायदा भी किया था कि दस वर्षों में हम शिक्षा का सार्वजनिकीकरण कर देंगे । लेकिन मान्यवर, उस क्षेत्र में जैसा कि केन्द्र सरकार ने घोषणा की है कि 1990 तक हम पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर लेंगे आज उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके साथ ही साथ यह भी देखना होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा अग्रसर हो । हरीश जी ने बहुत से आंकड़े दिये हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता हूं । बुनियादी तौर पर हमारी जो नीति है, हमारी महिलाएं और बालिकाएं काफी पीछे हैं आवश्यकता इस बात की है कि पहले हम उस वादे को पूरा करें जो संविधान में बड़ी नेकनीयती से स्पष्ट किया गया है । इसलिए जितने संसाधन हैं, उनके अनुरूप प्रयास करना चाहिए कि 8वें दर्जे तक की शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाय । बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जिनकी हैसियत नहीं है, कि पूरी तरह से इसको कर सकें और हम कह सकें कि उस क्षेत्र में पूरी सफलता प्राप्त कर ली है ।

मान्यवर, हम मानते हैं कि महिलाओं की शिक्षा होनी चाहिये, लेकिन यहां पर यह प्रश्न नहीं है कि वह मुफ्त होनी चाहिये, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि जो हमारे संस्कार हैं, उसके अनुरूप हो और पूरे समाज में अच्छा वातावरण बन सके और एक बहन को जलाकर मारा न जाये, समाज में अपने दायित्व के बारे में पूर्ण रूप से सजग हों । अच्छे स्तर की शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं, बालिकाओं के क्षेत्र में उनको सुविधा जनक शिक्षा मिले और इसी लिए 10वीं कक्षा तक निः शुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है । मैं बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के परिवारों की जिनकी आमदनी एक हजार रुपया है, उनके बच्चों को स्नाकोत्तर स्तर पर निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है और उनके लिये खासतौर से वजीफा देने की व्यवस्था की गयी है । संस्कृत के क्षेत्र में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में उस विषय की मुफ्त शिक्षा दी जाती है और 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक की बालिकाओं को अर्ध शुल्क दिया जाता है । यदि हम देखें तो मालूम होगा कि प्रारम्भिक और जूनियर हाई स्कूल तक 51 लाख 4 हजार 16 बालिकाओं को शिक्षा मिल रही है, यह सारी शिक्षा मुफ्त है । हमारा यह प्रयास है कि वह अच्छे माहौल में पल सकें । मान्यवर, हायर सेकेण्डरी स्टेज पर प्रतिवर्ष लाखों लड़कियां शिक्षा प्राप्त करने आ रही हैं, उनकी संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है इसलिये हमने यह फैसला किया है कि यह सुविधा आगे आने वाले वर्षों में भी बच्चों को पूर्ण रुप से प्राप्त होती रहे ।

मान्यवर, अभी एम0 पी0 की बात कही गयी है, वह भी 9 पिछड़े प्रान्तों में आता है । हरीश जी ने कहा कि हायर सेकेन्डरी स्टेज पर हम बहुत पीछे हैं और उनके स्तर को बढ़ाने के लिये हमें संसाधन जुटाने का प्रयास करना

होगा । अभी मान्यवर, एक सदस्य ने कहा कि 70—75 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं और जो गांव की स्थिति हैं वहां पर स्नातकोत्तर शिक्षा की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं हैं, लेकिन यह आवश्यक हैं कि हायर सेकेन्डरी स्कूलों के संसाधन जुटाये जायें । और जो भी स्कूल खोले जांय वहां इस तरह की स्थिति बनी रहे कि उनको अच्छी शिक्षा मिल सके । इन शब्दों के साथ माननीय हरीश जी ने जो जजबात और जो भावनायें यहां व्यक्त की हैं मैं उनका आदर करता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि इस समय हाईस्कूल के बाद स्नातकोत्तर तक महिलाएं मुफ्त शिक्षा की अधिकारी नहीं हैं । सार्वजनिक क्षेत्र की ओर उन्हें अधिक से अधिक सुविधा दी जाय । जो वित्तीय संसाधन हैं वह हमारे सामने अवरोध बनकर अगर खड़े होते हैं । इसमें मैं समझता हूं कि आप इस प्रस्ताव को वापस ले लें और भविष्य में जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होता रहेगा और जैसे जैसे अभिभावक अपने बच्चियों और बेटियों को स्कूलों में भेजने के लिए ज्यादा से ज्यादा उत्सुकता दिखायेंगे, शासन अपने दायित्व को स्वतः से निभाता रहेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य क्या इसे वापिस ले रहे हैं ?

श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । मैं आपकी आज्ञा से जानना चाहता हूं कि इस वर्ष जो 85—86 का बजट पास हुआ हैं, उसमें महिला शिक्षा के लिए कितना धन आवंटित किया गया हैं और कितना शेष शिक्षा का बजट हैं ? मान्यवर, हमारे मुल्क में 10 करोड़ रुपये का बोझ सरकार पर आयेगा अगर स्नातकोत्तर तक की शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जायगा तो क्या माननीय मंत्री जी 10 करोड़ रुपये का बोझ सहने को तैयार नहीं । जिससे यह शिक्षा निःशुल्क दी जाय ?

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, हमारी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं हैं वित्तीय संसाधनों की कमी हमेशा सरकार के सामने रही हैं जिसके कारण निःशुल्क स्नातकोत्तर शिक्षा देने की स्थिति में नहीं हैं । जैसा मैंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में अभी हमारी बालिकाएं बहुत पीछे रह गयी हैं । जैसा कहा गया हैं कि 1990 तक बराबर हो जायेंगी । 1990 तक शायद ही हम उनको बालकों के बराबर लाकर खड़ा कर पाये क्योंकि हमारे वित्तीय संसाधन हैं, जिसका संकल्प हमने संविधान में किया हैं ।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, मेरा सुझाव हैं कि माननीय विद्युत राज्य मंत्री जी बैठी हैं, महिला भी हैं विद्वान भी हैं । इस विषय पर अगर उनकी राय आ जाती तो अच्छा होता ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, क्या आप प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

जी नहीं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, यह मंत्री जी निःशुल्क शिक्षा देने में असमर्थ हैं तो क्या जो लोग लड़कियों की शिक्षा के लिए नये स्कूल खोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनको मान्यता देंगे या कोई छूट देंगे ? लड़कियों के विद्यालयों को मान्यता के सम्बन्ध में कोई छूट देने को तैयार हैं ?

श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, एक सवाल हैं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से एक चीज रखना चाहता हूं यदि वित्तीय साधन हो एक यूनिवर्सिटी इक्सक्लूसिवली लड़कियों के लिए खोल दी जाय और एक ओपेन यूनिवर्सिटी लड़कियों के लिये खोल दी जाय ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी महिला विरोधी लग रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह हैं कि यह सदन संस्तुति करता हैं कि "महिलाओं के लिए स्नातकोत्तर कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय" ।

(प्रश्न अस्वीकृत किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

(8 बजकर 20 मिनट)

श्री अधिष्ठाता—

आज नियम 51 के अन्तर्गत 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से पहली सूचना जो कि श्री राम आसरे वर्मा, श्री हृदय नारायण दीक्षित श्री विष्णु देव तथा श्री फसीउर्रहमान की हैं तथा जो कि राज्य योजना आयोग में नियुक्तियों में धांधली के सम्बन्ध में हैं, को सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए स्वीकृत की गई हैं । शेष सूचनायें अस्वीकृत हुई ।

श्री राजेन्द्र सिंह (एटा)—

मैंने एक सूचना दी थी कि एटा में बाढ़ से 50 गांव प्रभावित हुये हैं . . .

श्री अधिष्ठाता—

आपकी सूचना माननीय अध्यक्ष ने अस्वीकृत की हैं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में लेखाधिकारियों के चयन में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(ऊर्जा राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य पढ़े जाने हेतु खड़े होने पर)

एक सदस्य—

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

क्या वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया ।)

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्र—

[उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में लेखाधिकारी के रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु, समाचार पत्रों में विज्ञापन देने के उपरान्त, प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर दिनांक 26-8-84 को एक परीक्षा सर्वश्री ए0 बी0 सी0 कन्सल्टेन्ट के माध्यम से सम्पन्न करायी गयी और इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का दिनांक 12-3-85 को साक्षात्कार कराया गया । परिषद द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में सफल 38 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु आदेश दिनांक 8 जुलाई, 1985 को जारी कर दिये गये । इन आदेशों के निर्गतन उपरान्त राज्य विद्युत परिषद के लेखा शाखा के कर्मचारी यूनियनों व संघ ने सदस्य (वित्त एवं लेखा) का घेराव कर यह प्रबल मांग की कि इन नियुक्ति आदेशों को निरस्त कर दिया जाय तथा इनके स्थान पर विभागीय कर्मचारियों को पदोन्नत किया जाये । उन्होंने यह मांग भी की कि इस पद के लिए क्रमशः सीधी भर्ती तथा विभागीय पदोन्नति के लिए विनियमों में निर्दिष्ट 66 तथा 33 1/3 प्रतिशत के कोटे में विभागीय पदोन्नति का कोटा बढ़ाया जाय । उपरोक्त परिस्थितियों में सम्पूर्ण मामले पर विचार करने के उद्देश्य से परिषद द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 1985 को नियुक्ति आदेशों को स्थगित किये जाने सम्बन्धी आदेश जारी किये गये । उपर्युक्त प्रकरण में सभी संगत तथ्यों के परिपेक्ष्य में पुनः समुचित विचार कर तथा विधिक राय लेकर परिषद द्वारा स्थगन आदेश को वापस लेने के संबंध में आदेश दिनांक 17-8-85 को जारी कर दिये गये हैं तथा चयनित अभ्यर्थियों ने अपना कार्यभार ग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया हैं ।

जहां तक परिषदीय सहायक लेखाधिकारी नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों एवं चयन के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया एवं मौखिक साक्षात्कार में बुलाये गये अभ्यर्थियों का प्रश्न हैं इस सम्बन्ध में स्थिति यह हैं कि प्रश्नगत चयन परिषद् में लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति से सम्बन्धित हैं और लेखाधिकारियों का चयन परिषद् में सीधी

भर्ती द्वारा लेखाधिकारियों से सम्बन्धित नियमावली के नियम 17 ए (i) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार किया गया है। परिषद् में सहायक लेखाकार के संवर्ग की सेवा नियमावली अलग है। परिषद् में उपलब्ध लेखाधिकारी के रिक्त पदों के लिए मात्र 62 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और चूंकि रिक्त पदों की संख्या काफी थी इसलिए परिषद् के कार्यहित की दृष्टि से यह उचित समझा गया कि सभी 62 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाय। इस निर्णय में न तो किसी के प्रति कोई भेद-भाव था और न ही कोई अनियमितता। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि संगत नियमावली में लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों का कोई न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित नहीं है। जहां तक सेवा नियमावली के विनियम 20 (1) के अन्तर्गत गठित चयन समिति में आडिट एवं लेखा के कोई विशेषज्ञ को नामित करने के स्थान पर एम0 बी0 ए0 डिग्री वाले व्यक्ति को सम्मिलित करने के आरोप का प्रश्न है यह भी ठीक नहीं है क्योंकि परिषद् के सदस्य (वित्त एवं लेखा) की संस्तुति पर चयन समिति में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एल0 डी0 जोशी को रखा गया था जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में प्रोफेसर हैं और विनियमावली में निर्धारित अर्हता पूरी करते हैं।]

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्रीमन्, मेरी निश्चित जानकारी है कि लिखित परीक्षा में कम नम्बर पाने के बावजूद चूंकि कुछ अधिकारियों के लड़कों को समायोजित करना था, इसलिये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरन्दाज करते हुये यहां पर इतने नम्बर वाले इन्टरव्यू के, जितने कि लिखित परीक्षा के थे। जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि लिखित और इन्टरव्यू के नम्बर बराबर नहीं होने चाहिए। ऐसी स्थिति में मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि श्री संजय अग्रवाल, एवं श्री ओ0 पी0 अग्रवाल जो कि संयुक्त सचिव वित्त हैं, को 20.20 प्रतिशत नम्बर लिखित परीक्षा में मिले थे और चूंकि उनको समायोजित करना था, लेना था, एकोमोडेट करना था, इसलिये यह सारी अनियमितताएं बरती गईं ? यदि हां, तो मेरी सूचना को सही मानकर क्या माननीय मंत्री जी फिर से सारे प्रकरण की जांच करके न्याय करने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, हम लोगों ने 62 अभ्यर्थियों का चयन किया था जिसमें सबसे ज्यादा नम्बर लिखित में 100 में से 61.97 मिला था और सबसे कम 50 में से 8 नम्बर मिले थे। हमने इस आधार पर 62 लोगों को चुना और इन्टरव्यू किया गया। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि कम नम्बर हैं और पहले भी यह प्रश्न आया था कि चयन गलत हुआ है, कम अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। हमारे पास 171 अर्जियां आयी थीं। इनमें से 90 लोग रिटेन में बैठे और 62 पास हुये थे। 62 को इन्टरव्यू के लिये बुलाया और इन्टरव्यू लिया।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि लिखित परीक्षा में कितने नम्बर पाने वाले को आप क्वालिफाई मानते हैं, इन्टरव्यू में बुलाने के लिये ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जैसा कि मैंने बताया 92 में से 62 आये थे। जिनके सबसे ज्यादा थे, उनको ले लिया।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि सबसे कम कितने नम्बर वाले को आपने इन्टरव्यू के लिये बुलाया।

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

हमारे पास सबसे कम नम्बर जिनका मिला वह है 8।

श्री अधिष्ठाता—

सबसे कम नम्बर जिसने पाये वह कितने नम्बर तक आपने उसमें बुलाया ?

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्रीमती सुखदा मिश्र—

92 को बुलाया है।

श्री अधिष्ठाता—

आखिरी उम्मीदवार का नम्बर कितना था ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

सबसे कम नम्बर जो मिला है वह 100 में से 23.88 है और सबसे ज्यादा जो है वह 61.97 मिला था। 20 परसेंट वाले को बुलाने का सवाल नहीं उठता है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मेरा स्पष्ट आरोप है कि संजय अग्रवाल सन आफ श्री ओ0 पी0 अग्रवाल संयुक्त सचिव, विज्ञान विभाग को 20.2 नम्बर मिले हैं। तो इसी संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि लिखित परीक्षा में कितने नम्बर जो कम से कम पाया है जिसको आप क्वालिफाइड मानते हैं जिनको आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया वह क्या है और वह कौन अभ्यर्थी है ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि 23 नम्बर पाने वाले को बुलाया है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मेरे पास लिस्ट है 20.2 नम्बर संजय अग्रवाल सन आफ श्री ओ0 पी0 अग्रवाल को मिले हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि सबसे कम नम्बर पाने वाले को जिसको आपने बुलाया है कितने नम्बर मिले हैं। मिनिमम कितने नम्बर पर आपने क्वालिफाइड माना है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, जैसी हमारे पास सूचना है 23.8 नम्बर मिले हैं। तो जो 62 अभ्यर्थी थे उनको इन्टरव्यू के लिए बुलाया है। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, उसकी जांच करा लेंगे।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि संजय अग्रवाल को कितने नम्बर मिले थे लिखित परीक्षा में ? दूसरा अनुसूचित जाति के कितने लड़के लिये गये और उनका कोटा पूरा क्यों नहीं किया गया जब कि अनुसूचित जाति के लोग मौजूद थे ?

श्रीमती सुखदा मिश्र—

नम्बर अलग-अलग तो दिये नहीं गये क्योंकि इम्तहान साथ हुआ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का प्रश्न है कि संजय अग्रवाल के लिखित परीक्षा में कितने नम्बर थे और आरक्षण का कोटा पूरा क्यों नहीं हुआ ?

श्रीमती सुखदा मिश्री—

मेरे पास मान्यवर, संजय नाम से कोई लिस्ट यहां नहीं है। इसका पता कर लेंगे जो आप कह रहे हैं कि 20.2 नम्बर थे हमारी सूचना के अनुसार 23.8 नम्बर हैं। नाम किसी का नहीं है।

श्री अशोक बाजपेयी—

इसको मान्यवर, स्थगित करवा दें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो चयनित लोग हैं उनकी सूची हमारे पास है, श्री संजय अग्रवाल जिनके पिता यहां अधिकारी हैं को कितने नम्बर मिले हैं ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

इसकी लिस्ट हमारे पास नहीं है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, प्रश्न को स्थगित कर दें। हमारे पास लिस्ट है, मैं माननीय मंत्री जी को भिजवा देता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं क्या उनकी लिस्ट आपके पास है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मेरे पास लिस्ट नहीं है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

यह लिस्ट देख लें और बतायें कि यह सही है या गलत है।

* श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, अभी जो प्रश्न का उत्तर हुआ है उसमें एक बिन्दु प्रकाश में आ गया है और माननीय सदस्य ने सुनिश्चित जानकारी दी है कि 20.2 परसेंट वाले को लिया गया है। जब यह चर्चा उठी थी तो यह मुद्दा उठाया गया था। माननीय मंत्री जी से अपेक्षा की जाती है कि हम जो सूचना मांगते हैं उसको वह उपलब्ध करायें और प्रश्नों के अनुरूप उत्तर आयें। चूंकि श्री संजय अग्रवाल को लेकर प्रश्न उठाया गया है और माननीय मंत्री डिनाई करती हैं कि इसके इतने नम्बर नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि क्या यह संभव नहीं है कि पूरे प्रकरण की पत्रावली आपके पास मंगा ली जाय और माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह भी आपके पास पहुंच जायेगा। हम स्थगित करने की बात नहीं करते हैं। यहां पर जो प्रश्नकाल हम कोर रहे हैं वह समय्या नगरों को परिचित कराने, गतिरोधों को दिया कर सूचना दी जाती है। मान्यवर, दूसरे के साथ कहना चाहता हूं कि मंत्रियों को जो सूचना कर्मचारी देते हैं उन्हें तुरंत ही नहीं निकाल दी जाते हैं। इसलिये मेरा अनुरोध है कि मान्यवर आप पत्रावली मंगा लें चूंकि पहले भी कहा है कि जब कभी ऐसे मामले सामने आते हैं तो अध्यक्ष पीठ से पत्रावली मंगाई गयी है। हम पर आप जानते हैं।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, श्री राजेन्द्र गुप्त ने जो अनुरोध किया है मैं भी उसका समर्थन करता हूं। सदन के सामने दो बार सारी बातें आयीं और फिर भी बात स्पष्ट नहीं हो रही है। मंत्री जी कह रही हैं कि 20.2 अंक पाने वाले को बुलाया गया और श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी के पास जो सूचना है वह 20.2 वालों को बुलाया गया है। इसलिये जो श्री राजेन्द्र गुप्त जी ने कहा है कि पूरी पत्रावली मंगा लें और देख लें कि सही तथ्य क्या है। इसके बाद सदन को आप सूचित कर दें कि मामला में क्या है। इसमें अनुचित लाभ का कोई एक तथ्य है कि नहीं और अभ्यर्थी थे तो उनको बुलाया गया कि नहीं, यह भी मालूम हो जायेगा। इसलिये पत्रावली को आप मंगाकर स्वयं देख लें।

श्री अधिष्ठाता—

श्री राजेन्द्र गुप्त और श्री मैनेजर सिंह ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, इस संदर्भ में मैं आज इस वक्तव्य को स्थगित करता हूं और सत्र समाप्त होने के पहले संपूर्ण सूचना जो माननीय सदस्यों ने चाही है उसको प्रस्तुत करें।

प्रदेश में नजूल तथा अन्य सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(नगर विकास राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य पढ़ने हेतु खड़े होने पर)

एक सदस्य—

वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

नहीं। माननीय सदस्य यदि सहमत हों तो वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति में वक्तव्य पढ़ा हुआ पाना गया।)

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)—

मैं गगा गोविन्द चौधरी, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई नियम 51 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचना में यह कहा गया है कि राजनैतिक अधिकारियों एवं राजनैतिक संरक्षण प्राप्त प्रभावशाली व्यक्तियों की साजिश से प्रदेश भर में अनेकों अवैध कालोनियों का निर्माण हो चुका है। कालोनियां बनाने वालों ने केवल अवैध ढंग से भूमि ही नहीं प्राप्त की है बल्कि सस्ते की बिजली और पानी भी गलत प्राप्त किया है। दिल्ली से सिकुड़ते प्रदेश की मंहगी नजूल भूमि पर एवं जनपद फैजाबाद, बलिया, गाजीपुर तथा जालौन में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा, निर्माण तथा अवैध बसे अधिकारियों की जानकारी में जो रही है जिससे करोड़ों की हानि हो रही है।

---

* चिह्न से अंकित अंश अनूदित नहीं किया।

नोट— यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2—इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि अनाधिकृत रूप से अनेक स्थानों पर कालोनियों का निर्माण हुआ हैं लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि ऐसा प्रशासनिक अधिकारियों एवं राजनैतिक संरक्षण प्राप्त प्रभावशाली व्यक्तियों की साजिश से हुआ हैं। कालोनाइजर्स ने चाहे वे व्यक्ति हों या सहकारी संस्थायें, विक्रय अनुबन्ध के आधार पर भूमि का कब्जा प्राप्त कर अनाधिकृत रूप से निर्माण किये हैं जहां इस तरह के निर्माण होने की सूचनायें प्राप्त हुई हैं वहां इनके विनियमितीकरण करने की या अन्यथा कार्यवाही की जा रही हैं।

9—जहां तक दिल्ली के निकटवर्ती प्रदेश के जिलों में नजूल की भूमि पर अवैध कब्जों का प्रश्न हैं, जिला गाजियाबाद, बुलन्दशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के जिलाधिकारियों से नजूल भूमि के अवैध कब्जे के बारे में प्राप्त सूचना के अनुसार नजूल भूमि पर अनाधिकृत कब्जे के जो भी मामले प्रकाश में आये हैं उनमें बेदखली की कार्यवाही किये जाने हेतु नियत अधिकारी के न्यायालय में वाद दायर किया गया हैं। इस प्रकार के अनाधिकृत कब्जों में कोई ऐसा मामला प्रकाश में नहीं आया हैं जिससे यह प्रकट हो कि कालोनाइजेशन हेतु किसी नजूल भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया गया हो।

1—चूंकि लखनऊ जिला फैजाबाद, बलिया, गाजीपुर एवं लखनऊ में नजूल भूमि पर अनाधिकृत कब्जे का प्रश्न हैं, उनमें से प्रत्येक की स्थिति निम्नवत हैं :—

फैजाबाद—

अतिक्रमण के 960 मामले पाये गये जिनमें बेदखली करने हेतु न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया हैं।

बलिया—

जिलाधिकारी ने सूचित किया हैं कि कुल नजूल भूमि पर अनाधिकृत कब्जा पाया गया हैं। अतिचारियों के विरुद्ध निरन्तरसार न्यायालय में वाद दायर करके कब्जा हटाने की कार्यवाही की जा रही हैं।

गाजीपुर—

जिलाधिकारी ने सूचित किया हैं कि कुल 15 बीघा 10 बिसवा 6 धुर नजूल भूमि अतिक्रमित हैं। अतिचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही हैं।

लखनऊ—

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनुसार वर्तमान समय में अनाधिकृत कब्जों के 202 वाद विहित प्राधिकारियों के न्यायालय में चल रहे हैं। पुनः सर्वे कराया जाना प्रस्तावित हैं। इस प्रकार सर्वे कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अनाधिकृत कब्जे के जो मामले प्रकाश में आयेंगे उनमें बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि फैजाबाद में जिन्हें मामले अनाधिकृत कब्जों के आये हैं उनमें से सिविल लाइन्स का एक मामला पिछले हैं जिसमें पहले तक जमीन लीज पर दी गयी थी लेकिन बाद में जब डिसटरबेन्सी खत्म हो गयी तो कांग्रेस आई के दबाव में उस लीज को सरकार ने कैंसिल किया और उसके बाद पार्टी के जिलाध्यक्ष झंडा लगाकर कांग्रेस आई के पार्टी कर्मी ने जबरदस्ती उस जमीन पर कब्जा कर लिया। जिसकी आज कीमत 10 लाख रुपये तक हो सकते हैं जिले के जिलाधिकारी से लेकर राज्य की जानकारी सरकार में आने के बावजूद इस जिलाध्यक्ष की जिसके कारण यह अनाधिकृत कब्जे का मामला बना हुआ है उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं किया और उसके बारे में ए0 डी0 एम0 की अदालत में मुकदमा कायम कर रखा हैं?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, अतिक्रमण के 960 मामले फैजाबाद में चले गये हैं जिनमें बेदखली करने हेतु न्यायालय में वाद दायर कर दिये गये हैं। माननीय सदस्य ने जिस बात का जिक्र किया हैं इसकी हमारे पास कोई जानकारी नहीं हैं, यदि कहें तो इंक्वायरी करा लूंगी।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, जो 960 मुकदमें अनाधिकृत कब्जे हटाने के लिये दायर कर दिये गये हैं उसमें से फैजाबाद शहर के कितने मामले हैं

और वह किस-किस के खिलाफ हैं। क्या उसमें कोई मामला कांग्रेस आई के सदस्य के खिलाफ भी हैं ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

मान्यवर, इसमें सूचना की आवश्यकता हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मेरे प्रश्न का उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय तिवारी जी, माननीय मंत्री जी ने कहा हैं कि इसकी सूचना नहीं हैं। आप जिस ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं उसका नाम बता दें। उसके बारे में सूचना एकत्रित हो जायगी।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, फैजाबाद में सप्लाई आफिस के बिल्कुल सामने शहर के बीचों बीच में यह जमीन हैं।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, जो जानकारी मांगी थी कि कितने अनाधिकृत कब्जे हैं उसकी जानकारी दी गयी। यदि कोई स्पेसिफिक केस हैं तो उसको मंत्री जी को लिखकर दे दें। वह इसकी इंक्वायरी करा लेंगी ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, 960 मामलों में कितने मामले फैजाबाद शहर के हैं उसमें क्या कोई मामला कांग्रेस (आई) के किसी सदस्य के विरुद्ध हैं।

श्री राम आँतार दीक्षित—

मान्यवर, इसमें फैजाबाद, बलिया, लखनऊ आदि स्थानों की नजूल की जमीन के बारे में कहा गया हैं। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं पूछा गया हैं।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

आप लोग मंत्री जी को क्यों खो देने पर तुले हैं। आप उनकी बदनामी करा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय तिवारी जी यह जो वक्तव्य हैं, यह पूरे प्रदेश के सम्बन्ध में हैं। आपके पास अगर कोई जानकारी हैं तो उसका नाम बता दें। जानकारी एकत्रित करवा ली जायगी।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, इसमें कुछ जिलों के बारे में कहा गया हैं। उन्होंने कहा हैं कि 960 इस तरह के मामले फैजाबाद जिले में हैं। मेरा केवल यह सवाल हैं कि क्या फैजाबाद शहर में जितने मामले हैं उनमें से कोई ऐसा मामला हैं जिसकी लीज पहले एक आदमी को दी चुकी थीं और बाद में इमरजेंसी का अनुचित लाभ उठाकर उस लीज को रद्द कराया गया और उस पर कांग्रेस (आई) के एक सदस्य का अनाधिकृत कब्जा हैं और उसके विरुद्ध मुकदमा दायर हैं। इसकी जानकारी दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य ने जो बात रखी हैं, उसका नाम बता दें तो उसकी सूचना एकत्रित करवाकर आपके पास उसकी जानकारी भिजवा दी जाएगी।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरा में भी नजूल की भूमि कृपा करेंगे कि आगरा में भी नजूल की भूमि के ०० साल के पट्टे किये गये थे जिनकी अवधि खत्म हो गयी हैं ? उन पट्टों को पुनः करने की कोशिश की गयी या नहीं की गयी ? कितने ऐसे मामले आगरा में लिखित हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

इससे इसका सम्बन्ध नहीं उठता हैं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, यह प्रदेश भर में सम्बन्धित मामला हैं उसमें आगरा भी शामिल हैं। आपने भी कहा हैं कि यह प्रदेश भर से सम्बन्धित मामला हैं।

श्री अधिष्ठाता—

इसके लिये अलग से प्रश्न करना पड़ेगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, नजूल की भूमि के बारे में नगर महापालिका और नगर पालिकाओं में दो प्रकार की व्यवस्था है। एक तो जिलाधिकारी के कार्यालय में रजिस्टर मेंटेन किया जाता है और एक नगरपालिका का अधिकारी रजिस्टर मेंटेन करता है। माननीय मंत्री जी ने लखनऊ के सर्वे के बारे में बताया है। तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिलाधिकारी और नगर महापालिका, दोनों के कार्यालय में जो कागजात होते हैं, दोनों को मिला कर सर्वे करा रहे हैं या एक से ही सर्वे करा रहे हैं ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

जो प्रश्न माननीय माता प्रसाद जी ने उठाया है, जहां तक लखनऊ नगर महापालिका का प्रश्न है, 1905 के बाद से नगर महापालिका का प्रश्न रजिस्टर का प्रमाणीकरण नहीं हुआ, इसी कारण आवश्यकता यह पड़ी कि दोनों रजिस्टरों को, नगर महापालिका का और जिलाधिकारी का भी, और भी यदि कोई अभिलेख मिल सके, उन तमाम कागजातों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। जो व्यवहारिक रूप से आ रहा है सामने और देखा जा रहा है कि 10-10, 15-15 साल के रजिस्टर बिना मुकम्मल पड़े हुए थे, तो यह आवश्यक समझा गया कि इसे मुकम्मल कराया जाय।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण बात आ गयी कि 1905 से नगर महापालिका में सर्वे कराया ही नहीं गया। अगर किसी ने नजूल की जमीन पर मकान बना लिया, तो उसे हटाने की क्या व्यवस्था करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, जो कमजोरी थी, वह आपके सामने रखी गयी। जहां पर कमी होती है, तो इसीलिए बन्दोबस्त करके उस कमी को दूर किया जाता है।

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, यह प्रश्न प्रदेश से सम्बन्धित है। मान्यवर, हमारे बुलन्दशहर में बहुत अनाधिकृत कब्जे हैं। मैंने लिखा भी है माननीय मंत्री जी को पत्र मई-जून के महीने में। हमारे जनपद के औरंगाबाद कस्बे में करोड़ों रुपये की हेराफेरी हुई है। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को उच्चस्तरीय जांच कराने के लिए लिखा है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे पत्र को सन्दर्भ में लेते हुए क्या उसकी जांच करायेंगे ? वह नजूल की जमीन है।

श्री अधिष्ठाता—

आप लिख कर दे दीजिएगा, माननीय मंत्री जी जांच करा लेंगे।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

लिख कर दे रखा है, मान्यवर।

श्री किरनपाल सिंह—

लिखकर दिया है।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो बयान आता है, तो विदिन दि स्टेटमेंट यानि उस स्टेटमेंट के अन्दर ही सवाल पूछे जा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त—

वक्तव्य प्रासांगिक होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी—

जो स्टेटमेंट आया है, उसके अन्दर ही प्रश्न होना चाहिए।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

जो सूचना दी गयी है, उसी से सम्बन्धित रिलीवेंट, प्रासांगिक सूचना होनी चाहिए। अब माननीय मंत्री जी ने प्रदेश के बजाय 56-57 जिलों का हवाला देते हुए कुछ जिलों का हवाला दे दिया है, इसलिए माननीय सदस्य जिलों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछ सकते हैं। यह वक्तव्य जाना चाहिए था। इसलिए जो जाहिदी साहत ने स्वयं में अधूरा है यह वक्तव्य ही स्थगित हो प्रश्न उठाया है, इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

कोई भी स्टेटमेन्ट दिया जाता है वह इतने व्यापक अंदाज में नहीं दिया जाता है। उसमें आप कहें कि पूरे स्कूल में कितने लड़के हैं, वह कहां उठते हैं कहां बैठते हैं ? तो इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित कहना चाहूंगा कि 203 वाद विहित न्यायालय में चल रहे हैं जिनका सर्वे कराना आवश्यक है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह सर्वे कब कराया जाएगा महापालिका ऐक्ट 1959 के तहत कौन से प्राविधान हैं जिसके अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही महापालिका स्वयं कर सकती है।

श्री हुकुम सिंह—

जहां तक नजूल भूमि का सम्बन्ध है उसके बारे में कहना चाहूंगा यदि वह नजूल भूमि महापालिका, नगरपालिका के अन्तर्गत है, तो उसको अधिकार है बेदखली का, वाद का। यह जिम्मेदारी उसको दी गई है। इसकी देख-रेख की जिम्मेदारी भी उसको दी गई है। सर्वे की बात कही गई है। नजूल भूमि में बहुत दिक्कतें आ रही हैं कागजात का रख-रखाव जिस सतर्कता से होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। महापालिका में तमाम नजूल भूमि का सर्वेक्षण करने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं और वह चल रहा है।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

क्या आपने ऐसे आदेश दिए हैं कि किरनपाल सिंह जी ने जो लैटर लिखा है उस पर जांच हो जाए। मैं मंत्री जी के माध्यम से जानना चाहता हूं कि उसकी जांच करायेंगे या नहीं करायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने जो पत्र दिया है बुलन्दशहर के बारे में उसमें आपको क्या कहना है ?

श्री हुकुम सिंह—

इस पर आप लिखकर दें जो जांच करा दें।

कई सदस्य—

इसमें लैटर लिखा है।

श्री हुकुम सिंह—

हर चीज कल्पनाओं पर आधारित है। अगर कोई पत्र लिखा है और विशिष्ट परिस्थितियों का उल्लेख किया है तो जांच अवश्य होगी।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न करना चाहता हूं। मेरी जानकारी को सही मानकर क्या यह बतायेंगे कि शासन की ओर से इसमें नीति बनाई गई है। शासन की ओर से पट्टे किए गये हैं। अगर वह दूसरे को पट्टा देंगे तो राज्य सरकार की अनुमति उसमें होनी चाहिए। मान्यवर, पिछले पांच साल में 3-4 लोगों को अनुमति दी गई है। एक भूतपूर्व मंत्री का मामला है। दो-तीन बड़े लोगों के मामले हैं। यह मेरी जानकारी है। बड़े पैमाने पर अवधि पूरी होने के बाद जो बिक्री हो रही है उसमें सरकार तो अनुमति दे नहीं रही है तो जो सेल है वह अवैधानिक हो गई, तो इसमें सरकार की तरफ से क्या प्रयास किया जा रहा है।

श्री हुकुम सिंह—

हमारे गुप्ता जी विद्वान सदस्य हैं। नजूल लैन्ड पर कब्जा चाहे किसी का हो टाइटिल कभी मेच्योर नहीं होती है। उसको बेचने या स्थानान्तरण का अधिकार तथा उसकी टाइटिल सरकार की रहती है। नजूल लैन्ड पर जो मलवा होता है उसको बेचने का अधिकार उनको है, जमीन का नहीं है।

श्री हुकुम सिंह—

रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह—

जहां तक रोकथाम का प्रश्न है। कहीं 99 साल हो गये और पट्टे का नवीनीकरण नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति भी आ गई है कि छोटी जमीन है बेदखल नहीं किया जा सकता है। तमाम प्रश्न हैं इन पर विचार करके शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बस्ती तथा गोरखपुर में चीनी मिलें बन्द करने की घोषणा के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता—

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया)

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओमप्रकाश रिछारिया)—

[उक्त विषयक सूचना द्वारा यह अवगत कराया हैं कि बस्ती जनपद में खलीलाबाद एवं वाल्टरगंज तथा गोरखपुर जनपद में सिसवा चीनी मिलों के प्रबन्धकों ने सूचना प्रसारित कर दी हैं कि आने वाले पेराई सत्र में इन चीनी मिलों को नहीं चलाया जायेगा तथा इस प्रकार प्रदेश के सबसे पुराने उद्योग की तीन इकाईयों का बन्द होना अत्यन्त विषम परिस्थितियों का द्योतक हैं । प्राप्त जानकारी के आधार पर इन तीनों मिलों के बारे में स्थिति निम्नवत् हैं :

दि बस्ती शुगर मिल्स कम्पनी, लि0, वाल्टरगंज, जनपद बस्ती

दि बस्ती शुगर मिल्स कम्पनी, लि0, की जनपद बस्ती में दो चीनी मिलें हैं जिनमें से एक वाल्टरगंज में हैं तथा दूसरी बस्ती में स्थित हैं । इन चीनी मिलों की पेराई क्षमता क्रमशः 813 टी0 सी0 डी0 तथा 1500 टी0 सी0 डी0 हैं । इन दोनों चीनी मिलों के बीच की दूरी 8 कि0 मी0 हैं । दि बस्ती शुगर मिल्स कम्पनी, लि0, से वर्ष 1980 में एक प्रस्ताव हुआ था कि वाल्टरगंज चीनी मिल को बस्ती चीनी मिल में विलीनीकरण करने की अनुमति प्रदान की जाये । दोनों मिलों को एक में मिलाने का मुख्य आधार यह था कि वाल्टरगंज यूनिट अपनी पेराई क्षमता से कम पेराई कर रही हैं तथा उसे समुचित मात्रा में गन्ना उपलब्ध नहीं हो पा रहा हैं और इस प्रकार इस फैक्ट्री को निरन्तर हानि हो रही हैं तथा यह एक अलाभकारी इकाई हो गयी हैं । शासन ने इस विलीनीकरण के प्रस्ताव को सन् 1980 में सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया, लेकिन यह प्रतिबन्ध भी लगाया गया कि वाल्टरगंज मिल तब तक चलायी जाये जब तक कि बस्ती मिल की बढ़ी हुई क्षमता बस्ती एवं वाल्टरगंज की सम्मिलित क्षमता के बराबर अथवा उससे अधिक न हो जाये तथा इसका तकनीकी परीक्षण कराकर इसे सुनिश्चित न कर लिया जाये । साथ ही यह भी शर्त लगाई गयी कि वाल्टरगंज मिल के बस्ती के विलीनीकरण के फलस्वरूप गन्ना उत्पादकों, श्रमिकों इत्यादि के हितों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाये । तद्नुसार गन्ना आयुक्त ने दि बस्ती शुगर मिल्स कं लि0, को शासन के उक्त निर्णय से अवगत करा दिया था ।

वर्तमान में वस्तुस्थिति यह हैं कि बस्ती एवं वाल्टरगंज चीनी मिल के विलीनीकरण सम्बन्धी उक्त प्रतिबन्ध/शर्तों को कार्यान्वयन दि बस्ती शुगर मिल्स कं0 लि0, की निष्क्रियता के कारण अभी तक नहीं किया गया हैं । उक्त कम्पनी ने अपने पत्र दिनांक 19 मार्च, 1985 द्वारा विलीनीकरण के मामले को एक नया मोड़ देते हुए यह प्रस्ताव किया कि वाल्टरगंज इकाई को तात्कालिक प्रभाव से बन्द करते हुये इस मिल क्षेत्र का सम्पूर्ण गन्ना बस्ती चीनी मिल द्वारा पेरे जाने की अनुमति प्रदान की जाय । इस पर परीक्षण के उपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में लिए गये निर्णय में कोई छूट देने का औचित्य नहीं बनता हैं और शासन के पूर्व निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये । तद्नुसार मिल को गन्ना आयुक्त द्वारा जून, 1985 में सूचित कर दिया गया । तदोपरान्त गन्ना आयुक्त के परिपत्र 9 जुलाई, 1985 द्वारा सभी मिलों से अपेक्षा की गयी थी कि आफ सीजन की मरम्मत का कार्य समय से सम्पादित कराने की ओर विशेष ध्यान दें ताकि आगामी सत्र में गन्ना पेराई कार्य का आरम्भ उपयुक्त समय पर हो सके और चीनी मिलों को उनकी आवश्यकतानुसार गन्ना उपलब्ध हो जाये । किन्तु, इस बात की जानकारी मिलने पर कि वाल्टरगंज चीनी मिल में मरम्मत कार्य की

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रगति नितान्त असंतोषजनक है जिससे क्षेत्र के कृषकों/जन प्रतिनिधियों में समय से पेराई कार्य आरम्भ न करने के प्रति आशंका व्यक्त की जा रही है, गन्ना आयुक्त द्वारा अपने पत्र दिनांक 19 अगस्त, 1985 के अन्तर्गत अध्यासी/प्रधान प्रबन्धक, वाल्टरगंज चीनी मिल को पुनः निर्देशित किया कि आफ सीजन में मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर करें ताकि आगामी सत्र में मिल समय से चल सके। यह भी अपेक्षा की गयी कि मरम्मत कार्य की प्रगति की सूचना स्थानीय अधिकारियों तथा गन्ना आयुक्त को भेजें। स्थानीय अधिकारियों को भी इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान देने के निर्देश दे दिये गये हैं।

आनन्दनगर शुगर मिल, खलीलाबाद जनपद बस्ती

यह निजी क्षेत्र की चीनी मिल है जिसकी पेराई क्षमता 700 टी0 सी0 डी0 है। उक्त चीनी मिल के सम्बन्ध में इस वर्ष माह जून/जुलाई में अनेक शिकायतें शासन को प्राप्त हुई कि इस मिल के मालिक मिल को बन्द कर देना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में जांच गन्ना आयुक्त के माध्यम से करायी गयी जिससे विदित हुआ कि चीनी मिल ने उस समय तक आफ सीजन के मरम्मत का कार्य शुरू नहीं किया था और इस आधार पर यह प्रतीत हुआ कि मिल मालिक सम्भवतः उसे चलाने में उत्सुक नहीं हैं। मामले की गम्भीरता को देखते हुये मिल के अध्यासी/प्रधान प्रबन्धक को गन्ना आयुक्त ने दिनांक 10 अगस्त, 1985 को यह निर्देश दिये हैं कि चीनी मिल में आफ सीजन मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारम्भ कर दिया जाये ताकि आगामी सत्र में चीनी मिल समय से चल सके और गन्ना पेराई कार्य में कोई अवरोध उत्पन्न न हो। चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक को सचेत कर दिया गया है कि समय से पेराई आरम्भ करने में किसी प्रकार की उदासीनता नहीं बरती जाये। यह भी अपेक्षा की गयी है कि मरम्मत कार्य की प्रगति की सूचना स्थानीय अधिकारियों तथा गन्ना आयुक्त को भेजें। स्थानीय अधिकारियों को भी इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान देने के निर्देश दे दिये गये हैं।

सिसवा बाजार चीनी मिल, जनपद...गोरखपुर

इस मिल का अधिग्रहण उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अध्यादेश, 1984 के अन्तर्गत किया गया और 28 अक्टूबर, 1984 से यह मिल उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम में निहित कर दी गई। किन्तु पुराने मिल मालिकों द्वारा उच्च न्यायालय में दायर की गयी रिट याचिकाओं के फलस्वरूप इस मिल की मरम्मत आदि का कार्य कराने में बाधायें रहीं और जब मरम्मत एवं ओवरहाल कराने के उपरान्त मिल चलाने की स्थिति में लायी जा सकी तब तक कृषकों को अधिकांश गन्ना अन्य प्रकार से निस्तारित किया जा चुका था अतः वर्ष 1984-85 पेराई सत्र में यह मिल नहीं चलायी जा सकी। इस मिल को वर्ष 1985-86 में चलाने की योजना प्रारम्भ से ही है तथा राज्य चीनी निगम द्वारा अधिग्रहण के उपरान्त अब तक 10.57 लाख रु0 मिल के विभिन्न खर्चे हेतु भेजा जा चुका है। मिल के प्रधान प्रबन्धक ने सूचित किया है कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि सिसवा चीनी मिल इस सीजन 1985-86 में नहीं चलेगी।

कमारी अलमेलू अम्माल—

माननीय, मंत्री जी से मैं यह जानना चाहती हूं कि वाल्टरगंज चीनी मिल जो मेरे क्षेत्र में है, जिसके बन्द होने से एक लाख लोगों का नुकसान हुआ है। नारंग मिल बन्द करेगा तो सरकार उसको चलायेगी।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

जो माननीय सदस्य ने जानना चाहा। मूल प्रश्न यह था कि गन्ना पेराई को बन्द कर दिया है। उनकी सूचना 1985 में एक पत्र के द्वारा प्राप्त हुई थी। उनसे निश्चित रूप से कहा गया है आयुक्त के द्वारा और माननीय मुख्य मंत्री जी उनको बुलाकर आज या कल में कहने वाले हैं कि मिल जो पेराई शुरू होने वाली है उसको करें। मिल बन्द न करें। जब तक बन्द नहीं हुई है तो जो अन्य चीज माननीय, सदस्या ने कहा है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है।

श्री हर्षबर्धन—

मान्यवर, मंत्री जी के वक्तव्य में स्पष्ट नहीं हैं, कि गन्ना आयुक्त ने निर्देश दिया प्रबन्धकों को, प्रबन्धकों की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया यह स्पष्ट नहीं हैं। मेरी निश्चित जानकारी को सही मानकर कि उसके प्रबन्धकों ने मन बना लिया हैं, दोनों मिलों को बन्द करने का। दोनों चीनी मिलों की जो दूसरी सम्बन्धित इकाई वाल्टरगंज बस्ती में हैं और गोरखपुर फरेंदा में हैं, उनको अधिग्रहीत करने की सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

जो अधिग्रहण करने के नियम हैं वह इस आधार पर नहीं हैं। जब सरकार का ऋण उनके ऊपर बढ़ जाता हैं तब अधिग्रहण किया जाता हैं। सन् 1971 के अर्जन अधिनियम में प्रावधान किया गया हैं। वर्तमान स्थिति में वाल्टरगंज की मिल पर कोई सरकार का ऋण बकाया नहीं हैं। केवल शक्कर निधि का 33 लाख (9) हजार रुपया बकाया हैं। चूंकि सरकारी ऋण बकाया नहीं हैं, इसलिए वर्तमान में जो स्थिति हैं, अधिग्रहण किये जाने का नियम उपलब्ध नहीं हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मंत्री जी के वक्तव्य से स्पष्ट हैं कि 19 मार्च, 1985 को शासन को सूचना थी कि वाल्टरगंज मिल के प्रबन्धकों ने और मिल मालिकों ने मिल बन्द कर दिया। इसके बाद दुबारा शासन द्वारा निर्देश दिया कि वह मिल बन्द करेंगे, इस सम्बन्ध में शासन ने निर्देशित किया कि तत्काल मरम्मत का काम शुरू करके इस वर्ष पेराई के लिये मिल को टीकी करें। जो सूचना प्राप्त हुई हैं वह हैं कि वे शासनादेश की उपेक्षा करके मिल की मरम्मत नहीं करवा रहे हैं। तो क्या सरकार इस वर्ष उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगी। शासनादेश की उपेक्षा के कारण इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता हैं। क्या इस तरह की कोई कार्यवाही प्रबन्धकों के खिलाफ की जायगी।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन्, मैं इसका पूर्व इतिहास बता दूं सन् 1980 में उन्होंने वाल्टरगंज मिल को बन्द करने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने शासन को आयुक्त के माध्यम से सूचित किया। उस समय शासन ने निर्देश दिया था कि यदि उनकी बस्ती में जो मिल हैं, उसकी कैपेसिटी एक्सपेंड कर दें तथा वाल्टरगंज की कैपेसिटी को उसमें मिला दें तथा जो श्रमिक वहां काम कर रहे हैं, उनको बस्ती में लेलें और चूंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस आठ किलोमीटर का हैं, तो वहां का गन्ना बस्ती की मिल में ले लें। तो इन शर्तों के साथ यह सब स्वीकार कर लें तो मिल बन्द कर सकते हैं। लेकिन और भी शर्तें थी। किसी कन्सलटेंट ने स्कीम बनाई थी। उनको ढेढ़ हजार से दो हजार कैपेसिटी करने का निर्देश शासन ने दिया था, लेकिन उन्होंने कोई प्रोजेक्ट अभी तक बनाकर नहीं भेजा। इसके बाद मार्च, 85 में एक नयी बात लिखकर दी और इन्होंने कहा कि वह इसकी कैपेसिटी बढ़ा लेंगे और इसकी वर्तमान में जो क्षमता हैं, वह इतनी हैं कि जो गन्ना वाल्टरगंज में पेरते हैं, वह आज भी हम बस्ती में पेर सकते हैं। लेकिन इसको शासन ने स्वीकार नहीं किया। इनसे कहा गया कि आप इसको एक्सपेंड करें, तब बन्द करें। निर्देश दे दिये गये। लेकिन इस तरह से शासन के आदेश की अवहेलना करने पर केन्द्रीय सरकार उनको ब्लैकलिस्ट कर सकती हैं। यदि वह नहीं मानेंगे तो केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में निर्देश किया जायगा। मुख्य मंत्री जी ने आज इनको इसी सम्बन्ध में बुलाया भी हैं।

श्रीमती कमला माहनी—

मान्यवर, 10 अगस्त, 1985 को गन्ना आयुक्त के निर्देश थे कि युद्ध स्तर पर उसकी मरम्मत का कार्य शुरू किया जाय। लेकिन, मेरी निश्चित जानकारी हैं कि आज तक मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ हैं। इससे मिल मालिकों की नीयत ऐसी लगती हैं कि वे मिल चलाने के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि यह भी निर्देश दिये गये थे कि वे मरम्मत का कार्य शुरू करके गन्ना आयुक्त को सूचित करेंगे और मिल अधिकारियों को सूचित करेंगे, लेकिन मुझे मालूम हैं कि अभी तक मरम्मत का कार्य शुरू नहीं कराया गया हैं। तो क्या

माननीय मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में एक जांच कमेटी भेजकर जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करके मरम्मत का कार्य शुरू कराने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन्, शासन को जानकारी है कि उन्होंने आदेश के बाद भी मरम्मत नहीं कराई है, इसीलिये उन लोगों को बुलवाया गया है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, नारंग कन्सर्न की दोनों यूनिटें बस्ती और वाल्टरगंज में हैं । वर्ष 1978 से वाल्टरगंज यूनिट को बन्द करने का प्रयास नारंग कन्सर्न द्वारा किया जा रहा है । श्रीमन्, 1978 में पेराई के समय शासन ने निरस्त कर दिया । अब 1980 में पुनः उन्होंने इस पर प्रयास किया और माननीय मंत्री जी के उत्तर में देखें, उसमें यह उल्लेख है कि नारंग कन्सर्न वाले वाल्टरगंज शुगर मिल समुचित गन्ना पेराई के लिये न मिलने के कारण मिल घाटे में रहती है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं दो प्रश्न करना चाहता हूं । क्या यह सही है कि वाल्टरगंज चीनी मिल का गन्ना, सुरक्षित क्षेत्र का गन्ना, जो कि सरकारी कागजों में सुरक्षित क्षेत्र का वाल्टरगंज लिखा हुआ है, प्रत्येक रिजर्वेशन मीटिंग में आधे से अधिक बस्ती चीनी मिल को दे दिया जाता है । दूसरे जैसा कि अभी कमला साहनी जी ने कहा अब तक वाल्टरगंज और खलीलाबाद फैक्ट्रियों की मरम्मत का कुछ भी काम नहीं किया । यदि ये दोनों फैक्ट्रियां काम नहीं कर रही हैं तो क्या माननीय मंत्री जी जनहित को देखते हुए उसके अधिग्रहण की घोषणा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

अधिग्रहण वाली बात पर तो काफी विस्तार से बता चुका हूं । सुरक्षित क्षेत्र के गन्ने की बात कही है, सुरक्षित क्षेत्र कितना, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है । वाल्टरगंज ने कितनी पेराई की है इसकी डिटेल्ड सूचना मेरे पास है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, सत्ताधारी दल के तीन सांसदों ने इस पक्ष में कोई पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा है कि इन्हें मिल को हटा लेने की अनुमति दी जाय । वह पत्र कब प्राप्त हुआ ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

इसकी मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री मित्रसेन—

माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्नोत्तर में इस बात को स्वीकार किया कि समय समय पर जन-प्रतिनिधियों, वहां के किसानों और विधायकों ने इस बात की शंका व्यक्त की कि मिल मालिक मिल को हटाना चाहते हैं । क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि खलीलाबाद में जो मिल है आनन्द नगर मिल- इस मिल के बड़े-बड़े पुर्जे वे वहां से हटा रहे हैं मजदूरों ने घेर कर उसको रोका और माल को पकड़ा शासन को भी इसकी शिकायत की गयी । इसके अतिरिक्त क्या इस बात की जानकारी है कि इस मिल पर तमाम मजदूरों का पैसा बाकी है, किसानों का पैसा बाकी है यह कितना बाकी है ? और, जो सामान उठाकर ले जा रहे थे, शासन को इसकी बाबत जानकारी दी गयी थी, इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

शासन की जानकारी है, इन मिल मालिकों को तलब किया गया है, उनसे बातचीत होगी ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, अधिग्रहण के बारे में वह स्पष्ट कर चुके हैं कि इस मुद्दे पर फैक्ट्री का अधिग्रहण नहीं हो सकता है । श्रीमन्, दोनों फैक्ट्री के मिल मालिक कतई इन मिलों को चलाने के लिए तैयार नहीं हैं । माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अधिग्रहण कानून में आवश्यक संशोधन करके, यदि यह दोनों मिल मालिक फैक्ट्रियों को नहीं चलाते हैं, तो चलाने के लिये कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, उसे चलाने के लिये हम उनसे निगोसियेशन कर रहे हैं । वर्तमान में नियमों में जो विधान है, उससे मैं ने पहले ही अवगत किया । मजदूरों और दूसरी परिस्थितियों को देखते हुए शासन जो भी उचित और आवश्यक समझेगा, कार्यवाही अवश्य करेगा ।

कुमारी अलमेलू अम्माल—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दीजिए। मैंने प्रश्न किया था कि जो सामान वहां से ले जाया जा रहा है, उसे रोकने के लिए मंत्री जी क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, इसे व्यवस्थित करने के लिए ही मिल के सचिव और मैनेजर को बुलाया गया है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, नियम 110 के अन्तर्गत मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर माननीय सदस्यों का, दोनों पक्ष के, विभाजित होना स्वभाविक है। यह कोई 9 या 9.05 बजे का प्रश्न नहीं है। गोरखपुर और उसके आस पास के लोग तथा बस्ती के लोग बरबाद हो रहे हैं। जो आज यहां हो रहा है, उसका असर पूरे प्रदेश पर पड़ेगा। माननीय मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं, वे उचित नहीं हैं। इनको भी इनका यह सबजेक्ट नहीं है। इस 110 में लिखा है निम्नलिखित प्रस्ताव, यदि अध्यक्ष अनुज्ञा दें, बिना सूचना के किये जा सकेंगे। अब आप नियम 110 (9) को देखें। उसमें लिखा है किसी नियम के निलंबन का उद्देश्य इसीलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि 110 (9) के तहत नियम का निलम्बन किया जाय ; इस पर आप मतदान करा लें। जो सदन का मान्य होगा वह सर्वोच्च है। दिवाकर विक्रम सिंह जी ने प्रश्न किया है कि अधिग्रहण के लिए नियम में संशोधन करने की जरूरत पड़ी तो उसे किया जाय। इसीलिए पहले मैं चाहूंगा कि नियम को निलम्बन किया जाय।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकम सिंह)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, नियम 110 (9) की जो पहली पंक्ति है, उसमें लिखा है निम्नलिखित प्रस्ताव यदि अध्यक्ष अनुज्ञा दें।

श्री अधिष्ठाता—

अभी यह बात ही कहां आई है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, आप मेरे प्रस्ताव पर मतदान को देख लें। सदन का संचालन भी बहुमत और अल्पमत के हिसाब से चलता है। यह सही है लेकिन आप के विवेक को मदद करने के लिए सदन की राय भी होनी चाहिए और सत्यं किम् प्रमाणम्, मेरे प्रस्ताव को बहुमत स्वीकारता है या नहीं। इस लिए मैं चाहूंगा कि आप नियम निलम्बित करा कर मतदान करा लें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

माननीय सदस्य वाराणसी कैन्ट ने जो कहा मैं उसी पर बल देता हूं। नियम 313 में विशिष्ट शक्तियां हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि 110 में नहीं आता, मैं उनसे सहमत नहीं हूं कि 110 लागू नहीं होता। यदि आप भी उससे सहमत हैं तो 313 में आप को असीमित अधिकार हैं बशर्ते सदन उसके पक्ष में हो। तो जो शतरुद्र जी ने कहा, आप बहुमत जान लें और मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें स्पष्ट है कि इनमें मिले जो हैं, ईमानदारी से उनको चलाने का प्रयास नहीं है। लाखों लोगों की जीविका का प्रश्न है, हजारों मजदूरों का प्रश्न है, करोड़ों का भुगतान बकाया है। इन सारी स्थितियों को देखते हुए लोकमहत्व का प्रश्न है, सत्तापक्ष को भी इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये और मैं समझता हूं कि अगर इसमें कार्यवाही करने में माननीय मंत्री जी अपने को अक्षम समझते हैं तो उन को सक्षम बनाने के लिए सदन के बहुमत की राय का सहारा उनको दें। करोड़ों के बकाये हजारों की रोजी-रोटी का सवाल है, इसलिए पहले इसको आप स्वीकार करें और कोई निर्णय दें।

श्री मुलायम सिंह यादव—

यह सदन की भावना का सवाल है।

(विपक्ष के सभी सदस्य खड़े हो गये।)

श्री हुकम सिंह—

मैं माननीय शतरुद्र जी और तिवारी जी ने जो कहा कि यह सदन सर्वोच्च है, सारी शक्तियां इसमें निहित हैं, मैं उनसे सहमत हूं। 50 सदस्य जो खड़े हो जायेंगे ... ...

(व्यवधान)

इस सदन में यह भी नियम हैं कि अपनी बात कह ली जाये तो दूसरे की भी रखने का मौका दिया जाय । सदन क्या हैं । मैं यह आप से अनुरोध कर रहा हूं कि जो नियमावली हैं, उसके अन्तर्गत इसका संचालन होता हैं । इसका संचालन अगर नियमावली के तहत नहीं होगा तो चाहे 425 हों या 426, उसको सदन की संज्ञा नहीं दी जा सकती । जब तक अधिष्ठाता पीठासीन हैं और नियमानुसार सदन का संचालन होगा तभी सदन कहा जायेगा । जो सदस्य यहां नहीं हैं, मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूं । इस समय मद संख्या 29 जिसके अन्तर्गत प्रकरण चल रहा था, कि जनपद बस्ती तथा गोरखपुर में चीनी मिलों के बन्द की घोषणा के सम्बन्ध में श्री हर्ष वर्धन द्वारा दी गई सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य ।

एक सदस्य—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

पहले बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद अगर व्यवस्था उठानी हैं, तभी मैं इजाजत दूंगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय, संसदीय कार्य मंत्री जी जो बोले हैं, उसी से सम्बन्धित हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय, मंत्री जी की बात पूरी हो जाने दें ।

(श्री किरन पाल सिंह के खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें ।

श्री हुकुम सिंह—

नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य के निर्देश हुए वक्तव्य आया । माननीय, मंत्री जी ने पढ़ कर सुनाया । वक्तव्य के चलते इस मद संख्या के चलते केवल नियम 51 में जो प्राविधान हैं उसी का पालन किया जायगा । प्राविधान यह हैं कि वक्तव्य आने के बाद उससे सम्बन्धित प्रश्न और स्पष्टीकरण पूछे जा सकते हैं । वह प्रकरण चल रहा था, किन्तु आदर के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रकरण चल रहा हैं, वक्तव्य आ चुका हैं, केवल स्पष्टीकरण और प्रश्न पूछे जा सकते हैं । इस बीच में न कोई व्यवस्था का प्रश्न आता हैं, न औचित्य का प्रश्न आता हैं क्योंकि एक प्रकरण चल रहा हैं, कोई और प्रश्न उठता ही नहीं हैं । अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सदन नहीं चल सकता हैं ।

(व्यवधान)

इस वक्त आपसे अनुरोध हैं कि वक्तव्य पढ़ा जा चुका हैं, लगभग दो दर्जन प्रश्न पूछे जा चुके हैं । प्रश्नों के महत्व को देखते हुए यदि आप चाहें तो और प्रश्न करने की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन इस बीच में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

माननीय, संसदीय कार्य मंत्री से सहमत हूं उनकी इस बात से कि सदन तभी तक व्यवस्थित हैं जब तक नियमों के अनुसार चल रहा हैं, लेकिन जो प्रस्ताव माननीय सदस्य शतरुद्र प्रकाश जी ने रखा हैं, मेरे मत के अनुसार वह नियमों से अलग नहीं हैं । आपके अधीन शक्तियां नियम 110 में दी हुई हैं । यह इसीलिये हैं कि जिस समय सदन में आपात स्थिति उत्पन्न हो जाय, ऐसी स्थिति हो जाय जो चालू नियमों के अनुसार जिसकी व्यवस्था न हो पा रही हो, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया । नियम 51 पर चर्चा तो रही हैं, गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी । यह बात सदन में सुनिश्चित हो गयी कि वहां के मालिकान किसी विशेष मद के कारण किसी की नहीं सुन रहे हैं । यह नारंग संस्थान वाले जो हैं, सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठतम व्यक्ति से रिश्तेदारी की चर्चा करते रहते हैं । अक्टूबर से फैक्ट्री चल रही हैं, आज सितम्बर आ गया । आफ सीजन में मरम्मत का कार्य होता हैं, लेकिन नहीं हो रहा हैं । इससे साबित हैं कि मौके पर काम चलेगा नहीं । अगर सरकार की तरफ से आश्वासन आता तो ठीक था, लेकिन उन्होंने कहा कि मालिकान

को बुलाया गया है। अगर इस बात का आश्वासन देते कि रीजनेबिल टाइम देकर मरम्मत का काम अगर नहीं शुरु होता तो अधिग्रहण की कार्यवाही की जायगी, तब तो ठीक था, लेकिन यह नहीं कहा गया। गिरफ्तारी का आश्वासन भी नहीं दिया गया। काश्तकार के हित में माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रख दिया। यह सदन व्यवस्थित है। इसको स्वीकार करना आपके विवेक पर निर्भर है, आपके विवेक को चुनौती नहीं दे रहा हूं। इसमें साफ लिखा है कि यदि अध्यक्ष अनुज्ञा दें या आपका विवेक है मैं समझता हूं कि विषय की गम्भीरता और महत्व को ध्यान में रखकर आप इसको ले लीजिये। किसान के हित में इस विषय को इस रूप में देकर सरकार पर दबाव डालने का हमारा प्रयास है। यह हमारा कर्तव्य है, निर्वहन करने दें तो सन्तोष होगा।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

माननीय गुप्त जी ने एमरजेंसी कियट होने के सम्बन्ध में जो एक-दो बातें कही हैं - - - - -

(व्यवधान)

(9 बजकर 20 मिनट)

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कोरम का अभाव करने के लिये अपनी तरफ के सदस्यों को जाने के लिये इशारा कर दिया है। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि आप सदन के दरवाजे बन्द करा दें और फिर इस प्रस्ताव पर मत ले लें।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

नियम 108 (10) के तहत नियमों का पालन हो या न हो लेकिन मेरा निवेदन है कि तत्काल आप इस पर मतदान करा दीजिये। यह तो सदन की अवमानना हो रही है, आप तो जनतांत्रिक परम्पराओं का पालन कीजिए। यह मंत्री रहें या न रहें लेकिन एक परिपाटी तो रह जायेगी।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि इस आदरणीय सदन में किसी भी सदस्य को बलात् काम करने के लिये आदेश नहीं दिये जा सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि सत्ताधारी दल के वरिष्ठ सदस्य अपने सदस्यों पर बलात् दबाव डाल रहे हैं। सदन के बाहर जाने के लिये कह रहे हैं। कमला साहनी भी कई सदस्यों को लेकर यही बात कर रही हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदन के दोनों तरफ के सदस्यों ने इस गम्भीर प्रश्न के ऊपर अपनी चिन्ता प्रकट की है। इसमें दो राय नहीं है कि उन मिलों के बन्द होने से बहुत से लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो जायेगा। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इस सन्दर्भ में मिल मालिकों को बुलाया गया है कि वह मिलें बन्द न की जांय। मैं भी चाहूंगा कि इस मामले में सरकार गम्भीरता पूर्वक विचार करे और ऐसा कोई निर्णय ले जिससे कि वे मिलें बन्द न हों और इस बात का ध्यान रखा जाय कि जो बहुत से मजदूर लोग हैं जिनके बारे में जैसा कि माननीय गुप्त जी ने और शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा है और मतदान की बात को उठाया है, मैं इस पर मतदान कराने की आज्ञा नहीं देता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि आप देख लें कि कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घण्टी बजायी गयी।)

(5 मिनट तक लगातार घंटी बजते रहने पर भी कोरम पूरा न होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

5 मिनट हो गये अभी कोरम पूरा नहीं है। अतः अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 9 बजकर 28 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊः
2 सितम्बर, 1985

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(दोसवें तारांकित प्रश्न संख्या-16 का उत्तर

पीछे प्रश्न सं0 16 से सम्बन्धित तालिका

1—विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद हैं जो मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक आगरा के निर्णयाधीन हैं। विवाद की वजह से संस्था के निर्बाध एवं सुव्यवस्थित प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

2—अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों एवं अध्यापकों का रुपये 3499.50 की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है।

3—रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर कानपुर ने सी0 डी0 एस0 की किस्तों का भुगतान करने के लिए दिनांक 1 मार्च 1982 को रुपये 12,91,662 का बैंक ड्राफ्ट भेजा जिसे 17 मार्च, 1982 को विद्यालय के अनुरक्षण निधि खाते में जमा करा दी गयी। दिनांक 17 अप्रैल, 1982 तक केवल 6 अध्यापक के खाते में 9089-73 रुपये की धनराशि ही स्थानान्तरित की गयी।

पीछे पृष्ठ - - - - 23 - - - पर)

4—अप्रैल, 1976 के वेतन बिल से अल्प-बचत योजनान्तर्गत 1900 रुपये की कटौती की गयी किन्तु इसे न तो कर्मचारियों के खाते में जमा किया गया और न ही कर्मचारियों को वापस किया गया।

5—अध्यापक एवं कर्मचारियों को माह जनवरी, 1976 से अल्प बचत योजनान्तर्गत आर0 डी0/सी0 टी0 डी0 की प्रत्येक माह की कटौती की धनराशि नियमित रूप से कर्मचारियों के खाते में जमा न करके 1977 में जमा किया गया।

6—जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा बार-बार अनुरोध करने पर विद्यालय के अनुदान सूची पर आने के उपरान्त मार्च, 1972 से अगस्त, 1972 की शुल्क का 80 प्रतिशत भाग जो 7378 रु0 होता है, वेतन वितरण खाते में जमा नहीं किया गया है।

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्रश्न संख्या 37 का उत्तर पीछे पृष्ठ - - - 32 - - - पर)

विकास खण्ड-भरावन जनपद हरदोई

वर्ष 1983-84

विकास खण्ड भरावन में वर्ष 1983-84 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत एक पंचायत भवन, 18 पुलियों, ग्राम छेदाखेड़ा एवं भटखेरवा हरिजन बस्ती में खड़ंजा निर्माण कार्य कोथावां माल रोड से महम्मदापुर ग्राम तक तथा संदीला भटपुर रोड से परसा गोदाम तक सम्पर्क मार्ग निर्माण किया जाना, एवं विकास खण्ड द्वारा 30 वायो गॅस संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य था ।

उपरोक्त कार्यों में एक पंचायत भवन, 14 पुलियों, 2 हरिजन बस्तियों में खड़ंजा तथा दोनों सम्पर्क मार्ग पूर्ण हो चुके हैं । 4 पुलियों पर कार्य चल रहा है तथा कोई भी बायोगॅस संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है ।

वर्ष 1984-85

वर्ष 1984-85 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत 10 पेयजल कूप, संदीला भटपुर रोड पर वाडिल बाबा से भरावन बस अड्डा तक सम्पर्क मार्ग (मिट्टी का कार्य) तथा जिला परिषद् के अन्तर्गत संदीला भटपुर रोड से छीतया ग्राम तक, तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत भटपुर से ग्राम नैथाना तक सम्पर्क मार्ग (मिट्टी का कार्य) एवं विकास खण्ड द्वारा 10 हरिजन आवास, 7 पंचायत भवन, 5 ग्रामों में खड़ंजा निर्माण कार्य तथा 40 बायोगॅस संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य था ।

उपरोक्त कार्यों में 11 हरिजन पेयजल कूप, तीनों सम्पर्क मार्ग, 6 हरिजन आवास, 4 पंचायती भवन, 2 ग्रामों में खड़ंजा तथा 104 बायोगॅस संयंत्र पूर्ण हो चुके हैं । 4 हरिजन आवास, 3 पंचायत भवन, 3 ग्रामों में खड़ंजा निर्माण कार्य चल रहा है जो शीघ्र ही पूर्ण हो जायेगा ।

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 73 का उत्तर पीछे पृष्ठ . . . . पर)
उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के कर्मचारियों की मांगों तथा पर सरकार द्वारा कृत कार्यवाही की सूचना ।

मांग	कार्यवाही
1—संस्थान के कर्मचारियों के लिए बनाई गई सेवा नियमावली में प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों की सेवा शर्तें स्पष्ट की जायें ।	हिन्दी संस्थान से आख्या व संस्तुति मांगी गई हैं जो प्रतीक्षित हैं ।
2—निरन्तर एक पद पर 3 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किया जाये ।	मामला विचाराधीन हैं ।
3—संस्थान के समस्त कर्मचारियों को ग्रुप इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में पिछली व्यवस्था समिति में हुए निर्णय से सभी को अवगत कराया जाये ।	यह मांग पहले ही अस्वीकृत की जा चुकी हैं ।
4—संस्थान के कर्मचारियों के लिए बनायी गई सी0 पी0 एफ0 की नियमावली संघ को उपलब्ध करायी जाये साथ ही इस सम्बन्ध में शासन में दो वर्षों से विचाराधीन मामलों पर शीघ्र निर्णय कराया जाये ।	सी0 पी0 एफ0 योजना दिनांक 1-7-1985 से लागू की जा चुकी हैं ।
5—प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों का सी0 पी0 एफ0 एकाउन्ट उनके विभाग में ही पास बुक बनवाकर रखा जाये जैसे शासन के सामान्य निर्णय आज तक संस्थान में लागू नहीं हो सके उन्हें शीघ्र पास बुक उपलब्ध करायी जायें ।	इस मांग का सम्बन्ध हिन्दी संस्थान से हैं ।
6—कर्मचारियों को स्कूटर/साइकिल अग्रिम तथा भूमि भवन कृत अग्रिम की सुविधा उपलब्ध करायी जाये ।	यह मांग अस्वीकृत कर दी गई हैं ।
7—संस्थान में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री राम स्वरूप की पदोन्नति की जाये ।	श्री राम स्वरूप का प्रत्यावेदन निरस्त किया जा चुका हैं ।
8—कर्मचारियों की समस्याओं के सम्बन्ध में कार्यकारिणी व्यवस्था उप समिति में विचार विमर्श करते समय इसमें संघ के दो प्रतिनिधियों को अधिकृत किया जाये ताकि वे कर्मचारियों का पक्ष ठीक ढंग से प्रस्तुत कर सकें ।	हिन्दी संस्थान से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ हैं ।

9—संस्थान में एक कर्मचारी कल्याण कोष की स्थापना की जाय । इस कोष में कर्मचारियों का भी अंशदान लिया जाय । इस कार्य के लिए संस्थान का प्रत्येक कर्मचारी स्वेच्छा से 10 रु0 मासिक का अंशदान देने को तैयार हैं । इस कोष से उसे विपत्ति में आर्थिक सहायता, सेवानिवृत्ति, सेवाकाल में मृत्यु होने की दशा में 20,000 रुपये (रुपये बीस हजार मात्र) की राशि प्रदान की जाये ।

10—कार्यकारिणी समिति में संस्थान के कर्मचारियों के सम्बन्ध में लिए गये निर्णय को कार्यालय आदेश के रूप में प्रसारित किया जाये ।

योजना की रूपरेखा हिन्दी संस्थान से मांगी गई हैं जो अभी अप्राप्त हैं ।

इस मांग से हिन्दी संस्थान सम्बन्धित है

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'ब'

दीखिये असारांकित प्रश्न संख्या 82 का

निलम्बन तिथि 1-9-76 के आरोप

1—प्रशासकीय आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन ।

2—संबंधिका धनराशि अंकन रु0 74 का गबन ।

3—कर्तव्य परायणता के प्रति गम्भीर उदासीनता ।

4—अध्ययन समय में छात्रों से व्यक्तिगत कार्य लेना ।

5—परीक्षा व्यवस्था में गतिरोध उत्पन्न करना ।

6—अनुशासनहीनता सम्बन्धी गम्भीर आरोप ।

7—प्रवेश परीक्षा शुल्क अंकन 215 रु0 का गबन ।

8—सहयोगियों से गाली गलौज करने का आरोप ।

उत्तर पीछे पृष्ठ - - - 43 - - - पर)

निलम्बन तिथि 3-5-80 के आरोप

1—कर्तव्य के प्रति गम्भीर लापरवाही ।

2—निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्यापन न करना ।

3—परीक्षा कोष में रजिस्टर की आपूर्ति न करना ।

निलम्बन तिथि 2-1-84 के आरोप

1—कर्तव्यों के प्रति गम्भीर लापरवाही ।

2—बिना स्वीकृत प्रार्थना-पत्र अथवा अनुमति से 15 महीने तक डियूटी से गायब रहना ।

3—छात्र मनोज कुमार की बहिन से अनैतिक पूर्ण व्यवहार करना ।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ङ'

देखिये पीछे पृष्ठ --- 117 ------ पर

मान्यवर,

प्रदेश के अधिकांश निगम एवं उपक्रम उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार व कु-प्रबन्ध का शिकार हैं। शासन द्वारा इन निगमों में व्याप्त भ्रष्टाचार, मनमानी, नियमों तथा शासनादेशों के विरुद्ध काम करने के सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही तो दूर उल्टे सम्बन्धित निगमों के प्रबन्धकों को येन-केन प्रकारेण बचाने का प्रयास किया जाता है तथा प्रबन्धकों की गलत नीतियों एवं काले कारनामों पर परदा डालने की कोशिश की जाती है जबकि शासन को इन मामलों में तत्काल निष्पक्ष जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के प्रति कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। किन्तु ऐसा कुछ भी न होने से वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं सम्बन्धी गलत कार्यों तथा भ्रष्टाचारपूर्ण गतिविधियों का सिलसिला बराबर चलते ही रहे हैं। परिणामस्वरूप प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र का पूरा ढांचा छिन्न-भिन्न चरमराता चला जा रहा है।

जन-प्रतिनिधियों, माननीय विधायकों आदि के द्वारा शासन को भेजे जाने वाले गम्भीर मामलों पर भी सरकार स्तर पर कोई उचित जांच एवं समुचित कार्यवाही नहीं की जाती है। और मामलों को बिना किसी कारण अथवा प्रयोजन के केवल पत्रावलियों में बन्द रख जाता है। परिणामतः हठीले निगमों के प्रबन्धक आदि पूर्णरूप से तानाशाह, निरंकुश तथा स्वतंत्र हो गये हैं और वे निगमों में अपने मनतंत्र की प्रक्रिया पूरी तरह से लागू किये हुए हैं।

निगमों में व्याप्त अव्यवस्था बढ़ते हुए घाटे तथा दयनीय वित्तीय स्थिति के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं :—

1—निगमों में उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार तथा मिस मैनेजमेंट।

2—अधिकतर निगमों में अध्यक्ष के पदों पर शासन के सचिवों को नियुक्त करना जिसके कारण शासन स्तर पर उस निगम से सम्बन्धित शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है।

3—निगमों के अन्दर वित्तीय नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए वित्तीय अनुशासन का पालन न किया जाना।

4—निगमों में कार्मिक प्रबन्ध के विशेषज्ञ की नियुक्ति न करके, मन चाहे अयोग्य व्यक्तियों को नियुक्त करना।

5—शासन के सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो विभाग द्वारा निगमों के प्रबन्धकों के प्रति कोई समुचित कार्यवाही न किया जाना। जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की स्थापना हुई थी उसमें यह विभाग बिल्कुल असफल रहा है और यह केवल प्रबन्धकों की इच्छा के अनुरूप ही सलाह देता है, आदेश जारी करता है तथा कार्यवाही करता है।

6—अधिकतर निगमों में शिकायतों की जांच के लिए अब तक कोई सेल (अनुभाग) नहीं बनाये गये हैं। परिणामस्वरूप गम्भीर से गम्भीर मामलों पर जानकारी प्राप्त होने के बाद भी न तो निगम के प्रबन्धक स्तर पर कोई कार्यवाही की जाती है और न ही शासन स्तर पर कोई कार्यवाही की जाती है। अतः निगमों के स्तर पर भी एक परिवाद सेल स्थापित होना चाहिए जो कि प्राप्त शिकायतों पर तत्काल समुचित कार्यवाही करते हुए दोषी व्यक्तियों के प्रति कड़ी कार्यवाही कर सके।

7—निगमों को मनमानी किये जाने का साधन माना जा रहा है और प्रबन्धक यह सोचते हैं कि यह निगम केवल वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं को करने के लिए ही स्थापित किये गये हैं।

8—शासनादेशों के विपरीत निगमों में उच्च स्तर पर प्रतिनियुक्ति प्रथा को अनवरत जारी रखना परिणामस्वरूप अधिकतर निगमों ने अब तक उनका कोई अपना उचित कैडर नहीं बन सका है तथा अधिकारी पांच वर्ष की अवधि के बाद भी निगमों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं तथा

शासनादेशों के विपरीत पांच वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी प्रतिनियुक्ति भत्ता तथा अन्य जायज-नाजायज सुविधायें बराबर प्राप्त कर रहे हैं।

मान्यवर, प्रतिनियुक्ति प्रथा को अनवरत अर्थात् अनिश्चित काल तक के लिए मनमाने ढंग से जारी रखने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि प्रतिनियुक्ति के व्यक्ति निगमों में पूरी तरह से मनमानी कार्यवाहियां शासनादेशों के विरुद्ध करते रहते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि निगम स्तर पर इनके विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक या दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अधिक से अधिक उन्हें उनके पैत्रिक विभाग को वापस ही किया जा सकता है। यदि निगमों से प्रतिनियुक्ति प्रथा को समाप्त कर दिया जाय और शासनादेशों के अनुरूप इसे नियंत्रित कर दिया जाय तो निश्चित रूप से निगमों की कार्यप्रणाली में सुधार होगा।

9—निगमों में निरन्तर बढ़ रहे घाटे, कार्य क्षमता, कार्यों तथा उनकी गुणवत्ता में दिनो-दिन हो रही गिरावट के लिए न तो निगम स्तर पर और न ही शासन स्तर पर अब तक कोई ऐसी व्यवस्था की गयी है जिससे इन पर प्रभावी अंकुश लग सके, निगमों को जर्जर वित्तीय स्थिति से बचाया जा सके तथा सम्बन्धित व्यक्तियों का दायित्व निर्धारित कर उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा सके।

मान्यवर, जैसाकि पहले व्यक्त किया जा चुका है निगमों के अध्यक्ष अधिकतर शासन के सचिव ही हैं। आजकल प्रत्येक सचिव के दिमाग में यह भावना बैठ गयी है कि उनके अधीन कोई न कोई निगम अवश्य रहे ताकि वे अपनी मनमानी तथा वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताएं उस निगम से पूरी कर सकें स्थिति यहां तक है कि एक-एक सचिव बारह-बारह, पन्द्रह-पन्द्रह निगमों के अध्यक्ष हैं।

मान्यवर, शासन स्तर पर बैठे सचिव अपने विभाग के कार्यों से ही फुर्सत नहीं पाते हैं और विभागीय कार्यों के बोझ से दबे रहते हैं फिर इन सचिवों को निगमों के अध्यक्ष पदों पर बैठाये जाने का क्या औचित्य है? सम्भवतः निगमों की प्रतिकूल कार्यक्षमता एवं घाटे का यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसे समाप्त ही किया जाना चाहिए।

10—प्रबन्धकों द्वारा सम्बन्धित निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों तथा प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारियों/कर्मचारियों में भेदभाव पैदा किया जाता है तथा प्रतिनियुक्ति के व्यक्तियों को पक्षपात पूर्ण कार्यवाहियां द्वारा उत्साहित करते हुए निगम के कर्मचारियों के साथ भेदभाव पूर्ण सौतेली नीति अपनायी जाती है तथा उनका उत्पीड़न एवं अवमूल्यन किया जाता है जिसे समाप्त किया जाना नितान्त आवश्यक है।

11—प्रदेश के सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो विभाग के सचिव ही सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के महानिदेशक भी होते हैं किन्तु वे अपने दायित्वों का निर्वाह पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि सचिव सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो तथा महानिदेशक के पदों पर अलग-अलग व्यक्ति नियुक्त किये जायें। तथा ब्यूरो की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाया जाय ताकि समस्त निगमों/उपक्रमों पर वित्तीय एवं प्रशासनिक अंकुश अच्छी तरह से लग सके। साथ ही निगमों में व्याप्त भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद तथा जातिवाद समाप्त हो सके।

मान्यवर, प्रदेश की विधान सभा एवं विधान परिषद् द्वारा गठित सार्वजनिक निगम एवं उपक्रम समितियों द्वारा सदन के पटल पर रखी गयी रिपोर्टों प्रत्यावेदनों पर भी सरकार द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जाती है और इस प्रकार से इन समितियों के माननीय, सदस्यों की मेहनत एवं समय तो जाया होता ही है साथ ही निगमों के प्रबन्धकों में तानाशाही तथा निरंकुशता की भावना दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः मेरा सुझाव है कि विधान सभा एवं विधान परिषद् द्वारा गठित पी0 यू0 सी0 के प्रत्यावेदनों पर सरकार तत्काल प्रभावी कार्यवाही करें ताकि निगमों की कार्यप्रणाली में वांछित सुधार हो सके।

12—निगमों के अन्दर इन्टरनल आडिट का न होना।

मान्यवर, अधिकतर निगमों में अब तक इन्टरनल आडिट विंग की स्थापना नहीं की गयी है जबकि कम्पनी अधिनियम के अनुसार जिस सार्वजनिक निगम की पूंजी 25 लाख रुपये या उससे अधिक है उसे अपने यहां प्रभावी इन्टरनल आडिट सेल रखना अनिवार्य है। आज तक इस सम्बन्ध में शासन द्वारा तथा सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी है। अस्तु, सम्बन्धित निगमों के प्रबन्धक अपने यहां या तो इन्टरनल आडिट सेल की स्थापना ही नहीं कर रहे हैं और यदि खाना पूरी के लिए इस सेल की स्थापना की गयी है तो उसे पूर्णतया निष्प्रभावी (इन-इफैक्टिव) कर दिया गया है। अतः निगम के आन्तरिक वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्था की सही तस्वीर उजागर होने के लिए निगमों में प्रभावी इन्टरनल आडिट सेल की स्थापना नितान्त आवश्यक है।

13—ए0जी0 आडिट तथा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों पर कार्यवाही न किये जाने के परिणामस्वरूप ही निगमों की वित्तीय व्यवस्था दिन-प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। अतः मेरा सुझाव है कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स जो कि निगमों के वैधानिक आडिटर होते हैं, के साथ-साथ ए0 जी0 आडिट तथा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा समय से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। ताकि निगमों में वित्तीय अनुशासन कायम रह सके, मनमानी तथा शासनादेशों के विपरीत व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए की जा रही कार्यवाहियां समाप्त हो सकें।

14—प्रदेश के सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के द्वारा अब तक एक बार भी निगमों के सेवा समूहों के प्रतिनिधियों की कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी है जबकि केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा केन्द्रीय श्रम संगठनों के पदाधिकारियों से समय-समय पर वार्तायें की जाती हैं तथा उनसे सुझाव आमंत्रित करते हुए उन पर अमल किया जाता है किन्तु प्रदेश के सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा आज तक एक बार भी ऐसा नहीं किया गया है जबकि इस विभाग की स्थापना हुए लगभग 11-12 वर्षों का समय व्यतीत हो चुका है। इस ब्यूरो द्वारा जब-जब कोई मीटिंग या सेमिनार आयोजित की गयी हैं तो केवल प्रबंधकों की। अभी दो दिन पूर्व ही ब्यूरो द्वारा प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंध निदेशकों तथा अधीक्षकों की एक सेमिनार आयोजित की गयी किन्तु सार्वजनिक क्षेत्र के सेवा समूहों के प्रतिनिधियों की कोई बैठक या सेमिनार आज तक आयोजित नहीं की गयी है। अतः मेरा सुझाव है कि प्रदेश का सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के सेवा संघों के प्रतिनिधियों की वर्ष में कम से कम चार बैठकें/सेमिनार अवश्य आयोजित करें ताकि ब्यूरो को निगमों के बारे में सही स्थिति की जानकारी हासिल हो सके तथा कार्य प्रणाली में उचित सुधार हो सके।

15—प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र में निदेशक मंडल स्तर तक कर्मचारी भागीदारी योजना (वर्कस पार्टीसिपेशन इन मैनेजमेंट) अब तक लागू नहीं की गयी है जबकि केन्द्रीय सरकार ने अपने सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में इस योजना को निदेशक मंडल स्तर तक प्रभावी ढंग से लागू किया है जिसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं किन्तु प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र में अब तक इस योजना को लागू नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप प्रबंध पक्ष तथा कर्मचारी पक्ष में अपेक्षित सहयोग, सद्भाव, तालमेल का अभाव है जिसे इस योजना को लागू करके सही किया जा सकता है ताकि कर्मचारियों के दिलो-दिमाग में उत्तरदायित्व की भावना पैदा हो सके तथा निगमों को बहुमूल्य सुझाव मिल सके एवं उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो सके तथा निगमों को बहुमूल्य सुझाव मिल अर्जित कर सकें और जिनकी कार्य क्षमता में गिरावट आ रही है उसमें सुधार हो सके।

16—प्रदेश के निगमों में वर्तमान समय में तीन स्तरीय प्रणाली (थ्री टायर सिस्टम आफ मैनेजमेन्ट) द्वारा कार्यवाही सम्पादित होती हैं जिसके परिणामस्वरूप निगमों की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हैं तथा निर्णय लेने में भी विलम्ब होता हैं। यह थ्री टायर सिस्टम निम्न प्रकार हैं:—

(अ) शासन स्तर पर सम्बन्धित निगम का विभाग जो कि विभागीय सचिव के अधीन कार्य करता हैं।

(ब) प्रदेश का सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो तथा

(स) सम्बन्धित निगम का संचालक मंडल।

उपरोक्त पद्धति के अन्तर्गत केवल वरिष्ठ अधिकारियों के हितों के मामलों पर तो शीघ्रता से सभी स्तर से निर्णय हो जाते हैं किन्तु निगम हित के मामलों तथा कर्मचारियों के हितों से सम्बन्धित मामलों पर वर्षों तक कोई निर्णय ही नहीं होता हैं। यदि किसी प्रकार निगम के संचालन मंडल द्वारा सहमति व्यक्त की गयी तो सचिवालय स्तर पर सम्बन्धित विभाग और उसके बाद सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा या तो वर्षों तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता अथवा प्रतिकूल निर्णय लेते हुए सूचित कर दिया जाता हैं। अतः इस व्यवस्था पर भी गम्भीरता से विचार करते हुए यह आवश्यक हैं कि इसमें उचित तालमेल, सामंजस्य स्थापित किया जाये तथा निर्णय शीघ्र लिये जायें क्योंकि अनिश्चितकाल तक निर्णय न देने से भी स्थिति अत्यंत दयनीय तथा कभी-कभी भयावह हो जाती हैं जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में गम्भीर औद्योगिक अशांति उत्पन्न हो जाती हैं।

17—निगमों के कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवा सम्बन्धी, वेतन एवं भत्तों से सम्बन्धित मामलों पर समय से निर्णय लिया जाना नितान्त आवश्यक हैं। ऐसे भी उदाहरण हैं कि वर्ष 1979 से पुनरीक्षित होने वाले वेतन भत्तों को आज तक पुनरीक्षित नहीं किया गया हैं उसमें से उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम तथा राजकीय निर्माण निगम के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। क्या यह प्रबन्धकों तथा सरकार की उपेक्षित एवं जन विरोधी नीति का परिचायक नहीं हैं? यह वेतनमान इन निगमों में कब तक लागू हो जायेंगे अब तक स्पष्ट नहीं हैं। इसके अतिरिक्त अधिकतर निगमों में अब तक सेवा नियम नहीं बनाये गये हैं अस्तु निगमों में सेवा नियमों को भी तत्काल लागू किया जाना नितान्त आवश्यक हैं।

अतः इन मामलों पर तत्काल समुचित कार्यवाही पूरी कराने की व्यवस्था करें ताकि प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र की जर्जर स्थिति में वांछित सुधार हो सके।

अशोक बाजपेई

मुख्य सचेतक,

जनता पार्टी विधान मण्डल-दल, उ० प्र०

पी०एस० ए०पी०—एपी० 57 विधान सभा- 20-1-86-(3313)-1986-813 (मैग्न०)